उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल - जून, 2012

निर्णय-सूची

पृष्ठ संख्या

उत्तम चंद **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	290
गुरपाल सिंह **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य	317
गोपालकृष्णन् **उर्फ** मणी **बनाम** केरल राज्य	208
दुर्गादास **बनाम** अंजू देवी और अन्य	238
बलवंत राज **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	247
सुरजीत सिंह **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य	281
हकीमुद्दीन **उर्फ** हाकिम **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	187
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** रोहित परमार और अन्य	352
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** शांति देवी	326
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** सुनील कुमार और अन्य	340

संसद् के अधिनियम

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) – (16)

अप्रैल - जून, 2012 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – पारिस्थितिक साक्ष्य [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 201] – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की कड़ी में से एक भी परिस्थिति को युक्तियुक्ततः और संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सका, वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना न्यायोचित नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **शांति देवी** 326

संसद् के अधिनियम

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (16)

पृष्ठ संख्या 187 – 366 **(2012) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अप्रैल - जून, 2012 (संयुक्तांक)(पृष्ठ संख्या 187 – 366)

संपादक-मंडल

श्री विनोद कुमार भसीन,
सचिव, विधायी विभाग

डा. संजय सिंह,
अपर सचिव (प्रशा.), विधायी विभाग

डा. आर. डी. मीना, संयुक्त सचिव
राजभाषा खंड

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

डा. प्रीती सक्सेना, प्रोफेसर,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष
विधि संकाय, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्राचार्य,
विधि विभाग, गुरू गोविद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. आर. पी. सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पाण्डेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, गोबिन्द लाल बतरा, एम. पी. सिंह, जसवन्त सिंह और बी. के. भटनागर

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2012 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 156(3) – मजिस्ट्रेट की अन्वेषण किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति – जहां मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने के पश्चात् संहिता के अध्याय 15 में विहित प्रक्रिया अपनाता है वहां वह धारा 156(3) के अधीन पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश न देकर कोई अवैधता नहीं करता, इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करने के समय अधिकारिता की कोई भूल नहीं की है ।

गुरपाल सिंह बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य** 317

– धारा 482 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति – जहां पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406, 323, 506 और 34 के अधीन पति के विरुद्ध दर्ज कराए गए मामले में पति और पत्नी के बीच विवाद में समझौता हो गया है और पत्नी ने दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने में कोई आक्षेप नहीं किया है वहां उच्च न्यायालय को धारा 482 के अधीन न्याय के प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है ।

सुरजीत सिंह बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य** 281

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 299 और धारा 300 – आपराधिक मानववध/हत्या – जहां मामले की परिस्थितियों को समग्रता से परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अपराध अचानक हुए झगड़े और लड़ाई के साथ-साथ पूर्व-चिंतन के बिना कारित किया गया और यह अवधारण करने के लिए विशेषज्ञ साक्ष्य का अभाव रहा हो कि मृतक को पहुंची क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं

पृष्ठ संख्या

या नहीं, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा देकर धारा 302 के बजाय धारा 304(1) के अधीन दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

गोपालकृष्णन् उर्फ **मणी** बनाम **केरल राज्य** 208

– धारा 300 – हत्या – जहां घटना दिन दहाड़े हुई हो – साक्षियों द्वारा घटनास्थल साबित किया गया हो – घटनास्थल से प्राप्त रक्त मानव रक्त हो तथा बरामद किए गए खाली कारतूस की फायरिंग अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त पिस्तौल से की गई हो और साक्षी का परिसाक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हो वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

हकीमुद्दीन उर्फ **हाकिम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 187

– धारा 302/34 – हत्या – अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्षियों द्वारा घटना घटने की रीति के बारे में भिन्न-भिन्न कथन किए जाने और उनके परिसाक्ष्यों में अनेक जोड़-तोड़ और सुधार होने के कारण अभियुक्तों को घटना से जोड़ने के लिए साक्ष्य की श्रृंखला संदेहास्पद और अविश्वसनीय हो जाने पर अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित और न्यायसंगत है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **सुनील कुमार और अन्य** 340

– धारा 306 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क] – आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण – क्रूरता और तंग किया जाना – जहां मामले के दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य साक्षियों की गहन परीक्षा के पश्चात् यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने मृतका को शारीरिक और मानसिक क्रूरता पहुंचाई और तंग किया, जिससे मजबूर होकर उसे अपने विवाह के मात्र नौ माह के भीतर विष खाकर आत्महत्या करनी पड़ी, वहां अभियुक्त को धारा 306 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

उत्तम चंद बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 290

पृष्ठ संख्या

– धारा 452, 323, 366, 376(2)(छ)/34 – सामान्य आशय के साथ गृह अतिचार, व्यपहरण तथा सामूहिक बलात्संग – जहां स्वयं अभियोक्त्री और उसके पति तथा अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य परस्पर प्रतिकूल हैं, चिकित्सा साक्ष्य से भी अभियोक्त्री को पहुंची क्षतियों की संपुष्टि नहीं हुई है और अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया कि अपराध अभियुक्तों द्वारा ही किया गया था, वहां उक्त अपराधों के लिए की गई उनकी दोषमुक्ति न्यायसंगत और उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **रोहित परमार और अन्य** 352

रणबीर दंड संहिता संवत्, 1989

– धारा 302 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 25] – हत्या – यदि अभियोजन पक्ष घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य और अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तो अभियुक्त हत्या और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दायी है ।

बलवंत राज बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 247

– धारा 488 – भरण-पोषण – जहां यह साबित होता है कि किसी पुरुष का किसी महिला के साथ-साथ रहते हुए समाज की यह धारणा बन जाती है कि वे पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं वहां ऐसा व्यक्ति उस महिला के भरण-पोषण के दायित्व के साथ-साथ ऐसे संबंध से जन्मे बच्चों के भरण-पोषण का भी उत्तरदायी है ।

दुर्गादास बनाम **अंजू देवी और अन्य** 238

पृष्ठ संख्या

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 – नातेदार साक्षी – किसी साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह नातेदार साक्षी है या एकमात्र साक्षी है या दोनों हैं यदि अन्यथा साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया जाता है ।

हकीमुद्दीन उर्फ **हाकिम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 187

– धारा 3 – पारिस्थितिक साक्ष्य [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 201] – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की कड़ी में से एक भी परिस्थिति को युक्तियुक्ततः और संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सका, वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना न्यायोचित नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **शांति देवी** 326

– धारा 165 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311] – न्यायालय की शक्तियां – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की मरणोत्तर परीक्षा करने वाले डाक्टर की परीक्षा यह साबित करने के लिए नहीं कराई गई हो कि मृतक को पहुंची क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं या नहीं, वहां विचारण न्यायाधीश को उक्त धाराओं के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे साक्षी को समन करना चाहिए ।

गोपालकृष्णन् उर्फ **मणी** बनाम **केरल राज्य** 208

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वाशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

हकीमुद्दीन उर्फ **हाकिम**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 13 मई, 2011

न्यायमूर्ति एफ. आई. रिबेलो और न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 – हत्या – जहां घटना दिन दहाड़े हुई हो; साक्षियों द्वारा घटनास्थल साबित किया गया हो ; घटनास्थल से प्राप्त रक्त मानव रक्त हो तथा बरामद किए गए खाली कारतूस की फायरिंग अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त पिस्तौल से की गई हो और साक्षी का परिसाक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हो वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – नातेदार साक्षी – किसी साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह नातेदार साक्षी है या एकमात्र साक्षी है या दोनों है यदि अन्यथा साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया जाता है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि नूर मोहम्मद **उर्फ** गब्बर के नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्ति द्वारा तारीख 27 अक्तूबर, 2001 को 4.20 बजे अपराह्न पुलिस थाना, दिल्ली गेट, मेरठ पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । उसने मृतक का कर्मचारी होने का दावा किया था । इस क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाने पर लिखित रिपोर्ट पेश की गई और मामले को आयुध अधिनियम की धारा 386/302/307 के अधीन 2001 के अपराध मामला सं. 504 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया जिसमें आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन 2001 का अपराध मामला सं. 505 मामले का तारीख 27 अक्तूबर, 2001 4.00 बजे अपराह्न के रजिस्ट्रेशन का अनुसरण किया गया था यह रिपोर्ट जैसाकि अभिलेख से प्रकट है संदीप मोहन गोयल द्वारा लिखी गई थी । अनावश्यक ब्योरों पर ध्यान न देते हुए मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 27 अक्तूबर, 2001 को

2.45 बजे अपराह्न जब शिकायतकर्ता सुरेन्द्र भाटिया (मृतक) जो दुकान का स्वामी था, के पास खड़ा था तब अपीलार्थी जो उस क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है देशी कट्टे को घुमाते हुए वहां पर पहुंचा और उसने मृतक से उसे सुरक्षा देने हेतु पैसों की मांग की । मृतक सुरेन्द्र मोहन ने उस मांग का अनुपालन करने से इनकार कर दिया जिस पर अपीलार्थी ने उसके नाक के नजदीक चेहरे पर पिस्तौल लगाई और गोली चला दी । गोली से क्षति पहुंचने पर मृतक जमीन पर गिर गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि नजदीक क्षेत्र के लोगों ने इधर-उधर भागना शुरू कर दिया । इसके पश्चात् अपीलार्थी पिस्तौल घुमाता हुआ घटनास्थल से चला गया । इसी बीच दो पुलिस कांस्टेबल जो नजदीक थे, गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और हमलावर का पीछा किया । हमलावर बचने के लिए दुकान की ओर मुड़ा जहां उसने गोल चक्कर लगाए और उसे घटनास्थल पर गिरफ्तार कर लिया गया । घटना के पश्चात् मृतक सांस ले रहा था उसे रिक्शे द्वारा अस्पताल ले जाया गया परंतु क्षतियों के कारण उसकी पी. एल. शर्मा अस्पताल में मृत्यु हो गई । मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा की गई और कागजात तैयार किए गए तथा शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया । मामले के अन्वेषण का जिम्मा उप-निरीक्षक राकेश कुमार द्विवेदी को दिया गया, जिसने साक्षी के कथन अभिलिखित किए और बरामदगी ज्ञापन तैयार करके घटनास्थल से रक्त-रंजित मिट्टी और सादी मिट्टी एकत्रित की । उसने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् तारीख 5 सितंबर, 2003 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा की जिनमें से नूर मोहम्मद (अभि. सा. 1), संदीप मोहन गोयल (अभि. सा. 2), अनिल कुमार भाटिया (अभि. सा. 3), राजेश भाटिया (अभि. सा. 4) और विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई । नूर मोहम्मद (अभि. सा. 1), संदीप मोहन गोयल (अभि. सा. 2) और राजेश भाटिया (अभि. सा. 4) को पक्ष में कर लिया घोषित किया था । अपीलार्थी ने निचले न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं किया था इसलिए, उसे सहायता के लिए न्यायमित्र उपलब्ध कराया गया था । प्रतिरक्षा पक्ष ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है । अभियुक्त ने निर्दोष होने का दावा किया । उसने इस बात से इनकार किया है कि उससे कोई बरामदगी की गई थी या उसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि साक्षियों ने उसके विरुद्ध मिथ्या

अभिसाक्ष्य दिया है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्धि का अधिनिर्णय अभिलिखित किया और इसलिए, यह अपील फाइल की गई । अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील 2002 के सेशन विचारण सं. 46 में तारीख 9 अक्तूबर, 2006 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को आक्षेपित करते हुए कारागार से फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराधों से दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने तथा साथ ही साथ 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने की प्रतिबंध शर्त का व्यतिक्रम करने पर 1 वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 386 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया और 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा साथ में 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय न करने पर इस प्रतिबंध शर्त के साथ 1 वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-क) के अधीन अपराधों के लिए भी दोषसिद्ध किया गया और 5 वर्ष का कारावास भोगने तथा 1,500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय करने में प्रतिबंध शर्त का व्यतिक्रम करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । सभी दंडादेशों के लिए साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय इस दलील पर उत्सुकता से विचार करता है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को महत्व देता है । इस तथ्य के बारे में किसी प्रकार इनकार नहीं किया गया है कि विनोद भाटिया को छोड़कर सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन पक्षकथन को समर्थन नहीं देते हैं किंतु उसी समय पर यह भी प्रकट हुआ है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अन्य विश्वसनीय परिस्थितियों का अवलंब लेकर दोषसिद्धि पर अपना निष्कर्ष आधारित किया है । विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इस तथ्य को गणना में लिया है कि अपीलार्थी को देशी कट्टे के साथ घटनास्थल के नजदीक से गिरफ्तार किया गया था और प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के अनुसार घटनास्थल से कारतूस बरामद किया गया था और अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई पिस्तौल से गोली चलाई गई थी । विद्वान् काउंसेल की अगली दलील पर विचार किया गया कि विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) का नाम प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है और उसके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । यह कहना पर्याप्त होगा कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य जिसका नाम साक्षी के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है, उस पर विवश होकर संदेह नहीं किया जाना चाहिए । विनिश्चयों की शृंखला से यह सुस्थापित है कि साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना अभियोजन पक्षकथन को प्रभावित करने वाले परिणामों से भरपूर नहीं है । ऐसा कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है कि सभी साक्षियों के नाम का जो अति विशिष्टतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में निरपवाद रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । मध्य प्रदेश राज्य बनाम मान सिंह वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य के नाम का केवल उल्लेख न किए जाने से अभियोजन वृत्तांत दुर्बल नहीं होता है ।न्यायालय में दूसरी यह दलील दी गई कि केवल विनोद भाटिया ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और उसके परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था । न्यायालय ने अभिलेख की पुनः संवीक्षा की है और यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभि. सा. 5 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधार नहीं माना है बल्कि उन्होंने इस प्रकार की ऐसी अन्य सहबद्ध परिस्थितियों का अवलंब लिया है कि अपीलार्थी को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से देशी कट्टा बरामद किया गया है तथा घटनास्थल से कारतूस भी बरामद किया गया था, उक्त देशी कट्टे से गोली चलाई गई थी । यहां पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल से अपीलार्थी की गिरफ्तारी को पूर्णतया साबित किया है । इसके अतिरिक्त, संगत रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि अपीलार्थी का कुछ दूरी तक पीछा करने के पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया था । विनोद भाटिया के परिसाक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में इस आधार पर दलील दी गई कि अपीलार्थी पूर्वोक्त साक्षी को पहले से नहीं जानता था और अभियोजन पक्ष द्वारा शनाख्त कार्यवाहियां की जानी चाहिए थीं और इस मामले में कोई शनाख्त परेड नहीं की गई थी । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि शनाख्त परेड अन्वेषण का भाग होता है और मामले में अति लाभदायक होता है जहां अभियुक्त व्यक्तियों को साक्षियों द्वारा नहीं जाना गया था । इसका केवल न्यायालय में अभिलिखित साक्ष्य को सहारा देने में प्रयोग किया जाता है । यदि इसकी गणना की जाए तो यह साक्ष्य का सारभूत टुकड़ा नहीं है । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वास्तविक

साक्ष्य यह है जिसे साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिया जाता है । शनाख्त परेड की परीक्षा के प्रयोजन से यह सुनिश्चित करना होता है कि अन्वेषण में सीधे तरीके से कार्यवाही हुई है और इससे साक्षियों का स्वयं यह समाधान होता है कि अभियुक्त जिस पर उन्होंने संदेह प्रकट किया है वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे उन्होंने अपराध के कारित होने के समय पर देखा था । उपरोक्त दलील के संबंध में हमने मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख किया है । पैरा 41 का सुसंगत सार दिया जा रहा है "शनाख्त परीक्षा का साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 के अधीन ग्राह्य है । शनाख्त परेड पुलिस द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के प्रक्रम से संबंधित है । यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या किसी साक्षी ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त की शनाख्त की है या नहीं । ऐसा नहीं है जो स्वतः विचारण में सुसंगत है । शनाख्त के बारे में वास्तविक साक्ष्य यह है कि जिसे साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिया जाता है । दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो अभियुक्त को यह मांग करने का हकदार बनाता है कि शनाख्त परेड विचारण के जांच से पूर्व रखी जानी चाहिए । यह तथ्य प्रकट हुआ है कि कोई विशिष्ट साक्षी शनाख्त परेड पर अभियुक्त की शनाख्त करने में समर्थ है जो न्यायालय में शनाख्त की सम्पुष्टि के लिए केवल एक परिस्थिति है ।" वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह उल्लेख कर सकते हैं कि अभियुक्त को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और पिस्तौल की बरामदगी उसके कब्जे से की गई थी । अपीलार्थी की न्यायालय में सही रूप से शनाख्त की गई थी । इसके अतिरिक्त, इस विश्वास के आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी को मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था । इस बात की गणना करते हुए हमारा यह मत है कि शनाख्त परेड इस मामले में अतात्विक है । चर्चा को ध्यान में रखते हुए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि के अधिनिर्णय को अभिलिखित करके ठीक ही किया है । सारभूत रूप से मामले में प्रकट मूक लक्षण जो हमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश के मत से सहमत कराते हैं, यह है कि घटना दिन-दहाड़े घटी; घटना का स्थान साक्षियों द्वारा साबित किया गया है और घटनास्थल से रक्त की बरामदगी हुई है जो मानव रक्त पाया गया है; अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किए गए आयुध अर्थात् पिस्तौल से खाली कारतूस निकला हुआ पाया गया था । न्यायालय का यह भी मत है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेशन न्यायाधीश ने विनोद भाटिया के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर ठीक ही

किया है जिससे लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी । न्यायालय ने अति सावधानीपूर्वक उसके परिसाक्ष्य पर विचार किया है और न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि परिसाक्ष्य पूर्णतया विश्वास योग्य है । न्यायालय का विचारित मत यह है कि उसका परिसाक्ष्य पूर्णतया विश्वास प्रेरित करने वाला है । (पैरा 33, 35, 36, 37, 39 और 40)

प्रथम प्रश्न जो न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रकट हुआ है यह है कि क्या साक्षी जो मृतक के नातेदार हैं, के परिसाक्ष्य पर विश्वास किया जाए या नहीं । विधि में अच्छी तरह यह निरूपित किया गया है कि एकमात्र साक्षी या साक्षियों के कारण जो मृतक के नातेदार हैं उसके या उनके परिसाक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है । इस दलील को गणना में लेते हुए कि साक्षी जो मृतक के नातेदार हैं, वे पक्षपाती साक्षियों के प्रवर्ग में आते हैं, उक्त दलील में कोई सार नहीं है । विनिश्चयों की शृंखला को देखते हुए इस सार पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्षी से आहत की नजदीकी नातेदारी होने पर ऐसे साक्षी पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है । साधारणतया, नजदीकी नातेदारी से यह आशय प्रकट नहीं होता है कि वास्तविक अपराधी को प्रकट न किया जाए । आहत से साक्षी की निकट की नातेदारी के साक्ष्य की आलोचना नहीं होनी चाहिए । प्रायः इससे सच्चाई प्रकट करने की निश्चित गारंटी नहीं होती । अन्य विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि आहत की नजदीकी नातेदारी से कोई साक्षी हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता और उसका साक्ष्य न केवल विश्वसनीय होता है बल्कि अन्य साक्ष्य पर उसे अधिमानता दी जाती है । उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह तथ्य कि साक्षी आहत का नातेदार है, उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है किंतु उसके साक्ष्य का अति सावधानीपूर्वक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । जो कुछ अपेक्षित है यह है कि न्यायालय का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह ऐसे नजदीकी नातेदारों के साक्ष्य की संवीक्षा करते हुए मामले में अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि ऐसे साक्षी का अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विश्वसनीय है तो केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए कि वह साक्षी आहत का नजदीकी नातेदार है । साररूप में यह सुस्थापित किया गया है कि किसी साक्षी का साक्ष्य केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वह नातेदार साक्षी या एकल साक्षी है यदि वह विश्वास योग्य पाया जाता है । कोई साक्षी नातेदार हो सकता है परंतु इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा

सकता है कि उसके कथन को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाए । (पैरा 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 508 : **मुल्ला** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	38
[2004]	(2004) 11 एस. सी. सी. 266 : **रवि** बनाम **राज्य** ;	31
[2004]	(2004) 12 एस. सी. सी. 229 : **याकूब इस्माइल भाई पटेल** बनाम **गुजरात राज्य** ;	34
[2003]	(2003) 10 एस. सी. सी. 414 : **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह** ;	35
[1953]	ए. आई. आर. 1953 एस.सी. 346 : **दलीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	31

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक कारागार अपील सं. 5456.

श्री उमेश चन्द्र सक्सेना एच. जे. एस. अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 9, मेरठ द्वारा तारीख 9 अक्तूबर, 2006 को पारित किए गए आदेश और निर्णय के विरुद्ध दांडिक अपील फाइल की गई ।

अपीलार्थी की ओर से श्री रविन्द्र शर्मा, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. एन. बाजपई

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इम्तियाज़ मुर्तजा ने दिया ।

न्या. मुर्तजा – अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील 2002 के सेशन विचारण सं. 46 में तारीख 9 अक्तूबर, 2006 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को आक्षेपित करते हुए कारागार से फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराधों से दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने तथा साथ ही साथ 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने की प्रतिबंध शर्त का व्यतिक्रम करने पर 1 वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 386 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया

और 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा साथ में 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय न करने पर इस प्रतिबंध शर्त के साथ 1 वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-क) के अधीन अपराधों के लिए भी दोषसिद्ध किया गया और 5 वर्ष का कारावास भोगने तथा 1,500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय करने में प्रतिबंध शर्त का व्यतिक्रम करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । सभी दंडादेशों के लिए साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था ।

2. इस मामले में नूर मोहम्मद **उर्फ** गब्बर के नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्ति द्वारा तारीख 27 अक्तूबर, 2001 को 4.20 बजे अपराह्न पुलिस थाना, दिल्ली गेट, मेरठ पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । उसने मृतक का कर्मचारी होने का दावा किया था । इस क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाने पर लिखित रिपोर्ट पेश की गई और मामले को आयुध अधिनियम की धारा 386/302/307 के अधीन 2001 के अपराध मामला सं. 504 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया जिसमें आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन 2001 का अपराध मामला सं. 505 मामले का तारीख 27 अक्तूबर, 2001 4.00 बजे अपराह्न के रजिस्ट्रेशन का अनुसरण किया गया था यह रिपोर्ट जैसाकि अभिलेख से प्रकट है संदीप मोहन गोयल द्वारा लिखी गई थी ।

3. अनावश्यक ब्योरों पर ध्यान न देते हुए मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 27 अक्तूबर, 2001 को 2.45 बजे अपराह्न जब शिकायतकर्ता सुरेन्द्र भाटिया (मृतक) जो दुकान का स्वामी था, के पास खड़ा था तब अपीलार्थी जो उस क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है देशी कट्टे को घुमाते हुए वहां पर पहुंचा और उसने मृतक से उसे सुरक्षा देने हेतु पैसों की मांग की । मृतक सुरेन्द्र मोहन ने उस मांग का अनुपालन करने से इनकार कर दिया जिस पर अपीलार्थी ने उसके नाक के नजदीक चेहरे पर पिस्तौल लगाई और गोली चला दी । गोली से क्षति पहुंचने पर मृतक जमीन पर गिर गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि नजदीक क्षेत्र के लोगों ने इधर-उधर भागना शुरू कर दिया । इसके पश्चात् अपीलार्थी पिस्तौल घुमाता हुआ घटनास्थल से चला गया । इसी बीच दो पुलिस कांस्टेबल जो नजदीक थे, गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और हमलावर का पीछा किया । हमलावर बचने के लिए दुकान की ओर मुड़ा जहां उसने गोल चक्कर लगाए और उसे घटनास्थल पर गिरफ्तार कर

लिया गया । घटना के पश्चात् मृतक सांस ले रहा था उसे रिक्शे द्वारा अस्पताल ले जाया गया परंतु क्षतियों के कारण उसकी पी. एल. शर्मा अस्पताल में मृत्यु हो गई ।

4. मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा की गई और कागजात तैयार किए गए तथा शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया ।

5. मामले के अन्वेषण का जिम्मा उप-निरीक्षक राकेश कुमार द्विवेदी को दिया गया था, जिसने साक्षी के कथन अभिलिखित किए और बरामदगी ज्ञापन तैयार करके घटनास्थल से रक्त-रंजित मिट्टी और सादी मिट्टी एकत्रित की । उसने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् तारीख 5 सितंबर, 2003 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा की जिनमें से नूर मोहम्मद (अभि. सा. 1), संदीप मोहन गोयल (अभि. सा. 2), अनिल कुमार भाटिया (अभि. सा. 3), राजेश भाटिया (अभि. सा. 4) और विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई । नूर मोहम्मद (अभि. सा. 1), संदीप मोहन गोयल (अभि. सा. 2) और राजेश भाटिया (अभि. सा. 4) को पक्ष में कर लिया घोषित किया था ।

7. अपीलार्थी ने निचले न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं किया था इसलिए, उसे सहायता के लिए न्यायमित्र उपलब्ध कराया गया था । प्रतिरक्षा पक्ष ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है । अभियुक्त ने निर्दोष होने का दावा किया । उसने इस बात से इनकार किया है कि उससे कोई बरामदगी की गई थी या उसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि साक्षियों ने उसके विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है ।

8. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्धि का अधिनिर्णय अभिलिखित किया और इसलिए, यह अपील फाइल की गई ।

9. चूंकि अपीलार्थी ने इस न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं किया था, इसलिए, इस मामले में श्री रविन्द्र शर्मा को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था, तद्नुसार उन्हें सुना गया था । श्री शर्मा ने अति विस्तृत रूप से मामले में दलील दी । हमने श्री के. एन. बाजपई, अपर सरकारी

अधिवक्ता को भी सुना ।

10. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस आधार वाक्य पर इन निष्कर्षों को आक्षेपित किया कि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं इसलिए दोषसिद्धि पर हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है । उन्होंने यह निवेदन करते हुए निष्कर्ष को भी चुनौती दी है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है और साथ ही साथ यह दलील दी कि तीन साक्षी जिनकी प्रत्यक्ष साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई थी, उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अंततः, यह दलील दी गई कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी पर अधिरोपित किया गया दंडादेश कठोर होने की वजह से गलत है ।

11. इसके विपरीत, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए विचारण न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए मत की सत्यता पर विश्वास किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य दिया गया था और सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराकर सही कार्य किया है ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की पूर्वोक्त परस्पर प्रतिस्पर्धी दलीलों का मूल्यांकन करके हमने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की स्वतंत्रतापूर्वक संवीक्षा की है ।

13. अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य का सार यह है कि वह मृतक की दुकान पर कर्मचारी था और घटना की तारीख को वह मध्याह्न का भोजन लेने के लिए उसके घर पर गया था । जब वह दुकान पर वापस लौटा तब उसने यह देखा कि मृतक पर गोली चलाई गई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने मृतक से किसी तरह की धनराशि की मांग नहीं की थी और न उसने उसकी मौजूदगी में मृतक पर गोली चलाई थी । जब वह दुकान पर पहुंचा तब मृतक क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था और उसके घावों से रक्त टपक रहा था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि आहत को तत्काल रिक्शे पर अस्पताल ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उस समय जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, हमलावर जिसने मृतक पर गोली चलाई थी, पहले ही भाग चुका था । उसने इस बात से इनकार किया है कि अपीलार्थी ने उसकी मौजूदगी में मृतक पर गोली चलाई थी । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने अभियुक्त को पकड़ा था ।

उसने अन्वेषक अधिकारी को ऐसा कथन किए जाने से इनकार किया और जब उसके कथन में विरोधाभास प्रकट हुआ तो वह उसका स्पष्टीकरण नहीं दे सका । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था तथा उससे व्यापक रूप से प्रतिपरीक्षा की गई थी ।

14. दूसरा साक्षी संदीप मोहन गोयल (अभि. सा. 2) है । उसके अभिसाक्ष्य का सार यह है कि उसने नूर मोहम्मद के लिखाने पर रिपोर्ट लिखी थी । उसने ऐसी किसी जानकारी होने से इनकार किया है कि किसने मृतक पर गोली चलाई थी । उसने घटनास्थल से हकीमुद्दीन अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसके समक्ष मृत्यु-समीक्षा की गई थी । जब उससे मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर होने के बारे में विरोध किया गया तब उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए जाने की बात को स्वीकार किया है । उसने अन्वेषक अधिकारी को कथन किए जाने के बारे में भी इनकार किया है और जब इस बारे में उससे विरोध प्रकट किया तब वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका । उसने इस बात से इनकार किया है कि वह अभियुक्त के डर से मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा है । जब उससे इस बारे में पूछताछ की गई क्या अभियुक्त वही व्यक्ति है तब उसने इस बात से इनकार किया कि उस व्यक्ति को वह जानता है । इस साक्षी को पक्ष में कर लेना घोषित किया गया था और इससे अभियोजन पक्ष द्वारा व्यापक रूप से प्रतिपरीक्षा की गई थी ।

15. अनिल कुमार भाटिया (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने यह सुना कि सुरेन्द्र भाटिया को गोली मार दी गई है तब वह अपने स्कूटर से उसके मकान पर गया । उसने मृतक से अपनी नातेदारी होना स्वीकार किया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे नूर मोहम्मद से सूचना प्राप्त हुई थी और उसे यह भी अवगत कराया गया था कि अपीलार्थी द्वारा मृतक पर गोली चलाई गई थी । जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसने पुलिस और अपीलार्थी हकीमुद्दीन को देखा जो पुलिस अभिरक्षा में था । उसने यह स्वीकार किया है कि मृत्यु-समीक्षा उसकी मौजूदगी में की गई थी और उसने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की थी । उसने प्रतिपरीक्षा में अपने वृत्तांत को दोहराया है कि वह फोन पर सूचना मिलने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा । उसने यह भी कथन किया कि उसने कहने पर कागजातों पर अपने हस्ताक्षर किए । उसने यह भी कथन किया कि पुलिस ने उसकी मौजूदगी में अभियुक्त को

गिरफ्तार नहीं किया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह मृतक का करीबी नातेदार होने के कारण मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा है ।

16. राजेश भाटिया (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी उपस्थिति में हत्या नहीं की गई थी और उसने इस बारे में जानकारी होने से इनकार किया है कि मृतक की हत्या किसने की । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब मृतक को पहले ही अस्पताल ले जाया गया था । इस साक्षी को पहले ही पक्षद्रोही घोषित किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में अन्वेषण अधिकारी से किसी कथन को किए जाने के बारे में इनकार किया है और उसने मृतक पर अभियुक्त द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में देखे जाने से इनकार किया है । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसने पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को देखा था ।

17. विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह लगभग 3.00 बजे अपराह्न मृतक से उसकी पंसारी की दुकान पर मिलने गया था । उसकी दुकान में पहुंचने से पूर्व उसने यह देखा कि मृतक को धमकाया जा रहा था और अभियुक्त उसकी ओर पिस्तौल घुमा रहा था तथा उससे पैसे मांग रहा था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह एकदम घबरा गया उसके पश्चात् वह दुकान की ओर गया तब हमलावर ने पिस्तौल से गोली चला दी और यह गोली मृतक की गर्दन पर लगी । जब हमलावर ने भागने की कोशिश की तब सभी दुकानदार एकसाथ होकर उन्होंने हमलावर का भी पीछा किया और अंततः हमलावर पकड़ा गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि क्योंकि वह घबरा गया था, इसलिए, अपने मकान की ओर वापस लौट गया । तत्पश्चात्, उसकी जानकारी में यह बात आई कि मृतक को रिक्शे पर अस्पताल ले जाया गया था परंतु उस समय मृतक ने अंतिम सांस ली थी । इस साक्षी ने अपीलार्थी की शनाख्त की है जिसने मृतक पर गोली चलाई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी की हकीमुद्दीन के रूप में घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा शनाख्त की गई है ।

18. उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसका मकान घटना के स्थान से आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । घटना के दिन वह सुरेन्द्र भाटिया को देखने के लिए अनिल भाटिया के साथ गया था जो उसके चाचा का पुत्र है । सुरेन्द्र भाटिया की दुकान उस गली में स्थित थी जो सामने की ओर से दिखाई देती है, उसने अभियुक्त को लगभग 10-15

कदमों की दूरी से देखा था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त पिस्तौल दिखाकर सुरेन्द्र से पैसे मांग रहा था । उसने न्यायालय में अभियुक्त की भी शनाख्त की है । उसने इस बात से इनकार किया है कि उस स्थान से घटना के स्थान को देखे जाने की कोई संभावना नहीं है जहां से उसने देखा था । उसने यह भी कथन किया है कि जब उसने घटना देखी तब वह लगभग 2-4 कदम की दूरी पर था और वह चीखा-चिल्लाया और अपने घर को वापस लौटा जहां से उसने उसके कुटुंब के सदस्यों को सूचना दी । उसने यह भी कथन किया कि वह घबरा गया था । उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त को उसकी मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया था और बाद में यह जानकारी में आया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । उसने यह भी कथन किया है कि जब वह पुलिस थाने पर गया अभियुक्त को हवालात में बंद किया गया था । उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी और वह मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा है ।

19. अभि. सा. 6 डा. आर. के. गुप्ता हैं जो उस सुसंगत समय पर पी. एल. चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने शव का मृत्यु परीक्षण किया था और उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व क्षतियां पाई गई थीं :–

> "1. दाहिने नासाछिद्र के 5 से. मी. बाहर चेहरे के दाहिने ओर 1 से. मी. x 2 से. मी. का प्रविष्ट गोली का घाव । सम्पूर्ण चेहरे पर इक्कीमोज्ड था । चेहरे और मस्तिष्क के चारों ओर गोली का पाउडर मौजूद था । घाव के उपान्त उलटे हुए थे ।
>
> 2. बाएं कान के 11 से. मी. ऊपर सिर के पीछे की ओर 3 से. मी. x 2 से. मी. x मस्तिष्क की गुहिका के अंदर तक प्रविष्ट बन्दूक की गोली का घाव । उपांत उलटे थे ।"

20. डाक्टर ने शव की चीर-फाड़ करने पर निम्नलिखित दशा पाई थी :–

> 1. अस्थि का अग्र भाग और संकास्थि भाग के दाहिनी ओर अस्थिभंग पाया गया था । दाहिना मैक्सिला अस्थि का भी अस्थिभंग पाया गया ।
>
> 2. मस्तिष्क द्रव्य और अवदृढ़तानिकी तथा एक्सट्रीडुरल झिल्लियों का विदीर्ण हुआ था तथा ह्यूमोटोमा मौजूद था ।

3. बाहरी मध्य और परवर्ती क्राईवल फोसा का अस्थिभंग हुआ था ।

4. दोनों फेफड़े कमजोर पड़े हुए थे । अमाशय में 100 ग्राम अर्धपचित भोजन था और यकृत क्षीण था । गाल ब्लैडर आधा भरा हुआ था । प्लीहा भी क्षीण पाया गया और इसका वजन 90 ग्राम था, वृक्क का भार 220 ग्राम था ।

21. उन्होंने यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण अग्न्यायुध क्षतियों के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्त-स्राव और आघात था ।

22. डाक्टर ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यह क्षति 3 फुट की दूरी से और काफी नजदीक से कारित किया जाना संभव है । उन्होंने यह कथन किया कि मृतक पर केवल एक प्रवेश और प्रविष्ट घाव हुआ था । प्रविष्ट घाव नाक के बाईं ओर था तथा प्रविष्ट घाव सिर के बाईं ओर था । उन्होंने यह भी कथन किया है कि यदि गोली सीधी दिशा से चलाई गई है तो इससे पीठ पर प्रविष्ट घाव बना होगा । उन्होंने यह भी कथन किया है कि यदि गोली अत्यधिक नजदीकी से चलाई गई थी तो इससे कालापन हो सकता है । उन्होंने यह भी कथन किया है कि चेहरे के चारों ओर रक्त के थक्के थे । उन्होंने यह राय व्यक्त की है कि घाव से रक्त बहने के पांच मिनट पश्चात् रक्त के थक्के बनने शुरू हुए थे । शव की आंतरिक परीक्षा करने पर कोई गोली बरामद नहीं हुई थी ।

23. अभि. सा. 7 कांस्टेबल होशियार सिंह है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन को कांस्टेबल सतपाल सिंह ने बरामदगी ज्ञापन दिया था जिस पर उसने अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराध मामला सं. 505/2001 पर चिक रिपोर्ट तैयार की थी । उसने यह भी कथन किया कि उसने 4.20 बजे अपराह्न प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की थी ।

24. उसने प्रतिपरीक्षा में अपना यह वृत्तांत दोहराया है जैसाकि ऊपर कथन किया है । उसने इस बात से इनकार किया है कि सड़क से अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के पश्चात् कोई मिथ्या मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई थी ।

25. अभि. सा. 8 हेड कांस्टेबल पुलिस नरेश पाल सिंह है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लिखित रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उसने अपराध मामला सं. 504/2001 पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की थी ।

26. उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि नूर मोहम्मद **उर्फ** गब्बर ने लिखित रिपोर्ट दी थी और उस समय वह 2-3 व्यक्तियों अर्थात् राजेश भाटिया और सनय विनायक के साथ था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 4.00 बजे अपराह्न दर्ज की थी । उसने इस बारे में जानकारी देने से इनकार किया कि किसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी थी । उसने थाना भारसाधक अधिकारी को सूचना दी थी जो 3-4 पुलिस कार्मिकों के साथ घटनास्थल की ओर गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि नूर मोहम्मद के कहने पर मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । मृतक के कुटुंब के सदस्यों ने अभियुक्त के रूप में हकीमुद्दीन का नाम लिया था ।

27. अभि. सा. 9 राजेश कुमार द्विवेदी थाना भारसाधक अधिकारी है । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मामला उसके समक्ष पुलिस थाने पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था और उसने उसी दिन अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया और शुरू में उसने परिवादी नूर मोहम्मद का कथन अभिलिखित किया तथा चिक लिखने वाले हेड मोहर्रिर नरेश पाल सिंह का कथन भी अभिलिखित किया और इसके पश्चात् उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए, उसके पश्चात् वह पी. एल. शर्मा अस्पताल की ओर गया जहां उसने मृत्यु समीक्षा कार्यवाही की तथा अन्य बरामदगी ज्ञापन, घटनास्थल का नक्शा तथा फोटोलाश भी तैयार किया । कार्यवाहियां पूरी करने के पश्चात् वह घटनास्थल की ओर गया जहां उसने सादी रक्त-रंजित मिट्टी एकत्रित की । उसने मामले की अग्रिम कार्यवाही के बारे में भी ब्यौरे दिए हैं । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था ।

28. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी पुलिस स्टेशन, दिल्ली गेट पर तैनाती से पूर्व अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाने पर उसका पूर्व का चिट्ठा खोला गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसके कार्यकाल के दौरान अभियुक्त ने दो से अधिक अपराध किए थे । उसने यह भी कथन किया है कि उस सुसंगत समय पर वह पुलिस थाने पर मौजूद था । चौकी बेली बाजार की दूरी पुलिस थाने से लगभग 1 किलोमीटर थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने शिकायतकर्ता से 4.00 बजे अपराह्न अपराध के बारे में सूचना प्राप्त की । उसने यह भी कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा कई व्यक्तियों में से उसने केवल दो व्यक्ति अर्थात् सलीम अहमद और मोहम्मद नसीम को नामों से पुकार सका । उसने यह भी कथन किया है कि अनिल और विनोद

भाटिया के कथन अन्वेषण के दौरान कई बार अभिलिखित किए गए थे किंतु सुनील भाटिया का कथन पुलिस थाने पर केवल एक बार तारीख 30 नवंबर, 2001 को अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसके समक्ष लिखी नहीं गई थी और एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि शिकायतकर्ता के बताने पर घटनास्थल का नक्शा बनाया गया था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि मिथ्या मामला बनाया गया है तथा अभियुक्त को मामले में मिथ्या रूप से नामित किया गया है ।

29. प्रारंभ में, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह विश्वास दिलाया कि अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए न तो किसी स्वतंत्र साक्षी को उद्धृत किया गया न उसकी परीक्षा की गई । उसने यह भी विश्वास दिलाया कि साक्षी अर्थात् नूर मोहम्मह **उर्फ** गब्बर (अभि. सा. 1), संदीप मोहन गोयल (अभि. सा. 2), अनिल कुमार भाटिया (अभि. सा. 3) और राजेश भाटिया (अभि. सा. 4) को अभियोजन पक्ष द्वारा गणना में नहीं लिया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) के एकमात्र परिसाक्ष्य पर अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया है जो मृतक के चाचा का पुत्र है । अंत में उसने यह विश्वास दिलाया कि अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि राजेश भाटिया (अभि. सा. 4) के एकमात्र परिसाक्ष्य पर अभिलिखित नहीं की जा सकती है ।

30. प्रथम प्रश्न जो हमारे समक्ष विचार के लिए प्रकट हुआ है यह है कि क्या साक्षी जो मृतक के नातेदार हैं, के परिसाक्ष्य पर विश्वास किया जाए या नहीं । विधि में अच्छी तरह यह निरूपित किया गया है कि एकमात्र साक्षी या साक्षियों के कारण जो मृतक के नातेदार हैं उसके या उनके परिसाक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है । इस दलील को गणना में लेते हुए कि साक्षी जो मृतक के नातेदार हैं, वे पक्षपाती साक्षियों के प्रवर्ग में आते हैं, उक्त दलील में कोई सार नहीं है । विनिश्चयों की श्रृंखला को देखते हुए इस सार पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्षी से आहत की नजदीकी नातेदारी होने पर ऐसे साक्षी पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है । साधारणतया, नजदीकी नातेदारी से यह आशय प्रकट नहीं होता है कि वास्तविक अपराधी को प्रकट न किया जाए । आहत से साक्षी की निकट की नातेदारी के साक्ष्य की आलोचना नहीं होनी चाहिए । प्रायः इससे सच्चाई प्रकट करने की निश्चित गारंटी नहीं होती । अन्य विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है

कि आहत की नजदीकी नातेदारी से कोई साक्षी हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता और उसका साक्ष्य न केवल विश्वसनीय होता है बल्कि अन्य साक्ष्य पर उसे अधिमानता दी जाती है । उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह तथ्य कि साक्षी आहत का नातेदार है, उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है किंतु उसके साक्ष्य का अति सावधानीपूर्वक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । जो कुछ अपेक्षित है यह है कि न्यायालय का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह ऐसे नजदीकी नातेदारों के साक्ष्य की संवीक्षा करते हुए मामले में अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि ऐसे साक्षी का अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विश्वसनीय है तो केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए कि वह साक्षी आहत का नजदीकी नातेदार है । साररूप में यह सुस्थापित किया गया है कि किसी साक्षी का साक्ष्य केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वह नातेदार साक्षी या एकल साक्षी है यदि वह विश्वास योग्य पाया जाता है । कोई साक्षी नातेदार हो सकता है परंतु इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि उसके कथन को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाए ।

31. इस दलील के संबंध में हम **दलीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख करेंगे जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस उपधारणा पर आश्चर्य प्रकट किया है जो न्यायालय के सदस्यों के विवेक में अभिभावी है कि नातेदार स्वतंत्र साक्षी नहीं होता । **रवि** बनाम **राज्य**[2] वाले इसी तरह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि "इस न्यायालय द्वारा कई मामलों की शृंखला में यह सुस्थापित किया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य मात्र इस कारण से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे साक्षी नातेदार हैं ।" यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र साक्षी के लिए अत्यधिक कठिन है कि वह आगे आए और ऐसे अपीलार्थी के विरुद्ध अभिसाक्ष्य दे जो अभिलेख पर तथ्यों के अनुसार आपराधिक मामलों की लंबी सूची से बदनाम होने के कारण कुख्यात अपराधी है ।

32. अगला निवेदन जिस पर हम विचार करते हैं यह है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश को अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं करनी चाहिए । यह दोषसिद्धि विनोद भाटिया के एकमात्र साक्ष्य की ओर

[1] ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 346.

[2] (2004) 11 एस. सी. सी. 266.

इंगित करती है ।

33. हम इस दलील पर उत्सुकता से विचार करते हैं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को महत्व देते हैं । इस तथ्य के बारे में किसी प्रकार इनकार नहीं किया गया है कि विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) को छोड़कर सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन पक्षकथन को समर्थन नहीं देते हैं किंतु उसी समय पर यह भी प्रकट हुआ है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अन्य विश्वसनीय परिस्थितियों का अवलंब लेकर दोषसिद्धि पर अपना निष्कर्ष आधारित किया है । विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इस तथ्य को गणना में लिया है कि अपीलार्थी को देशी कट्टे के साथ घटनास्थल के नजदीक से गिरफ्तार किया गया था और प्राक्षेपिक विशेषज्ञ के अनुसार घटनास्थल से कारतूस बरामद किया गया था और अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई पिस्तौल से गोली चलाई गई थी ।

34. विद्वान् काउंसेल की दलील पर विचार करके विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी के संबंध में दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाल कर अभि. सा. 5 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करके गलत किया है, हमारा यह मत है कि यह दलील अव्यवहारिक है क्योंकि यह सुस्थापित है कि साक्ष्य की गुणता देखी जानी चाहिए न कि साक्ष्य की मात्रा जो न्यायालय द्वारा कथन पर विश्वास करके न्यायनिर्णय दिए जाने के लिए अपेक्षित है । इस संबंध में हम **याकूब इस्माइल भाई पटेल** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख करते हैं :–

> "45. एकमात्र साक्षियों के परिसाक्ष्य के बारे में विधिक स्थिति निर्णयों की श्रृंखला में सुस्थापित हैं क्योंकि इस न्यायालय को हमेशा यह स्मरण करना चाहिए कि दोषसिद्धि आदेश पारित करने में ऐसे परिसाक्ष्य को ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे न्यायालय का विश्वास प्रेरित होता हो । ऐसे साक्ष्य पर विचार करते हुए इस न्यायालय को हमेशा सावधानी का नियम बरतना चाहिए और अन्य साक्ष्य से ऐसी सम्पुष्टि होनी चाहिए और सम्पुष्टि के अभाव में यदि ऐसे एकल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य से विश्वास प्रेरित होता है तब एक मात्र इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।"

35. विद्वान् काउंसेल की अगली दलील पर विचार किया गया कि विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) का नाम प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रथम

---

[1] (2004) 12 एस. सी. सी. 229 (पृष्ठ सं. 242).

इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है और उसके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । यह कहना पर्याप्त होगा कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य जिसका नाम साक्षी के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है, उस पर विवश होकर संदेह नहीं किया जाना चाहिए । विनिश्चयों की शृंखला से यह सुस्थापित है कि साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना अभियोजन पक्षकथन को प्रभावित करने वाले परिणामों से भरपूर नहीं है । ऐसा कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है कि सभी साक्षियों के नाम का जो अति विशिष्टतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में निरपवाद रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के नाम का केवल उल्लेख न किए जाने से अभियोजन वृत्तांत दुर्बल नहीं होता है । उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की है :–

> "उच्च न्यायालय द्वारा अभि. सा. 8 के साक्ष्य को त्यक्त किए जाने के लिए परिस्थितियों में से एक परिस्थिति के बारे में बताया गया है जिसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है । चतुर लाल **बनाम** राजस्थान राज्य (2003) 6 एस. सी. सी. 397 वाले मामले में जैसाकि इस न्यायालय द्वारा कहा गया है - ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंकित नहीं है ऐसे साक्षी पर विवश होकर संदेह प्रकट नहीं किया जाता है । ऐसा कोई कठोर और पक्का नियम नहीं है कि सभी साक्षियों के नाम खासतौर पर जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उपदर्शित किया जाना चाहिए जैसाकि इस न्यायालय द्वारा श्री भगवान **बनाम** राजस्थान राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 296 वाले मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के मात्र नाम का उल्लेख न किए जाने पर अभियोजन वृत्तांत दुर्बल नहीं हो जाता, मत व्यक्त किया गया है ।"

36. न्यायालय में दूसरी यह दलील दी गई कि केवल विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और उसके परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था । हमने अभिलेख की पुनः संवीक्षा की है और यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने

[1] (2003) 10 एस. सी. सी. 414.

अभि. सा. 5 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधार नहीं माना है बल्कि उन्होंने इस प्रकार की ऐसी अन्य सहबद्ध परिस्थितियों का अवलंब लिया है कि अपीलार्थी को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से देशी कट्टा बरामद किया गया है तथा घटनास्थल से कारतूस भी बरामद किया गया था, उक्त देशी कट्टे से गोली चलाई गई थी । यहां पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल से अपीलार्थी की गिरफ्तारी को पूर्णतया साबित किया है । इसके अतिरिक्त, संगत रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि अपीलार्थी का कुछ दूरी तक पीछा करने के पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया था ।

37. विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में इस आधार पर दलील दी गई कि अपीलार्थी पूर्वोक्त साक्षी को पहले से नहीं जानता था और अभियोजन पक्ष द्वारा शनाख्त कार्यवाहियां की जानी चाहिए थीं और इस मामले में कोई शनाख्त परेड नहीं की गई थी । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि शनाख्त परेड अन्वेषण का भाग होता है और मामले में अति लाभदायक होता है जहां अभियुक्त व्यक्तियों को साक्षियों द्वारा नहीं जाना गया था । इसका केवल न्यायालय में अभिलिखित साक्ष्य को सहारा देने में प्रयोग किया जाता है । यदि इसकी गणना की जाए तो यह साक्ष्य का सारभूत टुकड़ा नहीं है । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वास्तविक साक्ष्य यह है जिसे साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिया जाता है । शनाख्त परेड की परीक्षा के प्रयोजन से यह सुनिश्चित करना होता है कि अन्वेषण में सीधे तरीके से कार्यवाही हुई है और इससे साक्षियों का स्वयं यह समाधान होता है कि अभियुक्त जिस पर उन्होंने संदेह प्रकट किया है वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे उन्होंने अपराध के कारित होने के समय पर देखा था ।

38. उपरोक्त दलील के संबंध में हमने **मुल्ला** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख किया है । पैरा 41 का सुसंगत सार नीचे दिया जा रहा है :–

> "शनाख्त परीक्षा का साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 के अधीन ग्राह्य है । शनाख्त परेड पुलिस द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के प्रक्रम से संबंधित है । यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या किसी साक्षी ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त की शनाख्त की है या नहीं ।

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 508.

ऐसा नहीं है जो स्वतः विचारण में सुसंगत है । शनाख्त के बारे में वास्तविक साक्ष्य यह है कि जिसे साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिया जाता है । दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो अभियुक्त को यह मांग करने का हकदार बनाता है कि शनाख्त परेड विचारण के जांच से पूर्व रखी जानी चाहिए । यह तथ्य प्रकट हुआ है कि कोई विशिष्ट साक्षी शनाख्त परेड पर अभियुक्त की शनाख्त करने में समर्थ है जो न्यायालय में शनाख्त की सम्पुष्टि के लिए केवल एक परिस्थिति है ।"

39. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह उल्लेख कर सकते हैं कि अभियुक्त को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और पिस्तौल की बरामदगी उसके कब्जे से की गई थी । अपीलार्थी की न्यायालय में सही रूप से शनाख्त की गई थी । इसके अतिरिक्त, इस विश्वास के आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी को मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था । इस बात की गणना करते हुए हमारा यह मत है कि शनाख्त परेड इस मामले में अतात्विक है ।

40. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि के अधिनिर्णय को अभिलिखित करके ठीक ही किया है । सारभूत रूप से मामले में प्रकट मूक लक्षण जो हमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश के मत से सहमत कराते हैं, यह है कि घटना दिन-दहाड़े घटी; घटना का स्थान साक्षियों द्वारा साबित किया गया है और घटनास्थल से रक्त की बरामदगी हुई है जो मानव रक्त पाया गया है; अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किए गए आयुध अर्थात् पिस्तौल से खाली कारतूस निकला हुआ पाया गया था । हमारा यह भी मत है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेशन न्यायाधीश ने विनोद भाटिया (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर ठीक ही किया है जिससे लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी । हमने अति सावधानीपूर्वक उसके परिसाक्ष्य पर विचार किया है और हमने यह निष्कर्ष निकाला कि परिसाक्ष्य पूर्णतया विश्वास योग्य है । हमारा विचारित मत यह है कि उसका परिसाक्ष्य पूर्णतया विश्वास प्रेरित करने वाला है ।

41. पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप यह अपील असफल है और इसे खारिज किया जाता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि की जाती है । अपीलार्थी पहले ही दोषसिद्धि

के पश्चात् से कारागार में कैद है और वह 2002 के सेशन विचारण सं. 46 में तारीख 9 अक्तूबर, 2006 के सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश द्वारा उस पर आरोपित दंडादेश को भोगेगा ।

42. यह कार्यालय इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करेगा । निचले न्यायालय के अभिलेख निचले न्यायालय को वापस भेजे जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2012) 1 दा. नि. प. 208 **केरल**

गोपालकृष्णन् उर्फ **मणी**

बनाम

केरल राज्य

तारीख 30 नवम्बर, 2011

न्यायमूर्ति आर. बसंत और न्यायमूर्ति वी. चितम्बरेश

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 299 और धारा 300 – आपराधिक मानव वध/हत्या – जहां मामले की परिस्थितियों को समग्रता से परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अपराध अचानक हुए झगड़े और लड़ाई के साथ-साथ पूर्व-चिंतन के बिना कारित किया गया और यह अवधारण करने के लिए विशेषज्ञ साक्ष्य का अभाव रहा हो कि मृतक को पहुंची क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं या नहीं, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा देकर धारा 302 के बजाय धारा 304(1) के अधीन दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 165 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311] – न्यायालय की शक्तियां – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की मरणोत्तर परीक्षा करने वाले डाक्टर की परीक्षा यह साबित करने के लिए नहीं कराई गई हो कि मृतक को पहुंची क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त

थीं या नहीं, वहां विचारण न्यायाधीश को उक्त धाराओं के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे साक्षी को समन करना चाहिए ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त ने तारीख 9 मई, 2001 को अपने ससुर को एक विसंगत और मूर्खतापूर्ण विवाद के कारण घातक क्षतियां कारित कीं, जिसे अस्पताल ले जाया गया और उन क्षतियों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई । यह भी अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी ने खतरनाक आयुध से अपनी सास/अभि. सा. 1 को भी साधारण उपहति कारित की थी, किंतु इस पहलू पर अभियुक्त दोषी नहीं पाया गया और दोषमुक्त कर दिया गया । अभियुक्त/अपीलार्थी के साले, जिसने घटना नहीं देखी थी, द्वारा दर्ज कराए गए प्रथम इत्तिला कथन के आधार पर अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रथम इत्तिला कथन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषण पूर्ण होने पर अन्वेषक अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई । मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध का संज्ञान लिया । अभियुक्त ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध अधिरोपित किए गए आरोप के लिए दोषी न होने का अभिवाक् किया । अभियुक्त ने उन सभी परिस्थितियों से इनकार किया जो साक्ष्य में प्रतीत हुईं और जो धारा 313 के अधीन परीक्षा में उसके समक्ष प्रस्तुत की गईं । उसके अनुसार, वह मृतक के शरीर पर पाई गई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है । उसने इनकार ही नहीं किया, बल्कि यह भी प्रकथन किया कि मृतक को क्षतियां उसकी सास और एक पड़ोसी (अभि. सा. 3) द्वारा कारित की गई थीं । उसने यह भी दावा किया कि उसे भी क्षतियां पहुंची थीं किंतु उसने यह कहा कि उस पर वे क्षतियां पड़ोसी (अभि. सा. 3) द्वारा कारित की गई थीं । विद्वान् सेशन न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभि. सा. 1 सास का साक्ष्य, जिसका अन्य परिस्थितियों से सम्यक् रूप से समर्थन होता है, सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है और उसके आधार पर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त ने सेशन न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक की मृत्यु उसे पहुंची क्षतियों के कारण हुई थी । इसलिए अपराध को पूरी

तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 299 - हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध, जो कि हत्या की प्रजाति है, के अंतर्गत लाया गया है । अब न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन परिभाषित आपराधिक मानव वध गुरुतर होकर इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित हत्या के अपराध के अंतर्गत आता है या नहीं । इसके लिए अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना चाहिए कि जो कृत्य कारित करके हत्या की गई है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चारों संघटकों में से किसी एक के अंतर्गत आता है । धारा 299 के अधीन आपराधिक मानव वध केवल तभी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन हत्या की कोटि में आएगा, यदि जो कृत्य कारित करके हत्या की गई है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार संघटकों में से किसी एक के अंतर्गत आता हो । केवल उसके बाद ही न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या अपवाद सं. 1 से 5 में से कोई लागू होता है या नहीं ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित हत्या का अपराध मुड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन परिभाषित अपराध के अंतर्गत आ जाए । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार अवयवों में से किसी का भी समाधान नहीं होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस अपराध से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन हत्या के अपराध के संघटकों का समाधान हुआ है । न्यायालय ने ऊपर वर्णित क्षति सं. 1 और 6 पर दृष्टिपात किया है । प्रथम प्रश्न यह है कि क्या ये क्षतियां मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थीं । क्षति सं. 6 दाईं टांग पर की है जो दाईं टांग के टखने के ऊपर पिछले उभार के भीतरी भाग पर है । इस क्षति से स्पष्टतः यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम खंड के अंतर्गत नहीं आता है । इस क्षति को निश्चित रूप से मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई क्षति नहीं कहा जा सकता है । शरीर के अपेक्षाकृत अमहत्वपूर्ण भाग पर क्षति कारित किया जाना निश्चित रूप से इस सिद्धांत के प्रतिकूल है कि क्षति मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थी । यही स्थिति क्षति सं. 6 की है । यह क्षति चेहरे के बाईं तरफ पहुंची थी । यह कहा गया है कि मांसपेशियां, वहिकाएं और नसें इत्यादि कटी हुई पाई गई थीं । किंतु यह उपदर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इस क्षति से कोई मुख्य वाहिका कट गई थी । क्षति सं. 1 के परिणामस्वरूप कोई अस्थि की क्षति भी नहीं हुई थी । इस बात से हमें

प्रयुक्त किए गए बल का अनुमान होता है । इन परिस्थितियों में, प्रस्तुत किए साक्ष्य, जिसमें घटना के संबंध में अनुमान भी सम्मिलित हैं, से हमारी यह राय है कि क्षति सं. 1 से भी यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम खंड के अंतर्गत नहीं आ सकता है । दूर-दूर तक भी यह दलील देना संभव नहीं है कि इस मामले में के अपराध को धारा 300 के खंड द्वितीय या चतुर्थ की सहायता से धारा 300 के अंतर्गत लाया जा सकता है । धारा 300 का तृतीय खंड शेष रह जाता है । यह भाग तब लागू होगा यदि साशय क्षति कारित की गई हो और कारित की गई क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो । इस पहलू पर प्रचुर मात्रा में पूर्व-निर्णय हैं और यह विधि भी सुस्थापित है कि विनिर्दिष्ट रूप से पूर्व-निर्णयों को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है । क्षतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । न्यायालय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि क्या क्षति वस्तुनिष्ठ रूप से प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है, तब न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या क्षति साशय कारित की गई थी । यदि यह दिखाई पड़ता है कि क्षति साशय कारित की गई थी और पारिणामिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित आपराधिक मानव वध का अपराध गुरुतर होकर भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय भाग (तृतीय खंड) को लागू होते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन दंडनीय अपराध के अंतर्गत आएगा । न्यायालय ने पहले ही यह उल्लेख किया है कि कारित की गई क्षतियां यह उपधारणा करने/अनुमान लगाने के लिए समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि क्षतियां मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थीं । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कारित की गई क्षतियां साशय कारित नहीं की गई थीं । इस प्रकार यह साबित होता है कि क्षति सं. 1 और क्षति सं. 6 साशय कारित की गई थीं । किंतु यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि ये क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । यद्यपि ऐसा नहीं है कि न्यायालय सदैव इस पहलू पर चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हों । अभियोजक या विचारण न्यायालय की ओर से इस पहलू पर विनिर्दिष्ट साक्ष्य पेश करने में किया गया लोप तब निर्णायक और महत्वपूर्ण नहीं हो सकेगा जब अभिलेख पर की सामग्री के आधार पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि क्षति प्रकृति के

मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । हृदय को भेदते हुए कारित की गई घोर क्षति को किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य की विनिर्दिष्ट सहायता के बिना ही निश्चित रूप से प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त क्षति अभिनिर्धारित किया जा सकता है । किंतु प्रस्तुत मामले में, न्यायालय ने पहले ही यह उल्लेख किया है कि यह दर्शित नहीं होता है कि क्षति सं. 1 के परिणामस्वरूप कोई अस्थि की क्षति कारित हुई थी । क्षति सं. 6 टांग के निचले भाग पर पहुंची थी । हमारी निश्चित रूप से यह राय है कि यह मामला विशिष्ट रूप से ऐसा उपयुक्त मामला है जहां न्यायालय को विशेषज्ञ के विनिर्दिष्ट साक्ष्य की प्रत्याशा यह साबित करने के लिए करनी चाहिए थी कि दोनों क्षतियों में से कोई भी प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं । इस पहलू पर साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी का सफल होना लाजिमी है । न्यायालय ने इस मामले में की समग्र परिस्थितियों पर विचार किया है । यह एक पूर्व-चिन्तन के बिना किया गया अपराध है जो एक अप्रत्याशित अचानक झगड़े और अचानक लड़ाई में कारित हुआ । साक्ष्य से सार्थकतः मृत्यु कारित करने का आशय प्रकट नहीं हो रहा है । हालांकि क्षति सं. 1 और 6 साशय कारित करने की बात साबित हो गई है, तो भी न्यायालय का यह समाधान नहीं हुआ है कि इस प्रश्न पर विशेषज्ञ के साक्ष्य के बिना न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव हो कि क्षति सं. 1 और 6 प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । इन परिस्थितियों में न्यायालय की यह राय है कि इस विनिश्चय के आधार पर कि क्या अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत आता है या भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत - इस महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णायक साक्ष्य के अभाव में संदेह का फायदा सुरक्षित रूप से अभियुक्त को मंजूर किया जा सकता है । अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी इस संक्षिप्त प्रश्न पर सफल होने का हकदार है । न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध साबित अपराध वह है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन परिभाषित है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304(1) के अधीन दंडनीय है । कम-से-कम अभियुक्त की मानसिक दशा से अवश्य यह उपधारणा की जानी चाहिए कि साशय कारित की गई शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित होना संभाव्य था । इसलिए न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 304(1) के अधीन दंडित किए जाने का दायी है । इस अपील में दी गई चुनौती केवल उपरोक्त सीमा

तक सफल हो सकती है । (पैरा 36, 37, 38, 39, 41, 42 और 43)

विचारण न्यायाधीश की किसी निश्चित समय पर कोई आवश्यक कार्यवाही करने की व्यापक शक्ति, यदि न्याय की ऐसी मांग है, महत्वपूर्ण है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अधीन साक्षी से यहां तक कि सुसंगतता से संबंधित विधि की अनदेखी करके भी कोई प्रश्न पूछने की शक्ति महत्वपूर्ण है । ऐसी शक्ति के विस्तार और व्यापकता का अभिज्ञान करने के लिए कृपया दोनों धाराओं में प्रयुक्त "कोई" शब्द की संख्या पर ध्यान दीजिए । निस्संदेह इन शक्तियों का सावधानी और सतर्कता पूर्वक अवलंब लिया जाना चाहिए । ये शक्तियां विचारण न्यायाधीश से की जाने वाली प्रत्याशा का संकेत करती हैं । उसे न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं । किसी बात के प्रति वचनबद्धता विहिन होकर उसे अंधा और मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए । उसकी वचनबद्धता सत्य और न्याय के प्रति होनी चाहिए और उसे ऐसे साधनों का प्रयोग करने में निपुण होना चाहिए जो व्यवस्था/विधानमंडल ने उसे उसके सौपे गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदान किए हैं । (पैरा 47)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 685.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पी. विजय भानु, ज्येष्ठ अधिवक्ता और एम. रवीकृष्णन्

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राय थॉमस, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बसंत ने दिया ।

न्या. बसंत – (i) क्या निचले न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के मौखिक साक्ष्य का अवलंब लेकर गलती की है ?

(ii) क्या अभियुक्त इस कारण संदेह के फायदे का हकदार है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को साबित और स्पष्ट नहीं किया है ?

(iii) क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि न्यायोचित है ?

ये प्रश्न एकमात्र अभियुक्त/अपीलार्थी, जिसे दोषी पाया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा

आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है, द्वारा फाइल की गई इस अपील में अवधारण के लिए उद्‌भूत हुए हैं ।

2. अभियोजन का यह अभिकथन है कि तारीख 9 मई, 2001 को अपराह्‌न में 9.15 बजे अभियुक्त ने अपने ससुर को घातक क्षतियां कारित कीं, जिसे अस्पताल ले जाया गया और उन क्षतियों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई । अभिकथित रूप से घटना ससुर और दामाद के बीच के एक विसंगत और मूर्खतापूर्ण विवाद के कारण घटी । यह भी अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी ने खतरनाक आयुध से अपनी सास/अभि. सा. 1 को भी साधारण उपहति कारित की थी, किंतु इस पहलू पर अभियुक्त दोषी नहीं पाया गया और दोषमुक्त कर दिया गया ।

3. अपीलार्थी के साले अभि. सा. 2, जिसने घटना नहीं देखी थी, द्वारा दर्ज कराए गए प्रथम इत्तिला कथन, प्रदर्श पी-2 के आधार पर अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पी-9 प्रथम इत्तिला कथन, प्रदर्श पी-2 के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषण पूरा किया गया और अभि. सा. 14 अन्वेषक अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई ।

4. विद्वान् मजिस्ट्रेट ने सभी विधिक औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध का संज्ञान लिया । अभियुक्त ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध अधिरोपित किए गए आरोप के लिए दोषी न होने का अभिवाक् किया । उसके उपरांत अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से 14 की परीक्षा कराई और प्रदर्श पी-1 से पी-15 साबित किए । तात्विक वस्तुएं 1 से 17 भी चिन्हित की गई ।

5. अभियुक्त ने उन सभी परिस्थितियों से इनकार किया जो साक्ष्य में प्रतीत हुईं और जो धारा 313 के अधीन परीक्षा में उसके समक्ष प्रस्तुत की गईं । उसके अनुसार, वह मृतक के शरीर पर पाई गई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है । उसने इनकार ही नहीं किया, बल्कि यह भी प्रकथन किया कि मृतक को क्षतियां अभि. सा. 1 उसकी सास और अभि. सा. 3 एक पड़ोसी द्वारा कारित की गईं थी । उसने यह भी दावा किया कि उसे भी क्षतियां पहुंची थीं किंतु उसने यह कहा कि उस पर वे क्षतियां अभि. सा. 3 द्वारा कारित की गईं थी । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मौखिक या दस्तावेजी कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं किया गया ।

6. विद्वान् सेशन न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य, जिसका अन्य परिस्थितियों से सम्यक् रूप से समर्थन होता है, सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है और उसके आधार पर कार्यवाही की जा सकती है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उसे क्षति अकस्मात् उस समय पहुंची थी जब उसने अपीलार्थी के कब्जे से तात्विक वस्तु-2 छीनने की कोशिश की थी । इस निष्कर्ष के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया । इस चुनौती से वह दोषमुक्ति अब अंतिम हो गई है ।

7. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल और विद्वान् लोक अभियोजक ने हमारे समक्ष अपनी-अपनी दलीलें दीं । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने दोषिता के आक्षेपित अधिमत, दोषसिद्धि और दंडादेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है । सर्वप्रथम यह दलील दी गई है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य का अवलंब लेकर भारी गलती की है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को साबित या स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए हितबद्ध साक्षी, अभि. सा. 1 के एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए था । विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि इस मामले में का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की गुरुतरकारी किस्म का होना साबित नहीं हुआ है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दोषसिद्धि केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और धारा 304 के अधीन की जानी चाहिए थी । विद्वान् काउंसेल ने आगे यह भी दलील दी कि जो भी हो, अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की न्यूनकारी संरक्षा का हकदार है ।

8. अपीली निर्णय विचारण न्यायालय के निर्णय, जो अपील में आक्षेपित है, की निरन्तरता के रूप में पढ़ा जाता है और पढ़ा जाना चाहिए । हम यह आवश्यक समझते हैं कि अपील न्यायालयों को अनावश्यक अति विस्तृत ब्यौरे देने से बचना चाहिए । अपील न्यायालय के लिए अपीली निर्णय में अभिवाकों, साक्ष्य और विचारण न्यायालय की चर्चाओं को प्रथागत रीति में निर्दिष्ट करना अनावश्यक है । हमारा यह विचार है कि अपीली निर्णय को विधिसम्मत रूप से इस आरंभिक कथन के साथ शुरू किया जा सकता है कि आक्षेपित निर्णय को अमुक विनिर्दिष्ट आधारों पर चुनौती दी

गई है । ऐसा करने से अपीली निर्णय में अनावश्यक अति विस्तृत ब्यौरे देने की बात के प्रति पर्याप्त सुरक्षा मिल जाएगी । अपील न्यायालय द्वारा अभिवाकों और साक्ष्य को वर्णित करने की केवल तब आवश्यकता होती है जब अपील न्यायालय यह महसूस करे कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिवाकों और साक्ष्य को सही परिप्रेक्ष्य में निर्दिष्ट करने में कोई अपर्याप्तता या लोप किया गया है । फायदाप्रद बात यह होगी कि अपीली निर्णयों को विचारण न्यायालय के निर्णयों के साथ ही जारी किया जाए और भलीभांति यह स्पष्ट किया जाए कि इन्हें एक साथ अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाए ।

9. हम इन परिस्थितियों में अभि. सा. 1 से 14 के मौखिक साक्ष्य या प्रदर्श पी-1 से पी-15 की अंतर्वस्तुओं को पुनः वर्णित करना नहीं चाहते हैं । यह कहना पर्याप्त होगा कि काउंसेलों ने हमारे समक्ष अभि. सा. 1 से 14 के मौखिक साक्ष्य का विस्तार से उल्लेख किया है । इन साक्षियों के साक्ष्य को हमारे समक्ष विस्तार से पढ़ा गया । प्रदर्श पी-1 से पी-15 को भी हमारे समक्ष विस्तार से पढ़ा गया । विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य दस्तावेजों, जिनमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा विरचित आरोप और धारा 313 के अधीन की गई अभियुक्त की परीक्षा भी सम्मिलित है, को भी हमारे समक्ष विस्तार से पढ़ा गया । यदि आवश्यक हुआ तो हम चर्चा के दौरान सुसंगत सामग्री का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख करेंगे ।

10. अभि. सा. 1 एकमात्र वह व्यक्ति है जिसने समग्र रूप से घटना देखी थी । अभि. सा. 2 अभियुक्त का साला और मृतक का पुत्र है । उसके पास केवल अनुश्रुत जानकारी थी जिसके आधार पर उसने प्रथम इत्तिला कथन, प्रदर्श पी-2 दर्ज कराया था । अभि. सा. 3, जो एक पड़ोसी है, ने उस समय मौजूद होने का दावा किया है जब मृतक के घर में घटना की शुरुआत हुई थी । उसके बाद उसने घटना समुचित रूप से नहीं देखी थी । अभियुक्त के अप्राप्तवय पुत्र अभि. सा. 5 की हेतु से संबंधित कथन के समर्थन में परीक्षा कराई गई थी । यहां मृतक की हत्या करने का इस प्रकार का कोई हेतु दर्शित नहीं होता है । अधिक-से अधिक केवल एक महत्वहीन विवाद और झगड़े की बात प्रकट हुई है जो दुर्भाग्यवश घटना का कारण बनी । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए एक अन्य पड़ोसी अभि. सा. 4 ने भी घटना समुचित रूप से नहीं देखी थी । वह और अभि. सा. 3 उस समय मौजूद थे जब मृतक और क्षतिग्रस्त को अस्पताल ले जाया गया था । इन साक्षियों ने अपीलार्थी की उस समय कही गई कतिपय अभिकथित बातों के बारे में भी कथन किया है जब मृतक और

अपीलार्थी को अस्पताल ले जाया जा रहा था ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने सर्वप्रथम यह दलील दी कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश को अभि. सा. 1 और 3 के मौखिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए था और उसके आधार पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी । अभि. सा. 1 मृतक की पत्नी होने के कारण हितबद्ध साक्षी है । अभि. सा. 3 के बारे में भी यह कहा गया है कि वह मृतक का पड़ोसी होने के कारण हितबद्ध साक्षी है । अभि. सा. 1 और 3 की हितबद्धता की कहानी से हमें किसी भी रीति में प्रभावित नहीं करती । अभि. सा. 1 मृतक की पत्नी है । वह अपीलार्थी/अभियुक्त की सास है । इसी प्रकार, अभि. सा. 3 अभियुक्त और मृतक दोनों का पड़ोसी है । यह महत्वपूर्ण है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि अभि. सा. 1 और 3 का अपीलार्थी के प्रति कोई विद्वेष था या मृतक में कोई रुचि थी । उनकी हितबद्धता अभियुक्त तथा मृतक दोनों के प्रति एक जैसी है । इन परिस्थितियों में, अभि. सा. 1 और 3 को हितबद्ध साक्षियों के रूप में चिन्हित करने के प्रयास और उनके साक्ष्य को सर्वग्राह्य रीति में नामंजूर करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

12. सर्वप्रथम हम यह उल्लेख करते हैं कि घटनास्थल पर अभि. सा. 1 और 3 की मौजूदगी को अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त नहीं किया गया है । स्वयं अपीलार्थी का यह कथन है कि ये दोनों साक्षी उस समय मौजूद थे जब घटना शुरू हुई थी । इस पहलू पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है । अब अपीलार्थी की ओर से यह कहना बचकानी बात होगी कि अभि. सा. 1 और 3 उस समय मौजूद नहीं थे जब घटना शुरू हुई थी । इसे धारा 313 के अधीन की गई परीक्षा के दौरान अभियुक्त द्वारा अपनाए गए इस विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि मृतक को क्षतियां अभि. सा. 1 और 3 द्वारा कारित की गई थीं । इस बात पर अभियुक्त द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए कि उसे एक क्षति पहुंची थी और वह क्षति अभि. सा. 3 द्वारा कारित की गई थी । हम इस पहलू पर केवल अपने आप को इस बात के लिए पुनः आश्वस्त करने के लिए विचार कर रहे हैं कि घटनास्थल पर/घटनास्थल के निकट अभि. सा. 1 और 3 की मौजूदगी को अपीलार्थी द्वारा संभवतः विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है ।

13. इस प्रकार, हमारे द्वारा अभि. सा. 1 और 3 की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि कर दिए जाने पर अगला प्रश्न यह है कि क्या ये साक्षी

घटना अपीलार्थी के दरवाजे पर घटने का सारा दोष अपीलार्थी पर लगाने के लिए अनुचित रूप से बढ़ा-चढाकर और एक तरफा बयान दे रहे हैं । हम यह महसूस करते हैं कि जब अभि. सा. 1 और 3 के मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन किया जा रहा है तो केवल यही पहलू है जिस पर हमारे द्वारा जोशीलेपन से विचार किया जाना आवश्यक है ।

14. हम सीधे-सीधे इस अभिवाक् को निर्दिष्ट करेंगे कि हो सकता है मृतक को क्षतियां अभि. सा. 1 और 3 के हाथों पहुंची हों और अभियुक्त को भी अभि. सा. 3 के हाथों ही क्षति पहुंची हो । इस मत से भिन्न जो धारा 313 के अधीन परीक्षा के दौरान अपीलार्थी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से दिया गया है, युक्ति, तर्क और सामान्य बुद्धि से परे कोई बात नहीं हो सकती है । हमारा ध्यान अभि. सा. 1 और 3 की प्रतिपरीक्षा की ओर दिलाया गया है । इस मत को न्यायोचित ठहराने के लिए कि अपीलार्थी को अभि. सा. 3 के हाथों कोई क्षति पहुंची थी, प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे कि यह दलील ही दी जा सके कि अभि. सा. 1 और 3 का मृतक के विरुद्ध कोई हेतु था या अभि. सा. 3 का ही अपीलार्थी के विरुद्ध कोई हेतु था । कोई भी विवेकशील व्यक्ति यही अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालेगा कि अपीलार्थी केवल यह प्रयास कर रहा है कि जैसे-तैसे उस असुविधाजनक स्थिति से बाहर निकला जाए जिसमें उसने स्वयं को फंसा हुआ पाया है और उस घटना में, जिसमें मृतक को क्षतियां पहुंचीं थीं, अकाट्य रूप से उसकी दुराग्रही भूमिका का संकेत मिल रहा है ।

15. अभि. सा. 3 का साक्ष्य घटना के केवल प्रथम भाग को ही आच्छादित कर सकता है । घटना के इस भाग में मृतक या अभियुक्त को कोई क्षति नहीं पहुंची थी । अभियोजन के पक्षकथन को या अभियुक्त के पक्षकथन को देखने से यह स्पष्ट है कि प्रथम घटनास्थल अर्थात् मृतक के मकान पर न तो मृतक को और न ही अभियुक्त को कोई क्षति पहुंची थी । निस्संदेह वहां पर झगड़ा हुआ था । समस्त सामग्री से यह स्पष्ट है कि यह झगड़ा पूर्व-चिंतन के बिना और अप्रत्याशित था । ससुर दामाद का दिल बहला रहा था । यहां तक कि शराब भी परोसी गई थी । अभि. सा. 3, पड़ोसी, भी मौजूद था । ऐसी परिस्थितियों के अनुक्रम में मृतक और अपीलार्थी के बीच अप्रत्याशित झगड़ा होने लगा । यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 3 का साक्ष्य घटना के केवल प्रथम भाग को आच्छादित करता है । निस्संदेह, इस घटना में अभि. सा. 1 को भी क्षति पहुंची थी और इसकी

संपुष्टि अभि. सा. 9 के साक्ष्य और उसके द्वारा जारी घाव प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-6 द्वारा होती है । जैसा कि प्रदर्श पी-6 से दर्शित होता है, अभि. सा. 1 को एक रक्तस्राव-युक्त क्षति पहुंची थी । प्रदर्श पी-6 से यह भी प्रकट होता है कि यह क्षति ऐसी क्षति थी जिसके घाव पर टांके लगाए गए थे । यह स्पष्ट है कि घटना के प्रथम स्थान पर केवल अभि. सा. 1 को क्षति पहुंची थी और यह क्षति रक्तस्राव-युक्त क्षति थी । हालांकि अभियोजन पक्ष ने प्रारंभ में यह अभिकथन किया था कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध कारित किया है और अभि. सा. 1 को पहुंची इस क्षति के संबंध में विचारण न्यायालय ने यह पाया कि यह क्षति आकस्मिक क्षति थी और स्वेच्छया कारित की गई क्षति नहीं थी । यह निष्कर्ष राज्य द्वारा कोई अपील न किए जाने या अभि. सा. 1 द्वारा चुनौती नहीं दिए जाने के कारण अंतिम हो गया है । जहां तक घटना के प्रथम भाग, जो अपीलार्थी के मकान में घटी थी, का संबंध है, अभि. सा. 1 और 3 के वृत्तांत पर संदेह या अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

16. विचारण न्यायालय ने घटना को तीन भागों में विभाजित किया है । घटना का प्रथम भाग वह है जो मृतक के मकान पर घटी थी और जहां पर अभि. सा. 1 के सिवाय किसी अन्य को कोई क्षति नहीं पहुंची थी । घटना के द्वितीय भाग का स्थल वह है जो स्थल-महाज़र में चिन्हित है । यह वह स्थल है जहां मृतक को क्षतियां पहुंचीं थीं । मामले के इस पहलू पर हमारे पास केवल अभि. सा. 1 का ही साक्ष्य है । घटना के प्रथम भाग के पश्चात् अभि. सा. 3 अभियुक्त की पत्नी और पुत्री के साथ अपने मकान पर चला गया था । समुचित घटना के बारे में हमारे पास केवल अभि. सा. 1 का साक्ष्य है । उसके साक्ष्य का समर्थन मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियों की प्रकृति से होता है, जैसा कि डाक्टरों अभि. सा. 8 और 9 के मौखिक साक्ष्य और उनके द्वारा जारी मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-5 और घाव प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-7 से प्रकट होता है । संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या मृतक को पहुंची क्षतियों की रीति के बारे में अभि. सा. 1 के साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं । निचले न्यायालय ने, जिसके पास कटघरे में अभि. सा. 1 के हावभाव को देखने का अवसर था, अभि. सा. 1 के मौखिक साक्ष्य का अवलंब लिया है । उसके साक्ष्य का व्यापक अधिसंभाव्यताओं और अंतरस्थ महत्व के आधार पर निर्धारण करने पर हम निचले न्यायालय के इस निष्कर्ष से कि अभि. सा. 1 के मौखिक साक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है, असहमति जताने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

17. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 1 और 3 के मौखिक साक्ष्य को तीन व्यापक पहलुओं पर चुनौती दी है । उसने सर्वप्रथम यह दलील दी कि स्थल-महाज़र में दिए गए विवरण से यह सुझाव मिलता है कि स्थल सं. 1 अर्थात् मृतक के मकान पर रक्त मौजूद था । मृतक के मकान पर काफी सारा रक्त होना दिखाया गया है । कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । यह दलील दी गई है कि इससे अवश्य यह सुझाव मिलता है कि असली घटना मृतक के मकान में शुरू हुई थी या घटी थी । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री पी. विजयभानू ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि अभि. सा. 1 घटना के उस भाग को दबा रहा है जो प्रारंभ में मृतक के मकान में घटी थी ।

18. हमने इस शिकायत पर विचार किया है । अभियुक्त का भी यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन नहीं है कि जो कुछ अभि. सा. 1 और 3 ने कथन किया है, मृतक के मकान (अर्थात् स्थल सं. 1) पर वास्तव में उससे कुछ अधिक घटित हुआ था । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील केवल इस परिस्थिति के आधार पर दी गई है कि स्थल-महाज़र, प्रदर्श पी-4 में दिए गए विवरण के अनुसार मृतक के मकान में रक्त पाया गया था । इसी संदर्भ में अभि. सा. 1 को कारित हुई क्षति के बारे में उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण है । हमने यह पाया है कि अभि. सा. 1 को रक्तस्राव क्षति पहुंची थी जिस पर अभि. सा. 9 डाक्टर द्वारा टांके लगाए गए थे । मृतक के मकान में, जहां वह अभि. सा. 1 के साथ रहता था और उसे वहां स्वीकृततः घटना के दौरान क्षतियां पहुंचीं थीं, रक्त की मौजूदगी से इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशिष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा और धारा 313 के अधीन परीक्षा में लिए गए आधार को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय के मस्तिष्क में ऐसा कोई युक्तियुक्त संदेह पैदा होता है कि अभि. सा. 1 और 3 जो घटना मृतक के मकान में घटी थी, उसके बारे में सत्य नहीं बोल रहे हैं । प्रदर्श पी-4 में वर्णित अनुसार मृतक के मकान में मात्र रक्त की मौजूदगी से हम अभि. सा. 1 और 3, जो उन्होंने स्थल सं. 1 पर देखा था, के बारे में साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि घटनास्थल/स्थल सं. 1 अर्थात् दोनों मकानों के बीच के रास्ते की तरफ के अपराध स्थल के विवरण से भी अभि. सा. 1, जो एकमात्र साक्षी है और जिसने उस स्थल पर घटी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य दिया है,

के कथन का समर्थन नहीं होता है । हमने इस दलील का सही-सही मूल्यांकन करने के लिए घटनास्थल महाज़र, प्रदर्श पी-4 की विस्तार से जांच-पड़ताल की है । प्रदर्श पी-4 के परिशीलन से यह सुझाव मिलता है कि घटनास्थल पर काफी सारी रक्तरंजित वस्तुएं मौजूद थीं । अभि. सा. 1, जो एकमात्र साक्षी है, या अभि. सा. 3 जिसने घटना का पूर्ववर्ती भाग देखा था, ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये वस्तुएं घटनास्थल पर कैसे मौजूद थीं । मौजूद वस्तुएं तात्विक वस्तुएं 2 से 11 हैं । विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि अभि. सा. 1 और 3 के बयान के अनुसार तात्विक वस्तु 2 अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी के कब्जे से छीनी गई थी और दूर फेंक दी गई थी । तात्विक वस्तु 2 घटनास्थल के निकट कैसे पाई गई, जो घटनास्थल-महाज़र में दिए गए विवरण के अनुसार अपीलार्थी के घर से लगभग 44 मीटर की दूरी पर है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से केवल यह दर्शित होता है कि उसने अपीलार्थी के कब्जे से चाकू छीना था और दूर फेंक दिया था । हमारे पास उस स्थल के बारे में कोई बेहतर साक्ष्य नहीं है जहां तात्विक वस्तु 2 अभि. सा. 1 के फेंकने पर गिरी थी । जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि अभि. सा. 1 की इतनी ताकत नहीं समझी जा सकती है कि वह तात्विक वस्तु 2 को इतनी दूरी फेंक सकती । इस दलील से हमारे मस्तिष्क में घटनास्थल सं. 2 पर घटी घटना के बारे में अभि. सा. 1 के बयान के प्रति किसी प्रकार का कोई युक्तियुक्त संदेह पैदा नहीं होता है ।

20. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रदर्श पी-4 में विभिन्न वस्तुओं की मौजूदगी के विवरण का विशिष्ट अवलंब लिया गया है जिसमें तात्विक वस्तु 14, लोहे की छड़ भी सम्मिलित है और वह भी रक्तरंजित पाई गई थी । घटनास्थल पर कपड़े, बर्तन आदि कतिपय अन्य वस्तुएं भी थी और उनमें से कुछ वस्तुएं रक्तरंजित थीं । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि घटनास्थल सं. 2 पर इन वस्तुओं की मौजूदगी को अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए बयान में स्पष्ट नहीं किया गया है ।

21. लोक अभियोजक ने तुरंत उत्तर दिया कि घटनास्थल सं. 2 पर इन वस्तुओं की मौजूदगी से न्यायालय एकदम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि वे वस्तुएं किसी और प्रकार से घटना में अंतर्वलित हैं या घटना में उनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था । एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अभि. सा. 1 का ऐसा कोई पक्षकथन नहीं है । अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों की परीक्षा के दौरान या जब दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा की गई, तब ऐसा कोई सुझाव तक नहीं दिया कि जो घटना घटी थी उसमें इन वस्तुओं, जिनमें तात्विक वस्तु 14 रक्तरंजित लोहे की छड़ भी सम्मिलित है, का प्रयोग किसी और व्यक्ति द्वारा किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक की इस दलील में सार है कि सभी संकेतों से यह पता चलता है कि अपीलार्थी के मकान की छपरबंदी का कार्य चल रहा था और इन परिस्थितियों में अपराध स्थल पर इन वस्तुओं की मौजूदगी को पूर्णतया स्पष्ट किया जा सकता है । अभियोजन का भी यह पक्षकथन है कि घटना उसी स्थान पर घटी थी और जैसा कि प्रदर्श पी-4 में दिखाई पड़ता है, घटनास्थल पर इन वस्तुओं पर रक्त की मौजूदगी से कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि उन वस्तुओं को घटना में प्रयुक्त किया गया था । हमारा निष्कर्ष है कि लोक अभियोजक का स्पष्टीकरण युक्तियुक्त और तर्कपूर्ण है । विशिष्ट रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि अभि. सा. 1 का ऐसा कोई पक्षकथन नहीं है कि ऐसी वस्तुओं का घटना में प्रयोग किया गया था । अभियुक्त का भी यह पक्षकथन नहीं है कि उस स्थान पर, जहां उसने क्षतियां कारित होने का दावा किया है, ऐसी वस्तुओं का कोई लेना-देना था । उसने यह विवाद नहीं किया है कि मृतक को क्षतियां उस स्थान पर पहुंचीं थीं ।

22. इन परिस्थितियों में, घटनास्थल महाज़र, प्रदर्श पी-4 में घटनास्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का विवरण (जिसमें कतिपय रक्तरंजित वस्तुएं/वस्त्र आदि सम्मिलित हैं) अभि. सा. 1 के बयान के प्रति हमारे मस्तिष्क में कोई युक्तियुक्त संदेह पैदा नहीं कर सका है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब ली गई द्वितीय परिस्थिति से भी इन परिस्थितियों में अभियुक्त को कोई फायदा नहीं मिल सकता है या हम अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर कोई संदेह या अविश्वास करने के लिए रजामंद नहीं हैं ।

23. अब हम अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब ली गई तृतीय परिस्थिति पर आते हैं । काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा अब यह विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त को क्षतियां नहीं पहुंचीं थीं । अभि. सा. 1 ने क्षतियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है । किंतु हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह सुझाव मिलता है कि घटनास्थल के निकट अभियुक्त क्षतिग्रस्त पाया गया था और उसने तुरंत यह शिकायत की थी कि उसे मृतक के हाथों क्षतियां पहुंचीं हैं ।

एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अभि. सा. 1 ने अभियुक्त की क्षतियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उसने यह प्रकथन किया है कि अपीलार्थी को ये क्षतियां मृतक के हाथों नहीं पहुंच सकती थीं । वास्तविकता यह है कि अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को अभि. सा. 1 द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । इस प्रकार, एकमात्र साक्षी ने, जिसने घटना के बारे में साक्ष्य दिया है, अपीलार्थी को अभिकथित रूप से कारित हुई क्षति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है ।

24. इस संदर्भ में हम अगले पहलू पर आते हैं । अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया दिखाई नहीं पड़ता है । अभि. सा. 11, पुलिस अधिकारी जिसने आरंभिक अन्वेषण किया था, के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त को क्षतियां पहुंचीं थीं और उसने एक प्रति-प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अन्वेषण किया गया था और अभि. सा. 11 के अनुसार इसको निर्दिष्ट किया गया था । स्पष्ट रूप से, यदि अभिकथन यह है कि मृतक ने अपीलार्थी को क्षति कारित की थी तो इसे निर्दिष्ट किया गया होगा और मृतक की मृत्यु हो गई तथा उसके विरुद्ध आरोप का उपशमन हो गया । किंतु अभि. सा. 11 का एक अलग ही बयान है । उसके अनुसार, इस बात को इसलिए निर्दिष्ट किया गया था क्योंकि अन्वेषक अधिकारी (स्पष्टतः यह साक्षी नहीं) ने यह महसूस किया कि मृतक को पहुंची क्षति एक स्व-कारित क्षति थी । जिस डाक्टर ने अपीलार्थी का परीक्षण किया था उसकी परीक्षा नहीं कराई गई है । ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि अभियुक्त को कारित क्षति (यह क्षति कैसी भी क्यों न हो) एक स्व-कारित क्षति हो सकती है । इन परिस्थितियों में, हमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने पहले तो अभियुक्त को पहुंची क्षति को साबित करने के लिए अपने भार का निर्वहन नहीं किया है और इसके बाद अभियुक्त को पहुंची क्षति को स्पष्ट नहीं किया है ।

25. इसके परिणाम क्या हैं । यह बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है । यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत की गई समग्र सामग्री से अभियुक्त को क्षति पहुंचने की बात स्पष्ट होती है । क्षति पहुंचने की बात को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है । हम ऐसा कोई प्रामाणिक निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि क्या उक्त क्षति स्वतः कारित की गई थी या नहीं । क्या इससे न्यायालय के मस्तिष्क में कोई युक्तियुक्त संदेह

पैदा होता है ? इसी निर्णायक प्रश्न का उत्तर दिया जाना है ।

26. यह प्रचलित बात है कि अभियोजन पक्ष पर यह भार होता है कि अभियुक्त को पहुंची क्षति को स्पष्ट करे । यह मात्र एक कवच नहीं है । इस बाध्यता के पीछे यह कारण, युक्तिसंगतता और तर्कणा है कि अभियोजन पक्ष को अवश्य ही अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को स्पष्ट करना चाहिए । कोई साक्षी, जो घटना के बारे में साक्ष्य देता है और अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है, वहां इस बात की पूरी संभावना रहती है कि उसने वास्तव में घटना न देखी हो । यदि उसने अभियुक्त पर पाई गई क्षति कारित होते हुए नहीं देखी है, तब इस दलील के सही होने की संभावना है कि यह साक्षी घटनास्थल पर मौजूद ही न हो । यह वह प्रथम दृष्टिकोण है जिससे अभियुक्त पर की क्षतियों के स्पष्टीकरण के अभाव पर विचार किया जाना चाहिए । इस मामले में हमारी कतई ऐसी कोई चिंता नहीं है । सभी संबंधित पक्षकारों का यह स्वीकृत पक्षकथन है कि अभि. सा. 1 घटनास्थल पर मौजूद था । अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को स्पष्ट करने में अभि. सा. 1 की ओर से किए गए लोप से हमारे मस्तिष्क में कतई कोई ऐसा संदेह पैदा नहीं होता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद थी या नहीं ।

27. मृतक को पहुंची क्षति को स्पष्ट करने में किसी साक्षी की असमर्थता के अगले पहलू पर आते हैं । कोई हितबद्ध साक्षी, जो अभियुक्त को फंसाना चाहता है और विपदग्रस्त के पक्ष में बयान दे रहा है, वह मृतक की भूमिका को छिपा सकता है और घटना के लिए सारा दोष अभियुक्त के मत्थे मढ़ सकता है । यही दूसरा कारण है कि न्यायालय ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय परम्परागत रूप से सतर्क और सावधान रहते हैं जो अभियुक्त को पहुंची क्षतियों का स्पष्टीकरण नहीं देता है । इस मामले में यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त का यह पक्षकथन नहीं है कि उसे क्षतियां मृतक के हाथों पहुंचीं थीं । धारा 313 के अधीन की गई परीक्षा में उसका इस सदंर्भ में स्पष्ट वक्तव्य है । उसके अनुसार, मृतक को क्षतियां अभि. सा. 1 और 3 के हाथों पहुंचीं थीं । हमने इस दलील के खोखलेपन का पहले ही उल्लेख किया है । अभियुक्त का ऐसा कोई पक्षकथन नहीं है कि उसे क्षतियां मृतक के हाथों पहुंचीं थीं । धारा 313 के अधीन की गई परीक्षा में उसका यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि उसे क्षति अभि. सा. 3 के हाथों पहुंचीं थीं । हमने इस दलील के खोखलेपन का भी पहले ही उल्लेख किया है । हमने इसी संदर्भ में मृतक को पहुंची क्षतियों

को स्पष्ट करने में अभि. सा. 1 की असमर्थता पर विचार किया है । यदि कारित हुई क्षति ऐसी सारभूत प्रकृति की है कि कोई ईमानदार साक्षी घटना को आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहा है तो अभियुक्त को पहुंची क्षति को देखने से नहीं चूकता और ऐसे परिसाक्ष्य के प्रति अविश्वास का दृष्टिकोण न्यायोचित हो सकता है । किंतु इस मामले में ऐसा नहीं है, जहां अभियुक्त का स्पष्ट रूप से निश्चित और विनिर्दिष्ट आधार रहा है कि उसे क्षतियां मृतक के हाथों नहीं अपितु अभि. सा. 3 के हाथों पहुंचीं थीं । किसी अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को स्पष्ट करने में किसी की असमर्थता संबंधी द्वितीय पहलू भी इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमें चिंतित नहीं करता क्योंकि विचारण के दौरान अभियुक्त का यह पक्षकथन नहीं था कि उसे क्षतियां मृतक के किसी धूर्त आचरण के कारण पहुंचीं थीं ।

28. अब हम अभियुक्त को पहुंची क्षति को स्पष्ट करने में किसी साक्षी की असमर्थता के तृतीय पहलू/परिणाम पर आते हैं । यह हो सकता है कि अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य किया हो । हो सकता है साक्षी अभियुक्त द्वारा लिए गए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रभावी रूप से रोकने के लिए न्यायालय के समक्ष मिथ्या रूप से साक्ष्य दे रहे हों । यह तृतीय संभावना है । इस मामले में हमने यह नोट किया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विनिर्दिष्टतः अभिवाक् नहीं किया गया है । निस्संदेह, हम इस विधि से अनभिज्ञ नहीं हैं कि यदि साबित तथ्यों के आधार पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, अभियुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा अभिवाक् करने में असफल रहने/लोप करने की बात के होते हुए भी, प्रकट होता है तो न्यायालय निश्चित रूप से अभियुक्त को ऐसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के फायदे से केवल इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि उसने ऐसा अभिवाक् नहीं किया है ।

29. इस संदर्भ में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के प्रति निर्देश करना समुचित होगा । यह भार अभियुक्त पर होता है कि वह अपने मामले को भारतीय दंड संहिता के अधीन उपबंधित अपराधिता के साधारण अपवादों के किसी अपवाद के अंतर्गत लाए । इस मामले में के अभियुक्त ने ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं ली है । उसने ऐसी किसी प्रतिरक्षा का आग्रह नहीं किया है । इसके विपरीत, उसने स्वयं को पहुंचीं क्षतियों के लिए एक बिल्कुल भिन्न स्पष्टीकरण दिया है । समग्र परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य ऐसा साक्ष्य नहीं है कि इस पर किसी प्रकार का संदेह, अविश्वास या शक किया जाए क्योंकि इस

साक्षी ने अपीलार्थी को पहुंचीं क्षतियां नहीं देखी थीं और न ही उसने इसका स्पष्टीकरण दिया है ।

30. यह नहीं कहा जा सकता है कि हमने अभियुक्त को कारित हुई क्षतियों को साबित करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता को नहीं देखा है । अभियोजक केवल मात्र अभियुक्त की दोषसिद्धि की ही मांग नहीं करेगा । अभियोजक का यह पावन और परम कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे । यहां तक कि जहां अभियोजक अपनी बाध्यता का पूर्णतया और न्यायालय का समाधानप्रद निर्वहन नहीं करता, वहां भी प्रथागत रूप से संदेह के फायदे की रियायत नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए । स्पष्टतः, अभियुक्त ने, जिस पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की संरक्षा के अपने अभिवाक् को साबित करने का भार था, स्वयं को कारित हुई क्षति को साबित करना उचित नहीं समझा । यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि अभियुक्त को कोई गंभीर क्षति कारित हुई थी । हम यह दोहराते हैं कि हम अभियोजन पक्ष द्वारा क्षति को साबित न कर पाने के दोष/त्रुटि से अनभिज्ञ नहीं है । यह कहना पर्याप्त होगा कि यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि अभियुक्त को ऐसी कोई क्षति कारित हुई थी जिसका अभि. सा. 1 द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना उसके साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में माना जा सकता हो । और न ही यह बात अभियुक्त को कोई संदेह का फायदा देने के लिए न्यायालय के लिए मददगार है । इस बात से न्यायालय भी दूर-दूर तक यह संदेह करने के लिए राजी नहीं है कि अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था जिसका उसके द्वारा अभिवाक् भी नहीं किया गया है । इसके विपरीत, उसका अभिवाक् ही उसके पक्ष में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की उपलब्धता के प्रतिकूल है ।

31. इन परिस्थितियों में हम, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को साबित न करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में हमारा समाधान न होते हुए भी, इस बात के लिए राजी नहीं हैं कि क्षतियों को साबित करने में किए गए ऐसे लोप से और ऐसी क्षति को स्पष्ट नहीं किए जाने से हमें अभियुक्त को संदेह का कोई फायदा प्रदान करने के लिए राजी हो जाना चाहिए । हमें अभि. सा. 1 के साक्ष्य की स्वीकार्यता तथा अभियुक्त की सहअपराधिता के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह नहीं है ।

32. उपरोक्त चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्वान् सेशन

न्यायाधीश ने संपूर्ण घटना के बारे में अभि. सा. 1 के मौखिक साक्ष्य और अभियुक्त के मकान में घटित घटना के प्रथम भाग के बारे में अभि. सा. 3 के साक्ष्य को स्वीकार करके और उसके आधार पर कार्यवाही करके कोई गलती नहीं की है ।

33. आगे अग्रसर होने से पूर्व अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद सं. 4 की संरक्षा के दावे पर विचार करेंगे । हम अपवाद सं. 4 को नीचे उद्धृत कर रहे हैं :–

> "अपवाद सं. 4. – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।
>
> स्पष्टीकरण – ऐसी दशाओं में तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है ।"

34. यह प्रचलित बात है कि किसी अभियुक्त को अपवाद सं. 4 के फायदे का दावा करने का हकदार होने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां एक साथ और संचयी रूप से सह-विद्यमान होनी चाहिएं :–

(i) कोई पूर्व-चिंतन नहीं होना चाहिए ।

(ii) अचानक हुए झगड़े के उपरांत अचानक लड़ाई होना आवश्यक है ।

(iii) कार्य आवेश की तीव्रता में कारित किया गया होना चाहिए ।

(iv) अपराधी ने –

(क) असम्यक् फायदा न लिया हो;

(ख) क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य न किया हो ।

35. हमें अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस दलील से सहमत होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कोई पूर्व-चिंतन नहीं था । झगड़ा अचानक हुआ था और फिर जो लड़ाई हुई वह भी अचानक हुई थी । इस दलील से शायद सहमत होना संभव है कि अपीलार्थी ने कोई असम्यक् फायदा नहीं लिया था या अप्रायिक क्रूरतापूर्ण रीति से कार्य नहीं किया था । व्यापक रूप से सभी हत्याओं को क्रूर और अप्रायिक होना कहा जा सकता है । अपवाद सं. 4 के लागू होने के लिए क्रूरता और अप्रायिकता

कारित करने की दृष्टि से आपवादिक होनी चाहिए । हमारे लिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल से संघटक सं. 1, 2 और 4 की बाबत सहमत होना संभव है, किंतु इस तृतीय संघटक का, कि कार्य आक्रोश की तीव्रता में किया गया होना चाहिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निश्चित रूप से समाधान नहीं होता है । अपवाद सं. 4 किसी अभियुक्त को आपराधिक दायित्व से निर्मुक्ति के लिए हकदार नहीं बनाता । यह अपवाद अभियुक्त की केवल आपराधिक दायित्व को कम करने का दावा करने के लिए सहायता करता है । यह अपवाद विधानमंडल द्वारा उपबंधित एक ऐसा उत्कृष्ट उपबंध है जो अपराधी को उसके आपराधिक अविवेकी कार्य के लिए उस स्थिति में कम उत्तरदायी ठहराता है जब आवेश बुद्धि पर भारी पड़ता है । प्रस्तुत मामले में प्रथम घटना मृतक के मकान पर घटी थी और अपीलार्थी के पास अपने आवेश को शान्त करने और भावनात्मक उत्तेजना, यदि कोई थी, को काबू करने का पर्याप्त समय था । हमारे पास निश्चित ही यह विकल्प है कि घटना सं. 2, जो उस स्थान पर घटी थी जो घटना सं. 1 के घटने के स्थान से भौगोलिक रूप से दूर है और कालक्रम के अनुसार घटनास्थल सं. 1 पर घटी घटना से बाद में घटी थी, इसलिए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह ऐसा मामला है जो अभियुक्त को यह अभिवाक् करने का हकदार बनाता हो कि उसने आवेश की तीव्रता में कार्य किया था । इसलिए अपवाद सं. 4 के बारे में किया गया अभिवाक् हमें प्रभावित नहीं करता है ।

36. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अब यह दलील दी है कि जो भी हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन अपराध सिद्ध नहीं हुआ है । यदि अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है कि मृतक को मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-5 में वर्णित क्षति सं. 1 और 6 अपीलार्थी के हाथों पहुंची थी । अभि. सा. 8 के साक्ष्य और मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-5, से यह निष्कर्ष निकालना भी संभव है कि मृतक की मृत्यु इन क्षतियों के कारण हुई थी । अब हम प्रदर्श पी-5 में वर्णित क्षति सं. 1 और 6 को उद्धृत करना उपयुक्त समझते हैं । ये क्षतियां निम्नलिखित हैं :–

> "चेहरे पर बाईं ओर लगभग उर्ध्वाधर 4.5 से. मी. x 1.5 से. मी. का छिन्न घाव । घाव का सामने का सिरा मुख के दाएं कोण से 1.5 से. मी. ऊपर और 5 से. मी. बाहर की ओर है । पिछला सिरा बाएं कर्णपालिका के 1.5 से. मी. नीचे है और 3.5 से. मी. लम्बाई

की पूच्छन है जो क्षति के पिछले सिरे से विपरीत दिशा की ओर है । मांसपेशियों, वहिकाओं और नसों के नीचे कटाव पाया गया ।

* * * * *

* * * * *

* * * * *

6. दाईं टांग के पिछले बाह्य भाग पर भीतर की ओर 9.5 से. मी. x 4.5 से. मी. आकार का हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव, जिसका बाह्य सिरा टखने के बाह्य अवस्थान के उभार से 17 से. मी. ऊपर है । नीचे की मांसपेशियां, वहिकाएं और नसें पूरी तरह से कटी हुई और अलग-अलग हैं । जंघास्थि आंशिक रूप से कटी हुई है । अनुजंघास्थि वर्णित क्षति के अनुरूप आर-पार कटी हुई है ।"

अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक की मृत्यु इन क्षतियों के कारण हुई थी । इसलिए अपराध को पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 299 - हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध, जो कि हत्या की प्रजाति है, के अंतर्गत लाया गया है । अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन परिभाषित आपराधिक मानव वध गुरुतर होकर इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित हत्या के अपराध के अंतर्गत आता है या नहीं । इसके लिए अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना चाहिए कि जो कृत्य कारित करके हत्या की गई है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चारों संघटकों में से किसी एक के अंतर्गत आता है । धारा 299 के अधीन आपराधिक मानव वध केवल तभी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन हत्या की कोटि में आएगा, यदि जो कृत्य कारित करके हत्या की गई है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार संघटकों में से किसी एक के अंतर्गत आता हो । केवल उसके बाद ही न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या अपवाद सं. 1 से 5 में से कोई लागू होता है या नहीं ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित हत्या का अपराध मुड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन परिभाषित अपराध के अंतर्गत आ जाए ।

37. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार अवयवों में से किसी का भी समाधान नहीं होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस अपराध से

भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन हत्या के अपराध के संघटकों का समाधान हुआ है ।

38. हमने ऊपर वर्णित क्षति सं. 1 और 6 पर दृष्टिपात किया है । प्रथम प्रश्न यह है कि क्या ये क्षतियां मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थीं । क्षति सं. 6 दाईं टांग पर है जो दाईं टांग के टखने के ऊपर पिछले उभार के भीतरी भाग पर है । इस क्षति से स्पष्टतः यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम खंड के अंतर्गत नहीं आता है । इस क्षति को निश्चित रूप से मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई क्षति नहीं कहा जा सकता है । शरीर के अपेक्षाकृत अमहत्वपूर्ण भाग पर क्षति कारित किया जाना निश्चित रूप से इस सिद्धांत के प्रतिकूल है कि क्षति मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थी । यही स्थिति क्षति सं. 6 की है । यह क्षति चेहरे के बाईं तरफ पहुंची थी । यह कहा गया है कि मांसपेशियां, वहिकाएं और नसें इत्यादि कटी हुई पाई गई थीं । किंतु यह उपदर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इस क्षति से कोई मुख्य वहिका कट गई थी । क्षति सं. 1 के परिणामस्वरूप कोई अस्थि की क्षति भी नहीं हुई थी । इस बात से हमें प्रयुक्त किए गए बल का अनुमान होता है । इन परिस्थितियों में, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, जिसमें घटना के संबंध में अनुमान भी सम्मिलित हैं, से हमारी यह राय है कि क्षति सं. 1 से भी यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम खंड के अंतर्गत नहीं आ सकता है । दूर-दूर तक भी यह दलील देना संभव नहीं है कि इस मामले में के अपराध को धारा 300 के खंड द्वितीय या चतुर्थ की सहायता से धारा 300 के अंतर्गत लाया जा सकता है ।

39. हमारे पास धारा 300 का तृतीय खंड शेष रहता है । यह भाग तब लागू होगा यदि साशय क्षति कारित की गई हो और कारित की गई क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो । इस पहलू पर प्रचुर मात्रा में पूर्व-निर्णय हैं और यह विधि भी सुस्थापित है कि विनिर्दिष्ट रूप से पूर्व-निर्णयों को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है । क्षतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । न्यायालय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि क्या क्षति वस्तुनिष्ठ रूप से प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है, तब न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या क्षति साशय कारित की गई थी । यदि यह दिखाई पड़ता है कि क्षति साशय कारित की गई थी और पारिणामिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम

में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित आपराधिक मानव वध का अपराध गुरुतर होकर भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय भाग (तृतीय खंड) को लागू होते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन दंडनीय अपराध के अंतर्गत आएगा ।

40. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह बताया है कि सार्थकतः यह दर्शित करने के लिए कतई कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रदर्श पी-5 में वर्णित या तो क्षति सं. 1 या क्षति सं. 6 प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । हां, यह दर्शित करने के लिए तो साक्ष्य है कि मृत्यु क्षतियों के कारण हुई थीं, किंतु इस प्रश्न पर साक्ष्य का सार्थक अभाव है कि क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी या नहीं । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि इन परिस्थितियों में अपीलार्थी यह दलील देने का हकदार है कि साबित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अंतर्गत रहना चाहिए और इसे गुरुतर करके भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित हत्या के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए ।

41. हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि कारित की गई क्षतियां यह उपधारणा करने/अनुमान लगाने के लिए समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि क्षतियां मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गईं थी । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कारित की गई क्षतियां साशय कारित नहीं की गई थीं । इस प्रकार यह साबित होता है कि क्षति सं. 1 और क्षति सं. 6 साशय कारित की गई थीं । किंतु यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि ये क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं ।

42. यद्यपि ऐसा नहीं है कि न्यायालय सदैव इस पहलू पर चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हों । अभियोजक या विचारण न्यायालय की ओर से इस पहलू पर विनिर्दिष्ट साक्ष्य पेश करने में किया गया लोप तब निर्णायक और महत्वपूर्ण नहीं हो सकेगा जब अभिलेख पर की सामग्री के आधार पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । हृदय को भेदते हुए कारित की गई घोर क्षति को किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य की विनिर्दिष्ट सहायता के बिना ही निश्चित रूप से प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु

कारित करने के लिए पर्याप्त क्षति होना अभिनिर्धारित किया जा सकता है । किंतु प्रस्तुत मामले में, हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि यह दर्शित नहीं होता है कि क्षति सं. 1 के परिणामस्वरूप कोई अस्थि की क्षति कारित हुई थी । क्षति सं. 6 टांग के निचले भाग पर पहुंची थी । हमारी निश्चित रूप से यह राय है कि यह मामला विशिष्ट रूप से ऐसा उपयुक्त मामला है जहां न्यायालय को विशेषज्ञ के विनिर्दिष्ट साक्ष्य की प्रत्याशा यह साबित करने के लिए करनी चाहिए थी कि दोनों क्षतियों में से कोई भी प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं । इस पहलू पर साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी का सफल होना लाजिमी है । हमने इस मामले में की समग्र परिस्थितियों पर विचार किया है । यह एक पूर्व-चिन्तन के बिना किया गया अपराध है जो एक अप्रत्याशित अचानक झगड़े और अचानक लड़ाई में कारित हुआ । साक्ष्य से सार्थकतः मृत्यु कारित करने का आशय प्रकट नहीं हो रहा है । हालांकि क्षति सं. 1 और 6 साशय कारित करने की बात साबित हो गई है, तो भी न्यायालय का यह समाधान नहीं हुआ है कि इस प्रश्न पर विशेषज्ञ के साक्ष्य के बिना न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव हो कि क्षति सं. 1 और 6 प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । इन परिस्थितियों में हमारी यह राय है कि इस विनिश्चय के आधार पर कि क्या अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत आता है या भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत – इस महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णायक साक्ष्य के अभाव में संदेह का फायदा सुरक्षित रूप से अभियुक्त को मंजूर किया जा सकता है ।

43. अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी इस संक्षिप्त प्रश्न पर सफल होने का हकदार है । हमारा यह समाधान हो गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध साबित अपराध वह है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन परिभाषित है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304(1) के अधीन दंडनीय है । कम-से-कम अभियुक्त की मानसिक दशा से अवश्य यह उपधारणा की जानी चाहिए कि साशय कारित की गई शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित होना संभाव्य था । इसलिए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 304(1) के अधीन दंडित किए जाने का दायी है । इस अपील में दी गई चुनौती केवल उपरोक्त सीमा तक सफल हो सकती है ।

44. इस मामले से अलग होने से पूर्व हम दांडिक न्याय प्रशासन में विचारण न्यायाधीश की भूमिका को दोहराने और मताभिव्यक्ति करने के

लिए बाध्य महसूस करते हैं । हम विचारण न्यायाधीशों को उनकी वास्तविक भूमिका, कर्तव्य और लक्ष्य को दांडिक न्याय वितरण प्रणाली के भाग के रूप में स्मरण कराना आवश्यक समझते हैं । विचारण न्यायाधीश दांडिक न्याय प्रशासन प्रणाली का अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है । कोई व्यवस्था केवल तभी व्यवस्था बनती है जब उस व्यवस्था का प्रत्येक सदस्य सामान्य लक्ष्य या सौंपे गए काम को अग्रसर करने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की दिशा में कार्य करे । दांडिक न्याय प्रशासन की प्रत्येक प्रणाली का असली ध्येय, स्वप्न और लक्ष्य अपराध मुक्त समाज की प्राप्ति है । प्रत्येक सदस्य को चाहे विधायक है, अन्वेषक है, न्याय निर्णायक है तथा कारागार को उन पर डाली गई पूरक भूमिका को निभाना चाहिए । न्याय की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा यह है कि न्याय "जो जिसके लायक है" उसको सुनिश्चित करता है । दांडिक न्याय वितरण प्रणाली में दोषी को दंड अवश्य मिलना चाहिए क्योंकि वह दंड ही है जिसके लिए दोषी पात्र है । दांडिक न्याय वितरण प्रणाली का कर्तव्य दोषी की पहचान करना और दोषी पर दंड अधिरोपित करना है । दंड का अधिरोपण ही न्याय है क्योंकि दोषी दंड के ही लायक है । दंड ही उसके लिए और समाज के लिए न्याय है क्योंकि समाज अपराध और अपराधी से संरक्षा का हकदार है । इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए निर्दोष की दोषमुक्ति सुनिश्चित करने की भी बाध्यता है । निस्संदेह, प्राथमिक कर्तव्य वास्तविक दोषी को दंड सुनिश्चित करना है । निर्दोष की दोषमुक्ति सुनिश्चित करना भी एक सहवर्ती कर्तव्य है जो समान रूप से दुर्झर और उत्कृष्ट कर्तव्य है । न्यायालय को दोषी को दंड सुनिश्चित करके और साथ-ही-साथ निर्दोष की दोषमुक्ति सोत्साह सुनिश्चित करके इस दोहरे कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए ।

45. विचारण न्यायाधीश का प्राचरण एक पक्षपात रहित और निष्पक्ष न्याय निर्णायक का होता है । उसे ऋजु विचारण सुनिश्चित करना चाहिए । आरोपी को उसके विरुद्ध प्रत्येक अभिकथन/साक्ष्य को जानने, समझने और खंडन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए । अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए । यह नैसर्गिक न्याय के उत्कृष्ट सिद्धांतों या अहरणीय मानव अधिकारों का भाग है कि एक पक्षपात रहित और निष्पक्ष न्याय निर्णायक को ऋजु विचारण के पश्चात् ही धीरतापूर्वक आरोपी पर दोष या निर्दोषिता का निर्णय सुनाना चाहिए ।

46. किंतु कहने का यह अर्थ नहीं है कि विचारण न्यायाधीश मात्र एक पर्यवेक्षक या अम्पायर होता है । वह उस विचारण, जो उसके समक्ष

चलाया जाता है, में का एक निष्पक्ष और सक्रिय सहभागी होता है और होना चाहिए । उसे अपने समक्ष चल रहे विरोधात्मक द्वन्द्वयुद्ध के नाटक में अंधे और बहरे दर्शक या अम्पायर नहीं बने रहना चाहिए और उसे बार-बार दोहराए जाने वाले कथन उद्धृत करने चाहिएं । उसे विचारण में एक सक्रिय निष्पक्ष सहभागी होना चाहिए । हम विचारण न्यायाधीशों को न्यायिक अकादमियों में प्रयोग की जाने वाली उस काल्पनिक कहानी का स्मरण कराते हैं कि विचारण तो एक समुद्र यात्रा के समान है । आपको असत्य, अर्ध-सत्य, मनगढ़ंत और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातों के समुद्र को पार करना होता है तथा सत्य और न्याय के अंतिम छोर पर पहुंचना होता है । इस यात्रा में जहाज का कप्तान, नाविक, पतवार विचारण न्यायाधीश होता है । विरोधी पक्षकारों के काउंसेल इस यात्रा में केवट हैं । इस यात्रा के कप्तान का कर्तव्य है कि जहाज को सत्य और न्याय के छोर तक ले जाए । इस यात्रा में विचारण न्यायाधीश के महत्व को सतर्कता पूर्वक महसूस करना और समझना चाहिए । यह बात सभी विचारण न्यायाधीशों के मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए । विचारण न्यायाधीश कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मुख में अभिमंत्रित जल भरा हो और वह उसे थूक न सके या निगल न सके और उसके लिए सारे समय मूक और निष्क्रिय बनकर बैठा रहना आवश्यक हो । ऐसा विचारण न्यायाधीश, जिसमें सच्चाई का पता लगाने और न्याय करने का उत्साह नहीं होता, वह व्यवस्था पर बोझ है । ऐसा न्यायाधीश स्वयं को उस उल्लासपूर्ण खुशी से वंचित करता है जो सच्चाई सामने आने और न्याय किए जाने पर मिल सकती है । विचारण न्यायाधीश दांडिक न्याय वितरण प्रणाली का भाग होने के नाते सम्पर्ण के अभाव में केवल अपने लक्ष्य को ही पूरा नहीं कर पाएगा ।

47. यदि कोई संदेह रह गया है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 का परिशीलन विचारण न्यायाधीश के लिए चिरस्थायी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है । हम इन धाराओं को नीचे उद्धृत कर रहे हैं :–

> **311. आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति** – कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि यह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले

परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है; और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा ।

165. प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति – न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए, या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी साक्षी या पक्षकारों के किसी भी सुसगंत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा, और न तो पक्षकार और न उसके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे :

परन्तु निर्णय को उन तथ्यों पर, जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक् रूप से साबित किए गए हों, आधारित होना होगा :

परन्तु यह भी कि न तो यह धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी जिसका उत्तर देने से या पेश करने से यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता, या वह दस्तावेज मंगाया गया होता, तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 से धारा 131 पर्यन्त धाराओं के अधीन, इनकार करने का हकदार होता, और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या धारा 149 के अधीन अनुचित होता और न वह एतस्मिनपूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा ।

विचारण न्यायाधीश की किसी निश्चित समय पर कोई आवश्यक कार्यवाही करने की व्यापक शक्ति, यदि न्याय की ऐसी मांग है, महत्वपूर्ण है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अधीन साक्षी से यहां तक कि सुसंगतता से

संबंधित विधि की अनदेखी करके भी कोई प्रश्न पूछने की शक्ति महत्वपूर्ण है । ऐसी शक्ति के विस्तार और व्यापकता का अभिज्ञान करने के लिए कृपया दोनों धाराओं में प्रयुक्त "कोई" शब्द की संख्या पर ध्यान दीजिए । निस्संदेह इन शक्तियों का सावधानी और सतर्कता पूर्वक अवलंब लिया जाना चाहिए । ये शक्तियां विचारण न्यायाधीश से की जाने वाली प्रत्याशा का संकेत करती हैं । उसे न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं । किसी बात के प्रति वचनबद्धता विहिन होकर उसे अंधा और मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए । उसकी वचनबद्धता सत्य और न्याय के प्रति होनी चाहिए और उसे ऐसे साधनों का प्रयोग करने में निपुण होना चाहिए जो व्यवस्था/विधानमंडल ने उसे उसके सौपे गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदान किए हैं ।

48. हमने इतनी बातें इसलिए कही हैं क्योंकि हम इस मामले में विचारण न्यायाधीश की ओर से किए गए लोपों से विक्षुब्ध हैं । उपलब्ध सामग्री से यह पता चलता है कि अभियुक्त को कुछ क्षतियां पहुंची थीं । डाक्टर द्वारा उसका परीक्षण किया गया था और अभियुक्त की प्रेरणा पर एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभियोजन पक्ष ने अस्पष्ट और अन्यमनस्क कारणों से डाक्टर की परीक्षा नहीं कराई या घाव प्रमाणपत्र और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को साबित नहीं किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत और साबित करना आवश्यक नहीं समझा । इसी प्रकार, जब डाक्टर, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, की परीक्षा कराई गई तब अभियोजक ने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि यह अभिनिश्चित किया जाए कि क्या क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं या नहीं । प्रतिरक्षा पक्ष, जो स्पष्टतः इस बात से भिज्ञ था कि अभियोजन पक्ष की किसी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है, उसने भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं चाहा । हम इस बात से खिन्न हैं कि विचारण न्यायाधीश ने भी डाक्टर की परीक्षा कराने और अभियुक्त के घाव प्रमाणपत्र (और प्रति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) को प्रस्तुत और साबित किए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन अपनी शक्तियों का अवलंब लेना नहीं चाहा । इस बात से भी असंतुष्ट हैं कि विचारण न्यायाधीश ने उस डाक्टर, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, से यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या मृतक को पहुंचीं क्षतियां प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं या नहीं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अधीन अपनी

शक्तियों का अवलंब लेना उचित नहीं समझा । विद्वान् विचारण न्यायाधीश की ओर से यह अधिकारिता संबंधी उत्तरदायित्व का अन्यायोचित अधित्याग था । हमारी शिकायत यह है कि विचारण न्यायाधीश ने दांडिक न्याय प्रशासन व्यवस्था के सदस्य के नाते विचारण में की अपनी महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका को अनुभव और बोध नहीं किया । हम नहीं चाहते कि विचारण न्यायाधीश ऐसी अनवधानता दोहराएं, इसीलिए यह अप्रासंगिक और साधारण मताभिव्यक्ति की गई ।

49. **परिणामत :**

(क) यह अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

(ख) दोषिता और दोषसिद्धि का निर्णय कायम रखा जाता है किंतु इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता की धारा 304(1) में तब्दील किया जाता है ।

(ग) अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश आठ वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने में उपातंरित किया जाता है । अपीलार्थी जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भोगेगा ।

50. इस निर्णय की एक प्रति निचले न्यायालय को सुपुर्दगी का संशोधित अधिपत्र जारी करने के लिए भेजी जाए ।

51. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अपीलार्थी ने पहले ही उपरोक्त दंडादेश भोग लिया है तो निचले न्यायालय और कारागार प्राधिकारियों द्वारा उसे अभिरक्षा से तुरंत रिहा करने की कार्यवाही की जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.

दुर्गादास

बनाम

अंजू देवी और अन्य

तारीख 15 दिसंबर, 2011

न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी

रणबीर दंड संहिता संवत्, 1989 – धारा 488 – भरणपोषण – जहां यह साबित होता है कि किसी पुरुष का किसी महिला के साथ-साथ रहते हुए समाज की यह धारणा बन जाती है कि वे पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं वहां ऐसा व्यक्ति उस महिला के भरणपोषण के दायित्व के साथ-साथ ऐसे संबंध से जन्मे बच्चों के भरणपोषण का भी उत्तरदायी है ।

वर्तमान आवेदक के विरुद्ध मामला इस प्रकार है कि श्रीमती अंजू देवी आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है और विवाह से बेबी गुरिया का जन्म हुआ था । यह भी अभिवाक् किया गया है कि आवेदक के पास यद्यपि पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं तब भी उसने अपनी पत्नी तथा अप्राप्तवय पुत्री को भरणपोषण देने से इनकार कर दिया था जिनके पास सहारे के लिए कोई स्रोत नहीं था । श्रीमती अंजू देवी ने यह भी अभिवाक् किया कि वह आवेदक की पुत्री का पालन-पोषण कर रही है और आवेदक इस बाध्यता के अधीन भी था कि वह अपने पुत्र, पुत्री का भरणपोषण करें । श्रीमती अंजू देवी ने आवेदन के लंबित रहने के दौरान पुत्र को भी जन्म दिया था । यह अभिकथन किया गया है कि आवेदक का आवेदन में नामित महिला से अवैध संबंध थे और उसके द्वारा आपत्ति किए जाने पर आवेदक ने अपने मकान से अपनी पत्नी तथा अप्राप्तवय पुत्री को बाहर कर दिया । वर्तमान आवेदक ने इन आधारों पर आवेदन का विरोध किया था कि श्रीमती अंजू देवी उसकी वैध रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और उसकी अप्राप्तवय पुत्री आवेदक की धर्मज पुत्री नहीं है । आवेदक ने यह भी अभिकथन किया है कि श्रीमती अंजू देवी का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है और वह व्यभिचारी जीवन जी रही है । आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि अपनी पत्नी को तलाक देकर वह श्रीमती अंजू देवी से विवाह करने का इच्छुक था और यह बात उसने उसके देवर को बताई थी कि श्रीमती अंजू देवी और उसके देवर ने आवेदक द्वारा इच्छुकता दिखाने पर आवेदक को

श्रीमती अंजू देवी के पति के रूप में प्रकट करने के लिए षड्यंत्र रचा था । इस प्रकार उस पर इस बाध्यता के लिए भार डाला था कि वह श्रीमती अंजू देवी तथा उसकी अप्राप्तवय पुत्री का भरणपोषण करें । श्रीमती अंजू देवी ने यह साबित किया है कि वह आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है और विवाह से दो संतानों का जन्म हुआ था जिस बारे में गांव के चौकीदार और लंबरदार सहित पांच साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी । दूसरी ओर आवेदक ने अपने आधार को सिद्ध करने के लिए चार साक्षियों की परीक्षा कराई । विचारण मजिस्ट्रेट ने फाइल पर लाए गए साक्ष्य का बारीकी से परिशीलन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदक और श्रीमती अंजू देवी का तलवारा रियासी पर अनुष्ठान के साथ विवाह हुआ था और तब आवेदक ने अंजू देवी के साथ विवाह करते समय उससे इस बात को छुपाया था कि उसका विवाह रीता देवी के साथ भी बना हुआ है । विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके विवाह से दो संतानों का जन्म हुआ था, तद्नुसार, विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक और अंजू देवी के बीच विवाह शून्य है क्योंकि यह विवाह संविदा से हुआ था जब आवेदक रीता देवी के साथ विवाह होने के पश्चात् पति-पत्नी के रूप में रह रहा था और विवाह अस्तित्व में था । विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट ने ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 644 तथा 1986 के. एल. जे. 595 में अधिकथित विधि का अवलंब लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अंजू देवी आवेदक से भरणपोषण का दावा करने की हकदार नहीं है क्योंकि आवेदक से उसका विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के निबंधनों में विधिमान्य नहीं था । तथापि, आवेदक की अप्राप्तवय पुत्री इस आधार पर आवेदक से भरणपोषण पाने की हकदार थी कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के निबंधनों में अधर्मज संतान होने पर उन्हें अपने पिता से भरणपोषण पाने का अधिकार है । तद्नुसार, न्यायालय ने अप्राप्तवय बच्चों के आवेदन को मंजूर कर लिया और यह निदेश दिया कि आवेदक बेबी गुरिया तथा उसके छोटे भाई को अलग-अलग 1,000/- रुपए मासिक भत्ते का संदाय करेगा । आवेदक ने तारीख 31 मार्च, 2005 को विचारण मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर सेशन न्यायालय, जम्मू के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । पुनरीक्षण आवेदन सफल नहीं हो पाया और तारीख 24 नवंबर, 2008 को उसे खारिज कर दिया गया था । विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय ने विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा की गई मताभिव्यक्ति से असहमति अभिलिखित की कि शून्य विवाह से जन्मे हुए बच्चे अधर्मज हैं और यह इंगित किया कि

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18 के निबंधन में पूर्ववर्ती विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान अनुष्ठापित विवाह से उत्पन्न बच्चा धर्मज है । विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय ने फिर भी यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण मजिस्ट्रेट का आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है जिस पर कि पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग करके हस्तक्षेप करना आवश्यक हो । आवेदक ने तारीख 31 मार्च, 2005 के विचारण न्यायालय के आदेश को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा करते हुए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का अवलंब लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-क के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया है और तारीख 24 नवंबर, 2008 के विद्वान् सेशन न्यायाधीश के आदेश जिसके द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया था । आवेदक ने यह अभिवाक् किया कि पुनरीक्षण न्यायालय यह मूल्यांकन करने में विफल हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन आवेदन तारीख 30 मार्च, 2007 को सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री के निबंधनों में कायम रखे जाने योग्य नहीं है । आवेदक ने विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष लिए गए आधार को दोहराया है कि उसका विवाह रीता देवी के साथ हुआ था और जो उस तारीख तक अस्तित्व में था जब प्रत्यर्थी सं. 1 ने आवेदक के साथ संविदा विवाह होने का दावा किया है और कि उसका प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं था तथा प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के लिए उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए जो न तो उसका धर्मज और न अधर्मज संतान हैं । आवेदक ने इस बात से इनकार किया है कि वह प्रत्यर्थियों का भरणपोषण करने के लिए किसी विधिक बाध्यता के अधीन है और यह अभिवाक् किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 अपने देवर के साथ रहती है और व्यभिचारी जीवन जी रही है । आवेदक ने सेशन न्यायालय के आदेश के विरुद्ध यह आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आवेदक द्वारा निर्णय और डिक्री पर विश्वास किया जाना चाहिए इस प्रकार, आवेदक ने मामले में जो आधार लिया है, वह मिथ्या सिद्ध हुआ है कि उसका प्रत्यर्थी सं. 1 से कोई संबंध नहीं था और वह प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 का पिता नहीं है । विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है और सिविल न्यायालय ने वाद पर न्यायनिर्णय करते हुए कि आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवाह शून्य है, उनके बीच किसी संबंध न होने के बारे में भ्रम पैदा नहीं किया जा सकता है, यद्यपि, विधि की दृष्टि में ऐसा

विवाह धर्मज नहीं है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच मात्र संबंध होने के कारण जिससे प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 का जन्म हुआ था निचले न्यायालयों द्वारा विधि के अंतर्गत मान्यताप्राप्त होना नहीं बताया है और ऐसा विवाह विधिमान्य विवाह नहीं होता है परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है कि आवेदक प्रत्यर्थियों के भरण-पोषण के कानूनी दायित्वों से बच सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 अपरिहार्य रूप से आपातकालीन उपबंध है जिसमें ऐसे दावों पर विचार करना आशयित है, जिसमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और इसको आस्थगित नहीं रखा जा सकता या पक्षकारों के अधिकारों को आस्थगित नहीं किया जा सकता और सिविल न्यायालय द्वारा सिविल कार्यवाहियों के अधिक समय तक चलते रहने के पश्चात्, निर्धारण किया है । उपबंध की प्रकृति, भावना, प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को कानूनी बाध्यता के अंतर्गत बांधा गया है कि वह ऐसी महिला का भरण-पोषण करें जिसके साथ उसका साथ रहना साबित हुआ है और ऐसी सामाजिक धारणा भी है कि उनके बीच संबंध की प्रकृति को ध्यान में लाए बिना वे पति-पत्नी हैं । ऐसे व्यक्ति का समान रूप से यह कर्तव्य है कि ऐसे संबंधों से जन्मे हुए बच्चों का भरणपोषण करें । समाज के हित के लिए आदेश सूचक रूप में ऐसे व्यक्ति को ऐसी महिला या बच्चों के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त करना उन्हें भुखमरी की ओर धकेलना है और यह विधि का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न व तथ्य का सिविल कार्यवाहियों में निर्धारण किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 की परिधि के अंतर्गत धर्मज संबंध को निर्बंधित करना समाज के लिए नकारात्मक होगा - विधि से ऐसे परिणाम निकाले जाने की आशा नहीं की जा सकती है । (पैरा 9, 10 और 11)

पुनरीक्षण (दांडिक)अधिकारिता : 2009 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 18 तथा 2007 का सीएमपी सं. 146.

रणबीर दंड संहिता की धारा 561-क के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री बी. बी. कोतवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुनील सेठी, ज्येष्ठ अधिवक्ता

न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी – श्रीमती अंजू देवी और उसकी पुत्री बेबी गुरिया ने भरणपोषण भत्ते की मंजूरी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम

श्रेणी (जेएमआईसी), सिटी जज, जम्मू के समक्ष श्री दुर्गा दास – आवेदक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन तारीख 20 सितंबर, 1999 को आवेदन फाइल किया । वर्तमान आवेदक के विरुद्ध मामला यह है कि श्रीमती अंजू देवी आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है और विवाह से बेबी गुरिया का जन्म हुआ था । यह भी अभिवाक् किया गया है कि आवेदक के पास यद्यपि पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं तब भी उसने अपनी पत्नी तथा अप्राप्तवय पुत्री को भरणपोषण देने से इनकार कर दिया था जिनके पास सहारे के लिए कोई स्रोत नहीं था । श्रीमती अंजू देवी ने यह भी अभिवाक् किया कि वह आवेदक की पुत्री का पालन-पोषण कर रही है और आवेदक इस बाध्यता के अधीन भी था कि वह अपने पुत्र, पुत्री का भरणपोषण करें । श्रीमती अंजू देवी ने आवेदन के लंबित रहने के दौरान पुत्र को भी जन्म दिया था । यह अभिकथन किया गया है कि आवेदक का आवेदन में नामित महिला से अवैध संबंध थे और उसके द्वारा आपत्ति किए जाने पर आवेदक ने अपने मकान से अपनी पत्नी तथा अप्राप्तवय पुत्री को बाहर कर दिया ।

2. वर्तमान आवेदक ने इन आधारों पर आवेदन का विरोध किया था कि श्रीमती अंजू देवी उसकी वैध रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और उसकी अप्राप्तवय पुत्री आवेदक की धर्मज पुत्री नहीं है । आवेदक ने यह भी अभिकथन किया है कि श्रीमती अंजू देवी का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है और वह व्यभिचारी जीवन जी रही है । आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि अपनी पत्नी को तलाक देकर वह श्रीमती अंजू देवी से विवाह करने का इच्छुक था और यह बात उसने उसके देवर को बताई थी कि श्रीमती अंजू देवी और उसके देवर ने आवेदक द्वारा इच्छुकता दिखाने पर आवेदक को श्रीमती अंजू देवी के पति के रूप में प्रकट करने के लिए षड्यंत्र रचा था । इस प्रकार उस पर इस बाध्यता के लिए भार डाला था कि वह श्रीमती अंजू देवी तथा उसकी अप्राप्तवय पुत्री का भरणपोषण करें । श्रीमती अंजू देवी ने यह साबित किया है कि वह आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है और विवाह से दो संतानों का जन्म हुआ था जिस बारे में गांव के चौकीदार और लंबरदार सहित पांच साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी । दूसरी ओर आवेदक ने अपने आधार को सिद्ध करने के लिए चार साक्षियों की परीक्षा कराई ।

3. विचारण मजिस्ट्रेट ने फाइल पर लाए गए साक्ष्य की बारीकी से परिशीलन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदक और श्रीमती अंजू

देवी का तलवारा रियासी पर अनुष्ठान के साथ विवाह हुआ था और तब आवेदक ने अंजू देवी के साथ विवाह करते समय उससे इस बात को छुपाया था कि उसका विवाह रीता देवी के साथ भी बना हुआ है । विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके विवाह से दो संतानों का जन्म हुआ था, तद्नुसार, विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक और अंजू देवी के बीच विवाह शून्य है क्योंकि यह विवाह संविदा से हुआ था जब आवेदक रीता देवी के साथ विवाह होने के पश्चात् पति-पत्नी के रूप में रह रहा था और विवाह अस्तित्व में था ।

4. विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट ने ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 644 तथा 1986 के. एल. जे. 595 में अधिकथित विधि का अवलंब लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अंजू देवी आवेदक से भरणपोषण का दावा करने की हकदार नहीं है क्योंकि आवेदक से उसका विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के निबंधनों में विधिमान्य नहीं था । तथापि, आवेदक की अप्राप्तवय पुत्री इस आधार पर आवेदक से भरणपोषण पाने की हकदार थी कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के निबंधनों में अधर्मज संतान होने पर उन्हें अपने पिता से भरणपोषण पाने का अधिकार है । तद्नुसार, न्यायालय ने अप्राप्तवय बच्चों के आवेदन को मंजूर कर लिया और यह निदेश दिया कि आवेदक बेबी गुरिया तथा उसके छोटे भाई को अलग-अलग 1,000/- रुपए मासिक भत्ते का संदाय करेगा ।

5. आवेदक ने तारीख 31 मार्च, 2005 को विचारण मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर सेशन न्यायालय, जम्मू के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । पुनरीक्षण आवेदन सफल नहीं हो पाया और तारीख 24 नवंबर, 2008 को उसे खारिज कर दिया गया था । विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय ने विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा की गई मताभिव्यक्ति से असहमति अभिलिखित की कि शून्य विवाह से जन्मे हुए बच्चे अधर्मज हैं और यह इंगित किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18 के निबंधन में पूर्ववर्ती विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान अनुष्ठापित विवाह से उत्पन्न बच्चा धर्मज है । विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय ने फिर भी यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण मजिस्ट्रेट का आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है जिस पर कि पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किए जाने में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो ।

6. आवेदक ने तारीख 31 मार्च, 2005 के विचारण न्यायालय के आदेश को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा करते हुए न्यायालय की

अंतर्निहित शक्तियों का अवलंब लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-क के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया है और तारीख 24 नवंबर, 2008 के विद्वान् सेशन न्यायाधीश के आदेश जिसके द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया था । आवेदक ने यह अभिवाक् किया कि पुनरीक्षण न्यायालय यह मूल्यांकन करने में विफल हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन आवेदन तारीख 30 मार्च, 2007 को सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री के निबंधनों में कायम रखे जाने योग्य नहीं है । आवेदक ने विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष लिए गए आधार को दोहराया है कि उसका विवाह रीता देवी के साथ हुआ था और जो उस तारीख तक अस्तित्व में था जब प्रत्यर्थी सं. 1 ने आवेदक के साथ संविदा विवाह होने का दावा किया है और कि उसका प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं था तथा प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के लिए उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए जो न तो उसका धर्मज और न अधर्मज संतान हैं । आवेदक ने इस बात से इनकार किया है कि वह प्रत्यर्थियों का भरणपोषण करने के लिए किसी विधिक बाध्यता के अधीन है और यह अभिवाक् किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 अपने देवर के साथ रहती है और व्यभिचारी जीवन जी रही है ।

7. मामले को सुना गया और उस पर विचार किया गया ।

8. आवेदक का पक्षकथन यह है कि वह प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था और प्रत्यर्थी सं. 1 ने जिस संबंध के बारे में कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है । जिस बात को विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा फाइल पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आवेदक का प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ अनुष्ठापित विवाह हुआ था जबकि रीता देवी के साथ उसका विवाह अस्तित्व में था । प्रथम विवाह के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच दूसरा संविदा विवाह हुआ था जबकि उसकी पत्नी जीवित थी, इसलिए, इसे शून्य ठहराया गया था । प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ आवेदक के विवाह की स्थिति होने के बावजूद विचारण मजिस्ट्रेट के अनुसार उनके संबंधों से बच्चों का जन्म हुआ था तो भी वे अधर्मज बच्चे आवेदक से भरणपोषण पाने के लिए हकदार थे । पुनरीक्षण न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमति अभिलिखित की है और इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 हिन्दू विवाह अधिनियम

की धारा 18 के अर्थ के अंतर्गत धर्मज पुत्र हैं । इस न्यायालय से अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने पर साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आशा नहीं की जाती । इस न्यायालय से अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय यह आशा की जाती है कि वह इस बात की परीक्षा करें कि क्या आक्षेपित आदेश न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग किए जाने की कोटि में आते हैं या उससे न्यायहानि हुई हो । आवेदक ने अंत में अपने द्वारा उप-न्यायाधीश न्यायालय, जम्मू में तारीख 4 मई, 2001 पर प्रारंभ की गई सिविल वाद के निर्णय और डिक्री का अवलंब लिया है जिनका विनिश्चय तारीख 30 मार्च, 2007 को किया गया था । सिविल न्यायालय ने आवेदक द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का निरीक्षण करने के पश्चात् यह साबित पाया है कि उसका प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ कोई संबंध नहीं था और यह मत व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 से उसका कोई पैतृक संबंध नहीं है :–

> "परंतु विवाह संबंध को नासाबित करने के साक्ष्य अपूर्ण होने के विचार की सामान्यतया विधि में उपधारणा की गई है । प्रतिवादी के वादी की पत्नी के रूप में संबंधों की उपधारणा की जा सकती है । किंतु वादी के साथ अपने विवाह के संबंध में उसकी स्वीकृति जो वादी की प्रथम पत्नी के रहने के दौरान की गई है तब ऐसा विवाह अपनी विधिक पवित्रता को खो देता है । अभिवचनों में अपनी स्वीकृति में उसने विवाह और संबंध होना स्वीकार किया है किंतु उस समय प्रतिवादी ने इस बात को नहीं छुपाया है कि उसने वादी की प्रथम पत्नी होते हुए विवाह किया था । उसकी बात में सच्चाई है और वादी ने इस बात को मिथ्या प्रकट किए जाने का प्रयास किया है कि उसके दूसरे विवाह होने के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 से कोई शारीरिक संबंध होने की बात नासाबित है । प्रतिवादी सं. 1 प्रकाश के साथ रह रही होगी जैसाकि वादी द्वारा साक्षी के रूप में जब उसके प्रतिवादी के साथ तनावपूर्ण संबंध थे, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अपने वादपत्र के कथन में उस बात को प्रकट किया है । परंतु प्रतिवादी के अभिवचनों में कोई विनिर्दिष्ट रूप से इस बात से इनकार नहीं किया गया है या वादी द्वारा कोई प्रतिकृति फाइल नहीं की गई है जिससे प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रकथन नासाबित होते हों कि उनका विवाह रियासी में हुआ था और इसके पश्चात् वे राजपुरा मंडी, जम्मू में रहने के लिए आए ।

इस प्रकार, प्रतिवादी सं. 2 ने वादी के साथ अपने संबंध होने के आधार पर बच्चे को जन्म दिया और जो उन दोनों के बीच विवाह वैध और विधिमान्य नहीं है ।"

9. आवेदक द्वारा निर्णय और डिक्री पर विश्वास किया जाना चाहिए इस प्रकार, आवेदक ने मामले में जो आधार लिया है, वह मिथ्या सिद्ध हुआ है कि उसका प्रत्यर्थी सं. 1 से कोई संबंध नहीं था और वह प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 का पिता नहीं है । विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है और सिविल न्यायालय ने वाद पर न्यायनिर्णय करते हुए कि आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवाह शून्य है, उनके बीच किसी संबंध न होने के बारे में भ्रम पैदा नहीं किया जा सकता है, यद्यपि, विधि की दृष्टि में ऐसा विवाह धर्मज नहीं है ।

10. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच मात्र संबंध होने के कारण जिससे प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 का जन्म हुआ था निचले न्यायालयों द्वारा विधि के अंतर्गत मान्यताप्राप्त होना नहीं बताया है और ऐसा विवाह विधिमान्य विवाह नहीं होता है, परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है कि आवेदक प्रत्यर्थियों के भरणपोषण के कानूनी दायित्वों से बच सकता है ।

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 अपरिहार्य रूप से आपातकालीन उपबंध है जिसमें ऐसे दावों पर विचार करना आशयित है, जिसमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और इसको आस्थगित नहीं रखा जा सकता या पक्षकारों के अधिकारों को आस्थगित नहीं किया जा सकता और सिविल न्यायालय द्वारा सिविल कार्यवाहियों के अधिक समय तक चलते रहने के पश्चात्, निर्धारण किया है । उपबंध की प्रकृति, भावना, प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को कानूनी बाध्यता के अंतर्गत बांधा गया है कि वह ऐसी महिला का भरणपोषण करें जिसके साथ उसका साथ रहना साबित हुआ है और ऐसी सामाजिक धारणा भी है कि उनके बीच संबंध की प्रकृति को ध्यान में लाए बिना वे पति-पत्नी हैं । ऐसे व्यक्ति का समान रूप से यह कर्तव्य है कि ऐसे संबंधों से जन्मे हुए बच्चों का भरणपोषण करें । समाज के हित के लिए आदेश सूचक रूप में ऐसे व्यक्ति को ऐसी महिला या बच्चों के भरणपोषण के दायित्व से मुक्त करना उन्हें भुखमरी की ओर धकेलना है और यह विधि का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न व तथ्य का सिविल कार्यवाहियों में निर्धारण किया गया है । दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 488 की परिधि के अंतर्गत धर्मज संबंध को निर्बंधित करना समाज के लिए नकारात्मक होगा – विधि से ऐसे परिणाम निकाले जाने की आशा नहीं की जा सकती है ।

12. ऊपर चर्चित किए गए कारणों से इस आवेदन को बिना किसी गुणागुण के होने पर खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

(2012) 1 दा. नि. प. 247 जम्मू-कश्मीर

बलवंत राज

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

तारीख 29 दिसंबर, 2011

न्यायमूर्ति विरेन्दर सिंह और न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अत्तार

रणबीर दंड संहिता संवत्, 1989 – धारा 302 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 25] – हत्या – यदि अभियोजन पक्ष घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य और अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तो अभियुक्त हत्या और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दायी है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि घटना की तारीख 28 मई, 1999 है । घटना घटने का स्थान सेशन न्यायालय परिसर, रियासी के नजदीक है, घटना घटने का समय 8.30 बजे पूर्वाह्न है । मृतक का नाम सोमदत्त **उर्फ** सोमू पुत्र छजु राम निवासी जम्मू है । घटना की सूचना पुलिस को घटना की तारीख को 8.40 बजे पूर्वाह्न प्राप्त हुई थी । यह सूचना किसी विश्वसनीय स्रोत से मिली थी । उसी दिन रणबीर दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत 1999 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 71 पुलिस थाना, रियासी में दर्ज की गई

थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट (न्यायिक मजिस्ट्रेट) प्रथम श्रेणी, रियासी द्वारा तारीख 29 मई,1999 को 1.45 बजे अपराह्न प्राप्त की गई थी । हमलावर का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतक सोमदत्त जो कटरा में कार्य करता था, न्यायालय परिसर, रियासी की ओर किसी मामला में हाजिर होने के लिए जा रहा था । लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न जब वह न्यायालय परिसर के प्रवेश गेट से गुजर रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो पहले ही न्यायालय के परिसर में मौजूद था, उसके नजदीक आया और उसने एक छोटे आयुध (अंततोगत्वा विदेशी पिस्तौल के रूप में उसे पाया गया) से गोली चला दी और यह गोली सोमदत्त की छाती के बाईं ओर लगी जिसकी क्षति के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उसके शव को अपराध के स्थान से अस्पताल ले जाया गया था । पुलिस थाना, रियासी का भारसाधक अधिकारी दलजीत सिंह (अभि. सा.) ने अन्वेषण किया तथा अस्पताल पर पहुंचा और उसने डा. मोहिन्द्र कुमार (अभि. सा.) द्वारा शव की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की । उसने मृतक के रक्त-रंजित कपड़े तथा मृतक के रक्त का नमूना भी कब्जे में लिया था । इन सभी सामग्रियों को नायब तहसीलदार द्वारा बाद में पुनः मोहरबंद किया गया था । घटना के स्थान से एक खाली कारतूस जो केएफ 7.65 एमएम चिह्न का था, उसे अभिगृहीत किया गया था और इसे भी मोहरबंद किया गया । घटना के स्थान का कच्चा नक्शा भी तैयार किया गया था । जब तक थाना भारसाधक अधिकारी दलजीत सिंह के पास अन्वेषण रहा तब तक वह मुख्य हमलावर की पहचान के बारे में कोई सुराग प्राप्त नहीं कर सका । तारीख 12 जून, 1999 को सं. सी.बी/8928-31 के आदेश द्वारा वर्तमान मामले का अन्वेषण अपराध शाखा जम्मू को सौंपा गया था । शमशेर सिंह संब्याल (अभि. सा.) निरीक्षक अपराध शाखा ने तारीख 13 जून, 1999 को अपने जिम्मे अन्वेषण का कार्य लिया था । उसने कतिपय साक्षियों के कथन को अभिलिखित किया जो मामले के तथ्यों से परिचित थे । अपने अन्वेषण के दौरान निरीक्षक शमशेर सिंह ने दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. साक्षियों) के कथनों से कुछ सुरागों का पता लगा था । उसके पश्चात् यह प्रकट हुआ है कि तारीख 28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त को बी. सी. रोड, जम्मू पर अवस्थित 'कश्मीर टूर और ट्रेवल एजेंसी' के कार्यालय के नजदीक गिरफ्तार किया गया था । उसकी औपचारिक गिरफ्तारी पूर्वोक्त दीप शर्मा और बृज मोहन के शनाख्त करने पर की गई थी जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं । अन्य दो साक्षी

अर्थात् सुखदेव सिंह और अजय कुमार गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे । उसकी गिरफ्तारी के समय पर अभियुक्त के कब्जे से पिस्तौल तथा चार सक्रिय कारतूस बरामद हुए थे जिन्हें अभिगृहीत भी किया गया था और पूर्वोक्त साक्षियों की मौजूदगी में मोहरबंद भी किया गया था । यह इटली में बना हुआ पिस्तौल है जिस पर 2.65 केलिब्र सं. 9291 अंकित है । अभियुक्त से अभिकथित चार कारतूस बरामद किए गए थे जो केएफ 7.65 चिह्न की उक्त पिस्तौल की मेगजीन में थे । पिस्तौल तथा चार सक्रिय कारतूस तथा खाली कारतूस घटनास्थल से बरामद करके अभिगृहीत किए गए थे, तत्पश्चात् उन्हें विशेषज्ञ की राय के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । एस. एच. बुखारी (अभि. सा.) ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । अभियुक्त की शिनाख्त से आश्वस्त होने के लिए निरीक्षक शमशेर सिंह ने तारीख 30 जुलाई, 1999 को तहसीलदार रियासी के समक्ष अभियुक्त की शिनाख्त परेड की जिसमें उसकी रियासी न्यायालयों में अर्जी नवीस कृष्ण कुमार, राजेश सिंह, सुरेन्द्र कुमार और मनोहर लाल ने शिनाख्त की थी । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि वर्तमान अभियुक्त ने भारत भूषण से संबंधित सियलो यान सं. डीएल-1जेड-0314 से न्यायालय परिसर रियासी में यात्रा की थी और भारत भूषण फरार अभियुक्त है । जिस यान को अंततः अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह द्वारा उसके घर से कब्जे में लिया गया था । बलवंत राज पुत्र अनंत राम, निवासी बछयाल, तहसील और जिला जम्मू (इसमें इसके पश्चात् उसे 'अभियुक्त' कहा गया है) द्वारा फाइल किए गए 2007 के दांडिक अपील सं. 19 का इस निर्णय में निपटारा किया गया है, रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्धि भोगने के पश्चात्; तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (राज्य संहिता) की धारा 374 के अंतर्गत 207 की पुष्टिकरण सं. 6 भेजी गई थी । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल दांडिक अपील फाइल की गई । राज्य ने भी दंड की पुष्टि के लिए आवेदन किया । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले के सही परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् न्यायालय का विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ है । उस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हम अभियोजन पक्षकथन के सभी

महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा का अनुसरण करते हुए श्री सेठी विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को संज्ञान में लेकर मामले में हस्तक्षेप करेंगे । मामले की पुनरावृत्ति करते हुए न्यायालय अभियोजन पक्षकथन की पृष्ठभूमि की संक्षेप में सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए विचार करेगा । जब दीप शर्मा, बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू, कृष्ण कुमार - अर्जी नवीस की तारीख 28 मई, 1999 को पुलिस थाना रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा परीक्षा की गई थी तब घटना की तारीख जैसाकि दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू द्वारा उन दोनों पक्षों के बीच सामूहिक बदले लेने की भावना के बारे में अन्वेषण अभिकरण को बताया था । यह भी प्रकट किया गया था कि वर्तमान घटना से 7-8 मास पूर्व नरेन्द्र कुमार **उर्फ** नंदी और एक अन्य व्यक्ति ने पिस्तौल से सोमदत्त (अब मृतक) पर हमला किया था । उसके पश्चात् हमलावर पकड़े गए थे । उस घटना में सोमदत्त मृतक के हाथ पर क्षति पहुंची थी और यह भी प्रकट हुआ है कि एक-दूसरे समूह ने सोमदत्त (अब मृतक) को सहारा दिया था और वर्तमान घटना से 15-16 दिन पूर्व भारत भूषण फरार अभियुक्त ने दीप शर्मा को फोन कर सोमदत्त को समर्थन न देने के बारे में धमकी दी थी । उसके द्वारा तथ्य के बारे में मृतक को भी बताया गया था । मुख्य घटना के बारे में दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू ने उप-निरीक्षक दलजीत के समक्ष यह कथन किया था कि सोमदत्त मृतक उन दोनों अभि. साक्षियों को न्यायालय परिसर में टाटा सूमो से ले गया था क्योंकि उसे मामले में हाजिर होना था । मृतक और दीप शर्मा न्यायालय की तरफ गए जबकि बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू यान के नजदीक खड़ा रहा । तब दोनों साक्षियों ने मुख्य हमलावर के रंगरूप के बारे में पूरी तरह वृत्तांत दिया जिसने अपने द्वारा लाई गई पिस्तौल से अत्यधिक निकट से मृतक पर गोली चलाई । दोनों साक्षी मृतक को अस्पताल भी ले गए थे । वे उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा घटनास्थल से बरामद किए गए खाली कारतूसों की बरामदगी के भी साक्षी हैं । अभिलेख पर यह भी प्रकट है कि तारीख 28 जुलाई, 1999 तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया था जबकि इस तारीख को पूर्वोक्त दो साक्षियों की मौजूदगी में उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई थी तथा दो अन्य साक्षी अर्थात् सुखदेव सिंह और अजय कुमार गुप्ता जो मैसर्स कश्मीर होलीडे टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय में बैठे थे, जिस स्थान के नजदीक अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई है । दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू अभि. साक्षियों द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त की गई । जब वे अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह के साथ पहले से ही थे । केवल उनकी शिनाख्त

किए जाने पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया था । सुखदेव सिंह और अजय कुमार गुप्ता अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी के समय पर उसके कब्जे से पिस्तौल और चार सक्रिय कारतूस के बरामदगी के साक्षी भी हैं । इसके पश्चात्, तारीख 30 जुलाई, 1999 को राजेश सिंह और सुरेन्द्र कुमार अभि. साक्षियों की मौजूदगी में नायब तहसीलदार अमर सिंह, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रियासी के कार्यालय में शिनाख्त परेड की गई थी । इस संबंध में कार्यवाहियां ई. एक्स. पी. डब्ल्यू. ए. एस. लिखी गई थीं । न्यायालय विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सेठी द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करना समाप्त करता है और मुख्य साक्षी अर्थात् दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू जो घटना के अविश्वसनीय साक्षी हैं, पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि तारीख 28 जुलाई, 1999 को जब अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी की गई थी तब अभियोजन पक्ष के पास अपराध को किए जाने के बारे में अभियुक्त को संबंधित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था । वास्तव में, श्री सेठी द्वारा प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत को आक्षेपित करते हुए अभियोजन पक्षकथन पर पूर्ण रूप से प्रहार किया गया है । न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि घटना के साक्षियों में से एक अर्थात् कृष्ण कुमार – अर्जी नवीस जो घटना के समय पर न्यायालय परिसर में था, उसने अभिकथित अपराध को किए जाने के संबंध में अभियुक्त की शिनाख्त को नियत करने के बारे में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । किसी भी दशा में अश्वनी कुमार के साक्ष्य की मामले में किसी भी प्रकार की सुसंगति नहीं है क्योंकि वह मुख्य घटना का साक्षी नहीं है । इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन में प्रारंभिक रूप से दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू के साक्ष्य की ओर इंगित किया गया है, जिनमें से एक अर्थात् दीप शर्मा मृतक का नातेदार है क्योंकि वह मृतक की माता की सगी बहिन का पुत्र है, दूसरा एक अन्य व्यक्ति अर्थात् बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू मृतक का नजदीकी मित्र है । न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि दीप शर्मा केवल मृतक द्वारा चलाए जा रहे होटल विक्रांत जो कटरा में स्थित था, कार्य करता था । क्या उनके साक्ष्य में इन सभी कारकों की कमी है, जब इस बारे में विश्वसनीयता का न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई जिस पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि ये साक्षी घटना के सच्चे साक्षी नहीं हैं जैसाकि न्यायालय को प्रतीत हुआ है या दो समूहों के बीच सामूहिक चल रही प्रतिद्वंद्विता के कारण अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए घटना के साक्षी के रूप में उनको खरीदा गया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर न्यायालय को विचार करना है । विद्वान् ज्येष्ठ

अधिवक्ता श्री सेठी द्वारा इस मामले में अन्वेषण अभिकरण द्वारा किए गए विलंब के बारे में पुरजोर दलील दी है क्योंकि मामले का अन्वेषण तारीख 13 जून, 1999 को अपराध शाखा को सौंपा गया था जहां पर तारीख 28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त की गिरफ्तारी दिखाई गई है और ऐसे विलंब से अभियोजन पक्षकथन गहरे संदेह के घेरे में आ जाता है । यह सही है कि किसी कारण से अन्वेषण अभिकरण द्वारा विलंब से अन्वेषण किया गया, सामान्यतया, इसमें संदेह प्रकट होता है और घटिया प्रकृति से किए गए अन्वेषण के बारे में न्यायालय के विवेक में संदेह पैदा होता है । किंतु ऐसा वैयक्तिक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है । ऐसा प्रत्येक मामले में और अलग-अलग होना नहीं कहा जा सकता है जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी विलंब से हुई हो या अन्वेषण अभिकरण द्वारा मामले में अन्वेषण किए जाने में हुए विलंब के बारे में कुछ कमी दिखाई गई हो, इसका फायदा अभियुक्त को जाएगा । वर्तमान मामले में जो कुछ भी न्यायालय की जानकारी में आया है, वास्तविकता यह है कि साक्षी किसी भी हमलावर के नाम उनके माता-पिता के बारे में नहीं जानते थे, वे केवल फरार अभियुक्त भारत भूषण को जानते थे जिसकी मृतक से दुश्मनी चल रही थी । इसलिए, दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू अभि. साक्षियों के कथन घटना की तारीख को पुलिस थाने रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । इन साक्षियों द्वारा उसे यह भी बताया गया था कि एक व्यक्ति विशिष्ट कद और ऊंचाई का जिसके हाथ में अग्न्यायुध था, उक्त अग्न्यायुध से एक गोली चलाई गई और विशिष्ट दिशा की ओर वह भाग गया जिसका बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू द्वारा पीछा किया गया था और वह व्यक्ति मृतक के साथ था और अभियुक्त का पीछा दीप शर्मा द्वारा भी किया गया जो टाटा सूमो के बगल पर खड़ा था । उस समय केवल हमलावर के रूप रंग के बारे में उप-निरीक्षक दलजीत सिंह को बताया गया था । जहां तक फरार अभियुक्त भारत भूषण का संबंध है, तारीख 28 मई, 1999 को उसका नाम लिया जाना उचित था जबकि घटना के हेतु और तथ्यों का जो चित्रण किया है कि भारत भूषण ने मृतक सोमदत्त का साथ देने से रोकने के लिए दीप शर्मा को धमकाया भी था । इसके पश्चात्, अन्वेषण अपराध शाखा को सौंपा गया था और निरीक्षक शमशेर सिंह ने तारीख 13 जून, 1999 को अन्वेषण का जिम्मा लिया था तथा भारत भूषण और मुख्य हमलावर को तलाशने का कार्य प्रारंभ किया । भारत भूषण अभियुक्त के विरुद्ध चालान फाइल करने तक पकड़ा नहीं जा सका था । तथापि,

निरीक्षक शमशेर सिंह ने तारीख 22 सितंबर, 1999 को भारत भूषण से संबंधित सियलो कार जिसकी सं. डीएल-1जेड-0314 है, बरामदगी ज्ञापन ई. एक्स. पी. डब्ल्यू. एस. एस. द्वारा कब्जे में ली । यह कार भारत भूषण अभियुक्त के मकान से बरामद की गई थी । यह कार्य केवल 28 जुलाई, 1999 को हुआ जब निरीक्षक शमशेर सिंह अभियुक्त को तलाश कर रहा था और उसने दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू अभि. साक्षियों के साथ मैसर्स कश्मीर होलीडे टूर एंड ट्रेवल्स के नजदीक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था क्योंकि इन साक्षियों को मुख्य हमलावर के रूप रंग के बारे में पहले ही पता था । इसलिए, उन्हें उसकी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । न्यायालय इस बारे में थोड़ी भी त्रुटि नहीं पाता है । यदि अभियोजन अभिकरण अभियुक्त के किसी कारण से अंतर्वलित नहीं होने पर भी उसके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई तब किसी प्रकार भी अपराध शाखा को अन्वेषण के पश्चात् तत्काल अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी को दर्शित करने के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई थी जिसे तारीख 13 जून, 1999 या कुछ समय पश्चात् निरीक्षक शमशेर को सौंप दिया गया था । यह गिरफ्तारी अन्वेषण का जिम्मा लेने के डेढ़ माह पश्चात् हुई थी । श्री सेठी ने यह भी दलील दी कि अभियुक्त पहले ही उनकी अभिरक्षा में था । वस्तुतः इससे यह दर्शित हुआ है कि अन्वेषण अति ऋजुतापूर्वक और सच्चाई के साथ चल रहा था । अभियोजन पक्ष का प्रथम प्रयत्न फरार अभियुक्त भारत भूषण को पकड़ना था जिसका सोमदत्त को खत्म करने का हेतु था और केवल इस गिरफ्तारी के पश्चात् अभियोजन अभिकरण मुख्य हमलावर के नामों के अन्य सुराग प्राप्त कर सकता था । चूंकि वह पकड़ा नहीं जा सका, अन्वेषण अभिकरण तब तक पूरी तरह असहाय था जब तक कि अभियुक्त को तारीख 28 जुलाई, 1999 को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया । यदि न्यायालय मुख्य दो साक्षी अर्थात् दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू की केवल इस दृष्टिकोण के साक्ष्य की परीक्षा करे तब न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है कि ये दो साक्षी अत्यधिक विश्वसनीय साक्षी हैं जिन्होंने घटना के बारे में हमें सत्य विवरण दिया है क्योंकि यह घटना उनके समक्ष घटी जिसमें उनका कोई हेतु या बुरी इच्छा नहीं है । इसलिए, इस मामले में किसी कारण से अभियुक्त की गिरफ्तारी में यदि विलंब भी हुआ है तो न्यायालय का विचारित मत यह है कि इससे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित पक्षकथन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बदले में, इससे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अविश्वसनीय साक्षी नहीं होंगे । ऐसा कोई कठोर नियम

नहीं है कि विलंब से हमेशा अभियोजन पक्षकथन को कोई फर्क पड़ेगा । निःसंदेह, दीप शर्मा मृतक का निकट का नातेदार है क्योंकि वह मृतक की माता की सगी बहिन का पुत्र है और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. सा.) मृतक का मित्र रहा है परंतु केवल इस तथ्य से वे अविश्वसनीय नहीं बन जाएंगे । यह सुस्थिर है कि ऐसी प्रकृति के साक्ष्य की अधिकांशतया सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए जिसकी न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई है । अभिलेख पर उनके साक्ष्य का बारीकी से मूल्यांकन करने के पश्चात् न्यायालय ने इन दोनों साक्षियों के कथनों में कोई आधारभूत कमी नहीं पाई है जिससे कि वे अविश्वसनीय हो जाएं । वस्तुतः, उन्होंने न्यायालय में बिना किसी कथनों में परिवर्तन किए अभियोजन पक्षकथन को पेश किया है । निःसंदेह घटना का तीसरा साक्षी अर्थात् कृष्ण कुमार अर्जी-नवीस ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसलिए, उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । किंतु इस तथ्य से अभियोजन पक्षकथन के सारभूत ढांचे को न्यूनाधिक नुकसान से यह प्रकट हुआ है कि उसे किसी प्रकार नुकसान भी नहीं पहुंचा है । अभियुक्त को अपराध में सम्मिलित करने के लिए अभियोजन के साक्ष्य का एक अन्य समूह जिसमें राजेश सिंह और सुरिन्द्र कुमार अभि. साक्षियों का साक्ष्य है जिन्होंने फरार अभियुक्त भारत भूषण को सियलो कार चलाते हुए देखा था और अभियुक्त उसकी बगल पर बैठा हुआ था । ये दोनों साक्षी अभियुक्त भारत भूषण को पहले से ही जानते थे और अन्वेषण के दौरान उन्होंने अन्वेषण अभिकरण को इस तथ्य के बारे में बताया था । ये साक्षी शिनाख्त परेड में भी अभियुक्त की पहचान कर सके हैं । अन्वेषण के इस भाग की कमी के बारे में श्री सेठी ने राजेश सिंह के कथन की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसने यह कथन किया है कि घटना के दो मास पश्चात् उसे पुलिस थाना रियासी में बुलाया गया था जहां उसने अभियुक्त की शिनाख्त की थी । उसने सुरिन्द्र कुमार के कथन की ओर भी न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसने शिनाख्त परेड के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । न्यायालय श्री सेठी की दलील को कुछ महत्व देता है और यह मत व्यक्त करता है कि इस पहलू पर शायद अभियोजन पक्षकथन का अविश्वसनीय आधार है । परंतु न्यायालय के विचारित मत से ऐसी दुर्बलता इस कारण से अभियोजन पक्षकथन को कमजोर नहीं करेगी कि मुख्य साक्षी जिन्होंने न्यायालय परिसर के बाहर मृतक पर गोली चलाते हुए अभियुक्त को देखा था और उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियुक्त के रंग-रूप का पूरा वर्णन किया था, कि उन्होंने तारीख

28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त की वास्तविक रूप से पहचान की थी जिस तथ्य को न्यायालय के समक्ष भी प्रकट किया है । यह प्रकट हुआ है कि अन्वेषण के दौरान जब इस बात को अन्वेषण अभिकरण के समक्ष प्रकट किया गया कि राजेश सिंह और सुरिन्द्र कुमार ने अभियुक्त को अपनी सियलो कार चलाते देखे जाने का उल्लेख किया था जिसमें अभियुक्त उसकी बगल पर बैठा हुआ दिखाई दिया, अन्वेषण अधिकारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से शिनाख्त परेड किए जाने के साक्ष्य की पूर्ण श्रृंखला प्रकट की है जिसमें उसने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है । यदि ऐसा हुआ है तो यह तथ्य शेष रह जाता है कि दो मुख्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षी का साक्ष्य से जिसका इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, अपराध के स्थान पर अभियुक्त की शिनाख्त किया जाना पर्याप्त रूप से सिद्ध हुआ है । श्री सेठी द्वारा चिकित्सा साक्ष्य के दृष्टिकोण से अभियोजन पक्षकथन को नष्ट करने के लिए पुरजोर बल दिया है और यह कथन किया है कि चिकित्सा साक्ष्य से प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत पूर्णतया गायब हो जाता है । प्रथमदृष्ट्या उसकी दलील किसी प्रकार आकर्षित प्रतीत होती है किंतु जब शवपरीक्षण रिपोर्ट और शवपरीक्षण करने वाले डाक्टर का साक्ष्य की सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाता है तब उसकी दलील खारिज किए जाने योग्य है । क्षतियों की बारीकी से परीक्षा करने पर यह प्रकट हुआ है कि जब अभियुक्त ने पिस्तौल से मृतक पर हमला किया, तब मृतक की छाती के बाईं ओर दाहिने हाथ पर नैसर्गिक प्रतिक्रिया हुई होगी । ऐसी स्थिति में अत्यधिक नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती है । मृतक के दाहिने हाथ की करतल सतह के कोमल ऊतक का गोली से अस्थिभंग हुआ है और उसी दिशा में वक्ष केज़ का अस्थिभंग हुआ है तथा फेफड़े के ऊतक को चीरते हुए अंतरापर्शुक स्पेस के आर-पार तथा नाक के मूल पर गलशिरा के भी आर-पार हुआ है और इसके पश्चात् यह रीढ़ (कशेरुका) में निश्चित तौर पर घुसी हुई है । इस बात की तब तक पुष्टि नहीं हो सकती जब तक कि शवपरीक्षण के डाक्टर द्वारा कशेरुका का भी विच्छेदन न किया गया हो या शरीर की रीढ़ का एक्स-रे नहीं लिया गया हो । वर्तमान मामले में अकस्मात रूप से डाक्टर द्वारा कशेरुका की चीर-फाड़ नहीं की गई है जिसने शव-परीक्षा की थी । इससे यह कारण प्रकट हआ है कि डा. मोहिन्द्र कुमार जब साक्षी कठघरे में खड़े हुए तब प्रतिरक्षा काउंसेल ने मृतक के शरीर के अंदर सीसा होने के बारे में डाक्टर से कोई विनिर्दिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया, उत्तर में उसने शव के अंदर कोई सीसे का टुकड़ा नहीं पाया था और न वहां पर कोई कणिकाएं मौजूद थीं । निश्चित तौर पर इस कारण से छाती के बाईं

ओर क्षति पर कोई प्रविष्ट घाव नहीं था कि कशेरुका में सीसा घुसा होगा। क्या इस मामले में कशेरुका की चीर-फाड़ की गई थी, शव-परीक्षा के डाक्टर द्वारा सीसा किसी अन्य स्थान पर पाया जाना हो सकता है। न्यायालय का यह मत है कि शव-परीक्षा ऐसी रीति में नहीं की गई है जिस कार्य को वर्तमान मामले में किया जाना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह जाना जाता है कि यह मामला अग्न्यायुध क्षति का है। इस मामले में किसी न किसी रूप से अविश्वसनीय दृष्टिकोण अपनाए जाना दर्शित है जिससे डाक्टर को ऐसे अभ्यास से बचना चाहिए क्योंकि उसकी राय का कुछ महत्व होना चाहिए, यद्यपि, न्यायालय इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है जिस तरह इसे प्रकट किया गया है। न्यायालय ने मूल विचारण न्यायालय के अभिलेख से जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला है यह एक अवस्था है, अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह ने डा. मोहिन्दर कुमार से स्पष्टीकरण चाहा है जो मृतक के वक्ष के बाईं ओर पर क्षति सं. 3 के बारे में शवपरीक्षा का डाक्टर है, विनिर्दिष्टतः कि मृतक के वक्ष से गोली की बरामदगी न होने के संबंध में तब डाक्टर ने यह स्पष्टीकरण दिया कि गोली की बरामदगी न होने का कारण यह हो सकता है कि वर्टेबर्ल कालम की रेखा में अधिकतर गोली की दिशा में बदलाव आ जाता है क्योंकि इसका वर्टेबर्ल में लगना हो सकता है। दुर्भाग्यवश डाक्टर द्वारा दी गई उक्त राय जो अभिलेख पर उपलब्ध है, राज्य की ओर से मामले पर कार्यवाही करते हुए लोक अभियोजक द्वारा उसके समक्ष यह प्रश्न नहीं रखा गया और न ऐसा कोई विनिर्दिष्ट प्रश्न इस संबंध में डाक्टर की मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा गया। इससे यह दर्शित हुआ है कि डाक्टर जिन्होंने शवपरीक्षण किया था, यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि सीसा/गोली अपनी दिशा बदल सकती है और वर्टेबर्ल कालम में घुस सकती है। क्या उसके द्वारा वर्टेबर्ल का विच्छेदन किया गया था तथा मेरुरज्जु के एक्स-रे में भी इस स्थिति के बारे में तनिक भी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और स्पष्ट स्थिति हमारे समक्ष रखी गई। उसी समय डाक्टर द्वारा सीसे की कणिकाएं के मुड़ने के बारे में व्यक्त की गई राय न्यायालय को तनिक भी उचित प्रतीत नहीं होती। जब गोली अत्यधिक निकट से चलाई गई है और संभवतः अल्प अवधि के अंतर्गत शव-परीक्षा की गई थी। डाक्टर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में परिकल्पित कथन किया जाना प्रतीत होता है। न्यायालय वर्तमान परिस्थितियों के समूह को स्वीकार नहीं करता है। वास्तव में, श्री सेठी द्वारा तात्विक साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच दी गई दलील स्वतः असंगत प्रतीत होती है जिस पर न्यायालय का विचारित मत

यह है कि न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियां अत्यधिक निकट से केवल एक गोली के चलाने के परिणामस्वरूप हैं जो अभियुक्त से बरामद की गई पिस्तौल से संभव है । श्री सेठी द्वारा निम्न स्तर के अन्वेषण के बारे में संदेह पैदा करने के लिए अंतिम प्रयास किया गया, खासतौर पर पिस्तौल और सक्रिय कारतूसों की बरामदगी के संबंध में, न्यायालय का यह मत है कि इससे उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा । निःसंदेह घटना की तारीख 28 मई, 1999 को घटनास्थल से पुलिस थाना रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा खाली कारतूस बरामद किया गया था जबकि पिस्तौल और चार सक्रिय कारतूस अभियुक्त की गिरफ्तारी 28 जुलाई, 1999 को होने के बाद अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे । इन सभी सामग्री को सहायक उप-निरीक्षक छत्तर सिंह के माध्यम से तारीख 6 अगस्त, 1999 को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । यह भी सही है कि वह इस तथ्य को साबित करने के लिए साक्षी कठघरे में खड़ा नहीं हुआ । पुलिस थाना के मालखाने के भारसाधक अधिकारी जिसने अपनी अभिरक्षा में तारीख 6 अगस्त, 1999 तक खाली कारतूस रखे थे, वह भी साक्षी कठघरे में खड़ा नहीं हुआ । न्यायालय इस संबंध में अन्वेषक अभिकरण की ओर से कमी पाता है । सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत वाद सम्पत्ति को परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजने में अत्यधिक विलंब नहीं होना चाहिए था । कम से कम खाली कारतूस जो घटना की तारीख को बरामद किया गया था, उसे बिना समय गंवाए भेजा जाना चाहिए था और इसे अपराध के आयुध के साथ भेजने के लिए पुलिस थाने पर रखा जाना चाहिए था जो निकट भविष्य में ही बरामद हुआ था जिससे न्यायालय के विवेक में निश्चित तौर पर संदेह प्रकट हो सकता है । न्यायालय की जानकारी में यह आया है कि अभियुक्त से बरामद किए गए अपराध का मुख्य आयुध, और अन्य सामग्री (वाद सम्पत्ति) में हेरफेर हो सकती है जो पुलिस की अभिरक्षा पहले से ही हैं और जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है । ऐसे अभ्यास से बचना चाहिए । कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि जब तक अपराध का मुख्य आयुध बरामद नहीं हो जाता है तब तक सक्रिय कारतूस या खाली कारतूस की विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा नहीं की जाती है परंतु उसे उसी समय यदि पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है और उस बारे में उचित अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया जाता है तब उसमें हेरफेर करने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । कतिपय मामलों में यह अति नुकसानदायक कारक हो सकता

है । वर्तमान मामले में यद्यपि अन्वेषक अधिकारी की ओर से ऐसी कमी अभिलेख पर प्रकट है तो भी न्यायालय का विचारित मत यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करना उसके आधार पर फर्क नहीं डालता जिसे अभिलेख पर उपलब्ध अन्य अकाट्य साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया गया है । यह सुस्थापित है कि अभियोजन पक्षकथन को अन्यथा साबित कर दिया जाए उसे केवल आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाकर या अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटिया अन्वेषण किया जाना मानकर बाहर नहीं किया जाना चाहिए । अन्वेषक अधिकारी द्वारा न्याय को कठपुतली नहीं बनाया जाना चाहिए । अभियोजन पक्षकथन का सम्पूर्ण ताने-बाने का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जिसका मामले में न्यायोचित निष्कर्ष निकाले जाने के लिए बारीकी से विचार में लिया जाना चाहिए । इस प्रकार, हमारे द्वारा निष्कर्ष निकालते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल हुआ है, इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध पहले ही अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है । तद्नुसार, न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय की सम्पूर्ण रूप से अभिपुष्टि करता है । (पैरा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 और 52)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 19, 2011 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 11 और 2007 की सी./डब्ल्यू. पुष्टिकरण सं. 6.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उधमपुर द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलार्थियों की ओर से अपील फाइल की गई तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन 2007 की पुष्टिकरण सं. 06 भेजी गई ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री सुनील सेठी, ज्येष्ठ अधिवक्ता साथ में अजीज मेहराब, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ए. एच. काजी, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विरेन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – बलवंत राज पुत्र अनंत राम, निवासी बछ्याल, तहसील और जिला जम्मू (इसमें इसके पश्चात् उसे 'अभियुक्त' कहा गया है) द्वारा फाइल किए गए 2007 के दांडिक अपील सं. 19 का इस निर्णय में निपटारा किया गया है, रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्धि भोगने के पश्चात्; तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (राज्य संहिता) की धारा 374 के अंतर्गत 207 की पुष्टिकरण सं. 6 भेजी गई थी ।

2. यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत भूषण **उर्फ** पप्पू पुत्र मणि राम जो वर्तमान अभियुक्त का सह-अभियुक्त है, उसे पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जा सका । इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अधीन कार्यवाही की । विचारण के समाप्ति तक निष्कर्ष निकाले जाने तक अर्थात् जुलाई, 2007 तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था जो बात आक्षेपित निर्णय से स्वतः प्रकट है । श्री काजी ने यह कथन किया है कि उसे आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है । यहां पर यह उल्लेख करना भी अपेक्षित है कि अभियुक्त ने सेशन न्यायालय, रियासी से मामले को अंतरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है क्योंकि उसको यह आशंका है कि उसे परिवादी-पक्षकार द्वारा मिटाया जा सकता है । परिणामस्वरूप, वर्तमान मामला विचारण के लिए सेशन न्यायाधीश, उधमपुर को अंतरित किया गया है जहां उसे अब दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया ।

3. रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अधिरोपित दंडादेश में कठोर आजीवन कारावास तथा 50,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने की रकम का व्यतिक्रम करने पर उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया; आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन 5 वर्ष के कारावास का दंडादेश तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने की रकम का संदाय में व्यतिक्रम करने पर 2 मास का कारावास भोगने का भी दंड दिया गया । तथापि, दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था ।

4. अभियोजन पक्षकथन :

घटना की तारीख 28 मई, 1999 है । घटना घटने का स्थान सेशन न्यायालय परिसर, रियासी के नजदीक है, घटना घटने का समय 8.30 बजे

पूर्वाह्न है । मृतक का नाम सोमदत्त **उर्फ** सोमू पुत्र छजु राम निवासी जम्मू है । घटना की सूचना पुलिस को घटना की तारीख को 8.40 बजे पूर्वाह्न प्राप्त हुई थी । यह सूचना किसी विश्वसनीय स्रोत से मिली थी । उसी दिन रणबीर दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 1999 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 71 के अधीन पुलिस थाना, रियासी में दर्ज की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट (न्यायिक मजिस्ट्रेट) प्रथम श्रेणी, रियासी द्वारा तारीख 29 मई, 1999 को 1.45 बजे अपराह्न प्राप्त की गई थी । हमलावर का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है ।

5. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतक सोमदत्त जो कटरा में कार्य करता था, न्यायालय परिसर, रियासी की ओर किसी मामला में हाजिर होने के लिए जा रहा था । लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न जब वह न्यायालय परिसर के प्रवेश गेट से गुजर रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो पहले ही न्यायालय के परिसर में मौजूद था, उसके नजदीक आया और उसने एक छोटे आयुध (अंततोगत्वा विदेशी पिस्तौल के रूप में उसे पाया गया) से गोली चला दी और यह गोली सोमदत्त की छाती के बाईं ओर लगी जिसकी क्षति के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उसके शव को अपराध के स्थान से अस्पताल ले जाया गया था ।

6. पुलिस थाना, रियासी का भारसाधक अधिकारी दलजीत सिंह (अभि. सा.) ने अन्वेषण किया तथा अस्पताल पर पहुंचा और उसने डा. मोहिन्द्र कुमार (अभि. सा.) द्वारा शव की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की । उसने मृतक के रक्त-रंजित कपड़े तथा मृतक के रक्त का नमूना भी कब्जे में लिया था । इन सभी सामग्रियों को नायब तहसीलदार द्वारा बाद में पुनः मोहरबंद किया गया था । घटना के स्थान से एक खाली कारतूस जो केएफ 7.65 एमएम चिह्न का था, उसे अभिगृहीत किया गया था और इसे भी मोहरबंद किया गया । घटना के स्थान का कच्चा नक्शा भी तैयार किया गया था । जब तक थाना भारसाधक अधिकारी दलजीत सिंह के पास अन्वेषण रहा तब तक वह मुख्य हमलावर की पहचान के बारे में कोई सुराग प्राप्त नहीं कर सका ।

7. तारीख 12 जून, 1999 को सं. सी.बी./8928-31 के आदेश द्वारा वर्तमान मामले का अन्वेषण अपराध शाखा जम्मू को सौंपा गया था । शमशेर सिंह संब्याल (अभि. सा.) निरीक्षक अपराध शाखा ने तारीख 13 जून, 1999 को अपने जिम्मे अन्वेषण का कार्य लिया था । उसने कतिपय

साक्षियों के कथन को अभिलिखित किया जो मामले के तथ्यों से परिचित थे । अपने अन्वेषण के दौरान निरीक्षक शमशेर सिंह ने दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. साक्षियों) के कथनों से कुछ सुरागों का पता लगा था । उसके पश्चात् यह प्रकट हुआ है कि तारीख 28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त को बी. सी. रोड, जम्मू पर अवस्थित 'कश्मीर टूर और ट्रेवल एजेंसी' के कार्यालय के नजदीक गिरफ्तार किया गया था । उसकी औपचारिक गिरफ्तारी पूर्वोक्त दीप शर्मा और बृज मोहन के शनाख्त करने पर की गई थी जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं । अन्य दो साक्षी अर्थात् सुखदेव सिंह और अजय कुमार गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे । उसकी गिरफ्तारी के समय पर अभियुक्त के कब्जे से पिस्तौल तथा चार सक्रिय कारतूस बरामद हुए थे जिन्हें अभिगृहीत भी किया गया था और पूर्वोक्त साक्षियों की मौजूदगी में मोहरबंद भी किया गया था । यह इटली में बना हुआ पिस्तौल है जिस पर 2.65 केलिब्र सं. 9291 अंकित है । अभियुक्त से अभिकथित चार कारतूस बरामद किए गए थे जो केएफ 7.65 एमएम चिह्न की उक्त पिस्तौल की मैगजीन में थे । पिस्तौल तथा चार सक्रिय कारतूस तथा खाली कारतूस घटनास्थल से बरामद करके अभिगृहीत किए गए थे, तत्पश्चात् उन्हें विशेषज्ञ की राय के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । एस. एच. बुखारी (अभि. सा.) ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

8. अभियुक्त की शिनाख्त से आश्वस्त होने के लिए निरीक्षक शमशेर सिंह ने तारीख 30 जुलाई, 1999 को तहसीलदार रियासी के समक्ष अभियुक्त की शिनाख्त परेड की जिसमें उसकी रियासी न्यायालयों में अर्जी नवीस-कृष्ण कुमार, राजेश सिंह, सुरेन्द्र कुमार और मनोहर लाल ने शिनाख्त की थी ।

9. अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि वर्तमान अभियुक्त ने भारत भूषण से संबंधित सियलो यान सं. डीएल 1जेड 0314 से न्यायालय परिसर रियासी में यात्रा की थी और भारत भूषण फरार अभियुक्त है । जिस यान को अंततः अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह द्वारा उसके घर से कब्जे में लिया गया था ।

10. हेतु :

यह मामला भाड़े पर हत्यारे को लेने के पश्चात् की गई हत्या का है जिसमें अभियुक्त की सेवाएं फरार अभियुक्त भारत भूषण द्वारा ली गई थीं । मृतक सोमदत्त और फरार अभियुक्त भारत भूषण के बीच किसी कारण से

लंबे समय से दुश्मनी थी और वे दोनों गैंगस्टर भी थे । इस प्रकार उनके बीच गैंग दुश्मनी भी थी । दोनों समूह एक-दूसरे को मिटाने में लगे हुए थे, ऐसे हमले की जिम्मेदारी दोनों प्रतिद्वन्द्वी समूहों द्वारा ली जाती थी । विधि प्रवर्तनीय अभिकरण ने भारत भूषण के भाई नरेन्द्र कुमार को उसके दो साथी अर्थात् नारद और बाबू लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किया था । सोमदत्त की हत्या करने के लिए भारत भूषण ने अभियुक्त को नियुक्त किया था । इस कार्यवाही के लिए भारत भूषण ने उसे दो लाख रुपए देने का वचन दिया था । अन्वेषण में यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त कई मामलों में विचारण का सामना कर रहा था और उसने मुकदमेबाजी के लिए हर तरह की सहायता और खर्चों को वहन करने का वचन दिया था । भारत भूषण द्वारा हत्या किए जाने के लिए उसे पिस्तौल भी दी गई थी । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि घटना के पूर्व भारत भूषण अपने यान सियलो से रियासी कस्बे पर अभियुक्त को लाया था जिसे उस स्थान की पहचान करने के लिए उसे टैक्सी के रूप में चला रहा था, जहां पर न्यायालय परिसर अवस्थित था और उसने हत्या किए जाने के पश्चात् भागने के लिए कतिपय रास्तों का प्रयोग किया था ।

11. घटना के प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत :

प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत के अनुसार घटना की तारीख को मृतक टाटा सूमो यान से दीप शर्मा और बृज मोहन अभि. साक्षियों के साथ न्यायालय में अपने मामले में हाजिर होने के लिए रियासी आया हुआ था । मृतक के पास दोनाली बंदूक थी क्योंकि उसे भारत भूषण द्वारा अपने जीवन को छीन लेने की आशंका थी । न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व मृतक ने दीप शर्मा से न्यायालय परिसर के बाहर यान खड़े किए जाने के स्थान के नजदीक खड़े होने के लिए कहा था । जब वह बृज मोहन (अभि. सा.) के साथ न्यायालय भवन की ओर अग्रसर हो रहा था तब कृष्ण कुमार अर्जी-नवीस (अभि. सा.) आकस्मिक रूप से उनके साथ सम्मिलित हुआ था जब वह न्यायालय परिसर के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश कर रहा था तब अभियुक्त जो पहले ही न्यायालय परिसर में मौजूद था, दौड़कर उसके पास पहुंचा और काफी नजदीक से उसके वक्ष के बाईं ओर गोली चला दी । अभियुक्त सड़क की ओर भाग गया जिसका बृज मोहन (अभि. सा.) द्वारा पीछा किया गया था । उसने दीप शर्मा (अभि. सा.) से उसका पीछा करने के लिए भी कहा था । तथापि, दोनों अभिसाक्षी उसे पकड़ नहीं सके क्योंकि वह सड़क पर घूम रहे कई व्यक्तियों के बीच में जा घुसा और अंततः दृष्टि से ओझल हो गया । सोमदत्त की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और उसे अंततः

अस्पताल ले जाया गया ।

12. चूंकि भारत भूषण आरोप पत्र फाइल करने तक गिरफ्तार नहीं हो सका । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अधीन कार्यवाही की गई । अन्वेषण कार्य पूरा होने पर केवल वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । उसे अपराधों के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उसे अब दोषसिद्ध किया गया ।

13. यद्यपि अभियोजन पक्ष ने सभी तरह से 28 साक्षियों के अन्वेषण के दौरान परीक्षा की जो बात साक्षियों की सूची से प्रकट है, भेजे गए चालान से केवल 17 साक्षियों की विचारण के दौरान परीक्षा की गई थी । अभियोजन पक्षकथन का अच्छी तरह मूल्यांकन करने पर मुख्य साक्षियों को परीक्षा के लिए भिन्न-भिन्न समूहों में रखा जा सकता है ।

14. घटना के मुख्य साक्षी दीप शर्मा, बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू, कृष्ण कुमार अर्जी-नवीस है । अश्वनी कुमार (अभि. सा.) का न्यायालय परिसर में होना प्रकट है किंतु वह घटना का साक्षी नहीं है । उसने अन्वेषण के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह न्यायालय परिसर में मौजूद था और शोरगुल सुनने के पश्चात् उसकी जानकारी में यह बात आई थी कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है जिसका नाम सोमदत्त **उर्फ** सोनू था । कृष्ण कुमार और अश्वनी कुमार ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया ।

15. दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू साक्षी अभियुक्त की गिरफ्तारी के भी साक्षी हैं । सुखदेव सिंह और अजय कुमार गुप्ता साक्षी इस प्रभाव के साक्षी हैं जो विशिष्ट तारीख अर्थात् 28 जुलाई, 1999 को विशिष्ट समय पर मैसर्स कश्मीर टूर एण्ड ट्रैवल्स के कार्यालय में बैठे हुए थे।

16. सुरिन्दर कुमार और राजेश सिंह (अभि. सा.) साक्षी हैं जिन्होंने घटना की तारीख को भारत भूषण के यान सियलो सं. डीएल 1जेड 0314 के स्टेरिंग पर फरार अभियुक्त भारत भूषण के बगल पर अभियुक्त को बैठा हुआ देखा था । ये वे साक्षी हैं जिन्होंने अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह द्वारा अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी के पश्चात् उसकी शिनाख्त की । शिनाख्त परेड अमर सिंह तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) की मौजूदगी में की गई थी । मनोहर लाल नामक व्यक्ति शिनाख्त परेड किए जाने के समय पर अभियोजन अभिकरण के साथ सम्मिलित हुआ था।

17. गुरुचरण सिंह, कृष्ण सिंह, मनोहर लाल (अभि. साक्षियों) मृतक

के साथ भारत भूषण की पूर्व दुश्मनी को प्रकट करने के साक्षी हैं ।

18. डा. मोहिन्दर कुमार शव-परीक्षा का चिकित्सक है और उन्होंने शव-परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श एम. के. तैयार की थी जहां पर न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श एस. एच. बुखारी (अभि. सा.) द्वारा तैयार की गई थी ।

19. जैसाकि पहले ही कहा गया है वर्तमान मामले का अन्वेषण प्रारंभ में पुलिस थाने रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत सिंह (अभि. सा.) द्वारा किया गया था और इसके पश्चात् अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह ने जैसाकि इसमें ऊपर पहले ही वर्णित किया गया है, विस्तृत रूप से अन्वेषण किया ।

20. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्षकथन विस्तृत और संक्षिप्त रूप से रखा गया ।

21. अभियुक्त द्वारा बताया गया मामला जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता (राज्य संहिता) की धारा 342 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया, उसमें यह पाया गया कि उसने अभियोजन पक्षकथन से पूर्णतया इनकार किया है । उसके अनुसार उसके कब्जे से कभी भी कोई पिस्तौल बरामद नहीं की गई थी । सभी साक्षियों ने उसे मिथ्या रूप से फंसाने के लिए उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया । तथापि, अभियुक्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया ।

22. हमने अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सुनील सेठी जिसकी श्री अयाज़ मेहराब द्वारा सहायता की गई थी तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री ए. एच. काज़ी को सुना । हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख की बारीकी से भी पुनः परिशीलन किया ।

23. श्री सेठी द्वारा अभियोजन पक्ष पर प्रथमतः यह आक्षेप किया कि यह विवेकशून्य हत्या है जिसे दीप शर्मा और बृज मोहन अभि. साक्षियों को खरीद कर उनके प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत से हत्या के मामले के रूप में परिवर्तित किया गया है । ये दोनों साक्षी मृतक के अति निकट के नातेदार हैं; दीप शर्मा मृतक की माता की सगी बहिन का पुत्र है तथा कटरा में उसके होटल पर भी कर्मचारी था तथा बृज मोहन मृतक का करीबी दोस्त था । अधिकतर स्वतंत्र साक्षी कृष्ण कुमार - अर्जी नवीस जो जिला न्यायालय रियासी में तैनात था, ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

इससे पूर्वोक्त दोनों साक्षियों की मौजूदगी के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा होता है। श्री सेठी ने यह भी दलील दी कि अश्वनी कुमार जिसे न्यायालय परिसर में होना बताया गया है, वह घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा, उसने अभियोजन पक्षकथन का किसी प्रकार भी समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि घटना के पूर्वोक्त दो साक्षी जो अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं सिर्फ इस एकमात्र उद्देश्य से लाए गए कि अभियोजन पक्षकथन फरार अभियुक्त के पता न चल पाने की वजह से चल नहीं पाता क्योंकि पुलिस फरार अभियुक्त भारत भूषण को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी ।

24. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक अपनी दलील देते हुए इस मामले में विलंब किए जाने पर बल दिया क्योंकि घटना 28 मई, 1999 से संबंधित है जबकि तारीख 13 जून, 1999 तक अपराध शाखा को अन्वेषण अंतरित नहीं किया गया था और निरीक्षक शमशेर सिंह द्वारा मामले में जब अन्वेषण किया गया तब पुलिस थाना, रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत के समक्ष घटना के बारे में कोई भी साक्षी अभिसाक्ष्य देने के लिए नहीं पहुंचा और इसके पश्चात् अपराध शाखा को अन्वेषण का जिम्मा दिया गया था तब दीप शर्मा और दो अन्य व्यक्ति अर्थात् बृज मोहन और कृष्ण कुमार - अर्जी नवीस ने अपने को घटना के साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। मामले में इतना अत्यधिक विलंब अति प्रारंभ से अभी तक किया गया तथा अन्वेषण निम्न स्तर का प्रकट होता है । इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह एक ऐसा मामला है जिसमें सुविधापूर्वक यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए किया गया था जिस पर अभियोजन पक्षकथन के अनुसार फरार अभियुक्त भारत भूषण का अभियुक्त मित्र था ।

25. श्री सेठी ने दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू साक्षियों के कथनों में सतही तौर पर कतिपय विभेदों का भी उल्लेख किया है जो उसके अनुसार महत्वपूर्ण है और मामले के तह तक जाते हैं और ऐसे विभेद उन साक्षियों के बारे में हैं जो घटना के अविश्वसनीय साक्षी हैं ।

26. तब श्री सेठी ने यह दलील दी कि यद्यपि अमर सिंह कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शिनाख्त परेड की गई थी, यह एक औपचारिकता थी क्योंकि अभियुक्त पहले ही पुलिस अभिरक्षा में था और उसे चेहरा ढ़ककर कभी भी पेश नहीं किया गया था । तहसीलदार के कार्यालय में शिनाख्त परेड की परीक्षा रखे जाने से पूर्व उसे इन साक्षियों को दिखाया

गया होगा, अभियोजन पक्ष के अनुसार साक्षियों ने घटना की तारीख को भारत भूषण को सियलो कार में बैठा हुआ देखा था, कम से कम इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । तब विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियुक्त को दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू अभि. साक्षियों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया जाना दिखाया गया है जो निरीक्षक शमशेर सिंह के साथ पूरे दिन साथ रहे थे । इसलिए, शिनाख्त परेड परीक्षा में अभियुक्त की शिनाख्ती एक बहानेबाजी है । सुरिन्द्र कुमार (अभि. सा.) एक दूसरा साक्षी जिसने अभियुक्त को भारत भूषण की सियलो कार में देखा था, ने अपनी मौजूदगी में शिनाख्त परेड किए जाने के बारे में कुछ भी नहीं बोला । राजेश कुमार जिसने भारत भूषण के सियलो कार में भी अभियुक्त देखा था, ने यह कथन किया है कि घटना के दो माह पश्चात् पुलिस थाने में शिनाख्त की कार्यवाही की गई थी जिसमें उसने अभियुक्त की शिनाख्त की थी, जहां पर तहसीलदार अमर सिंह ने यह कथन किया है कि शिनाख्त परेड उसके कार्यालय में की गई थी । इन सभी बातों से विद्वान् काउंसेल के अनुसार शिनाख्त परेड में दुर्बलता प्रकट हुई है और इससे घटना के स्थान पर अभियुक्त की मौजूदगी को नियत करने के लिए अभियोजन पक्षकथन को किसी प्रकार भी समर्थन नहीं मिलता है ।

27. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि मृतक और फरार अभियुक्त भारत भूषण के बीच पूर्व की शत्रुता साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने दीप शर्मा (अभि. सा.) जो मृतक का निकट का नातेदार था, के अतिरिक्त दो स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् कृष्ण सिंह और मनोहर लाल **उर्फ** सोनू की परीक्षा की । मनोहर लाल ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसलिए, उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । इस साक्षी को तहसीलदार के समक्ष अभियुक्त की शिनाख्त किए जाने के संबंध में पेश किया गया था । इस बारे में भी इसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । कृष्ण सिंह और अन्य अभियोजन साक्षी का कथन मृतक और अभियुक्त भारत भूषण की पूर्व शत्रुता होने के बारे में दीप शर्मा (अभि. सा.) के कथन के प्रतिकूल हैं । इसलिए, अभिकथित अपराध को किए जाने के हेतु को पूर्णतया भी साबित नहीं किया गया है ।

28. श्री सेठी ने चिकित्सा साक्ष्य के मुकाबले प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत पर यह कहते हुए अत्यधिक बल दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में जो आधार लिया गया है, उसको चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूर्णतया विलोपित कर दिया गया है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत और चिकित्सा साक्ष्य के बीच पूर्ण

विचलन है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में जो आधार लिए गए हैं कि अभियुक्त ने एक गोली चलाई थी और पिस्तौल से निकट से चलाई गई थी जो पिस्तौल अभियुक्त के हाथों में थी जबकि शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि मृतक पर कम से कम दो गोलियां चलाई गईं न कि तीन। श्री सेठी ने अपनी दलील देते हुए यह निवेदन किया है कि क्षति सं. 1 दाहिने हाथ के बाहरी ओर है । यह एक प्रविष्ट घाव है और उसी हाथ के करतल की सतह पर प्रविष्ट घाव है । इससे यह उपधारणा प्रकट होती है कि चलाई गई गोली दाहिने हाथ के बाहरी ओर लगी थी जिससे हाथ में छेद हुआ था और करतल सतह पर प्रविष्ट घाव करते हुए बाहर निकली थी जबकि काफी नजदीक से गोली चली थी जिससे हाथ पर क्षति कायम हुई । इससे यह संभावना बननी चाहिए कि हड्डी का अस्थिभंग होना चाहिए था जबकि गोली आर-पार हो गई थी । मामले में ऐसी स्थिति नहीं है । इससे यह दर्शित हुआ है कि अपराध का आयुध उससे भिन्न है जिसके बारे में अभियुक्त के हाथों में देखा जाना अभिकथित है और तत्पश्चात् जिसकी बरामदगी की गई है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा घटनास्थल को चित्रित नहीं किया गया है । बदले में, इस आयुध की बरामदगी के सबूत को नष्ट किया गया है ।

29. क्षति सं. 3 के बारे में जो वक्ष के बाईं ओर है, उस पर श्री सेठी ने यह निवेदन किया है कि अलग-अलग क्षति है क्योंकि यह शरीर के अर्थात् बाईं ओर भिन्न-भिन्न भाग पर है । इससे फेफड़े के उत्तक तथा कंठिका नस का भंग हुआ है । वास्तव में, इस क्षति के बारे में घातक होना कहा गया है । शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह क्षति 'प्रवेश घाव' की तरह की नहीं है । डाक्टर के कथन के अनुसार उन्होंने शव-परीक्षा के समय पर शरीर में कोई लेड नहीं पाया । इसलिए, यह संदेहपूर्ण हो जाता है कि क्या क्षति सं. 3 जो वक्ष के बाईं ओर है, पिस्तौल द्वारा नजदीक से चलाई जा सकी थी । इससे पुनः अपराध में प्रयुक्त किए जाने वाले आयुध की प्रकृति के बारे में स्वतः ही जबाव मिल जाता है । वस्तुतः, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन अभिकरण द्वारा साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने के लिए अभियुक्त के पास पिस्तौल होने की बात थोपी गई है । श्री सेठी ने पुरजोर यह निवेदन किया है कि शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि मृतक को न केवल एक गोली लगी बल्कि एक से अधिक गोलियां लगी हैं । इससे प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत नष्ट हो जाता है ।

30. तब श्री सेठी ने यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष अभिकथित

अपराध के किए जाने में अभियुक्त से पिस्तौल और चार सक्रिय कारतूस की अभिकथित बरामदगी की श्रृंखला को जोड़ने में पूरी तरह विफल हुआ है, क्योंकि घटनास्थल से अभिकथित खाली कारतूस की बरामदगी होने पर उसे भेजने में प्रचुर रूप से विलंब हुआ है । इस संबंध में यह दलील दी गई कि खाली कारतूस घटना की तारीख को उप-निरीक्षक दलजीत सिंह ने अपने कब्जे में लिया था और तारीख 28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी की गई थी जबकि सम्पूर्ण सामग्री उप-निरीक्षक छत्तर सिंह के माध्यम से तारीख 6 अगस्त, 1999 को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजी गई थी जिसने साक्षी कठघरे में न तो इस बारे में कोई कार्यवाही प्रदर्शित की और न इस संबंध में अपना शपथपत्र दिया । खाली कारतूस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस के पास रहा और इसलिए, उसमें हेरफेर करने के अवसर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । क्या इस मामले में ऋजुपूर्ण अन्वेषण हुआ था, खाली कारतूस जिसे घटना की तारीख को घटनास्थल से लिया गया था, बिना समय गंवाए भेजा जाना चाहिए था तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई अभिकथित पिस्तौल और सक्रिय कारतूस को भेजा जा सकता था, इस मामले में इस कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया । केवल इतना ही नहीं मालखाने का भारसाधक जिसके कब्जे में पूरी तरह से खाली कारतूस था, उसने साक्षी कठघरे में न तो इस बारे में कोई कार्यवाही की और न उसने इस बारे में कोई शपथपत्र दिया कि यह सामग्री (वाद सम्पत्ति) उसके पास रही और उस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई । इसलिए, एस. एच. बुखारी (अभि. सा.) द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श ईएक्स-एसएच अभियोजन पक्ष की किसी भी तरह की कोई सहायता करता है जिससे कि हत्या के मुख्य अपराध को किए जाने के लिए अभियुक्त को संबंधित किया जा सके ।

31. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि पिस्तौल और चार सक्रिय कारतूसों की बरामदगी को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने मुख्यतया दो स्वतंत्र साक्षी अर्थात् अजय कुमार गुप्ता और सुखदेव सिंह के कथन का अवलंब लिया । उनकी मौजूदगी में अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी भी दर्शाई गई है । बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, के कथन का मूल्यांकन किए जाने पर उनके साक्ष्य एक-दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं । बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू को अभियुक्त की गिरफ्तारी का साक्षी दिखाया गया था, यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त की

औपचारिक गिरफ्तारी कागजात की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की गई थी जबकि वास्तव में वह पहले ही पुलिस की अभिरक्षा में था । इससे तारीख 28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त से की गई सम्पूर्ण बरामदगी का प्रभाव नष्ट होता है, इस प्रकार, आयुध अधिनियम का आरोप भी इस आधार पर विफल हो जाता है । विद्वान् काउंसेल ने अजय कुमार गुप्ता (अभि. सा.) के कथन में प्रकट हुई कुछ विभिन्नताओं की ओर भी इंगित किया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि पिस्तौल और सक्रिय कारतूसों की बरामदगी के संबंध में एक पैकेट तैयार किया गया था जबकि न्यायालयिक प्रयोगशाला में दो पैकेट प्राप्त किए गए थे ।

32. विद्वान् काउंसेल ने अंत में यह दलील दी कि घटनास्थल से कोई रक्त-रंजित मिट्टी कब्जे में नहीं ली गई थी और इसलिए, मृतक के कपड़े सीरम परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए, इस बात को किसी भी श्रृंखला से प्रकट नहीं किया गया है तथा अभिलेख पर सीरम रिपोर्ट भी साबित नहीं की गई है ।

33. अभियोजन पक्षकथन में पूर्वोक्त प्रकट हुई बातों की ओर इंगित करते हुए श्री सेठी ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल हुआ है जिससे कि उसे रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए । इस प्रकार, दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है ।

34. इसके विपरीत, विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री काज़ी ने यह दलील दी कि अभिकथित अपराध को किए जाने के संबंध में अभियुक्त को संबंधित करने का पक्षकथन पूर्ण रूप से साबित किया गया है । दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. साक्षियों) जो घटना के स्वतंत्र साक्षी हैं उनका अभियुक्त से कोई वैरभाव नहीं था । उन्होंने यह भी दलील दी कि यद्यपि कृष्ण कुमार - अर्जी नवीस (अभि. सा.) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, पूर्वोक्त दो साक्षियों का साक्ष्य विश्वासयोग्य है और श्री सेठी द्वारा उनके कथनों में इंगित की गई विभिन्नताएं गंभीर प्रकृति की नहीं हैं जो अभियोजन पक्षकथन को सम्पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाते हों ।

35. चिकित्सा साक्ष्य के बारे में श्री काज़ी ने यह दलील दी कि श्री सेठी द्वारा चिकित्सा साक्ष्य में प्रकट की गई बातें किसी भी तरह से निर्दोष प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत पर अभिभावी नहीं होती हैं । उनके अनुसार यह एक ऐसा

मामला है जिसमें अभियुक्त भारत भूषण (जो फरार है), उसकी काफी समय से मृतक से घोर शत्रुता चल रही थी, इसलिए, उसने मृतक को मिटाने के लिए अभियुक्त की सेवाएं ली थीं । इस प्रकार, श्री काज़ी ने विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखने के लिए अनुरोध किया है ।

36. चर्चा :

मामले के सही परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य पर मंथन करने के पश्चात् हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ है । उस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हम अभियोजन पक्षकथन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा का अनुसरण करते हुए श्री सेठी विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को संज्ञान में लेकर मामले में हस्तक्षेप करेंगे ।

37. मामले की पुनरावृत्ति करते हुए हम अभियोजन पक्षकथन की पृष्ठभूमि की संक्षेप में सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए विचार करेंगे । जब दीप शर्मा, बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू, कृष्ण कुमार - अर्जी नवीस (अभि. साक्षियों) की तारीख 28 मई, 1999 को पुलिस थाना रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा परीक्षा की गई थी तब घटना की तारीख जैसाकि दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. साक्षियों) द्वारा उन दोनों पक्षों के बीच सामूहिक बदले लेने की भावना के बारे में अन्वेषण अभिकरण को बताया था । यह भी प्रकट किया गया था कि वर्तमान घटना से 7-8 मास पूर्व नरेन्द्र कुमार **उर्फ** नंदी (अभि. सा.) और एक अन्य व्यक्ति ने पिस्तौल से सोमदत्त (अब मृतक) पर हमला किया था । उसके पश्चात् हमलावर पकड़े गए थे । उस घटना में सोमदत्त मृतक के हाथ पर क्षति पहुंची थी और यह भी प्रकट हुआ है कि एक-दूसरे समूह ने सोमदत्त (अब मृतक) को सहारा दिया था और वर्तमान घटना से 15-16 दिन पूर्व भारत भूषण फरार अभियुक्त ने दीप शर्मा को फोन कर सोमदत्त को समर्थन न देने के बारे में धमकी दी थी । उसके द्वारा तथ्य के बारे में मृतक को भी बताया गया था । मुख्य घटना के बारे में दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. सा.) ने उप-निरीक्षक दलजीत सिंह के समक्ष यह कथन किया था कि सोमदत्त मृतक उन दोनों अभि. साक्षियों को न्यायालय परिसर में टाटा सूमों से ले गया था क्योंकि उसे मामले में हाजिर होना था । मृतक और दीप शर्मा न्यायालय की तरफ गए जबकि बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू यान के

नजदीक खड़ा रहा । तब दोनों साक्षियों ने मुख्य हमलावर के रंगरूप के बारे में पूरी तरह वृत्तांत दिया जिसने अपने द्वारा लाई गई पिस्तौल से अत्यधिक निकट से मृतक पर गोली चलाई । दोनों साक्षी मृतक को अस्पताल भी ले गए थे । वे उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा घटनास्थल से बरामद किए गए खाली कारतूसों की बरामदगी के भी साक्षी हैं । अभिलेख पर यह भी प्रकट है कि तारीख 28 जुलाई, 1999 तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया था जबकि इस तारीख को पूर्वोक्त दो साक्षियों की मौजूदगी में उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई थी तथा दो अन्य साक्षी अर्थात् सुखदेव सिंह और अजय कुमार गुप्ता (अभि. सा.) जो मैसर्स कश्मीर होलीडे टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय में बैठे थे, जिस स्थान के नजदीक अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई है । दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू अभि. साक्षियों द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त की गई । जब वे अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह के साथ पहले से ही थे । केवल उनकी शिनाख्त किए जाने पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया था । सुखदेव सिंह और अजय कुमार गुप्ता (अभि. साक्षियों) अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी के समय पर उसके कब्जे से पिस्तौल और चार सक्रिय कारतूस के बरामदगी के साक्षी भी हैं । इसके पश्चात्, तारीख 30 जुलाई, 1999 को राजेश सिंह और सुरेन्द्र कुमार अभि. साक्षियों की मौजूदगी में नायब तहसीलदार अमर सिंह, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रियासी के कार्यालय में शिनाख्त परेड की गई थी । इस संबंध में कार्यवाहियां ई. एक्स. पी. डब्ल्यू. ए. एस. लिखी गई थीं ।

38. अब हम विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सेठी द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करना समाप्त करते हैं और मुख्य साक्षी अर्थात् दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. साक्षियों) जो घटना के अविश्वसनीय साक्षी हैं, पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त करते हैं कि तारीख 28 जुलाई, 1999 को जब अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी की गई थी तब अभियोजन पक्ष के पास अपराध को किए जाने के बारे में अभियुक्त को संबंधित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था । वास्तव में, श्री सेठी द्वारा प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत को आक्षेपित करते हुए अभियोजन पक्षकथन पर पूर्ण रूप से प्रहार किया गया है ।

39. हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि घटना के साक्षियों में से एक अर्थात् कृष्ण कुमार - अर्जी नवीस जो घटना के समय पर न्यायालय परिसर में था, उसने अभिकथित अपराध को किए जाने के संबंध में

अभियुक्त की शिनाख्त को नियत करने के बारे में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । किसी भी दशा में अश्वनी कुमार (अभि. सा.) के साक्ष्य की मामले में किसी भी प्रकार की सुसंगति नहीं है क्योंकि वह मुख्य घटना का साक्षी नहीं है । इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन में प्रारंभिक रूप से दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू के साक्ष्य की ओर इंगित किया गया है, जिनमें से एक अर्थात् दीप शर्मा (अभि. सा.) मृतक का नातेदार है क्योंकि वह मृतक की माता की सगी बहिन का पुत्र है, दूसरा एक अन्य व्यक्ति अर्थात् बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू मृतक का नजदीकी मित्र है । हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि दीप शर्मा (अभि. सा.) केवल मृतक द्वारा चलाए जा रहे होटल विक्रांत जो कटरा में स्थित था, कार्य करता था । क्या उनके साक्ष्य में इन सभी कारकों की कमी है, जब इस बारे में विश्वसनीयता का हमारे द्वारा परीक्षा की गई जिस पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि ये साक्षी घटना के सच्चे साक्षी नहीं हैं जैसाकि हमें प्रतीत हुआ है या दो समूहों के बीच सामूहिक चल रही प्रतिद्वंद्विता के कारण अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए घटना के साक्षी के रूप में उनको खरीदा गया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है ।

40. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सेठी द्वारा इस मामले में अन्वेषण अभिकरण द्वारा किए गए विलंब के बारे में पुरजोर दलील दी है क्योंकि मामले का अन्वेषण तारीख 13 जून, 1999 को अपराध शाखा को सौंपा गया था जहां पर तारीख 28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त की गिरफ्तारी दिखाई गई है और ऐसे विलंब से अभियोजन पक्षकथन गहरे संदेह के घेरे में आ जाता है ।

41. यह सही है कि किसी कारण से अन्वेषण अभिकरण द्वारा विलंब से अन्वेषण किया गया, सामान्यतया, इसमें संदेह प्रकट होता है और घटिया प्रकृति से किए गए अन्वेषण के बारे में न्यायालय के विवेक में संदेह पैदा होता है । किंतु ऐसा वैयक्तिक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है । ऐसा प्रत्येक और अलग-अलग होना नहीं कहा जा सकता है जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी विलंब से हुई हो या अन्वेषण अभिकरण द्वारा मामले में अन्वेषण किए जाने में हुए विलंब के बारे में कुछ कमी दिखाई गई हो, इसका फायदा अभियुक्त को जाएगा । वर्तमान मामले में जो कुछ भी हमारी जानकारी में आया है, वास्तविकता यह है कि साक्षी किसी भी हमलावर के नाम उनके माता-पिता के बारे में नहीं जानते थे, वे केवल

फरार अभियुक्त भारत भूषण को जानते थे जिसकी मृतक से दुश्मनी चल रही थी । इसलिए, दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू अभि. साक्षियों के कथन घटना की तारीख को पुलिस थाने रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । इन साक्षियों द्वारा उसे यह भी बताया गया था कि एक व्यक्ति विशिष्ट कद और ऊंचाई का जिसके हाथ में अग्न्यायुध था, उक्त अग्न्यायुध से एक गोली चलाई गई और विशिष्ट दिशा की ओर वह भाग गया जिसका बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू द्वारा पीछा किया गया था और वह व्यक्ति मृतक के साथ था और अभियुक्त का पीछा दीप शर्मा (अभि. सा.) द्वारा भी किया गया जो टाटा सूमो के बगल पर खड़ा था । उस समय केवल हमलावर के रंगरूप के बारे में उप-निरीक्षक दलजीत सिंह को बताया गया था । जहां तक फरार अभियुक्त भारत भूषण का संबंध है, तारीख 28 मई, 1999 को उसका नाम लिया जाना उचित था जबकि घटना के हेतु और तथ्यों का जो चित्रण किया है कि भारत भूषण ने मृतक सोमदत्त का साथ देने से रोकने के लिए दीप शर्मा (अभि. सा.) को धमकाया भी था । इसके पश्चात्, अन्वेषण अपराध शाखा को सौंपा गया था और निरीक्षक शमशेर सिंह ने तारीख 13 जून, 1999 को अन्वेषण का जिम्मा लिया था तथा भारत भूषण और मुख्य हमलावर को तलाशने का कार्य प्रारंभ किया । भारत भूषण अभियुक्त के विरुद्ध चालान फाइल करने तक पकड़ा नहीं जा सका था । तथापि, निरीक्षक शमशेर सिंह ने तारीख 22 सितंबर, 1999 को भारत भूषण से संबंधित सियलो कार जिसकी सं. डीएल 1जेड 0314 है, बरामदगी ज्ञापन ई. एक्स. पी. डब्ल्यू. एस. एस. द्वारा कब्जे में ली । यह कार भारत भूषण अभियुक्त के मकान से बरामद की गई थी । यह कार्य केवल 28 जुलाई, 1999 को हुआ जब निरीक्षक शमशेर सिंह अभियुक्त को तलाश कर रहा था और उसने दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू अभि. साक्षियों के साथ मैसर्स कश्मीर होलीडे टूर एंड ट्रेवल्स के नजदीक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था क्योंकि इन साक्षियों को मुख्य हमलावर के रंगरूप के बारे में पहले ही पता था । इसलिए, उन्हें उसकी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । हम इस बारे में थोड़ी भी त्रुटि नहीं पाते हैं । यदि अभियोजन अभिकरण अभियुक्त के किसी कारण से अंतर्वलित नहीं होने पर भी उसके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई तब किसी प्रकार भी अपराध शाखा को अन्वेषण के पश्चात् तत्काल अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी को दर्शित करने के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई थी जिसे तारीख 13 जून, 1999 या कुछ समय पश्चात् निरीक्षक शमशेर सिंह

को सौंप दिया गया था । यह गिरफ्तारी अन्वेषण का जिम्मा लेने के डेढ़ माह पश्चात् हुई थी । श्री सेठी ने यह भी दलील दी कि अभियुक्त पहले ही उनकी अभिरक्षा में था । वस्तुतः इससे यह दर्शित हुआ है कि अन्वेषण अति ऋजुतापूर्वक और सच्चाई के साथ चल रहा था । अभियोजन पक्ष का प्रथम प्रयत्न फरार अभियुक्त भारत भूषण को पकड़ना था जिसका सोमदत्त की हत्या करने का हेतु था और केवल इस गिरफ्तारी के पश्चात् अभियोजन अभिकरण मुख्य हमलावर के नामों के अन्य सुराग प्राप्त कर सकता था । चूंकि वह पकड़ा नहीं जा सका, अन्वेषण अभिकरण तब तक पूरी तरह असहाय था जब तक की अभियुक्त को तारीख 28 जुलाई, 1999 को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया । यदि हम मुख्य दो साक्षी अर्थात् दीप शर्मा और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू की केवल इस दृष्टिकोण से साक्ष्य की परीक्षा करें तब हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है कि ये दो साक्षी अत्यधिक विश्वसनीय साक्षी हैं जिन्होंने घटना के बारे में हमें सत्य विवरण दिया है क्योंकि यह घटना उनके समक्ष घटी जिसमें उनका कोई हेतु या बुरी इच्छा नहीं है । इसलिए, इस मामले में किसी कारण से अभियुक्त की गिरफ्तारी में यदि विलंब भी हुआ है तो हमारा विचारित मत यह है कि इससे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित पक्षकथन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बदले में, इससे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अविश्वसनीय साक्षी नहीं होंगे । ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि विलंब से हमेशा अभियोजन पक्षकथन को कोई फर्क पड़ेगा ।

42. निःसंदेह, दीप शर्मा (अभि. सा.) मृतक का निकट का नातेदार है क्योंकि वह मृतक की माता की सगी बहिन का पुत्र है और बृज मोहन **उर्फ** बिट्टू (अभि. सा.) मृतक का मित्र रहा है परंतु केवल इस तथ्य से वे अविश्वसनीय नहीं बन जाएंगे । यह सुस्थिर है कि ऐसी प्रकृति के साक्ष्य कि अधिकांशतया सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए जिसकी हमारे द्वारा परीक्षा की गई है । अभिलेख पर उनके साक्ष्य का बारीकी से मूल्यांकन करने के पश्चात् हमने इन दोनों साक्षियों के कथनों में कोई आधारभूत कमी नहीं पाई है जिससे कि वे अविश्वसनीय हो जाएं । वस्तुतः, उन्होंने न्यायालय में बिना किसी कथनों में परिवर्तन किए अभियोजन पक्षकथन को पेश किया है । निःसंदेह घटना का तीसरा साक्षी अर्थात् कृष्ण कुमार-अर्जी नवीस ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसलिए, इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । किंतु इस तथ्य से अभियोजन पक्षकथन के सारभूत ढांचे को न्यूनाधिक नुकसान से यह प्रकट

हुआ है कि उसे किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचा है ।

43. अभियुक्त को अपराध में सम्मिलित करने के लिए अभियोजन के साक्ष्य का एक अन्य समूह जिसमें राजेश सिंह और सुरिन्द्र कुमार अभि. साक्षियों का साक्ष्य है जिन्होंने फरार अभियुक्त भारत भूषण को सियलो कार चलाते हुए देखा था और अभियुक्त उसकी बगल पर बैठा हुआ था । ये दोनों साक्षी अभियुक्त भारत भूषण को पहले से ही जानते थे और अन्वेषण के दौरान उन्होंने अन्वेषण अभिकरण को इस तथ्य के बारे में बताया था । ये साक्षी शिनाख्त परेड में भी अभियुक्त की पहचान कर सके। अन्वेषण के इस भाग की कमी के बारे में श्री सेठी ने राजेश सिंह (अभि. सा.) के कथन की ओर हमारा ध्यान दिलाया जिसने यह कथन किया है कि घटना के दो मास पश्चात् उसे पुलिस थाना रियासी में बुलाया गया था जहां उसने अभियुक्त की शिनाख्त की थी । उसने सुरिन्द्र कुमार (अभि. सा.) के कथन की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया जिसने शिनाख्त परेड के बारे में कुछ भी नहीं कहा है ।

44. हम श्री सेठी की दलील को कुछ महत्व देते हैं और यह मत व्यक्त करते हैं कि इस पहलू पर शायद अभियोजन पक्षकथन का अविश्वसनीय आधार है । परंतु हमारे विचारित मत से ऐसी दुर्बलता इस कारण से अभियोजन पक्षकथन को कमजोर नहीं करेगी कि मुख्य साक्षी जिन्होंने न्यायालय परिसर के बाहर मृतक पर गोली चलाते हुए अभियुक्त को देखा था और उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियुक्त के रंगरूप का पूरा वर्णन किया था, कि उन्होंने तारीख 28 जुलाई, 1999 को अभियुक्त की वास्तविक रूप से पहचान की थी जिस तथ्य को न्यायालय के समक्ष भी प्रकट किया है । यह प्रकट हुआ है कि अन्वेषण के दौरान जब इस बात को अन्वेषण अभिकरण के समक्ष प्रकट किया गया कि राजेश सिंह और सुरिन्द्र कुमार ने अभियुक्त को अपनी सियलो कार चलाते देखे जाने का उल्लेख किया था जिसमें अभियुक्त उसकी बगल पर बैठा हुआ दिखाई दिया, अन्वेषण अधिकारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से शिनाख्त परेड किए जाने के साक्ष्य की पूर्ण श्रृंखला प्रकट की है जिसमें उसने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है । यदि ऐसा हुआ है तो यह तथ्य शेष रह जाता है कि दो मुख्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षी का साक्ष्य से जिसका इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, अपराध के स्थान पर अभियुक्त की शिनाख्त किया जाना, के आधार पर पर्याप्त रूप से सिद्ध हुआ है ।

45. श्री सेठी द्वारा चिकित्सा साक्ष्य के दृष्टिकोण से अभियोजन पक्षकथन को नष्ट करने के लिए पुरजोर बल दिया है और यह कथन किया है कि चिकित्सा साक्ष्य से प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत पूर्णतया गायब हो जाता है । प्रथमदृष्ट्या उसकी दलील किसी प्रकार आकर्षित प्रतीत होती है किंतु जब शवपरीक्षण रिपोर्ट और शवपरीक्षण करने वाले डाक्टर का साक्ष्य की सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाता है तब उसकी दलील खारिज किए जाने योग्य है ।

46. डा. मोहिन्दर कुमार द्वारा शव-परीक्षा के समय पर मृतक के शरीर पर पाई गईं क्षतियों का यहां पर उल्लेख करना सुसंगत होगा जो निम्न प्रकार हैं :–

"1. प्रविष्ट घाव

दाहिने हाथ के तर्जनी के पृष्ठीय सतह करभास्थि पर लगभग 2.20 से. मी. व्यास के गोलाई का घाव, उसके किनारे उलटे हुए थे तथा उसमें से रक्त टपक रहा था ।

2. प्रविष्ट घाव

दाहिने हाथ के तर्जनी के करतल पहलू करभास्थि क्षेत्र पर गोलाई का घाव जो आकार में 3.5 से. मी. व्यास का है, किनारे उलटे हुए उसमें से रक्त टपक रहा था ।

3. प्रविष्ट घाव

छाती पर गोलाईनुमा घाव । इसके स्तन रेखा के मध्य के अग्रवर्ती भाग पर 2.20 से. मी. के व्यास का घाव तथा द्वितीय अंतरापर्शुक स्पेस 1-1/2 से. मी. है ।"

47. क्षतियों की बारीकी से परीक्षा करने पर यह प्रकट हुआ है कि जब अभियुक्त ने पिस्तौल से मृतक पर हमला किया, तब मृतक की छाती के बाईं ओर दाहिने हाथ पर नैसर्गिक प्रतिक्रिया हुई होगी । ऐसी स्थिति में अत्यधिक नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती है । मृतक के दाहिने हाथ की करतल सतह के कोमल ऊतक का गोली से अस्थिभंग हुआ है और उसी दिशा में वक्ष केज़ का अस्थिभंग हुआ है तथा फेफड़े के ऊतक को चीरते हुए अंतरापर्शुक स्पेस के आर-पार तथा नाक के मूल पर गलशिरा के भी आर-पार हुआ है और इसके पश्चात् यह रीढ़ (कशेरुका) में निश्चित तौर पर घुसी हुई है । इस बात की तब तक पुष्टि नहीं हो सकती जब तक कि

शवपरीक्षण के डाक्टर द्वारा कशेरुका का भी विच्छेदन न किया गया हो या शरीर की रीढ़ का एक्स-रे नहीं लिया गया हो । वर्तमान मामले में अकस्मात रूप से डाक्टर द्वारा कशेरुका की चीर-फाड़ नहीं की गई है जिसने शव-परीक्षा की थी । इससे यह कारण प्रकट हुआ है कि डा. मोहिन्द्र कुमार जब साक्षी कठघरे में खड़े हुए तब प्रतिरक्षा काउंसेल ने मृतक के शरीर के अंदर सीसा होने के बारे में डाक्टर से कोई विनिर्दिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया, उत्तर में उसने शव के अंदर कोई सीसे का टुकड़ा नहीं पाया था और न वहां पर कोई कणिकाएं मौजूद थीं । निश्चित तौर पर इस कारण से छाती के बाईं ओर क्षति पर कोई प्रविष्ट घाव नहीं था कि कशेरुका में सीसा घुसा होगा । क्या इस मामले में कशेरुका की चीर-फाड़ की गई थी, शव-परीक्षा के डाक्टर द्वारा सीसा किसी अन्य स्थान पर पाया जाना हो सकता है । हमारा यह मत है कि शव-परीक्षा ऐसी रीति में नहीं की गई है जिस कार्य को वर्तमान मामले में किया जाना चाहिए इस बात को अच्छी तरह जाना जाता है कि यह मामला अग्न्यायुध क्षति का है । इस मामले में किसी न किसी रूप से अविश्वसनीय दृष्टिकोण अपनाए जाना दर्शित है जिससे डाक्टर को ऐसे अभ्यास से बचना चाहिए क्योंकि उसकी राय का कुछ महत्व होना चाहिए, यद्यपि, न्यायालय इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है जिस तरह इसे प्रकट किया गया है ।

48. हमने मूल विचारण न्यायालय के अभिलेख से जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला है यह एक अवस्था है, अपराध शाखा के निरीक्षक शमशेर सिंह ने डा. मोहिन्द्र कुमार से स्पष्टीकरण चाहा है जो मृतक के वक्ष के बाईं ओर पर क्षति सं. 3 के बारे में शव-परीक्षा का डाक्टर है, विनिर्दिष्टतः कि मृतक के वक्ष से गोली की बरामदगी न होने के संबंध में तब डाक्टर ने यह स्पष्टीकरण दिया कि गोली की बरामदगी न होने का कारण यह हो सकता है कि वर्टेबर्ल कालम की रेखा में अधिकतर गोली की दिशा में बदलाव आ जाता है क्योंकि इसका वर्टेबरा में लगना हो सकता है । दुर्भाग्यवश डाक्टर द्वारा दी गई उक्त राय जो अभिलेख पर उपलब्ध है, राज्य की ओर से मामले पर कार्यवाही करते हुए लोक अभियोजक द्वारा उसके समक्ष यह प्रश्न नहीं रखा गया और न ऐसा कोई विनिर्दिष्ट प्रश्न इस संबंध में डाक्टर की मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा गया । इससे यह दर्शित हुआ है कि डाक्टर जिन्होंने शवपरीक्षण किया था, यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि सीसा/गोली अपनी दिशा बदल सकती है और वर्टेबर्ल कालम में घुस सकती है । क्या उसके द्वारा वर्टेबरा का विच्छेदन किया गया था

तथा मेरूरज्जु के एक्स-रे में भी इस स्थिति के बारे में तनिक भी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और स्पष्ट स्थिति हमारे समक्ष रखी गई । उसी समय डाक्टर द्वारा सीसे की कणिकाएं के मुड़ने के बारे में व्यक्त की गई राय हमें तनिक भी उचित प्रतीत नहीं होती । जब गोली अत्यधिक निकट से चलाई गई है और संभवतः अल्प अवधि के अंतर्गत शव-परीक्षा की गई थी । डाक्टर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में परिकल्पित कथन किया जाना प्रतीत होता है । हम वर्तमान परिस्थितियों के समूह को स्वीकार नहीं करते हैं । वास्तव में, श्री सेठी द्वारा तात्विक साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच दी गई दलील स्वतः असंगत प्रतीत होती है जिस पर हमारा विचारित मत यह है कि हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि मृतक के शरीर पर पाई गईं क्षतियां अत्यधिक निकट से केवल एक गोली के चलाने के परिणामस्वरूप हैं जो अभियुक्त से बरामद की गई पिस्तौल से संभव है ।

49. श्री सेठी द्वारा निम्न स्तर के अन्वेषण के बारे में संदेह पैदा करने के लिए अंतिम प्रयास किया गया, खासतौर पर पिस्तौल और सक्रिय कारतूसों की बरामदगी के संबंध में, हमारा यह मत है कि इससे उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा । निःसंदेह घटना की तारीख 28 मई, 1999 को घटनास्थल से पुलिस थाना रियासी के उप-निरीक्षक दलजीत सिंह द्वारा खाली कारतूस बरामद किया गया था जबकि पिस्तौल और चार सक्रिय कारतूस अभियुक्त की गिरफ्तारी 28 जुलाई, 1999 को होने के बाद अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे । इस सभी सामग्री को सहायक उप-निरीक्षक छत्तर सिंह के माध्यम से तारीख 6 अगस्त, 1999 को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । यह भी सही है कि वह इस तथ्य को साबित करने के लिए साक्षी कठघरे में खड़ा नहीं हुआ । पुलिस थाना के मालखाने के भारसाधक अधिकारी जिसने अपनी अभिरक्षा में तारीख 6 अगस्त, 1999 तक खाली कारतूस रखे थे, वह भी साक्षी कठघरे में खड़ा नहीं हुआ । हम इस संबंध में अन्वेषक अभिकरण की ओर से कमी पाते हैं । सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत वाद सम्पत्ति को परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजने में अत्यधिक विलंब नहीं होना चाहिए था । कम से कम खाली कारतूस जो घटना की तारीख को बरामद किया गया था, उसे बिना समय गंवाए भेजा जाना चाहिए था और इसे अपराध के आयुध के साथ भेजने के लिए पुलिस थाने पर रखा जाना चाहिए था जो निकट भविष्य में ही बरामद हुआ था जिससे न्यायालय के विवेक में निश्चित तौर पर संदेह प्रकट हो सकता है । हमारी जानकारी में यह आया

है कि अभियुक्त से बरामद किए गए अपराध का मुख्य आयुध, और अन्य सामग्री (वाद सम्पत्ति) में हेरफेर हो सकती है जो पुलिस की अभिरक्षा में पहले से ही हैं और जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है । ऐसे अभ्यास से बचना चाहिए । कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि जब तक अपराध का मुख्य आयुध बरामद नहीं हो जाता है तब तक सक्रिय कारतूस या खाली कारतूस की विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा नहीं की जाती है परंतु उसे उसी समय यदि पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है और उस बारे में उचित अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया जाता है तब उसमें हेरफेर करने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । कतिपय मामलों में यह अति नुकसानदायक कारक हो सकता है । वर्तमान मामले में यद्यपि अन्वेषक अधिकारी की ओर से ऐसी कमी अभिलेख पर प्रकट है तो भी हमारा विचारित मत यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करना उसके आधार पर फर्क नहीं डालता जिसे अभिलेख पर उपलब्ध अन्य अकाट्य साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया गया है । यह सुस्थापित है कि अभियोजन पक्षकथन को अन्यथा साबित कर दिया जाए उसे केवल आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाकर या अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटिया अन्वेषण किया जाना मानकर बाहर नहीं किया जाना चाहिए । अन्वेषक अधिकारी के द्वारा न्याय को कोपभाजन नहीं बनाया जा सकता । अभियोजन पक्षकथन का सम्पूर्ण ताने-बाने का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जिसको मामले में न्यायोचित निष्कर्ष निकाले जाने के लिए बारीकी से विचार में लिया जाना चाहिए ।

50. हम यह मत व्यक्त करते हैं कि श्री सेठी द्वारा कतिपय साक्षियों के कथनों में इंगित किए गए विभेद को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि हमने सामूहिक रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन किया है । संदर्भ से बाहर किसी रेखा का अवलंब लेने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती ।

51. हमारे द्वारा अपनी चर्चा में किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को नहीं छोड़ा गया है ।

52. इस प्रकार हमारे द्वारा निष्कर्ष निकालते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल हुआ है, इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों के

संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध पहले ही अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है । तद्नुसार, हम विचारण न्यायालय के निर्णय की सम्पूर्ण रूप से अभिपुष्टि करते हैं ।

53. 2007 की दांडिक अपील सं. 19 को खारिज करते हैं । तद्नुसार, 2007 की पुष्टिकरण सं. 06 का भी उत्तर देते हैं ।

54. हम निर्णय को निपटाए जाने के पूर्व अभियोजन अभिकरण की ओर से अभियुक्त भारत भूषण को गिरफ्तार न किए जाने के प्रयास के बारे में अभियोजन अभिकरण द्वारा अविश्वसनीय दृष्टिकोण अपनाए जाने पर अत्यधिक गहरी चिंता प्रकट करते हैं, वर्तमान अभियुक्त का सह-अभियुक्त जो स्वछन्द रहा था जैसाकि राज्य के विद्वान् काउंसेल ने कथन किया है । इस बात को किसी प्रकार भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त भारत भूषण ने मौजूद अभियुक्त की भाड़े पर सेवा लेकर सोमदत्त **उर्फ** सोमू की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा था । यह भाड़े पर हत्या किए जाने का मामला है । यह प्रकट हुआ है कि अभियोजन अभिकरण वर्तमान अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित करके समाधान पर पहुंचा है और इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष ने भारत भूषण को गिरफ्तार करने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया । हमारे द्वारा ऐसे अपनाए गए दृष्टिकोण का मूल्यांकन नहीं किया गया । अतः हम पुलिस महानिरीक्षक जम्मू-कश्मीर (जम्मू प्रांत) इस मामले में छानबीन करने के लिए भेजते हैं और इस संबंध में आवश्यक निदेश पारित करते हैं । पुलिस महानिदेशक जम्मू-कश्मीर पुलिस को इस संबंध में भी सूचित किया जाएगा । आदेश की प्रति दोनों संबंधित मंडलों को भेजी जाएगी । इस न्यायालय के न्यायिक रजिस्ट्रार इस बारे में टिप्पण करेंगे ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

सुरजीत सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 7 मार्च, 2012

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति – जहां पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406, 323, 506 और 34 के अधीन पति के विरुद्ध दर्ज कराए गए मामले में पति और पत्नी के बीच विवाद में समझौता हो गया है और पत्नी ने दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने में कोई आक्षेप नहीं किया है वहां उच्च न्यायालय को धारा 482 के अधीन न्याय के प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 का तारीख 5 अप्रैल, 2000 को विवाह हुआ था और विवाह के उपरांत दो संतानों जिनमें से एक बालक जिसकी वर्तमान में आयु लगभग 9 वर्ष है और दूसरी पुत्री जिसकी आयु अब लगभग 7 वर्ष है, का जन्म हुआ था । पति-पत्नी के बीच पैदा हुई विषमताओं के कारण वे दोनों एक साथ नहीं रह सके । प्रत्यर्थी सं. 2 ने याची उसके पिता, माता और ननद के विरुद्ध विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद फाइल गया किया था कि याची के पिता ने उसकी शालीनता का अपमान करने की कोशिश की और प्रत्यर्थी सं. 2 से याची और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया । जुलाई, 2008 में प्रत्यर्थी सं. 2 अपने वैवाहिक गृह से चली गई थी तथा अपने माता-पिता के साथ रहने लगी । वहां से याची उसकी अभिरक्षा से पुत्र को ले गया । प्रत्यर्थी सं. 2 की शिकायत के आधार पर तारीख 2 सितंबर, 2008 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 पुलिस थाना, अंब में दर्ज की गई । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में याची और उसके कुटुंब के सदस्यों के विरुद्ध चालान पेश किया गया जो मामला 2009 का आपराधिक मामला सं. 13-II, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य के नाम से विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय

सं. 1 अंब के न्यायालय में लंबित है । प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने और अपनी पुत्री के भरणपोषण की मंजूरी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन याचिका भी फाइल की जिसे तारीख 3 दिसंबर, 2008 को विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मंजूर की । प्रत्यर्थी सं. 2 ने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब के समक्ष आदेश को प्रवर्तन में लाए जाने के लिए याचिका फाइल की । तथापि, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याची और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच तारीख 27 सितंबर, 2011 को लिखित समझौता भी हुआ था । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 29 सितंबर, 2011 को याचिका में यह कहते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना कथन किया कि मामले में समझौता हो गया है । वह भरणपोषण आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही करना नहीं चाहती है, इसलिए, इसे खारिज कर दिया गया । तारीख 27 सितंबर, 2011 के समझौते में पक्षकार इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 तथा दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन मामले लंबित हैं । याची द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को एकमुश्त रकम दी गई और पक्षकारों का पुत्र याची के साथ रहेगा । प्रत्यर्थी सं. 2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामले को वापस लेगी और वह दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी । इस परिस्थिति में तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 जो पुलिस थाना, अंब में दर्ज की गई थी तथा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों को अपास्त किया जा सके । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 3 नवंबर, 2011 को शपथपत्र दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामले में समझौता हो गया है और इसलिए, वह विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब के न्यायालय में लंबित दांडिक मामला को आगे बढ़ाने के लिए हितबद्ध नहीं है । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 तथा उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत कार्यवाहियों को अभिखंडित किए जाने के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया । नोटिस जारी किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 तारीख 19 दिसंबर, 2011 और 12 जनवरी, 2012 को न्यायालय में हाजिर हुई । तारीख 5 मार्च, 2012 को प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् काउंसेल ने हाजिर होकर यह कथन किया कि यदि याचिका मंजूर कर लिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है । इस बारे में यह भी निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 2 का तारीख 3 नवंबर, 2011 का शपथपत्र पहले ही अभिलेख पर है । याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 जिसे पुलिस थाना, अंब में दर्ज किया गया था और इसके तत्पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंब के न्यायालय में कार्यवाहियां लंबित थीं । याचिका में यह कथन किया गया कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने वैवाहिक विवाद पर समझौता कर लिया है । प्रत्यर्थी सं. 2 भरणपोषण आदेश से उद्भूत निष्पादन याचिका को वापस लेने के लिए सहमत हो गई थी । यह भी कथन किया गया है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 को एकमुश्त रकम का संदाय कर दिया था । पक्षकार इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि पुत्र याची के पास रहेगा । प्रत्यर्थी सं. 2 अपने द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत न्यायालय में लंबित दांडिक मामले पर आगे कार्यवाही नहीं करने के लिए सहमत हो गई थी । पक्षकारों के बीच तारीख 27 सितंबर, 2011 का समझौता अभिलेख पर रखा गया था । तारीख 3 नवंबर, 2011 के शपथपत्र में प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह कथन किया कि उसने अपने पति सुरजीत सिंह के साथ उठे विवाद पर समझौता कर लिया है तथा समझौते में अपने पति से एकमुश्त रकम प्राप्त कर ली है । पुत्री प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ रहेगी और पुत्र याची के पास रहेगा । प्रत्यर्थी सं. 2 अपने द्वारा दर्ज किया गया दांडिक मामला जो न्यायालय में लंबित है पर कार्यवाही करने के लिए हितबद्ध नहीं है । उसने अपने द्वारा फाइल किए गए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से कोई आपत्ति नहीं की और परिणामस्वरूप मामले में समझौता होने के कारण कार्यवाहियां अभिखंडित और अपास्त की गईं । तारीख 5 मार्च, 2012 को प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान् काउंसेल ने पुनः यह कथन किया कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच मामले में समझौता हो गया है और प्रत्यर्थी सं. 2 को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है यदि याचिका मंजूर किया जाता है । याची और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा लिए गए आधार को ध्यान में रखते हुए याची के विरुद्ध मामले को निरंतर चलाना संभवतया व्यर्थ प्रयोग करना होगा । यह प्रतीत हुआ है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके साक्षी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए, न्याय प्रशासन तंत्र स्वच्छ रखना चाहिए को ऐसी स्थिति जहां साक्षी को कतिपय विवशकारी कारणों से शपथ पर मिथ्या कथन करने की संभावना है तब ऐसी रीति में कार्य करना चाहिए कि जिससे न्याय के उद्देश्य की अधिकांशतया पूर्ति हो सके । ऐसा प्रतीत होता

है कि ऐसी स्थिति वर्तमान मामले में विद्यमान है । न्यायहित को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला है जहां तारीख 2 सितंबर, 2008 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 दंड संहिता की धारा 498-क, 406, 323, 506 और 34 के अधीन पुलिस थाना, अंब में रजिस्ट्रीकृत की गई और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत दांडिक कार्यवाहियां जो विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब के न्यायालय में लंबित हैं, अभिखंडित की जाती हैं । इसलिए, याचिका को मंजूर किया जाता है । दंड संहिता की धारा 498-क, 406, 323, 506 और 34 के अधीन तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 जिसे पुलिस थाना, अंब में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत दांडिक कार्यवाहियां जो विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब में लंबित हैं, अभिखंडित की जाती हैं । (पैरा 9, 10 और 11)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 10 एस. सी. सी. 705 : **शीजि** उर्फ **पप्पू और अन्य** बनाम **राधिका और एक अन्य** ;	7
[2004]	(2004) 2 एस. एल. सी. 5 : **राजेन्द्र सिंह और अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	8
[2003]	ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1386 : **बी. एस. जोशी और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य** ।	6

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक एमएमओ सं. 224.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री रमेश शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से सुश्री रूमा कौशिक, अपर महाधिवक्ता साथ में श्री जे. एस. राना, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से सुश्री सुलोचना कौंडल, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह – सुरजीत सिंह (पति) ने श्रीमती रेखा रानी, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दंड संहिता की धारा 498-क, 406, 323, 506 और 34 के अधीन पुलिस थाना, अंब में रजिस्ट्रीकृत तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 को अभिखंडित करने के लिए यह याचिका फाइल की गई और यह भी अनुरोध किया गया है कि तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 में न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए चालान से उद्भूत विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1 के न्यायालय में लंबित 2009 का मामला सं. 13-II को अभिखंडित किया जाए ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 का तारीख 5 अप्रैल, 2000 को विवाह हुआ था और विवाह के उपरांत दो संतान हुई थीं जिसमें से एक बालक जिसकी अब आयु लगभग 9 वर्ष है और दूसरी पुत्री जिसकी आयु अब लगभग 7 वर्ष है, का जन्म हुआ था । पति-पत्नी के बीच पैदा हुई विषमताओं के कारण वे दोनों एक साथ नहीं रह सके ।

3. प्रत्यर्थी सं. 2 ने याची उसके पिता, माता और ननद के विरुद्ध विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद फाइल किया था कि याची के पिता ने उसकी शालीनता का अपमान करने की कोशिश की । प्रत्यर्थी सं. 2 से याची और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था । जुलाई, 2008 में प्रत्यर्थी सं. 2 अपने वैवाहिक गृह से चली गई थी तथा अपने माता-पिता के साथ रहने लगी । वहां से याची उसकी अभिरक्षा से पुत्र को ले गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 की शिकायत के आधार पर तारीख 2 सितंबर, 2008 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 पुलिस थाना, अंब में दर्ज की गई थी । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में याची और उसके कुटुंब के सदस्यों के विरुद्ध चालान पेश किया गया था जो मामला 2009 का आपराधिक मामला सं. 13-II, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य के नाम से विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब के न्यायालय में लंबित है ।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने और अपनी पुत्री के भरणपोषण की मंजूरी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन याचिका भी फाइल की जिसे तारीख 3 दिसंबर, 2008 को विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर

किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 ने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब के समक्ष आदेश को प्रवर्तन में लाए जाने के लिए याचिका फाइल की । तथापि, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याची और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच तारीख 27 सितंबर, 2011 को लिखित समझौता भी हुआ था । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 29 सितंबर, 2011 को याचिका में यह कहते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना कथन किया कि मामले में समझौता हो गया है । वह भरणपोषण आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही करना नहीं चाहती है, इसलिए, इसे खारिज कर दिया गया ।

5. तारीख 27 सितंबर, 2011 के समझौते में पक्षकार इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 तथा दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन मामले लंबित हैं । याची द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को एकमुश्त रकम दी गई और पक्षकारों का पुत्र याची के साथ रहेगा । प्रत्यर्थी सं. 2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामले को वापस लेगी और वह दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी । इन परिस्थिति में तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 जो पुलिस थाना, अंब में दर्ज की गई थी तथा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों को अपास्त किया जा सके । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 3 नवंबर, 2011 को शपथपत्र दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामले में समझौता हो गया है और इसलिए, वह विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब के न्यायालय में लंबित दांडिक मामला को आगे बढ़ाने के लिए हितबद्ध नहीं है । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 तथा उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत कार्यवाहियों को अभिखंडित किए जाने के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया । नोटिस जारी किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 तारीख 19 दिसंबर, 2011 और 12 जनवरी, 2012 को न्यायालय में हाजिर हुई । तारीख 5 मार्च, 2012 को प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् काउंसेल ने हाजिर होकर यह कथन किया कि यदि याचिका मंजूर कर ली जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है । इस बारे में यह भी निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 2 का तारीख 3 नवंबर, 2011 का शपथपत्र पहले ही अभिलेख पर है ।

6. पक्षकारों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया । याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि पक्षकारों के बीच तारीख

27 सितंबर, 2011 को मामला तय हो चुका है, तारीख 27 सितंबर, 2011 के समझौते की प्रति अभिलेख पर रखी गई है । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 3 नवंबर, 2011 को शपथपत्र में जो शपथ ली थी जिसे याची द्वारा अभिलेख पर रखा गया है । **बी. एस. जोशी और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियां किसी भी रीति में संहिता की धारा 320 से नियंत्रित नहीं होती हैं ।

7. **शीजि** उर्फ **पप्पू और अन्य** बनाम **राधिका और एक अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है, जो निम्न प्रकार है :–

> "यह सुस्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन सामान्यतया ऐसा अपराध स्वतः शमनीय नहीं है, उच्च न्यायालय के पास ऐसा कारण नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति को प्रयोग में लाने से इनकार करे । हमारी यह राय है कि ऐसी शक्ति ऐसे मामलों में प्रयोग की जा सकती है जहां अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि को अभिलिखित करने का कोई अवसर नहीं है और विचारण के सम्पूर्ण ऐसे प्रयोग को अमल में लाया जाना व्यर्थ है । पक्षकारों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष या दूसरी ओर अपील में ऐसे अपराधों के शमन किए जाने के बीच सूक्ष्म विभेद है और उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी ओर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अभियोजन को अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना । जबकि कोई न्यायालय दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त के मामले में विचारण करता है या अपील की सुनवाई करता है तब वह इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर अपराध को शमन करने के लिए अनुज्ञात करे, ऐसे मामलों में जहां धारा 320 के अधीन अपराध शमनीय नहीं है, उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में भी अभियोजन को अभिखंडित कर सकेगा जहां ऐसे अपराध जिसके लिए अभियुक्त को गैर-शमनीय अपराधों से आरोपित किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उद्देश्य

---

[1] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1386.

[2] (2011) 10 एस. सी. सी. 705.

ऐसा नहीं है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 द्वारा नियंत्रित किया जाता हो ।"

8. दंड संहिता की धारा 498-क, 323, 506 और 109 के अधीन 1999 का दांडिक मामला सं. 178-1 विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (II), ऊना के न्यायालय में लंबित मामला है, ऐसे मामले को **राजेन्द्र सिंह और अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में पक्षकारों के बीच विवाद का समझौता हो जाने के पश्चात् विद्वान् एकल न्यायाधीश ने मामलों को अभिखंडित कर दिया और दंड संहिता की धारा 498-क, 34, 506 और 323 के अधीन विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंब के न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया गया था ।

9. वर्तमान मामले में, तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 जिसे पुलिस थाना, अंब में दर्ज किया गया था और इसके तत्पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंब के न्यायालय में कार्यवाहियां लंबित थीं । याचिका में यह कथन किया गया कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने वैवाहिक विवाद पर समझौता कर लिया है । प्रत्यर्थी सं. 2 भरणपोषण आदेश से उद्भूत निष्पादन याचिका को वापस लेने के लिए सहमत हो गई थी । यह भी कथन किया गया है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 को एकमुश्त रकम का संदाय कर दिया था । पक्षकार इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि पुत्र याची के पास रहेगा । प्रत्यर्थी सं. 2 अपने द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत न्यायालय में लंबित दांडिक मामले पर आगे कार्यवाही नहीं करने के लिए सहमत हो गई थी । पक्षकारों के बीच तारीख 27 सितंबर, 2011 का समझौता अभिलेख पर रखा गया था ।

10. तारीख 3 नवंबर, 2011 के शपथपत्र में प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह कथन किया कि उसने अपने पति सुरजीत सिंह के साथ उठे विवाद पर समझौता कर लिया है तथा समझौते में अपने पति से एकमुश्त रकम प्राप्त कर ली है । पुत्री प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ रहेगी और पुत्र याची के पास रहेगा । प्रत्यर्थी सं. 2 अपने द्वारा दर्ज किया गया दांडिक मामला जो न्यायालय में लंबित है पर कार्यवाही करने के लिए हितबद्ध नहीं है । उसने अपने द्वारा फाइल किए गए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से कोई आपत्ति नहीं की

[1] (2004) 2 एस. एल. सी. 5.

और परिणामस्वरूप मामले में समझौता होने के कारण कार्यवाहियां अभिखंडित और अपास्त की गईं । तारीख 5 मार्च, 2012 को प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान् काउंसेल ने पुनः यह कथन किया कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच मामले में समझौता हो गया है और प्रत्यर्थी सं. 2 को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है यदि याचिका मंजूर की जाती है ।

11. याची और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा लिए गए आधार को ध्यान में रखते हुए याची के विरुद्ध मामले को निरंतर चलाना संभवतया व्यर्थ प्रयोग करना होगा । यह प्रतीत हुआ है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके साक्षी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए, न्याय प्रशासन तंत्र स्वच्छ रखना चाहिए को ऐसी स्थिति जहां साक्षी को कतिपय विवशकारी कारणों से शपथ पर मिथ्या कथन करने की संभावना है तब ऐसी रीति में कार्य करना चाहिए कि जिससे न्याय के उद्देश्य की अधिकांशतया पूर्ति हो सके । ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति वर्तमान मामले में विद्यमान है । न्यायहित को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला है जहां तारीख 2 सितंबर, 2008 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 दंड संहिता की धारा 498-क, 406, 323, 506 और 34 के अधीन पुलिस थाना, अंब में रजिस्ट्रीकृत की गई और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत दांडिक कार्यवाहियां जो विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब के न्यायालय में लंबित है, अभिखंडित की जाती है । इसलिए, याचिका को मंजूर किया जाता है । दंड संहिता की धारा 498-क, 406, 323, 506 और 34 के अधीन तारीख 2 सितंबर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 190 जिसे पुलिस थाना, अंब में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से उद्भूत दांडिक कार्यवाहियां जो विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, अंब में लंबित हैं, अभिखंडित की जाती हैं ।

याचिका मंजूर की गई ।

आर्य

उत्तम चंद

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 20 मार्च, 2012

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क] – आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण – क्रूरता और तंग किया जाना – जहां मामले के दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य साक्षियों की गहन परीक्षा के पश्चात् यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने मृतका को शारीरिक और मानसिक क्रूरता पहुंचाई और तंग किया, जिससे मजबूर होकर उसे अपने विवाह के मात्र नौ माह के भीतर विष खाकर आत्महत्या करनी पड़ी, वहां अभियुक्त को धारा 306 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त के पुत्र श्री राकेश कुमार का विवाह तारीख 19 फरवरी, 2009 को मृतका सविता **उर्फ** सोनू, के साथ हुआ था । उक्त राकेश कुमार दिल्ली में कहीं प्राइवेट नौकरी करता था और मृतका गांव सुसनाल, तहसील घुमरविन में अपनी ससुराल में रह रही थी । मृतका ने तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को कीटनाशी एल्यूमिनियम फास्फाइड खाकर आत्महत्या कर ली । अभियुक्त हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त है । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार मृतका के एक घनिष्ठ नातेदार ने दूरभाष पर पुलिस को सूचित किया कि राकेश कुमार की पत्नी-मृतका को एक यान में अस्पताल ले जाया गया है और उसकी मृत्यु हो गई है । यान उसके शव के साथ पेट्रोल पम्प, भोटा के निकट खड़ा है । चूंकि उसे कुछ संदेह है, इसलिए मामले की जांच-पड़ताल की जाए । सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उप निरीक्षक कुछ पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुआ । सूचना सही थी । उसने एक डिजीटल कैमरे से शव के फोटोग्राफ लिए । उसने एक महिला कांस्टेबल की सहायता से शव का परीक्षण भी किया और मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई और उसके पश्चात् शव को क्षेत्रीय अस्पताल, हमीरपुर ले जाया

गया तथा उसी दिन अपराह्न में लगभग 5.30 बजे शव-परीक्षा की गई । डाक्टर ने शरीर के किसी भी अंग पर कोई बाह्य क्षति नहीं पाई, किंतु मुंह और ग्रसनी में चमकदार सफेद झाग दिखाई दिए । प्रयोगशाला में विसरा का परीक्षण किया गया । न्यायालय संबंधी रिपोर्ट के अनुसार विसरा में फासफाइन गैस (फासफेट) होने का पता चला । अन्वेषक अधिकारी तारीख 25 अक्तूबर, 2009 को मृतका के छोटे भाई वरिन्दर कुमार से मिला जो सुबह ही बंगलौर से आया था जहां पर वह सेना में सेवारत था । उसने उसका कथन अभिलिखित किया और उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । उसने पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह अभिकथन किया कि उसकी बहिन अपने विवाह के पश्चात् ससुराल में लगभग 2-3 माह तक प्रसन्नतापूर्वक रही । वर्ष 2009 के जुलाई माह में जब वह छुट्टी पर आया हुआ था तब उसकी बड़ी बहिन ने उसे यह सूचित किया था कि मृतका ने उसे यह बताया है कि जब कभी भी अभियुक्त उसे घर में अकेला पाता है, वह उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करता है । उसने इसकी शिकायत अपने पति और सास को भी की थी । उसने इस बात की संपुष्टि मृतका से भी की और मृतका ने उसे यह बताया कि अभियुक्त उसके साथ अभद्र व्यवहार करता रहता है । पुलिस को अभियुक्त के मकान की तलाशी के दौरान एक लिफाफे में दो पत्र भी मिले जो मृतका और उसके पति द्वारा लिखे गए थे । अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियुक्त का विचारण करने के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला पाया गया और तद्नुसार उसे मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप पत्रित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में यह एकरूपता रही है कि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषी ठहराने के लिए न्यायालय को यह पता लगाने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए कि विपदग्रस्त के साथ की गई क्रूरता और उसे तंग किए जाने की वजह से उसके पास

अपने जीवन का अंत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था तथा न्यायालय को उसके समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का भी निर्धारण करना चाहिए । यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आत्महत्या के अभिकथित दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यों का सबूत अवश्य होना चाहिए । अपराध किए जाने के सन्निकट अभियुक्त द्वारा किए गए किसी ऐसे सकारात्मक कार्य, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, के अभाव में केवल मात्र तंग करने के अभिकथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के निबंधनों में की गई दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है । दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति ने, जिसके विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का अभिकथन किया गया है, उकसाहट का कोई कार्य करके या आत्महत्या करने को सुकर बनाने के लिए कतिपय कार्य करके अवश्य ही कोई सक्रिय भूमिका अदा की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, उकसाहट "कोई कार्य" करने के लिए उत्तेजित करने, अग्रसर होने, उत्प्रेरित करने, भड़काने या प्रोत्साहित करने के लिए होनी चाहिए । उकसाहट की अपेक्षा का समाधान करने के लिए यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उस आशय के लिए वास्तविक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए या जिन शब्दों से उकसाहट का गठन होता है उनसे आवश्यक और विनिर्दिष्ट रूप से अवश्य ही किसी परिणाम का सुझाव मिलता हो, तो भी परिणाम को भड़काने के लिए एक युक्तियुक्त निश्चितता इसे स्पष्ट करने योग्य होनी चाहिए । पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब न्यायालय इस मामले में साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से कथित तथ्यों पर विचार करेगा । मृतका के छोटे भाई अभि. सा. 3, वरिन्दर कुमार ने अभियोजन के वृत्तांत की संपुष्टि की है । वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन करने वाला है । उसने स्पष्ट तौर पर कथन किया है कि उसकी बड़ी बहिन, अभि. सा. 4 मीना कुमारी द्वारा उसे अभियुक्त द्वारा किए जाने वाले अभद्र व्यवहार के बारे में सूचित किया गया था और उसके अनुसार जब मृतका से इस बारे में पूछा गया था तो उसके द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गई थी । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि मृतका ने यह भी कहा था कि इस मामले की किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा न की जाए क्योंकि यह उसके परिवार के सम्मान का मामला है । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि मृतका ने अपनी मृत्यु से 10-15 दिन पहले उससे दूरभाष पर बात की थी और यह

बताया था कि अभियुक्त ने उसकी जेठानी की कड़ी पिटाई की है और घर में माहौल बहुत तनावपूर्ण है और अभियुक्त अभी भी अवसर मिलते ही अश्लील हरकतें करता रहता है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने मृतका को यह कहा था कि वह तारीख 20 अक्तूबर, 2009 को छुट्टी आ रहा है और इस मामले पर अभियुक्त से बात करेगा, किंतु तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को उसे दूरभाष पर अपने भाई विजय कुमार से संदेश मिला कि मृतका की मत्यु हो गई है । इस साक्षी ने अपनी मृतका बहिन के हाथ से लिखे हुए पत्र, प्रदर्श पी-2 और उसके पति द्वारा लिखे गए पत्र, प्रदर्श पी-3, जो अभियुक्त के मकान के कमरे से एक गद्दे के नीचे से बरामद हुए थे, के बारे में भी कथन किया है और उसने प्रदर्श पी-2 पर मृतका के हस्तलेख की शनाख्त की । उसने यह कथन किया कि मृतका का जन्म और पालन-पोषण उसकी मौजूदगी में हुआ था और उसके विद्यालय के दिनों से ही उसने उसकी लिखाई को देखा है और इसीलिए उसे उसके हस्तलेख की पहचान है । मामला रजिस्ट्रीकृत होने के लगभग 4-5 दिन पश्चात् उसने पुलिस को मृतका की नोटबुक भी सौंपी थी । इस प्रकार, मृतका की लिखाई के बारे में उसकी राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के अधीन सुसंगत हो जाती है । इस साक्षी की अतिसावधानी से प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसका सामना उसके इस तथ्य की बाबत कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/ए, से कराया गया था कि मृतका ने उसे कहा था कि परिवार के सम्मान की खातिर इस मामले की चर्चा किसी अन्य व्यक्ति के साथ न की जाए, इस कथन में केवल परिवार के सम्मान के तथ्य को विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित नहीं किया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसके सेल फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा उसने पुलिस को नहीं सौंपा था । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसे मृतका ने उसकी जेठानी की पिटाई के बारे में सूचित किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि कथित रूप से मृतका ने अभियुक्त के विरुद्ध इन अभिकथनों को अपनी माता को भी बताया था जब वह अपने पति के साथ दिवाली पर आई थी । उसने यह कथन किया कि जुलाई, 2009 के दौरान वह 22 दिन छुट्टी पर रहा था, किंतु उस समय मृतका अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी और वह वहां लगभग तीन माह से अधिक समय तक अर्थात् जून, 2009 से सितम्बर, 2009 तक रही थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त सहित मृतका और परिवार के अन्य सदस्य तारीख 16 सितम्बर, 2009 से तारीख 22 सितम्बर, 2009 तक धार्मिक

दौरे पर 'बदरीनाथ' गए थे और यहां तक कि तारीख 18 अक्तूबर, 2009 को 'करवाचौथ' के दौरान भी दोनों अर्थात् मृतका और उसका पति उनके यहां आए थे । तारीख 21 अक्तूबर, 2009 को उसका पति दिल्ली चला गया था । किंतु इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त के विरुद्ध एक मिथ्या मामला रजिस्ट्रीकृत कराया गया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त के मकान की तलाशी मृतका के दाह-संस्कार से पूर्व ली गई थी । उसे वह सही समय याद नहीं था, किंतु उसने यह कथन किया कि पुलिस ने तलाशी के दौरान पूर्वोक्त पत्र उसकी और बहुत से अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी में बरामद किए थे । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट तौर पर इस बात से इनकार किया कि नोटबुक तथा पूर्वोक्त पत्र मृतका के हस्तलेख में नहीं हैं । मृतका द्वारा किए गए अभिकथनों के बारे में सूचना दिए जाने संबंधी तथ्य की संपुष्टि उसकी बड़ी बहिन, अभि. सा. 4 मीना कुमारी द्वारा की गई है । उसने कथन किया कि उसने मृतका को अभियुक्त के अभद्र कृत्य का विरोध करने के लिए कहा था । मृतका ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त उसे यह कहता है कि वह उसे अपने पुत्र की तरह प्यार करता है, किंतु मृतका विशिष्ट रूप से उन अश्लील कृत्यों को पसंद नहीं करती थी जो वह अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में करता था । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया है कि जब उसने मृतका को इसकी शिकायत अपनी सास को करने के लिए कहा, तो उसने बताया कि वह पहले ही उसे इसकी शिकायत कर चुकी है और अपने पति को भी दूरभाष पर इसकी शिकायत की है, किंतु अभियुक्त रुका नहीं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने मृतका के पति को इस बारे मे दूरभाष पर सूचित किया था और उसने बताया कि वह सब कुछ जानता है किंतु उसे यह आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और अपने पिता को समझाएगा । उसने (अभि. सा. 4) यह भी कथन किया कि जून, 2009 के माह में मृतका को दिल्ली ले जाया गया था और वह वहां अपने पति के साथ लगभग ढाई माह तक रही थी, किंतु अभियुक्त द्वारा मृतका को एक धार्मिक दौरे पर जाने के लिए वापस बुला लिया गया, तथापि, उसने अपने पति को कहा था कि वह वहां नहीं जाना चाहती, किंतु उसके पति ने उसे कहा कि वह घर वापस जाए और पूर्विकता के आधार पर कृषि कार्य को निपटाए ताकि फिर वह उसे दिल्ली वापस ला सके । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने इन सभी बातों के बारे में अपने भाई को भी सूचित किया था । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया कि राकेश कुमार ने भी

इन अभिकथनों के बारे में अपने पिता से बात की थी, किंतु उसने इन अभिकथनों को नकार दिया जबकि सोनू का उससे आमना-सामना कराया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि अभियुक्त मृतका को कसकर अपनी बांहों में भर लेता और उसके मुंह पर चुंबन लेने की कोशिश करता, किंतु पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है । यहां तक कि अश्लील कृत्य के बारे में भी उसके कथन में कोई उल्लेख नहीं है । तथापि, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को उसकी माता की मृतका से बात हुई थी और उसने यह सूचित किया था कि वह बीमार है और उसे हमीरपुर ले जाया जा रहा है और यदि वे आना चाहें तो वहां आ जाएं । इस साक्षी ने यह कथन किया कि पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि अभियुक्त द्वारा मृतका का लैंगिक उत्पीड़न किया गया है । इस साक्षी ने मृतका के तारीख 21 अक्तूबर, 2009 को बीमार होने और डा. अजय प्रसाद द्वारा उपचार किए जाने की बात से अनभिज्ञता जाहिर की, किंतु इस तथ्य की अधिसंभाव्यता के लिए प्रतिरक्षा में डा. अजय प्रसाद की परीक्षा नहीं कराई गई । अभि. सा. 5, शीला देवी मृतका की माता है । उसने अभि. सा. 4 वरिन्दर कुमार के कथन के समान ही कथन किया । अभि. सा. 7, माया देवी मृतका की जेठानी है जिसका विवाह अभियुक्त के एक अन्य पुत्र राजेश कुमार के साथ हुआ है । उसने अभियुक्त के विरुद्ध की गई रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू 7/ए को साबित किया है जिसमें उसने भी अभियुक्त के विरुद्ध अपने प्रति किए गए अभद्र कृत्यों और उसके साथ झगड़ा करने तथा अभिकथित रूप से तारीख 6 अक्तूबर, 2009 को उसकी पिटाई करने के बारे में अभिकथन किए थे । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उपरोक्त मामले में एक लिखित सुलहनामे द्वारा, जो डीए के रूप में चिन्हित है, अभियुक्त के साथ सुलह हो गई थी जिसके द्वारा अभियुक्त ने क्षमा-याचना मांगी थी । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी की परीक्षा अभियुक्त द्वारा अपनी एक अन्य पुत्रवधु के प्रति अभद्र कृत्य करने के संबंध में उसके पूर्ववर्ती आचरण को साबित करने के लिए की गई थी । उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत का परीक्षण, दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा अन्वेषक अधिकारी और डाक प्राधिकारियों के कथनों को दृष्टिगत करते हुए, करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है । पूर्वोक्त दस्तावेजी साक्ष्य और ऊपर चर्चा किए गए शासकीय साक्षियों के कथनों की समालोचनात्मक परीक्षा से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लिफाफा, प्रदर्श पी-1

अभियुक्त को परिदत्त किया गया था जिसमें उसके मकान से बरामद किए गए पत्र, प्रदर्श पी-2 और पी-3 थे । प्रदर्श पी-2 पत्र की लिखाई की तुलना मृतका की एम. पी. ऐड. अंतिम वर्ष के दौरान बनाए रखी गई नोटबुक, प्रदर्श पीबी से अभि. सा. 12, डा. मीनाक्षी महाजन, हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई थी । मृतका के भाई अभि. सा. 3 वरिन्दर कुमार ने पूर्वोक्त नोटबुक तथा पत्र पी-2 पर की लिखाई को मृतका के हस्तलेख में होने की बात को साबित किया है क्योंकि उसने उसकी लिखाई को विद्यालय के दिनों से ही देखा था और उसका पालन-पोषण इस साक्षी की मौजूदगी में हुआ था तथा इन साक्षियों के साक्ष्य को निरस्त करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य नहीं है जिसकी प्रतिपरीक्षा की गई हो जो इसे संदेहास्पद बना सके । इस प्रकार, यह सिद्ध हो जाता है कि तारीख 29 जून, 2009 का पत्र, प्रदर्श पी-2 मृतका द्वारा अपने सास-ससुर को भेजा गया था और प्रदर्श पी-3 मृतका के पति द्वारा अपने माता-पिता को भेजा गया था, हालांकि प्रदर्श पी-3 पर कोई तारीख नहीं पड़ी है । इसके अतिरिक्त, लिफाफा प्रदर्श पी-1, जिसमें ये पत्र पाए गए थे, अभियुक्त को संबोधित था । जब एक बार यह साबित हो गया है कि ये पत्र मृतका और उसके पति के थे, अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या इन पत्रों की अंतर्वस्तुओं से ऐसे किसी अभिकथन का, जैसा कि क्रूरता या तंग करने की बात का गठन करने के लिए ऊपर स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया गया है, गठन होता है और जिसका साक्षियों द्वारा कथन किया गया है । पत्र, प्रदर्श पी-2 के परिशीलन से अभियुक्त के उन अभद्र कार्यकलापों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है जो मृतका को पसंद नहीं थे । इनमें उल्लिखित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन कृत्यों की जानकारी परिवार में केवल चार सदस्यों को, अर्थात् मृतका के सास-ससुर, स्वयं मृतका को और उसके पति को थी । अभियुक्त द्वारा मृतका का चुंबन लेने और बांहों में भरने का भी उल्लेख है, जिसे मृतका पसंद नहीं करती थी और अभियुक्त के उसके पिता के समान होने के कारण इसे अपमानजनक महसूस करती थी । जिस तरीके से अभियुक्त उससे प्यार जता रहा था वह उसे पसंद नहीं था । जब पहली बार यह सब हुआ तो उसने अपने आप को कोसा, किंतु उसने अभियुक्त को रोका नहीं । उसने अभियुक्त को सलाह दी कि वह अपनी अंतरआत्मा में झांक कर देखे कि क्या उसका आचरण और कार्य ठीक हैं । इस बात का भी उल्लेख है कि जब भी अभियुक्त ने मृतका का चुंबन लिया, उसने अपनी सास से इसकी शिकायत की, किंतु

इससे कोई हल नहीं निकला । जब अभियुक्त ने अपनी सीमा को लांघा, तो उसने यह बात अपने पति को भी बताई और उसे भी गुस्सा आया । इसके अतिरिक्त, मृतका ने अभियुक्त से यह भी अनुरोध किया कि वह ऐसी गलती दोबारा न करे और अपनी पुत्रवधु से ऐसी रीति में प्यार न जताए जिससे उसकी लज्जा भंग होती हो । उसने उसे यह भी समझाया कि वह घर में घुटन महसूस कर रही है क्योंकि उसकी इन हरकतों से उसे ठेस पहुंच रही है और इसके साथ-ही-साथ उसने अपनी सास के आचरण के प्रति भी खेद जताया जो मुद्दे को सुलझाने में असहाय थी । ये बातें अभियुक्त द्वारा मृतका को तंग किए जाने का प्रबल प्रमाण हैं जिन्होंने उसके जीवन को नरक बना दिया था क्योंकि अभियुक्त का आचरण अपनी पुत्रवधु की लज्जा के प्रति अमर्यादित था । अभिलेख पर यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका का पति उसे गांव में अपने माता-पिता के पास छोड़ गया था । मृतका ने आत्महत्या करने से लगभग 15 दिन पूर्व दूरभाष पर अपने भाई अभि. सा. 3 को यह सूचित किया था कि अभियुक्त अपने अवैध कार्यकलापों से बाज नहीं आ रहा है । इसलिए अभिकथित क्रूरता मृतका के आत्महत्या करने के समय के सन्निकट की गई थी जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । ऊपर चर्चा की गई विधि को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर मेरा सुविचारित मत है कि अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता बरती गई थी और तंग किया गया था, जिसकी वजह से उसे अपने विवाह के नौ माह के भीतर विष खाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । इस प्रकार, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क की सहायता से आरोपित अपराध साबित हो जाता है । तद्नुसार, अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है । जहां तक दंडादेश का संबंध है, अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने अभियुक्त की ढलती हुई वृद्धा अवस्था और वृद्धा अवस्था की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दया बरतने का अनुरोध किया है और यह भी अनुरोध किया है कि उसकी वृद्ध पत्नी की देख-रेख करने वाला उसके सिवाय कोई नहीं है, उसका एक पुत्र अपने परिवार सहित अलग रह रहा है और उसके अभियुक्त के साथ संबंध ठीक नहीं हैं तथा एक अन्य पुत्र अर्थात् मृतका का पति दिल्ली में कार्यरत है और संपूर्ण परिवार बर्बाद हो गया है । उसने यह भी अनुरोध किया कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त लगभग एक माह तक अभिरक्षा में रहा था और अक्तूबर,

2011 से वह कारागार में दंडादेश भुगत रहा है । न्यायालय ने उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है और न्यूनकारी तथा गुरुतरकारी परिस्थितियों तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की आयु अब लगभग 67 वर्ष है और इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह दर्शित होता है कि आज की तारीख तक सिद्धदोष-अपीलार्थी ने छह माह से अधिक का कारावास भुगत लिया है, इसलिए जुर्माने और उसके व्यतिक्रम खंड के साथ छेड़छाड़ किए बिना मूल दंडादेश को पहले ही भोगी गई अवधि तक कम कर देने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी । (पैरा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33 और 34)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. 707 : **अमलेन्दु पाल** उर्फ **झंटू** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**;	7
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 799 : **आनंद कुमार** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**;	7
[2004]	(2004) 12 एस. सी. सी. 257 : **हंस राज** बनाम **हरियाणा राज्य**;	7
[2001]	(2001) 9 एस. सी. सी. 618 : **राकेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ।	7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 387.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विनय ठाकुर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री आर. के. बंसल, अपर महाधिवक्ता और उनके साथ आर. पी. सिंह, सहायक महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह – अपीलार्थी, जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है, मृतका सविता **उर्फ** सोनू का ससुर है । उसने 2010 के सेशन विचारण सं. 24/7, जिसका तारीख 18 अक्तूबर, 2010 को विनिश्चय किया गया था, में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित की

गई अपनी उस दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसे व्यतिक्रम खंड सहित पांच वर्ष का कठोर कारावास भोगने और दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया है ।

2. **स्वीकृत तथ्य**

अभियुक्त के पुत्र श्री राकेश कुमार का विवाह तारीख 19 फरवरी, 2009 को मृतका सविता **उर्फ** सोनू, जिसे इसमें आगे मृतका कहा जाएगा, के साथ हुआ था । उक्त राकेश कुमार दिल्ली में कहीं प्राइवेट नौकरी करता था और मृतका गांव सुसनाल, तहसील घुमरविन में अपनी ससुराल में रहती थी । मृतका सविता ने तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को कीटनाशी एल्यूमिनियम फास्फाइड खाकर आत्महत्या कर ली । अभियुक्त हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त है ।

3. **अभियोजन का पक्षकथन**

(i) मृतका के एक घनिष्ठ नातेदार ने दूरभाष पर पुलिस को सूचित किया कि राकेश कुमार की पत्नी-मृतका को एक यान में अस्पताल ले जाया गया है और उसकी मृत्यु हो गई है । यान उसके शव के साथ पेट्रोल पम्प, भोटा के निकट खड़ा है । चूंकि उसे कुछ संदेह है, इसलिए मामले की जांच-पड़ताल की जाए । यह सूचना रोजनामचे प्रदर्श पीडब्ल्यू 13/ए में अभिलिखित की गई और उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया । अभि. सा. 13, उप निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी प्रेम सिंह किसी अन्वेषण के सिलसिले में इलाके में था । मुहर्रिर हैड कांस्टेबल द्वारा उसे भी यह सूचना उसके सेल फोन पर दी गई ।

(ii) सूचना प्राप्त होने पर पूर्वोक्त अभि. सा. 13 कुछ पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुआ । सूचना सही थी । उसने एक डिजीटल कैमरे से शव के फोटोग्राफ, प्रदर्श पी-4 से पी-8 लिए । उसने एक महिला कांस्टेबल की सहायता से शव का परीक्षण भी किया और मृत्यु-समीक्षा कागजात, प्रदर्श पीडब्ल्यू 10/बी और सी तैयार किए और उसके पश्चात् शव को क्षेत्रीय अस्पताल, हमीरपुर ले जाया गया तथा मरणोत्तर परीक्षा करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक आवेदन, प्रदर्श पीडब्ल्यू 10/ए दिया ।

(iii) अभि. सा. 10 डा. राकेश धीमान ने उसी दिन अपराह्न में

लगभग 5.30 बजे शव-परीक्षा की । डाक्टर ने शरीर के किसी भी अंग पर कोई बाह्य क्षति नहीं पाई, किंतु मुंह और ग्रसनी में चमकदार सफेद झाग दिखाई दिए । उदर गहरे भूरे रंग के तरल पदार्थ के साथ समग्र रूप से संकुलित था । शव पर पाए गए वस्त्रों के साथ-साथ विसरा भी लिया गया और रासायनिक परीक्षण के लिए मुहरबंद किया गया । उसकी राय में, मृत्यु और मरणोत्तर परीक्षा के बीच व्यतीत हुआ समय 4 से 6 घंटे था । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू 10/डी है ।

(iv) प्रयोगशाला में विसरा का परीक्षण किया गया । रिपोर्ट प्रदर्श पीडब्ल्यू 10/ई है । न्यायालय संबंधी रिपोर्ट के अनुसार विसरा में फासफाइन गैस (फासफेट) होने का पता चला । इस रिपोर्ट के आधार पर अभि. सा. 10, डा. राकेश धीमान ने अपनी यह अंतिम राय, प्रदर्श पीडब्ल्यू 10/एफ, दी कि मृतक की मृत्यु फुफ्फुसीय सूजन के परिणामस्वरूप श्वासोवरुद्ध होने के कारण हुई ।

(v) मरणोत्तर परीक्षा के पश्चात् शव को मृतका के देवर श्री राजीव शर्मा को सौंप दिया गया । नातेदारों और मित्रों, जिनमें शिकायतकर्ता पक्ष भी सम्मिलित है, की मौजूदगी में शव का दाह-संस्कार किया गया ।

(vi) तारीख 25 अक्तूबर, 2009 को अभि. सा. 13, प्रेम सिंह गांव सुसनाल गया, जहां पर वह मृतका के छोटे भाई अभि. सा. 3, वरिन्दर कुमार से मिला जो सुबह ही बंगलौर से आया था जहां पर वह सेना में सेवारत था । उसने उसका कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/ए, अभिलिखित किया और उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू 13/बी, दर्ज की गई ।

(vii) पूर्वोक्त अभि. सा. 3 को अपने भाई विजय कुमार से अपनी बहिन की मृत्यु के बारे में पता चला था । संक्षिप्ततः, उसने पुलिस को दिए गए अपने कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/ए में यह अभिकथन किया कि उसकी बहिन अपने विवाह के पश्चात् ससुराल में लगभग 2-3 माह तक प्रसन्नतापूर्वक रही । वर्ष 2009 के जुलाई माह में जब वह छुट्टी पर आया हुआ था तब उसकी बड़ी बहिन अभि. सा. 4, मीना कुमारी ने उसे यह सूचित किया था कि मृतका ने उसे यह बताया है कि जब कभी भी अभियुक्त मृतका को अपने घर

में अकेला पाता है, वह उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करता रहता है । उसने इसकी शिकायत अपने पति और सास को भी की थी । उसने इस बात की संपुष्टि मृतका से भी की थी और मृतका ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त उसके साथ अभद्र व्यवहार करता रहता है, किंतु मृतका ने शिकायतकर्ता से इस बारे में किसी से बात न करने का अनुरोध किया क्योंकि परिवार का सम्मान खतरे में पड़ जाएगा । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसकी बहिन की मृत्यु से पंद्रह दिन पूर्व उसकी बहिन ने उससे दूरभाष पर बात की थी और उसे यह बताया था कि अभियुक्त अपनी अश्लील हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसके लिए ऐसे माहौल में रहना बहुत मुश्किल है । शिकायतकर्ता ने उसे आश्वासन दिया था कि वह तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को मामले को सुलझाने के लिए उसके पास आएगा और मृतका को यह सलाह दी कि इस बीच वह अभियुक्त से बचकर रहे, किंतु तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को उसे उसकी मृत्यु के बारे में सूचना मिली । पूर्वोक्त कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू 13/बी औपचारिक रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई ।

(viii) तारीख 25 अक्तूबर, 2009 को अभि. सा. 13, प्रेम सिंह अभियुक्त के मकान पर गया और स्थल नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू 13/सी तैयार किया । मकान के निरीक्षण के दौरान दो पत्र मिले जिनमें से एक पत्र प्रदर्श पी-2 है जो मृतका द्वारा अभियुक्त और अपनी सास को पूर्वोक्त अभिकथनों और अभियुक्त को अपनी आदतें सुधारने के संबंध में दिल्ली से लिखा गया था तथा एक अन्य पत्र प्रदर्श पी-3 है जो उसके पति द्वारा दिल्ली से लिखा गया था जिसमें उसके द्वारा उससे जो कुछ भला-बुरा कहा था उसके लिए क्षमा-याचना की गई थी । ये पत्र मृतका के मकान के कमरे में एक डबल बैड के गद्दे के नीचे एक लिफाफे, प्रदर्श पी-1 में रखे हुए पाए गए थे । इन दोनों पत्रों को प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/बी द्वारा कब्जे में लिया गया था ।

(ix) अभियुक्त को तारीख 25 अक्तूबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया । बाद में उसे जमानत दे दी गई ।

(x) तारीख 28 अक्तूबर, 2009 को अभि. सा. 3, शिकायतकर्ता वरिन्दर कुमार ने मृतका की लिखाई वाली नोटबुक, प्रदर्श पीबी प्रस्तुत

की । इसे ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू 1/बी द्वारा कब्जे में लिया गया । पुलिस ने मृतका के पति राकेश कुमार द्वारा छुट्टी की ईप्सा करते हुए अपने हाथ से लिखा गया एक आवेदन भी ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू 1/ए द्वारा कब्जे में लिया गया ।

(xi) तारीख 12 नवम्बर, 2009 को न्यायिक अधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त राकेश कुमार की लिखाई के नमूने अभिप्राप्त किए गए, जो कि प्रदर्श पीडब्ल्यू 12/एस-1 से प्रदर्श पीडब्ल्यू 12/एस-24 हैं । प्रश्नगत दस्तावेज अर्थात् पत्र प्रदर्श पी-2 और पी-3 तथा लिफाफा प्रदर्श पी-1 और लिखाई का नमूना तथा नोटबुक न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा भेजे गए । इन दस्तावेजों का परीक्षण न्यायालिक दस्तावेज विशेषज्ञ, अभि. सा. 12 डा. मीनाक्षी महाजन द्वारा किया गया । उसने रिपोर्ट प्रदर्श पीडब्ल्यू 12/ए को साबित किया है । यह पाया गया कि पत्र प्रदर्श पी-2 मृतका द्वारा लिखा गया था और प्रदर्श पी-3 और प्रदर्श पी-1 (क्यू-9) उसके पति द्वारा लिखा गया था ।

(रेखाकंन बल देने के लिए किया गया)

4. अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियुक्त का विचारण करने के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला पाया गया और तद्नुसार उसे मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप पत्रित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. **विचारण न्यायालय का निष्कर्ष**

अभियोजन ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त की भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उन परिस्थितियों की बाबत परीक्षा की गई जो उसके विरुद्ध विद्यमान पाई गई थीं । उसने अपना प्रतिरक्षा का लिखित कथन, प्रदर्श डीई प्रस्तुत किया । उसके अनुसार, सहायक उप निरीक्षक, भगत राम द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को उसके घर की तलाशी ली गई थी और अपराध में फंसाने वाला कुछ भी बरामद नहीं हुआ था । अगले दिन अर्थात् तारीख 25 अक्तूबर, 2009 को बरामद हुए पत्र मनगढंत हैं । उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । यह भी कथन किया गया है

कि उसने और उसके पुत्र दोनों ने तारीख 6 मार्च, 2009 को मृतका के नाम में एक लाख रुपए जमा कराए थे । उसने रसीद की फोटो प्रति संलग्न की है । अभि. सा. 3, वरिन्दर कुमार ने उसे इस मामले में गलत रूप से फंसाया है । उसने सूचना के अधिकार के अधीन दिए गए आवेदन के अनुसरण में प्रदर्श डीएफ द्वारा प्रदाय की गई सूचना का भी अवलंब लिया, जिसमें उसे यह सूचना दी गई थी कि वर्तमान मामले का अन्वेषण तत्कालीन उप निरीक्षक प्रेम सिंह और सहायक उप निरीक्षक भगत राम द्वारा किया गया था । इस सूचना में पुलिस थाने में वापस रिपोर्ट करने से संबंधित तारीख 24 अक्तूबर, 2009 की रिपोर्ट के सिवाय कोई अन्य संदर्भ नहीं था और न्यायालय में चालान पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को पूर्वाक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

7. **इस न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलें**

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल, श्री विनय ठाकुर ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामला एक गढ़ी गई कहानी है । प्रश्नगत पत्र गढ़े हुए दस्तावेज हैं । दस्तावेज विशेषज्ञ की रिपोर्ट गलत और असत्य है । यह भी दलील दी गई है कि यदि शिकायतकर्ता और उसके नातेदारों को मृतका की मृत्यु से पूर्व अभिकथित अभिकथनों की जानकारी थी, तब पंचायत या पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई । उसने तथाकथित विरोधाभासों को उजागर करते हुए अभिलेख पर के साक्ष्य को भी निर्दिष्ट किया जो, उसके अनुसार, अभियोजन के पक्षकथन को संदेहास्पद बनाते हैं और इसके बाद यह प्रकट किया कि अभियुक्त द्वारा साक्ष्य में पेश किए गए दस्तावेजों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया गया जो उसकी प्रतिरक्षा को अधिसंभाव्य बनाते हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि क्रूरता या दुष्प्रेरण का यथा अभिकथित ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जिससे मृतका को अभिकथित रूप से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलीलों की पुष्टि के लिए **राकेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1], **हंस राज** बनाम **हरियाणा राज्य**[2], **आनंद कुमार** बनाम

[1] (2001) 9 एस. सी. सी. 618.

[2] (2004) 12 एस. सी. सी. 257.

मध्य प्रदेश राज्य[1] और **अमलेन्दु पाल** उर्फ **झांटू** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया ।

8. इसके विपरीत, विद्वान् अपर महाधिवक्ता, जिनकी श्री आर. पी. सिंह, विद्वान् सहायक महाधिवक्ता द्वारा सम्यक् सहायता की गई, ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया । यह भी दलील दी गई कि यह साबित किया गया है कि मृतका के पत्र और उसके पति के पत्र उनके अपने-अपने हाथों से लिखे हुए थे । इन पत्रों में अंतर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत द्वारा सम्यक् रूप से समर्थन किया गया है, जिनसे आरोप साबित होता है । यह भी दलील दी गई कि मृतका ने अपने परिवार के सम्मान की खातिर अपने भाई (शिकायतकर्ता) को यह तथ्य किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा था । इस प्रकार, उसने मुद्दे को सुलझाने के लिए केवल अपने घनिष्ठ नातेदारों पर भरोसा किया था, किंतु वे सुलझाने में असफल रहे । साक्ष्य से यह प्रदर्शित होता है कि मृतका को शारीरिक यातना के साथ-साथ मानसिक यातना भी दी गई थी और इस प्रकार उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । अतः विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है ।

9. **साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष**

मैंने पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है और अभिलेख पर के साक्ष्य तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू विधि की अतिसावधानी से छानबीन की और पुनर्मूल्यांकन किया ।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में दोहरे सबूत की अपेक्षा की गई है:–

1. आत्महत्या किया जाना; और
2. ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण ।

11. स्वीकृततः, मृतका का विवाह राकेश कुमार के साथ तारीख 29 फरवरी, 2009 को हुआ था और उसने आत्महत्या तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को अर्थात् नौ माह के भीतर कीटनाशी खाकर की । मृतका

---

[1] (2009) 3 एस. सी. सी. 799.

[2] (2010) 1 एस. सी. सी. 707.

अभियुक्त और अपनी सास के साथ रह रही थी और उसका पति राकेश कुमार दिल्ली में कार्यरत था तथा जब मृतका ने आत्महत्या की वह उस समय वहां नहीं था ।

12. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने की मानसिक क्रिया या ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर कोई कार्य करने के लिए सहायता करना अंतर्वलित है । षड्यंत्र के मामलों में भी अमुक कार्य को करने के लिए षड्यंत्र करने की मानसिक क्रिया अंतर्वलित होती है । इससे पूर्व कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध का दुष्प्रेरक कहा जा सके, उसकी ऐसी सक्रिय भूमिका होना आवश्यक है जिसे किसी कार्य को करने के लिए उकसाना या सहायता करना वर्णित किया जा सके । अतः इस न्यायालय के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सतर्कतापूर्वक छानबीन और इसके समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का अवधारण इस बात का पता लगाने के लिए करना अपेक्षित है कि विपदग्रस्त के साथ की गई क्रूरता या तंगीकरण ऐसा था जिसकी वजह से उसके पास अपने जीवन का अंत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था ।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के बारे में एक उपधारणा उद्भूत करती है । यह धारा निम्नलिखित है :–

> "113-क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा – जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी ।
>
> स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" का वही अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498क में है ।"

(रेखांकन द्वारा बल दिया गया है)

14. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अधीन विधिक रूप से वहां उपधारणा की जा सकती है, जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और अभियोजन पक्ष साबित कर देता है कि पति या उसके निकट नातेदार द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था । इस प्रकार, विवाह होने की अवधि के अतिरिक्त क्रूर व्यवहार/तंग किए जाने की बात को साबित किया जाना आवश्यक है ।

15. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए **आनंद कुमार** (उपरोक्त) और **हंस राज** (उपरोक्त) वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज मृत्यु और आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क और 113-ख के उपबंधों की परीक्षा की गई और यह मत व्यक्त किया गया कि पूर्वोक्त उपबंध एक उपधारणा तो उत्पन्न करते हैं, किंतु मामले के तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती है । इन दोनों उपबंधों की भिन्न-भिन्न शब्दावली दोनों उपबंधों के वास्तविक प्रयोजन को प्रकट करती है और धारा 113-ख में अभियुक्त पर साबित करने का अधिक भार डाला गया है, जबकि धारा 113-क में यह भार काफी कम है । दोनों उपबंधों को तुलनात्मक रूप से पढ़ने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 113-क के अधीन न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में यथा निरूपित आत्महत्या के दुष्प्रेरण की "उपधारणा कर सकेगा", किंतु धारा 113-ख, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के सापेक्ष है, में "कर सकेगा" शब्द के स्थान पर "करेगा" शब्द प्रतिस्थापित किया गया है और मामले की परिस्थितियों के प्रति कोई निर्देश नहीं किया गया है ।

16. **अमलेन्दु पाल** उर्फ **झंटू** (उपरोक्त) वाले मामले के निर्णय के पैरा 14 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि "दुष्प्रेरण" की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दी गई है । उच्चतम न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में यह उपबंधित है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के अनुसरण में और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तब अपराधी उस दंड से दंडित किया जाएगा जो मूल अपराध के लिए उपबंधित है । इस प्रकार, न्यायालय को मामले की परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से करनी चाहिए अर्थात् एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क और दूसरा भारतीय दंड

संहिता की धारा 107 की सहायता से । इस प्रकार, न्यायालय की अंतश्चेतना का समाधान इस आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध के दुष्प्रेरण से आरोपित अभियुक्त दोषी पाया जाना चाहिए (कृपया **हंस राज** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाला मामला भी देखें) ।

17. **रमेश कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में तथ्यों से यह प्रकट था कि मृतका हताश, निराश और तनावग्रस्त थी और उस पर स्वयं में कमियां होने की भावना हावी थी और इसके लिए स्वयं को दोषी समझती थी । वह अपने अंदर से ही पैदा हुई इस उग्र भावना से अभिभूत हो गई कि वह अपने पति की नज़रों में उसकी पत्नी होने के योग्य नहीं है और उसने स्वयं को जलाकर आत्महत्या कर ली । उच्चतम न्यायालय ने इस पृष्ठभूमि में यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त मृतका को यह कहता होगा या अवश्य कहा होगा कि वह जहां जाना चाहती है, चली जाए । हो सकता है यह बात उसने गुस्से में आकर अपनी इच्छा के विपरीत और फिलहाल के लिए पीछा छुड़ाने के लिए कही हो, क्योंकि मृतका उसकी बहिन के निवास पर उससे मिलने के लिए छोड़ने की बात पर अड़ी हुई थी । आनुमानिक रूप से अभियुक्त ने ऐसा कुछ कहा होगा । मृतका ने एक धर्मपरायण हिन्दू पत्नी होने के कारण यह सोचा कि उसके माता-पिता द्वारा उसे उसके पति को विवाह में दे दिए जाने के बाद उसके पास अपने पति के घर के सिवाय कहीं ओर जाने का कोई ठिकाना नहीं है और यदि पति ने ही उसे "स्वछन्द" कर दिया है तो उसने भावावेश होकर यह सोचा कि वह केवल इतना कर सकती है कि स्वयं को समाप्त कर शांतिपूर्वक मृत्यु के आगोश में चली जाए और पति की इच्छा के अनुरूप स्वयं को इस बंधन से मुक्त कर लिया जाए । आग लगा लिए जाने पर उसको बुझाने की कोशिश और अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने का पति का आचरण उसके द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मत को अनधिसंभाव्य बनाता है, किंतु वर्तमान मामले में ऐसी किसी परिस्थिति को उजागर नहीं किया गया है और न ही साबित किया गया है, इसलिए इस निर्णय से उसे कोई सहायता मिलनी मुश्किल है ।

18. यद्यपि, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और धारा 306 स्वतंत्र है और अलग-अलग अपराधों का गठन करती हैं, किंतु प्रत्येक

---

[1] (2004) 12 एस. सी. सी. 257.

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, किसी स्त्री के साथ की गई क्रूरता धारा 498-क के अधीन अपराध की कोटि में आ सकती है और यदि क्रूरता की कोटि में आने वाले ऐसे आचरण का क्रम सिद्ध हो जाता है जिसकी वजह से स्त्री के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, तब ऐसी क्रूरता आत्महत्या के दुष्प्रेरण की कोटि में भी आ सकती है । तथापि, केवल इसलिए कि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दंडित किए जाने का दायी ठहराया गया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसी साक्ष्य के आधार पर उसे अवश्य ही और आवश्यक रूप से संबंधित स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का भी दोषी ठहराया जाए । इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और धारा 306 स्वतंत्र हैं और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए अलग-अलग अपराधों का गठन करती हैं ।

19. संक्षेप में, ऊपर उल्लिखित अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में यह एकरूपता रही है कि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषी ठहराने के लिए न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक परीक्षा यह पता लगाने के लिए करनी चाहिए कि विपदग्रस्त के साथ की गई क्रूरता और तंगीकरण की वजह से उसके पास अपने जीवन का अंत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था और न्यायालय को उसके समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का भी निर्धारण करना चाहिए । यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आत्महत्या के अभिकथित दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यों का सबूत अवश्य होना चाहिए । अपराध किए जाने के सन्निकट अभियुक्त द्वारा किए गए किसी ऐसे सकारात्मक कार्य जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, के अभाव में केवल मात्र तंग करने के अभिकथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के निबंधनों में की गई दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है । दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति ने, जिसके विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का अभिकथन किया गया है, उकसाहट का कोई कार्य करके या आत्महत्या करना सुकर बनाने के लिए कतिपय कार्य करके अवश्य ही कोई सक्रिय भूमिका अदा की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, उकसाहट "कोई कार्य" करने के लिए उत्तेजित करने, अग्रसर होने, उत्प्रेरित करने, भड़काने या

प्रोत्साहित करने के लिए होनी चाहिए । उकसाहट की अपेक्षा का समाधान करने के लिए यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उस आशय के लिए वास्तविक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए या जिन शब्दों से उकसाहट का गठन होता है उनसे आवश्यक और विनिर्दिष्ट रूप से अवश्य ही किसी परिणाम का सुझाव मिलता हो, तो भी परिणाम को भड़काने के लिए एक युक्तियुक्त निश्चितता इसे स्पष्ट करने योग्य होनी चाहिए ।

20. पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब मैं इस मामले में साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से कथित तथ्यों पर विचार करूंगा ।

21. मृतका के छोटे भाई अभि. सा. 3, वरिन्दर कुमार ने अभियोजन के वृत्तांत की संपुष्टि की है । वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/ए का करने वाला है । उसने स्पष्ट तौर पर कथन किया है कि उसकी बड़ी बहिन, अभि. सा. 4 मीना कुमारी द्वारा उसे अभियुक्त द्वारा किए जाने वाले अभद्र व्यवहार के बारे में सूचित किया गया था और उसके अनुसार जब मृतका से इस बारे में पूछा गया था तो उसके द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गई थी । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि मृतका ने यह भी कहा था कि इस मामले की किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा न की जाए क्योंकि यह उसके परिवार के सम्मान का मामला है । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि मृतका ने अपनी मृत्यु से 10-15 दिन पहले उससे दूरभाष पर बात की थी और यह बताया था कि अभियुक्त ने उसकी जेठानी की कड़ी पिटाई की है और घर में माहौल बहुत तनावपूर्ण है और अभियुक्त अभी भी अवसर मिलते ही अश्लील हरकतें करता रहता है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने मृतका को यह कहा था कि वह तारीख 20 अक्तूबर, 2009 को छुट्टी आ रहा है और इस मामले पर अभियुक्त से बात करेगा, किंतु तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को उसे दूरभाष पर अपने भाई विजय कुमार से संदेश मिला कि मृतका की मृत्यु हो गई है । इस साक्षी ने अपनी मृतका बहिन के हाथ से लिखे हुए पत्र, प्रदर्श पी-2 और उसके पति द्वारा लिखे गए पत्र, प्रदर्श पी-3, जो अभियुक्त के मकान के कमरे से एक गद्दे के नीचे से बरामद हुए थे, के बारे में भी कथन किया है और उसने प्रदर्श पी-2 पर मृतका के हस्तलेख की शनाख्त की । उसने यह कथन किया कि मृतका का जन्म और पालन-पोषण उसकी मौजूदगी में हुआ था और उसके विद्यालय के दिनों से ही उसने उसकी लिखाई को देखा है और इसीलिए

उसे उसके हस्तलेख की पहचान है । मामला रजिस्ट्रीकृत होने के लगभग 4-5 दिन पश्चात् उसने पुलिस को मृतका की नोटबुक, प्रदर्श पीबी, भी सौंपी थी, जिसे ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू 2/बी द्वारा कब्जे में लिया गया था । इस प्रकार, मृतका की लिखाई के बारे में उसकी राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के अधीन सुसंगत हो जाती है । इस साक्षी की अतिसावधानी से प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसका सामना उसके इस तथ्य की बाबत कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/ए, से कराया गया था कि मृतका ने उसे कहा था कि परिवार के सम्मान की खातिर इस मामले की चर्चा किसी अन्य व्यक्ति के साथ न की जाए, इस कथन में केवल परिवार के सम्मान के तथ्य को विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित नहीं किया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसके सेल फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा उसने पुलिस को नहीं सौंपा था । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसे मृतका ने उसकी जेठानी की पिटाई के बारे में सूचित किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि कथित रूप से मृतका ने अभियुक्त के विरुद्ध इन अभिकथनों को अपनी माता को भी बताया था जब वह अपने पति के साथ दिवाली पर आई थी । उसने यह कथन किया कि जुलाई, 2009 के दौरान वह 22 दिन छुट्टी पर रहा था, किंतु उस समय मृतका अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी और वह वहां लगभग तीन माह से अधिक समय तक अर्थात् जून, 2009 से सितम्बर, 2009 तक रही थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त सहित मृतका और परिवार के अन्य सदस्य तारीख 16 सितम्बर, 2009 से तारीख 22 सितम्बर, 2009 तक धार्मिक दौरे पर 'बदरीनाथ' गए थे और यहां तक कि तारीख 18 अक्तूबर, 2009 को 'करवाचौथ' के दौरान भी दोनों अर्थात् मृतका और उसका पति उनके यहां आए थे । तारीख 21 अक्तूबर, 2009 को उसका पति दिल्ली चला गया था । किंतु इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त के विरुद्ध एक मिथ्या मामला रजिस्ट्रीकृत कराया गया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त के मकान की तलाशी मृतका के दाह-संस्कार से पूर्व ली गई थी । उसे वह सही समय याद नहीं था, किंतु उसने यह कथन किया कि पुलिस ने तलाशी के दौरान पूर्वोक्त पत्र उसकी और बहुत से अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी में बरामद किए थे । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट तौर पर इस बात से इनकार किया कि नोटबुक तथा पूर्वोक्त पत्र मृतका के हस्तलेख में नहीं हैं ।

22. मृतका द्वारा किए गए अभिकथनों के बारे में सूचना दिए जाने

संबंधी तथ्य की संपुष्टि उसकी बड़ी बहिन, अभि. सा. 4 मीना कुमारी द्वारा की गई है । उसने कथन किया कि उसने मृतका को अभियुक्त के अभद्र कृत्य का विरोध करने के लिए कहा था । मृतका ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त उसे यह कहता है कि वह उसे अपने पुत्र की तरह प्यार करता है, किंतु मृतका विशिष्ट रूप से उन अश्लील कृत्यों को पसंद नहीं करती थी जो वह अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में करता था । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया है कि जब उसने मृतका को इसकी शिकायत अपनी सास को करने के लिए कहा, तो उसने बताया कि वह पहले ही उसे इसकी शिकायत कर चुकी है और अपने पति को भी दूरभाष पर इसकी शिकायत की है, किंतु अभियुक्त रुका नहीं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने मृतका के पति को इस बारे मे दूरभाष पर सूचित किया था और उसने बताया कि वह सब कुछ जानता है किंतु उसे यह आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और अपने पिता को समझाएगा । उसने (अभि. सा. 4) यह भी कथन किया कि जून, 2009 के माह में मृतका को दिल्ली ले जाया गया था और वह वहां अपने पति के साथ लगभग ढाई माह तक रही थी, किंतु अभियुक्त द्वारा मृतका को एक धार्मिक दौरे पर जाने के लिए वापस बुला लिया गया, तथापि, उसने अपने पति को कहा था कि वह वहां नहीं जाना चाहती, किंतु उसके पति ने उसे कहा कि वह घर वापस जाए और पूर्विकता के आधार पर कृषि कार्य को निपटाए ताकि फिर वह उसे दिल्ली वापस ला सके । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने इन सभी बातों के बारे में अपने भाई को भी सूचित किया था । अभि. सा. 4 ने यह भी कथन किया कि राकेश कुमार ने भी इन अभिकथनों के बारे में अपने पिता से बात की थी, किंतु उसने इन अभिकथनों को नकार दिया जबकि सोनू का उससे आमना-सामना कराया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि अभियुक्त मृतका को कसकर अपनी बांहों में भर लेता और उसके मुंह पर चुंबन लेने की कोशिश करता, किंतु पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है । यहां तक कि अश्लील कृत्य के बारे में भी उसके कथन में कोई उल्लेख नहीं है । तथापि, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को उसकी माता की मृतका से बात हुई थी और उसने यह सूचित किया था कि वह बीमार है और उसे हमीरपुर ले जाया जा रहा है और यदि वे आना चाहें तो वहां आ जाएं । इस साक्षी ने यह कथन किया कि पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि अभियुक्त द्वारा मृतका का लैंगिक उत्पीड़न

किया गया है । इस साक्षी ने मृतका के तारीख 21 अक्तूबर, 2009 को बीमार होने और डा. अजय प्रसाद द्वारा उपचार किए जाने की बात से अनभिज्ञता जाहिर की, किंतु इस तथ्य की अधिसंभाव्यता के लिए प्रतिरक्षा में डा. अजय प्रसाद की परीक्षा नहीं कराई गई ।

23. अभि. सा. 5, शीला देवी मृतका की माता है । उसने अभि. सा. 4 वरिन्दर कुमार के कथन के समान ही कथन किया । उसने यह भी कथन किया कि जुलाई, 2009 के दौरान मृतका और उसका पति उसके घर आए थे । मृतका ने यह शिकायत की थी कि अभियुक्त उसके साथ अश्लील हरकत करता है । इस साक्षी ने मृतका के पति से इस तथ्य के बारे में पूछा और उसने कहा कि वह सब कुछ ठीक कर लेगा और मृतका को अपने साथ दिल्ली ले जाएगा । यद्यपि, यह साक्षी अपना कथन करते समय अति उत्साहित दिखाई दी और उसने पहली बार न्यायालय में यह अभिकथन किया कि मृतका को कम दहेज लाने के लिए तंग किया जाता था, किंतु यह अभिकथन सही नहीं है ।

24. अभि. सा. 7, माया देवी मृतका की जेठानी है जिसका विवाह अभियुक्त के एक अन्य पुत्र राजेश कुमार के साथ हुआ है । उसने अभियुक्त के विरुद्ध की गई रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू 7/ए को साबित किया है जिसमें उसने भी अभियुक्त के विरुद्ध अपने प्रति किए गए अभद्र कृत्यों और उसके साथ झगड़ा करने तथा अभिकथित रूप से तारीख 6 अक्तूबर, 2009 को उसकी पिटाई करने के बारे में अभिकथन किए थे । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उपरोक्त मामले में एक लिखित सुलहनामे द्वारा, जो डीए के रूप में चिन्हित है, अभियुक्त के साथ सुलह हो गई थी जिसके द्वारा अभियुक्त ने क्षमा-याचना मांगी थी । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी की परीक्षा अभियुक्त द्वारा अपनी एक अन्य पुत्रवधु के प्रति अभद्र कृत्य करने के संबंध में उसके पूर्ववर्ती आचरण को साबित करने के लिए की गई थी ।

25. उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत का परीक्षण, दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा अन्वेषक अधिकारी और डाक प्राधिकारियों के कथनों को दृष्टिगत करते हुए, करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

26. दस्तावेजी साक्ष्य के अन्तर्गत पत्र, प्रदर्श पी-2, पी-3 और लिफाफा पी-1 हैं जो अभिकथित रूप से तारीख 25 अक्तूबर, 2009 को अभि. सा. 13, उप निरीक्षक प्रेम सिंह द्वारा अभियुक्त के मकान से गद्दे

के नीचे से अभि. सा. 1, रघुनाथ की मौजूदगी में बरामद किए गए थे । इन पत्रों की बरामदगी को अभियुक्त द्वारा इस आधार पर विवादग्रस्त बनाया गया है कि तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को उसके मकान की तलाशी सहायक उप निरीक्षक भगत राम द्वारा ली गई थी, किंतु कोई दस्तावेज नहीं पाया गया था । साक्ष्य में यह बात आई है कि उस गांव में अभियुक्त के दो मकान हैं और अभिलेख पर यह बात नहीं लाई गई है कि सहायक उप निरीक्षक भगत राम द्वारा किस मकान की तलाशी ली गई थी । अभि. सा. 13, उप निरीक्षक प्रेम सिंह, जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत होने के पश्चात् मामले का अन्वेषण किया था, ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 25 अक्तूबर, 2009 को वरिन्दर कुमार और नरेश कुमार की मौजूदगी में मकान के निरीक्षण के दौरान उसने पूर्वोक्त पत्र बरामद किए थे जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रदर्श पी-1 लिफाफे में थे । उसने प्रतिपरीक्षा में भी यह कथन किया कि तारीख 24 अक्तूबर, 2009 की सायं तक किसी भी व्यक्ति द्वारा यह कथन नहीं किया गया था कि अभियुक्त द्वारा मृतका को तंग किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि दाह-संस्कार के पश्चात् अभि. सा. 3 वरिन्दर कुमार ने अपना कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/ए अभिलिखित कराया था । उसने यह स्वीकार किया कि मामले का अन्वेषण भागतः सहायक उप निरीक्षक भगत राम द्वारा किया गया था और सहायक उप निरीक्षक भगत राम द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को भरे गए रोजनामचे, प्रदर्श डीडी की सत्यता को भी स्वीकार किया, किंतु ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उसके द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को कौन-से मकान की तलाशी ली गई थी ।

27. तत्कालीन उप निरीक्षक, अभि. सा. 15 भगत राम ने यह कथन किया कि उसने अभि. सा. 6 महेन्द्र कुमार और मालवीय नगर, दिल्ली के डाकपाल का कथन अभिलिखित किया था और प्रदर्श पी-1 लिफाफे तथा उस पर लगी मुहर, प्रदर्श पीए के बारे में जांच-पड़ताल की थी । उसके द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2009 को ली गई अभिकथित तलाशी के बारे में उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था ।

28. अभि. सा. 8, सुखदेव डाकखाना लेहारी, सरैल का उप डाकपाल है । लिफाफा, प्रदर्श पी-1 और उस पर लगी मुहर को देखने पर उसने कथन किया कि यह लिफाफा उनके कार्यालय में पाने वाले को परिदत्त करने के लिए प्राप्त हुआ था और यह पत्र माह जुलाई, 2009 में प्राप्त हुआ था ।

29. पूर्वोक्त दस्तावेजी साक्ष्य और ऊपर चर्चा किए गए शासकीय साक्षियों के कथनों की समालोचनात्मक परीक्षा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लिफाफा, प्रदर्श पी-1 अभियुक्त को परिदत्त किया गया था जिसमें उसके मकान से बरामद किए गए पत्र, प्रदर्श पी-2 और पी-3 थे । प्रदर्श पी-2 पत्र की लिखाई की तुलना मृतका की एम. पी. ऐड. अंतिम वर्ष के दौरान बनाए रखी गई नोटबुक, प्रदर्श पीबी से अभि. सा. 12, डा. मीनाक्षी महाजन, हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई थी । मृतका के भाई अभि. सा. 3 वरिन्दर कुमार ने पूर्वोक्त नोटबुक तथा पत्र पी-2 पर की लिखाई को मृतका के हस्तलेख में होने की बात को साबित किया है क्योंकि उसने उसकी लिखाई को विद्यालय के दिनों से ही देखा था और उसका पालन-पोषण इस साक्षी की मौजूदगी में हुआ था तथा इन साक्षियों के साक्ष्य को निरस्त करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य नहीं है जिसकी प्रतिपरीक्षा की गई हो जो इसे संदेहास्पद बना सके । इस प्रकार, यह सिद्ध हो जाता है कि तारीख 29 जून, 2009 का पत्र, प्रदर्श पी-2 मृतका द्वारा अपने सास-ससुर को भेजा गया था और प्रदर्श पी-3 मृतका के पति द्वारा अपने माता-पिता को भेजा गया था, हालांकि प्रदर्श पी-3 पर कोई तारीख नहीं पड़ी है । इसके अतिरिक्त, लिफाफा प्रदर्श पी-1, जिसमें ये पत्र पाए गए थे, अभियुक्त को संबोधित था । जब एक बार यह साबित हो गया है कि ये पत्र मृतका और उसके पति के थे, अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या इन पत्रों की अंतर्वस्तुओं से ऐसे किसी अभिकथन का गठन होता है, जैसा कि क्रूरता या तंग करने की बात का गठन करने के लिए ऊपर स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया गया है, और जिसका साक्षियों द्वारा कथन किया गया है ।

30. पत्र, प्रदर्श पी-2 के परिशीलन से अभियुक्त के उन अभद्र कार्यकलापों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है जो मृतका को पसंद नहीं थे । इनमें उल्लिखित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन कृत्यों की जानकारी परिवार में केवल चार सदस्यों को, अर्थात् मृतका के सास-ससुर, स्वयं मृतका को और उसके पति को थी । अभियुक्त द्वारा मृतका का चुंबन लेने और बांहों में भरने का भी उल्लेख है, जिसे मृतका पसंद नहीं करती थी और अभियुक्त के उसके पिता के समान होने के कारण इसे अपमानजनक महसूस करती थी । जिस तरीके से अभियुक्त उससे प्यार जता रहा था वह उसे पसंद नहीं था । जब पहली बार यह सब हुआ तो उसने अपने आप को कोसा, किंतु उसने अभियुक्त को रोका नहीं ।

उसने अभियुक्त को सलाह दी कि वह अपनी अंतरआत्मा में झांक कर देखे कि क्या उसका आचरण और कार्य ठीक हैं । इस बात का भी उल्लेख है कि जब भी अभियुक्त ने मृतका का चुंबन लिया, उसने अपनी सास से इसकी शिकायत की, किंतु इससे कोई हल नहीं निकला । जब अभियुक्त ने अपनी सीमा को लांघा, तो उसने यह बात अपने पति को भी बताई और उसे भी गुस्सा आया । इसके अतिरिक्त, मृतका ने अभियुक्त से यह भी अनुरोध किया कि वह ऐसी गलती दोबारा न करे और अपनी पुत्रवधु से ऐसी रीति में प्यार न जताए जिससे उसकी लज्जा भंग होती हो । उसने उसे यह भी समझाया कि वह घर में घुटन महसूस कर रही है क्योंकि उसकी इन हरकतों से उसे ठेस पहुंच रही है और इसके साथ-ही साथ उसने अपनी सास के आचरण के प्रति भी खेद जताया जो मुद्दे को सुलझाने में असहाय थी । ये बातें अभियुक्त द्वारा मृतका को तंग किए जाने का प्रबल प्रमाण हैं जिन्होंने उसके जीवन को नरक बना दिया था क्योंकि अभियुक्त का आचरण अपनी पुत्रवधु की लज्जा के प्रति अमर्यादित था ।

31. यहां तक कि पत्र, प्रदर्श पी-3 में मृतका के पति ने भी अपने पिता के आचरण के बारे में अपने माता-पिता को जो कुछ कहा था, क्षमायाचना मांगी थी और अपने पिता पर उसका गुस्सा फूट पड़ा था और पश्चाताप जाहिर किया था । उसने उसे अपनी अंतरआत्मा में झांकने के लिए भी कहा था ।

32. अभिलेख पर यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका का पति उसे गांव में अपने माता-पिता के पास छोड़ गया था । मृतका ने आत्महत्या करने से लगभग 15 दिन पूर्व दूरभाष पर अपने भाई अभि. सा. 3 को यह सूचित किया था कि अभियुक्त अपने अवैध कार्यकलापों से बाज नहीं आ रहा है । इसलिए अभिकथित क्रूरता मृतका के आत्महत्या करने के समय के सन्निकट की गई थी जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । ऊपर चर्चा की गई विधि को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर मेरा सुविचारित मत है कि अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता बरती गई थी और तंग किया गया था, जिसकी वजह से उसे अपने विवाह के नौ माह के भीतर विष खाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । इस प्रकार, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क की सहायता से आरोपित अपराध साबित हो जाता है । तद्नुसार, अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है ।

33. जहां तक दंडादेश का संबंध है, अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने अभियुक्त की ढलती हुई वृद्धा अवस्था और वृद्धा अवस्था की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दया बरतने का अनुरोध किया है और यह भी अनुरोध किया है कि उसकी वृद्ध पत्नी की देख-रेख करने वाला उसके सिवाय कोई नहीं है, उसका एक पुत्र अपने परिवार सहित अलग रह रहा है और उसके अभियुक्त के साथ संबंध ठीक नहीं हैं तथा एक अन्य पुत्र अर्थात् मृतका का पति दिल्ली में कार्यरत है और संपूर्ण परिवार बर्बाद हो गया है । उसने यह भी अनुरोध किया कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त लगभग एक माह तक अभिरक्षा में रहा था और अक्तूबर, 2011 से वह कारागार में दंडादेश भुगत रहा है ।

34. मैंने उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है और न्यूनकारी तथा गुरुतरकारी परिस्थितियों तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की आयु अब लगभग 67 वर्ष है और इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह दर्शित होता है कि आज की तारीख तक सिद्धदोष-अपीलार्थी ने छह माह से अधिक का कारावास भुगत लिया है, इसलिए जुर्माने और उसके व्यतिक्रम खंड के साथ छेड़छाड़ किए बिना मूल दंडादेश को पहले ही भोगी गई अवधि तक कम कर देने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी । इसलिए तद्नुसार आदेश किया जाता है ।

35. परिणामतः, इस अपील में गुणागुण नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखते हुए दंडादेश को उपरोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है । यदि जुर्माने की रकम जमा कर दी गई है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए अन्यथा वह जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने का कारावास भोगेगा । अपील का निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

गुरपाल सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

तारीख 20 मार्च, 2012

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 156(3) – मजिस्ट्रेट की अन्वेषण किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति – जहां मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने के पश्चात् संहिता के अध्याय 15 में विहित प्रक्रिया अपनाता है वहां वह धारा 156(3) के अधीन पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश न देकर कोई अवैधता नहीं करता, इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करने के समय अधिकारिता की कोई भूल नहीं की है ।

अभिकथित तथ्य इस प्रकार हैं कि याची ने इस आधार पर प्रत्यर्थियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड संहिता की धारा 420, 423, 465, 466, 467, 468 और 120-ख के साथ पठित धारा 34 के अधीन परिवाद फाइल किया था कि याची की माता श्रीमती अक्की ग्राम संदोली में 7 बीघा और 7 बिस्वा भूमि की स्वामी थी जो उसके कब्जे में थी और यह भूमि एच. बी. सं. 199, परगना धर्मपुरा तहसील नालागढ़ में स्थित थी । प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारिका देवी ने दीवान चंद, मंगल और अन्य व्यक्तियों की सहमति से श्रीमती अक्की की भूमि का दानविलेख मिथ्या और कूटरचित तरीके से तैयार किया था तथा दानविलेख के माध्यम से जोर जबर्दस्ती से भूमि को हड़पा गया था । दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-ख के अधीन तारीख 29 जून, 2008 को तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 102 पुलिस थाना, बादड़ी में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । याची ने सिविल वाद में दानविलेख को भी चुनौती दी है । यह अभिकथन किया गया है कि श्रीमती अक्की देवी की भूमि को हड़पने के पश्चात् इन व्यक्तियों ने अर्थात् श्रीमती द्वारिकी, गुरचरण सिंह, बग्गा राम चौधरी, रतन सिंह, कानूनगो, दिलिप मोदगिल, राजेन्द्र कुमार शर्मा, रोहताश गोयल, प्रीतम चंद, मदन लाल और जसपाल सिंह ने याची के अधिकारों, हक और हित को दूषित करने के लिए भूमि के भाग की अदला-बदली की जिसमें

याची ने ग्राम संदोली, एच. बी. सं. 199 की दाखिल खारिज सं. 656/83-84 को तथा ग्राम बिलावली गुजरन एच. बी. सं. 198, तहसील नालागढ़ की भूमि का दाखिल खारिज सं. 802/71-72/83-84 मिथ्या और कूटरचित रूप से तैयार किया था । उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध 2009 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 80 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । तारीख 13 अक्तूबर, 2005 को भगवान दास के साथ इन दाखिल खारिजों के आधार पर भूमि की अदला-बदली दिखाई गई है जिसकी तारीख 14 फरवरी, 2004 को मृत्यु हो गई । विचारण न्यायालय ने तारीख 10 नवंबर, 2010 को मामले का संज्ञान लिया, तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन याचिका पर कोई विनिर्दिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया तथा पुलिस के पास अन्वेषण के लिए मामले को भेजा गया और तारीख 4 जनवरी, 2011 को प्रारंभिक साक्ष्य लेने के लिए याचिका पर तारीख तय की गई । याची ने तारीख 10 नवंबर, 2010 को आदेश को चुनौती दी जिसे तारीख 25 अप्रैल, 2011 को अपर सेशन न्यायाधीश, सोलन द्वारा खारिज कर दिया गया था । यह कथन किया गया है कि जब एक बार विचारण न्यायालय ने परिवाद में उल्लिखित अपराध का संज्ञान ले लिया था तब तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जैसाकि परिवाद में उल्लेख किया गया है परिवाद को प्रत्यर्थियों के विरुद्ध गंभीर अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा उस पर अन्वेषण किया जाना अपेक्षित था । निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए आदेश कायम योग्य नहीं हैं । याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, तारीख 11 जून, 2009 को मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया कि दंड संहिता की धारा 419, 420, 423 और 465 के अधीन 2009 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 80 पहले ही रजिस्ट्रीकृत की गई ताकि दाखिल-खारिज सं. 656 और 802 में न्यायालय का हस्तक्षेप हो । परिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का सहारा लेने की कोशिश की । पूर्वोक्त दाखिल-खारिज के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पहले ही रजिस्ट्रीकृत की गई है, ऐसी परिस्थिति में यह प्रतीत हुआ है कि संबंधित थाना भारसाधक अधिकारी को एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आदेश करके विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है । परिवादी के विद्वान् काउंसेल के अनुरोध पर मामले में स्थगन लिया गया था । मजिस्ट्रेट ने दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन तारीख 11 जून, 2009 को कार्यवाही करने से इनकार कर दिया, इस पर, तारीख 10 नवंबर, 2010 को मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया कि भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार 2009 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 80 के संबंध में रिपोर्ट को निरस्त करने की कार्यवाही की तैयारी की गई थी । दाखिल-खारिज सं. 802 और 656 में हेरफेर करके जालसाजी किए जाने के गंभीर अभिकथन किए गए थे और जो तथ्य तारीख 27 मई, 2009 को परिवादी की जानकारी में आए थे । मजिस्ट्रेट ने परिवाद को रजिस्ट्रीकृत करने का आदेश दिया तथा परिवाद में प्रारंभिक साक्ष्य को अभिलिखित किया । याचिका में यह कथन किया गया है कि यदि एक बार विचारण न्यायालय ने परिवाद में उल्लिखित अपराध का संज्ञान ले लिया था तब तथ्यों और परिस्थितियों जैसाकि परिवाद में उल्लिखित है तब पुलिस द्वारा परिवाद के अनुसार अन्वेषण किया जाना अपेक्षित था । देवरापल्ली लक्ष्मीनारायन रेड्डी और अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन शक्ति का मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(क) के अधीन अपराध का संज्ञान लिए जाने से पूर्व अवलंब लिया जा सकता है परंतु यदि उन्होंने एक बार ऐसा संज्ञान ले लिया है तब अध्याय XV में शामिल प्रक्रिया का सहारा ले सकता है और वे पूर्व संज्ञान अवस्था को वापस लेने के लिए तथा धारा 156(3) का सहारा लेने के लिए सक्षम नहीं है । याची द्वारा याचिका में यह आधार लिया गया कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् अन्वेषण के लिए पुलिस को मामला भेजना चाहिए था, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिकथित विधि में विरोध है । मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात् संहिता के अध्याय XV में विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की और ऐसा करते हुए उन्होंने कोई अवैधानिकता नहीं बरती है । मजिस्ट्रेट के पास यह भी विकल्प है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन समुचित प्रक्रम पर पुलिस की सहायता ले । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] (2011) 3 एस. सी. सी. 496 :
मोना पंवार बनाम **उच्च न्यायालय, इलाहाबाद**
मार्फत **इसके रजिस्ट्रार और अन्य**; 11

[2010]	(2010) 4 एस. सी. सी. 185 : **रमेश भाई पांडुराव हेदाउ** बनाम **गुजरात राज्य**;	10
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 705 : **मोहम्मद युसुफ** बनाम **श्रीमती अफाक जहान और एक अन्य**;	9
[1976]	ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1672 : **देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य** बनाम **वी. नारायण रेड्डी और अन्य** ।	8

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2011 का दांडिक एमएमओ सं. 186.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से	श्री विनोद ठाकुर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से	सुश्री रूमा कौशिक, अपर महाधिवक्ता श्री जे. एस. राना, सहायक महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 की ओर से	श्री रमाकांत शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से	श्री दिनेश भनोट, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 11 की ओर से	सर्वश्री अमरिन्द्र सिंह राना, अधिवक्ता और एच. एस. राना सहायक अधिवक्ता

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह – यह याचिका 2011 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 1-एनएल/10 में अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 25 अप्रैल, 2011 को पारित किए गए आदेश को अपास्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई है जिसमें 2009 के परिवाद सं. 107/2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 2, नालागढ़ द्वारा तारीख 10 नवंबर, 2010 को पारित किए गए आदेश की अभिपुष्टि की गई थी । यह भी अनुरोध किया गया था कि विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाए कि पुलिस को अन्वेषण किए जाने के लिए परिवाद को भेजा जाए ।

2. अभिकथित तथ्य इस प्रकार हैं कि याची ने इस आधार पर प्रत्यर्थियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड संहिता की धारा 420, 423, 465, 466, 467, 468 और 120-ख के साथ पठित धारा 34 के अधीन परिवाद फाइल किया था कि याची की माता श्रीमती अक्की ग्राम

संदोली में 7 बीघा और 7 बिस्वा भूमि की स्वामी थी जो उसके कब्जे में थी और यह भूमि एच. बी. सं. 199, परगना धर्मपुरा तहसील नालागढ़ में स्थित थी ।

3. प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारिका देवी ने दीवान चंद, मंगल और अन्य व्यक्तियों की सहमति से श्रीमती अक्की की भूमि का दानविलेख मिथ्या और कूटरचित तरीके से तैयार किया था तथा दानविलेख के माध्यम से जोर जबर्दस्ती से भूमि को हड़पा गया था । दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-ख के अधीन तारीख 29 जून, 2008 को तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 102 पुलिस थाना, बादड़ी में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । याची ने सिविल वाद में दानविलेख को भी चुनौती दी है ।

4. यह अभिकथन किया गया है कि श्रीमती अक्की देवी की भूमि को हड़पने के पश्चात् इन व्यक्तियों ने अर्थात् श्रीमती द्वारिकी, गुरचरण सिंह, बग्गा राम चौधरी, रतन सिंह, कानूनगो, दिलिप मोदगिल, राजेन्द्र कुमार शर्मा, रोहताश गोयल, प्रीतम चंद, मदन लाल और जसपाल सिंह ने याची के अधिकारों, हक और हित को दूषित करने के लिए भूमि के भाग की अदला-बदली की जिसमें याची ने ग्राम संदोली, एच. बी. सं. 199 की दाखिल खारिज सं. 656/83-84 को तथा ग्राम बिलावली गुजरन एच. बी. सं. 198, तहसील नालागढ़ की भूमि का दाखिल खारिज सं. 802/71-72/83-84 मिथ्या और कूटरचित रूप से तैयार किया था । उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध 2009 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 80 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । तारीख 13 अक्तूबर, 2005 को भगवान दास के साथ इन दाखिल खारिजों के आधार पर भूमि की अदला-बदली दिखाई गई है जिसकी तारीख 14 फरवरी, 2004 को मृत्यु हो गई ।

5. याची ने पूर्वोक्त दाखिल-खारिजों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की और उसकी जानकारी में यह आया कि प्रत्यर्थियों ने पूर्व में की गई जालसाजी का फायदा लेने के लिए दूरस्थ हेतु के साथ दाखिल-खारिज सं. 656 और 802 में हेरफेर करके एक और जालसाजी की । प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 10 की सहमति से तारीख 17 सितंबर, 2008 को प्रत्यर्थी सं. 2 की अनुमति ली जिसने यह स्वीकार करते हुए दाखिल-खारिजों की पुनर्विलोकन के बारे में सभी तथ्यों को जानता था कि अभिकथित भूमि की अदला-बदली के समय पर भगवान दास की मृत्यु हो चुकी थी और नम्बरदार के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए गए थे । प्रत्यर्थियों ने दाखिल-खारिज सं. 656 और 802 को निरस्त करने के बजाय अवैध दाखिल-खारिज वैधता

का रूप देने की कोशिश की । याची प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना, बादड़ी पहुंचे परंतु पुलिस ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, इस पर, याची ने दंड संहिता की धारा 420, 423, 465, 466, 467, 468 और 120-ख के साथ धारा 34 के अधीन शिकायत दर्ज की और याचिका इस बाबत फाइल की गई थी कि शिकायत को थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, बादड़ी को भेजा जाए ताकि मामले का रजिस्ट्रेशन करके उसमें अन्वेषण किया जाए ।

6. विचारण न्यायालय ने तारीख 10 नवंबर, 2010 को मामले का संज्ञान लिया, तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन याचिका पर कोई विनिर्दिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया तथा पुलिस के पास अन्वेषण के लिए मामले को भेजा गया और तारीख 4 जनवरी, 2011 को प्रारंभिक साक्ष्य लेने के लिए याचिका पर तारीख तय की गई । याची ने तारीख 10 नवंबर, 2010 के आदेश को चुनौती दी जिसे तारीख 25 अप्रैल, 2011 को अपर सेशन न्यायाधीश, सोलन द्वारा खारिज कर दिया गया था । यह कथन किया गया है कि जब एक बार विचारण न्यायालय ने परिवाद में उल्लिखित अपराध का संज्ञान ले लिया था तब तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जैसाकि परिवाद में उल्लेख किया गया है परिवाद को प्रत्यर्थियों के विरुद्ध गंभीर अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा उस पर अन्वेषण किया जाना अपेक्षित था । निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेश कायम योग्य नहीं हैं ।

7. पक्षकारों को सुना गया । याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के आदेश की अभिपुष्टि करके गलती की है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन इन गंभीर अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए, मामले के रजिस्ट्रेशन के लिए तथा पुलिस को अन्वेषण के लिए आदेश न करके गलती की है । प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने विचारण न्यायालय के तारीख 11 अक्तूबर, 2010 के आदेश का समर्थन किया है और यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन कार्यवाही करने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करके संज्ञान लेना चाहिए था । मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन अन्वेषण किए जाने के लिए पुलिस की मदद लेता । मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन विहित की गई प्रक्रिया का

अनुसरण करके संज्ञान लिया है, इसलिए ऐसे आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और यह आदेश याची के प्रतिकूल नहीं है ।

8. **देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य** बनाम **वी. नारायण रेड्डी और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संज्ञान अपराध के किए जाने के बारे में परिवाद की दशा में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन शक्ति की धारा 190(1)(क) के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के पूर्व, अवलंब लिया जा सकता है यदि उन्होंने एक बार ऐसा संज्ञान ले लिया है तब अध्याय XV में शामिल प्रक्रिया का सहारा ले सकता है, वह इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि पूर्व संज्ञान अवस्था को वापस ले और धारा 156(3) का उपचार ले ।

9. **मोहम्मद युसुफ** बनाम **श्रीमती अफाक जहान और एक अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मजिस्ट्रेट अध्याय 11 के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश करता है तब उससे पूर्व उसे यह करना चाहिए कि वह अपराध का संज्ञान ले । यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध के संज्ञान लेने का प्रस्ताव है तब उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई ऐसा अन्वेषण किए जाने का आदेश करे । जब एक बार उसने अपराध का संज्ञान लिया है तब उसे संहिता के अध्याय 15 में परिकल्पित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए ।

10. **रमेश भाई पांडुराव हेदाउ** बनाम **गुजरात राज्य**[3] वाले मामले में यह प्रश्न उद्भूत हुआ था कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 156(3) के अधीन पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करके कोई गलती की है तथा इसके बजाय संहिता की धारा 202 का सहारा लिया गया क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं उसको उपलब्ध थीं । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने बाद वाली प्रक्रिया को अपनाया और उसने अपीलार्थी द्वारा संहिता की धारा 200 के अधीन परिवाद के रूप में फाइल किए गए विरोधी याचिका का विचारण किया और इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन कार्यवाही की तथा मामले के तथ्यों पर जांच कराने के लिए इसे अपने पास रखा । ऐसे तरीके को अपनाने में कुछ भी अनियमितता नहीं

---

[1] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1672.

[2] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 705.

[3] (2010) 4 एस. सी. सी. 185.

बरती गई जिसमें विद्वान् मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही की क्योंकि धारा 202 की उपधारा (2) के प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट यदि यह उचित समझता है तब वह या तो धारा 203 के अधीन परिवाद को खारिज कर सकता है या धारा 193 के निबंधनों में कार्यवाही करके मामले को सेशन न्यायालय को सौंप सकता है ।

11. **मोना पंवार** बनाम **उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** मार्फत **इसके रजिस्ट्रार और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि मजिस्ट्रेट परिवाद का परिशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकालता है कि उसमें प्रकट अभिकथन संज्ञेय अपराध के हैं तब वह संहिता की धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण के लिए पुलिस को परिवाद भेजेगा, इससे न्याय में सहायता मिलना नहीं होगा और उसके लिए यह न्यायोचित होगा कि संहिता की धारा 200 में इंगित प्रक्रिया को स्वीकार करे ।

12. वर्तमान मामले में, तारीख 11 जून, 2009 को मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया कि दंड संहिता की धारा 419, 420, 423 और 465 के अधीन 2009 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 80 पहले ही रजिस्ट्रीकृत की गई ताकि दाखिल-खारिज सं. 656 और 802 में न्यायालय का हस्तक्षेप हो । परिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का सहारा लेने की कोशिश की । पूर्वोक्त दाखिल-खारिज के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पहले ही रजिस्ट्रीकृत की गई है, ऐसी परिस्थिति में यह प्रतीत हुआ है कि संबंधित थाना भारसाधक अधिकारी को एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आदेश करके विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है । परिवादी के विद्वान् काउंसेल के अनुरोध पर मामले में स्थगन लिया गया था । मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन तारीख 11 जून, 2009 को कार्यवाही करने से इनकार कर दिया, इस पर, तारीख 10 नवंबर, 2010 को मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया कि भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार 2009 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 80 के संबंध में रिपोर्ट को निरस्त करने की कार्यवाही की तैयारी की गई थी । दाखिल-खारिज सं. 802 और 656 में हेरफेर करके जालसाजी किए जाने के गंभीर अभिकथन किए गए थे और जो तथ्य तारीख 27 मई, 2009 को परिवादी की जानकारी में आए थे । मजिस्ट्रेट ने परिवाद को रजिस्ट्रीकृत करने का आदेश दिया तथा परिवाद में

---

[1] (2011) 3 एस. सी. सी. 496.

प्रारंभिक साक्ष्य को अभिलिखित किया ।

13. याचिका में यह कथन किया गया है कि यदि एक बार विचारण न्यायालय ने परिवाद में उल्लिखित अपराध का संज्ञान ले लिया था तब तथ्यों और परिस्थितियों जैसाकि परिवाद में उल्लिखित है तब पुलिस द्वारा परिवाद के अनुसार अन्वेषण किया जाना अपेक्षित था । **देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन शक्ति का मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(क) के अधीन अपराध का संज्ञान लिए जाने से पूर्व अवलंब लिया जा सकता है परंतु यदि उन्होंने एक बार ऐसा संज्ञान ले लिया है तब अध्याय XV में शामिल प्रक्रिया का सहारा ले सकता है और वे पूर्व संज्ञान अवस्था को वापस लेने के लिए तथा धारा 156(3) का सहारा लेने के लिए सक्षम नहीं है । याची द्वारा याचिका में यह आधार लिया गया कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् अन्वेषण के लिए पुलिस को मामला भेजना चाहिए था, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिकथित विधि में विरोध है । मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात् संहिता के अध्याय XV में विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की और ऐसा करते हुए उन्होंने कोई अवैधानिकता नहीं बरती है । मजिस्ट्रेट के पास यह भी विकल्प है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन समुचित प्रक्रम पर पुलिस की सहायता ले ।

14. मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश को पारित करते हुए अधिकारिता संबंधी कोई गलती नहीं की है । याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है । 2011 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 747 मुख्य याचिका के निपटाने को ध्यान में रखते हुए असफल हो गई है ।

याचिका खारिज की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

शांति देवी

तारीख 30 अप्रैल, 2012

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. के. आहूजा

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – पारिस्थितिक साक्ष्य [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 201] – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की कड़ी में से एक भी परिस्थिति को युक्तियुक्ततः और संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सका, वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना न्यायोचित नहीं है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त शांति देवी के गौरी दत्त (मृतक) के साथ प्रेम संबंध थे । गौरी दत्त तारीख 1 फरवरी, 2001 को गांव सकरोद में अपराह्न के लगभग 7.45 बजे अभियुक्त के मकान पर गया था । दिले राम और उसकी पत्नी कान्ही देवी, जो अभियुक्त के मकान से लगभग 30-35 फुट की दूरी पर रहने वाले पड़ोसी हैं, ने रात्रि में शांति देवी के मकान से किसी पुरुष की चिल्लाने की आवाज सुनी । तारीख 2 फरवरी, 2001 को सुबह दिले राम द्वारा अपने खेत में गौरी दत्त का शव पड़ा हुआ देखा गया । शव के सिर और चेहरे पर क्षतियां थीं । उसके पश्चात् दिले राम ने मृतक के पिता को सूचना दी । पुलिस को घटना की सूचना दी गई और पुलिस थाना, गोहर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मामले का अन्वेषण किया गया और मृतक गौरी दत्त का शव मरणोत्तर परीक्षा करने के लिए भेजा गया । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 3 फरवरी, 2001 को उस स्थान से लेकर, जहां गौरी दत्त का शव पाया गया था, अभियुक्त के मकान तक जाने वाले रास्ते पर प्रत्येक 10 फुट की दूरी पर रक्त पड़ा हुआ पाया और इस निमित्त स्थल नक्शा बनाया गया । तारीख 4 फरवरी, 2001 को अभियुक्त गिरफ्तार की गई और उसके पश्चात् तारीख 6 फरवरी, 2001 को अभियुक्त ने अभिकथित रूप से एक प्रकटन कथन किया और इस प्रकटन कथन के अनुसरण में 'चिमटा' बरामद किया गया, जो आक्रामक आयुध होना अभिकथित है । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और

अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त को हत्या कारित करने के अपराध के लिए आरोपित किया गया । उसने अपराध कारित करने की बात से पूर्णतः इनकार किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । राज्य द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक गौरी दत्त तारीख 1 फरवरी, 2001 को अपराह्न में लगभग 7.45 बजे अभियुक्त के मकान पर गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किया गया एकमात्र साक्ष्य मृतक के पिता अभि. सा. 1 पुरुषोत्तम का कथन है । तथापि, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह तारीख 1 फरवरी, 2001 को घर पर नहीं था । इस साक्षी के अनुसार, वह तारीख 1 फरवरी, 2001 को गांव बेहाली गया था और अगले दिन सुबह 8.30 बजे घर वापस आया था । जब वह वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसका पुत्र कहा हैं और फिर उसकी पत्नी ने बताया कि मृतक गौरी दत्त अभियुक्त के मकान पर गया है । इसलिए, मृतक के अभियुक्त के मकान पर जाने के बारे में इस साक्षी को स्वयं व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी । उसका कथन अनुश्रुत है और उसकी पत्नी द्वारा उसे दी गई जानकारी पर आधारित है तथा न्यायालय में उसकी परीक्षा नहीं कराई गई है । केवल मृतक की माता ही स्पष्ट रूप से यह कथन कर सकती थी कि मृतक कहां गया था । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गांव कोट में अभि. सा. 1 पुरुषोत्तम का मकान अभियुक्त के मकान से एक कि. मी. की दूरी पर है । इसलिए, मृतक के कहीं और जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । किसी भी व्यक्ति ने मृतक को वस्तुतः अभियुक्त के मकान में प्रवेश करते हुए नहीं देखा था और इसलिए यह परिस्थिति साबित नहीं होती है । अभियोजन पक्ष ने इस परिस्थिति को साबित करने के लिए अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों का अवलंब लिया है, जिन्होंने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त के मकान से आ रही किसी पुरुष की चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं । यदि इन कथनों का सत्य होना स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी पुरुष व्यक्ति की चिल्लाने की आवाजें सुनी गई थीं । यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ये चिल्लाने की आवाज मृतक की ही थी और किसी अन्य व्यक्ति की नहीं । अभि. सा. 3 दिले राम के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि

वह उस मकान में सांझीदार है जिसमें अभियुक्त रह रही है और इस मकान के संबंध में कुछ विवाद चल रहा है । इसलिए, उसके कथन को प्रथमदृष्ट्या ही स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अभियोजन पक्ष द्वितीय परिस्थिति के माध्यम से यह साबित करना चाहता है कि आक्रामक आयुध अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया था । इस परिस्थिति को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना चाहिए था कि केवल 'चिमटा' ही एकमात्र आक्रामक आयुध था । निस्संदेह, अभि. सा. 2 डा. जीवा नंद चौहान ने यह राय व्यक्त की है कि मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियां 'चिमटा' से कारित की जा सकती हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि क्षतियां इसी 'चिमटा' से कारित की गई थीं और किसी अन्य आयुध से नहीं । अति महत्वपूर्ण बात यह है कि 'चिमटा' पर रक्त के धब्बे पाए गए थे और मृतक के कपड़ों तथा मृतक के शव के निकट से रक्त बरामद किया गया था । नमूने न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे और इनकी रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/एफ के अनुसार इन नमूनों से रक्त-समूह का पता नहीं लगाया जा सका था । यह अपराध वर्ष 2001 में किया गया था और लिए गए नमूनों का डी. एन. ए. विश्लेषण कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । केवल इस कारण कि 'चिमटे' पर मानव रक्त पाया गया था, इसे मृतक की मृत्यु के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, चिमटे की बरामदगी ही स्वतः संदेह से मुक्त नहीं है । उक्त 'चिमटा' अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 14 अन्वेषक अधिकारी को किए गए अभिकथित प्रकटन कथन के आधार पर अभि. सा. 6 तारापति की मौजूदगी में बरामद किया गया था । इस प्रकटन कथन के अनुसार, अभियुक्त ने अभिकथित रूप से यह कथन किया कि जिस 'चिमटे' को उसने गौरी दत्त की हत्या करने के लिए प्रयुक्त किया था, उसे उसने अपने मकान में छिपाकर रखा हुआ है और वह उसे बरामद करा सकती है । उसके इस कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू-6/ए का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि इस कथन में केवल 'चिमटे' का ही जिक्र नहीं है अपितु यह कथन एक मिश्रित कथन है, जिसमें अभियुक्त ने एक प्रकटन कथन किया था और उसने इसमें यह उपदर्शित किया था कि वह केवल 'चिमटा' ही नहीं अपितु उन कपड़ों को भी बरामद करा सकती है जो वह घटना के समय पहने हुए थी तथा उस रस्सी को भी बरामद करा सकती है जो उसने मृतक के शव को घसीटने के लिए प्रयुक्त की थी । न तो अभि. सा. 6 तारापति और न ही अभि. सा. 14 धर्म चंद, अन्वेषक अधिकारी ने रस्सी और कपड़ों की बाबत एक शब्द भी कहा है । कथन को टुकड़ों में नही पढ़ा जा सकता है और संपूर्ण कथन

या तो सत्य है या संपूर्ण कथन को त्यक्त किया जाना चाहिए । इसलिए, कथन की सच्चाई ही स्वतः संदेह के घेरे में है । यदि दलील की खातिर यह उपधारणा भी कर ली जाए कि अभियुक्त ने ऐसा प्रकटन कथन किया था, तो भी अभियोजन पक्ष को जो अगली बात साबित करनी चाहिए थी, वह यह थी कि 'चिमटा' वस्तुतः अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया था । इस बाबत साक्ष्य पूरी तरह से लुप्त है । इस बाबत जिस साक्षी की परीक्षा कराई गई है, वह अभि. सा. 8 भावदेव है और उसने निस्संदेह यह कथन किया है कि अभियुक्त ने 'चिमटा' बरामद कराया था जो उसने अपने मकान की दीवार पर रखा हुआ था किंतु अभि. सा. 13, जो बरामदगी का अन्य साक्षी है, ने अभि. सा. 8 के कथन की संपुष्टि नहीं की है । इस साक्षी के अनुसार, 'चिमटा' प्रदर्श पी-1 अभियुक्त के मकान से प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/डी द्वारा बरामद किया गया था और इसे एक पार्सल में बंद किया गया था तथा 'एच' छाप की मुद्रा से मुहरबंद किया गया था । तथापि, इस साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि 'चिमटा' अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया था । इसलिए, द्वितीय परिस्थिति भी साबित नहीं होती है । अवलंब ली गई तृतीय परिस्थिति कपड़ों और जूतों की तथाकथित बरामदगी है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रकटन कथन अभि. सा. 6 और अभि. सा. 14 की मौजूदगी में किया गया था, किंतु इन साक्षियों ने कपड़ों और रस्सी के संबंध में किए गए प्रकटन कथन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है । तथापि, यह बताया गया है कि बरामदगी अभि. सा. 8 और अभि. सा. 13 की मौजूदगी में की गई थी । अभि. सा. 13 ने केवल यह कथन किया है कि कपड़े अर्थात् सलवार और कमीज तथा रस्सी कब्जे में लिए गए थे, किंतु उसने यह कथन नहीं किया है कि ये वस्तुएं अभियुक्त के बताने पर बरामद की गई थीं । इसलिए यह परिस्थिति भी साबित नहीं होती है । चतुर्थ परिस्थिति अभियुक्त की गौशाला से उस लकड़ी के तख्ते की बरामदगी के बारे में है, जिस पर अभिकथित रूप से मृतक का रक्त लगा हुआ था । जैसा कि इस लकड़ी के तख्ते के बारे में भी पहले ही उल्लेख किया गया है, यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त लकड़ी के तख्ते पर लगा हुआ रक्त मृतक का ही था । इसके अतिरिक्त, इस लकड़ी के तख्ते की बरामदगी के संबंध में बहुत अधिक विरोधाभास है । अभि. सा. 8 तथा बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/ई के अनुसार यह लकड़ी का तख्ता, प्रदर्श पी-7, अभियुक्त की गौशाला से बरामद किया गया था । जबकि अभि. सा. 3 के अनुसार यह लकड़ी का तख्ता अभियुक्त के मकान की प्रथम मंजिल से

बरामद किया गया था । इससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि यह बरामदगी भी मनगढ़ंत साक्ष्य है । पंचम परिस्थिति अभियुक्त के बताने पर मृतक की चप्पलों तथा रस्सी, जो उसने अभिकथित रूप से मृतक के शव को घसीटने के लिए प्रयुक्त की थी, की बरामदगी है । जहां तक चप्पलों की बरामदगी का संबंध है, न कहना ही बेहतर है । यहां तक कि अभियोजन पक्ष का भी यह पक्षकथन है कि चप्पलें मृतक की होने की शनाख्त उसके पिता श्री पुरुषोत्तम द्वारा की गई थी । जब न्यायालय में पुरुषोत्तम की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा कराई गई, तब उसने चप्पलों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । इसलिए, अभियोजन पक्ष यहां तक साबित करने में असफल रहा कि चप्पलें मृतक की ही थीं । बरामदगी के संबंध में अभि. सा. 8 और अभि. सा. 13 के कथनों में विरोधाभास है । ये चप्पलें अभिकथित रूप से अभियुक्त के मकान के पीछे झाड़ियों से बरामद की गई थीं और बरामदगी अनुमित रूप से तारीख 7 फरवरी, 2001 को की गई थी । घटना के लगभग छह दिनों के पश्चात् खुले स्थान से इन चप्पलों की बरामदगी वस्तुतः निरर्थक है और इसलिए यह परिस्थिति भी साबित नहीं होती है । परिस्थिति सं. 6 यह तथ्य है कि अभियुक्त के मकान से लेकर उस स्थान तक जाने वाले रास्ते पर, जहां मृतक का शव पाया गया था, प्रत्येक दस फुट की दूरी पर रक्त के धब्बे पाए गए थे । इस संबंध में एकमात्र साक्ष्य उस अन्वेषक अधिकारी है जिसने उन विभिन्न स्थानों को दर्शाते हुए जहां रक्त के धब्बे पाए गए थे, स्थल नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी, बनाया था । यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि इसी साक्षी ने एक स्थल नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी तारीख 2 फरवरी, 2001 को भी बनाया था । यह वह दिन था जब अन्वेषक अधिकारी पहली बार घटनास्थल पर गया था । उसने उसी दिन एक स्थल नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी है । इस स्थल नक्शे में कोई रक्त के धब्बों का जिक्र नहीं है । जब कोई पुलिस पदधारी किसी हत्या के मामले का अन्वेषण कर रहा है और शव खेत में पाया गया है, तब उससे कम-से-कम यह प्रत्याशा की जाती है कि यह देखे कि क्या किसी अन्य स्थान तक रक्त के चिह्न तो नहीं जा रहे हैं । इन रक्त चिह्नों का प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी में कोई उल्लेख नहीं है, जो तात्पर्यित रूप से तारीख 3 फरवरी, 2001 को बनाया गया था । इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ये रक्त के चिह्न पहले दिन क्यों नहीं दिखाई पड़े थे । इसलिए, इस परिस्थिति का भी अवलंब नहीं लिया जा सकता है उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी परिस्थिति को साबित नहीं किया गया है ।

इसलिए, इस अपील को खारिज करते हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को कायम रखते हैं । (पैरा 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2002]	(2002) 1 एस. सी. सी. 702 : **सुभाष चंद** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	7
[1994]	(1994) 2 एस. सी. सी. 220 : **धनंजय चटर्जी** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	6
[1984]	(1984) 4 एस. सी. सी. 116 : **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	5

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 2005.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री विवेक सिंह ठाकुर, अपर महाधिवक्ता और उनके साथ राजेश मंधोत्रा, उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जी. आर. पल्सरा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – राज्य द्वारा यह अपील विद्वान् पीठासीन अधिकारी, त्वरित निपटान न्यायालय, मंडी द्वारा तारीख 9 जून, 2005 को दिए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उन्होंने अभियुक्त को उसके द्वारा कारित भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियुक्त शांति देवी के गौरी दत्त (मृतक) के साथ प्रेम संबंध थे । गौरी दत्त तारीख 1 फरवरी, 2001 को गांव सकरोद में अपराह्न के लगभग 7.45 बजे अभियुक्त के मकान पर गया था । अभि. सा. 3 दिले राम और उसकी पत्नी अभि. सा. 4 कान्ही देवी, जो अभियुक्त के मकान से लगभग 30-35 फुट की दूरी पर रहने वाले पड़ोसी हैं, ने रात्रि में शांति देवी के मकान से किसी पुरुष की चिल्लाने की आवाज सुनी । तारीख 2 फरवरी, 2001 को सुबह अभि. सा. 3 दिले राम द्वारा अपने खेत में गौरी दत्त का शव पड़ा हुआ देखा । शव के

सिर और चेहरे पर क्षतियां थीं । उसके पश्चात् अभि. सा. 3 दिले राम ने अभि. सा. 2 मंगत राम तथा मृतक के पिता अभि. सा. 1 पुरुषोत्तम को सूचित किया । अभि. सा. 2 मंगत राम ने पुलिस को दूरभाष पर सूचना दी, जिसे रोजनामचा रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-10/ए में अभिलिखित किया गया । पुलिस थाना, गोहर के थाना भारसाधक अधिकारी, अभि. सा. 14 धर्म चंद हैड कांस्टेबल दिलू राम और दो कांस्टेबलों के साथ घटनास्थल पर गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभि. सा. 1 का कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू-1/ए अभिलिखित किया । इस कथन के आधार पर पुलिस थाना, गोहर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-10/बी रजिस्ट्रीकृत की गई । आगे अन्वेषण किया गया और शव के फोटो लिए गए । घटनास्थल, जहां शव पाया गया था, से रक्तरंजित मिट्टी, पत्थर और पत्ते कब्जे में लिए गए और ज्ञापन, प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/ए और प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/बी द्वारा अभिगृहीत किए गए । घटनास्थल पर शव के निकट पड़े हुए रक्त को भी एक प्लास्टिक के मर्तबान में प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/सी द्वारा कब्जे में लिया गया और अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी बनाया गया ।

3. मृतक गौरी दत्त का शव मरणोत्तर परीक्षा करने के लिए भेजा गया । अभि. सा. 7 डा. जीवा नंद चौहान ने मरणोत्तर परीक्षा की और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-7/ए जारी की और उसके अनुसार मृतक की मृत्यु सिर पर पहुंची क्षति और शरीर के अन्य अंगों पर पहुंची अनेक क्षतियों के मिश्रित प्रभाव के कारण हुई थी । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 3 फरवरी, 2001 को उस स्थान से लेकर, जहां गौरी दत्त का शव पाया गया था, अभियुक्त के मकान तक जाने वाले रास्ते पर प्रत्येक 10 फुट की दूरी पर रक्त पड़ा हुआ पाया और इस निमित्त स्थल नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/ई बनाया गया । तारीख 4 फरवरी, 2001 को अभियुक्त गिरफ्तार की गई और उसके पश्चात् तारीख 6 फरवरी, 2001 को अभियुक्त ने अभिकथित रूप से एक प्रकटन कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू-6/ए किया और इस प्रकटन कथन के अनुसरण में 'चिमटा', प्रदर्श पी-1 बरामद किया गया, जो आक्रामक आयुध होना अभिकथित है । बरामदगी अभि. सा. 8 और अभि. सा. 3 की मौजूदगी में की गई थी । अगले दिन अभियुक्त ने अभिकथित रूप से शव आदि के बरामदगी स्थान की शनाख्त की । उसने उन कपड़ों अर्थात् सलवार, प्रदर्श पी-3 और कमीज, प्रदर्श पी-2 जो कि उसने हत्या करने के समय अभिकथित रूप से पहने हुए थे, के बारे में भी प्रकटन कथन किया । इन्हें अभिग्रहण ज्ञापन,

प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/ए द्वारा कब्जे में लिया गया । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियुक्त के बताने पर उसके जूते, ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/बी द्वारा और साथ ही रस्सी, पी-5 ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/सी द्वारा अभिगृहीत किए गए थे । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त ने ये कपड़े और जूते पहने हुए थे जब उसने मृतक की हत्या की । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि रस्सी, प्रदर्श पी-5 को मृतक को बांधने के लिए और उसके शव को दिले राम के खेत तक घसीटने के लिए प्रयुक्त किया गया था । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान एक लकड़ी का तख्ता, प्रदर्श पी-7 भी अभिकथित रूप से बरामद किया था जिस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे और इसे अभियुक्त की गौशाला से बरामद किया गया था । मृतक की चप्पल, प्रदर्श पी-8 अभिकथित रूप से तलाशी के परिणामस्वरूप झाड़ियों से बरामद की गई थी और अभि. सा. 1 द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू -8/जी द्वारा इस चप्पल की शनाख्त मृतक की चप्पल के रूप में की गई थी । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त को पूर्वोक्त अपराध कारित के लिए आरोपित किया गया । उसने अपराध कारित करने की बात से पूर्णतः इनकार किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए राज्य द्वारा यह अपील फाइल की गई है ।

4. यह विवादग्रस्त नहीं है कि मृतक की हत्या नहीं हुई थी । अभि. सा. 7 डा. जीवा नंद चौहान का चिकित्सीय साक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु उसे पहुंची मृत्यु-पूर्व की क्षतियों के कारण हुई थी । एकमात्र प्रश्न यह है - मृतक की हत्या किसने की ? किसी भी व्यक्ति ने अपराध कारित होते हुए नहीं देखा है और इसलिए अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है ।

5. पारिस्थितिक साक्ष्य के संबंध में विधि अति स्पष्ट है । **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "इससे पूर्व कि यह कहा जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह से सिद्ध होता है, निम्नलिखित शर्तें पूरी होना आवश्यक हैं –
>
> (1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला

[1] (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

जाना है, पूरी तरह से सिद्ध की जानी चाहिएं ।

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य परिकल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं ।

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर परिकल्पना के सिवाय हर संभावित परिकल्पना अपवर्जित करनी चाहिए, और

(5) साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि सम्पूर्ण मानवीय संभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।"

6. **धनंजय चटर्जी** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, न केवल पूरी तरह से सिद्ध की जानी चाहिएं अपितु इस प्रकार सिद्ध की गई सभी परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति तथा केवल अभियुक्त की दोषिता के अनुरूप होनी चाहिएं । उन परिस्थितियों में अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए और साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप धारणा के लिए कोई युक्तियुक्त आधार शेष न रहे । यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि केवल विधितः सिद्ध परिस्थितियां ही न कि मात्र न्यायालय का आक्रोश दोषसिद्धि का आधार हो सकता है तथा अपराध जितना गंभीर हो, साक्ष्य की संवीक्षा करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि संदेह सबूत का स्थान न ले सके ।"

7. उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा **शरद बिरधीचंद**

---

[1] (1994) 2 एस. सी. सी. 220.

शारदा (उपरोक्त) और **धनंजय चटर्जी** (उपरोक्त) वाले मामलों का अवलंब **सुभाष चंद** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में लिया गया था ।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियां निम्नलिखित हैं :–

1. तारीख 1 फरवरी, 2001 को मृतक अभियुक्त के घर गया था और उसके पश्चात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा अभियुक्त के मकान से किसी पुरुष की पिटाई किए जाने का शोर और चिल्लाने की आवाजें सुनी गईं ।

2. अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटन कथन किया और उक्त प्रकटन कथन के अनुसरण में उसने आक्रामक आयुध अर्थात् 'चिमटा', प्रदर्श पी-1 बरामद कराया और अभिलेख पर के चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक को पहुंची क्षतियां, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, 'चिमटा', प्रदर्श पी-1 से कारित की जानी संभव हैं ।

3. अभियुक्त ने अन्वेषण के दौरान अपने कपड़े और जूते प्रस्तुत किए थे, जिन पर रसायनिक परीक्षण करने पर रक्त लगा हुआ पाया गया था ।

4. अभियुक्त के कमरे से बरामद किए गए लकड़ी के तख्ते पर भी रक्त लगा हुआ पाया गया था ।

5. अभियुक्त ने अन्वेषण के दौरान मृतक की चप्पलों के साथ-साथ वह रस्सी भी बरामद कराई थी जिसका प्रयोग अभियुक्त द्वारा अपने मकान से मृतक गौरी दत्त का शव हटाने के लिए किया गया था ।

6. अन्वेषण के दौरान अभियुक्त शांति देवी के मकान की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रत्येक दस फुट की दूरी पर रक्त पड़ा हुआ पाया गया था और इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/ई बनाया गया था ।

प्रथम परिस्थिति

9. अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक गौरी दत्त तारीख 1 फरवरी, 2001 को अपराह्न में लगभग 7.45 बजे अभियुक्त के मकान पर गया था ।

---

[1] (2002) 1 एस. सी. सी. 702.

अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किया गया एकमात्र साक्ष्य मृतक के पिता अभि. सा. 1 पुरुषोत्तम का कथन है । तथापि, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह तारीख 1 फरवरी, 2001 को घर पर नहीं था । इस साक्षी के अनुसार, वह तारीख 1 फरवरी, 2001 को गांव बेहाली गया था और अगले दिन सुबह 8.30 बजे घर वापस आया था । जब वह वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसका पुत्र कहां हैं और फिर उसकी पत्नी ने बताया कि मृतक गौरी दत्त अभियुक्त के मकान पर गया है । इसलिए, मृतक के अभियुक्त के मकान पर जाने के बारे में इस साक्षी को स्वयं व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी । उसका कथन अनुश्रुत है और उसकी पत्नी द्वारा उसे दी गई जानकारी पर आधारित है तथा न्यायालय में उसकी परीक्षा नहीं कराई गई है । केवल मृतक की माता ही स्पष्ट रूप से यह कथन कर सकती थी कि मृतक कहां गया था ।

10. इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गांव कोट में अभि. सा. 1 पुरुषोत्तम का मकान अभियुक्त के मकान से एक कि. मी. की दूरी पर है । इसलिए, मृतक के कहीं और जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । किसी भी व्यक्ति ने मृतक को वस्तुतः अभियुक्त के मकान में प्रवेश करते हुए नहीं देखा था और इसलिए यह परिस्थिति साबित नहीं होती है ।

11. अभियोजन पक्ष ने इस परिस्थिति को साबित करने के लिए अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों का अवलंब लिया है, जिन्होंने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त के मकान से आ रही किसी पुरुष की चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं । यदि इन कथनों का सत्य होना स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी पुरुष व्यक्ति की चिल्लाने की आवाजें सुनी गई थीं । यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ये चिल्लाने की आवाज मृतक की ही थी और किसी अन्य व्यक्ति की नहीं । अभि. सा. 3 दिले राम के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि वह उस मकान में सांझीदार है जिसमें अभियुक्त रह रही है और इस मकान के संबंध में कुछ विवाद चल रहा है । इसलिए, उसके कथन को इसके प्रत्यक्षतः मूल्य के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

द्वितीय परिस्थिति

12. अभियोजन पक्ष इस परिस्थिति के माध्यम से यह साबित करना चाहता है कि आक्रामक आयुध अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया

था । इस परिस्थिति को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना चाहिए था कि केवल 'चिमटा' ही एकमात्र आक्रामक आयुध था । निस्संदेह, अभि. सा. 2 डा. जीवा नंद चौहान ने यह राय व्यक्त की है कि मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियां 'चिमटा' से कारित की जा सकती हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि क्षतियां इसी 'चिमटा' से कारित की गई थीं और किसी अन्य आयुध से नहीं । अति महत्वपूर्ण बात यह है कि 'चिमटा' पर रक्त के धब्बे पाए गए थे और मृतक के कपड़ों तथा मृतक के शव के निकट से रक्त बरामद किया गया था । नमूने न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे और इनकी रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/एफ के अनुसार इन नमूनों से रक्त-समूह का पता नहीं लगाया जा सका था । यह अपराध वर्ष 2001 में किया गया था और लिए गए नमूनों का डी. एन. ए. विश्लेषण कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । केवल इस कारण कि 'चिमटे' पर मानव रक्त पाया गया था, इसे मृतक की मृत्यु के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा ।

13. इसके अतिरिक्त, चिमटे की बरामदगी ही स्वतः संदेह से मुक्त नहीं है । उक्त 'चिमटा' अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 14 अन्वेषक अधिकारी को किए गए अभिकथित प्रकटन कथन के आधार पर अभि. सा. 6 तारापति की मौजूदगी में बरामद किया गया था । इस प्रकटन कथन के अनुसार, अभियुक्त ने अभिकथित रूप से यह कथन किया कि जिस 'चिमटे' को उसने गौरी दत्त की हत्या करने के लिए प्रयुक्त किया था, उसे उसने अपने मकान में छिपाकर रखा हुआ है और वह उसे बरामद करा सकती है । उसके इस कथन, प्रदर्श पीडब्ल्यू-6/ए का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि इस कथन में केवल 'चिमटे' का ही जिक्र नहीं है अपितु यह कथन एक मिश्रित कथन है, जिसमें अभियुक्त ने एक प्रकटन कथन किया था और उसने इसमें यह उपदर्शित किया था कि वह केवल 'चिमटा' ही नहीं अपितु उन कपड़ों को भी बरामद करा सकती है जो वह घटना के समय पहने हुए थी तथा उस रस्सी को भी बरामद करा सकती है जो उसने मृतक के शव को घसीटने के लिए प्रयुक्त की थी । न तो अभि. सा. 6 तारापति और न ही अभि. सा. 14 धर्म चंद, अन्वेषक अधिकारी ने रस्सी और कपड़ों की बाबत एक शब्द भी कहा है । कथन को टुकड़ों में नही पढ़ा जा सकता है और संपूर्ण कथन या तो सत्य है या संपूर्ण कथन को त्यक्त किया जाना चाहिए ।

14. इसलिए, कथन की सच्चाई ही स्वतः संदेह के घेरे में है । यदि

दलील की खातिर यह उपधारणा भी कर ली जाए कि अभियुक्त ने ऐसा प्रकटन कथन किया था, तो भी अभियोजन पक्ष को जो अगली बात साबित करनी चाहिए थी, वह यह थी कि 'चिमटा' वस्तुतः अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया था । इस बाबत साक्ष्य पूरी तरह से लुप्त है । इस बाबत जिस साक्षी की परीक्षा कराई गई है, वह अभि. सा. 8 भावदेव है और उसने निस्संदेह यह कथन किया है कि अभियुक्त ने 'चिमटा' बरामद कराया था जो उसने अपने मकान की दीवार पर रखा हुआ था किंतु अभि. सा. 13, जो बरामदगी का अन्य साक्षी है, ने अभि. सा. 8 के कथन की संपुष्टि नहीं की है । इस साक्षी के अनुसार, 'चिमटा' प्रदर्श पी-1 अभियुक्त के मकान से प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/डी द्वारा बरामद किया गया था और इसे एक पार्सल में बंद किया गया था तथा 'एच' छाप की मुद्रा से मुहरबंद किया गया था । तथापि, इस साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि 'चिमटा' अभियुक्त के बताने पर बरामद किया गया था । इसलिए, द्वितीय परिस्थिति भी साबित नहीं होती है ।

तृतीय परिस्थिति

15. अवलंब ली गई तृतीय परिस्थिति कपड़ों और जूतों की तथाकथित बरामदगी है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रकटन कथन अभि. सा. 6 और अभि. सा. 14 की मौजूदगी में किया गया था, किंतु इन साक्षियों ने कपड़ों और रस्सी के संबंध में किए गए प्रकटन कथन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है । तथापि, यह बताया गया है कि बरामदगी अभि. सा. 8 और अभि. सा. 13 की मौजूदगी में की गई थी । अभि. सा. 13 ने केवल यह कथन किया है कि कपड़े अर्थात् सलवार और कमीज तथा रस्सी कब्जे में लिए गए थे, किंतु उसने यह कथन नहीं किया है कि ये वस्तुएं अभियुक्त के बताने पर बरामद की गई थीं । इसलिए यह परिस्थिति भी साबित नहीं होती है ।

चतुर्थ परिस्थिति

16. यह परिस्थिति अभियुक्त की गौशाला से उस लकड़ी के तख्ते की बरामदगी के बारे में है, जिस पर अभिकथित रूप से मृतक का रक्त लगा हुआ था । जैसा कि इस लकड़ी के तख्ते के बारे में भी पहले ही उल्लेख किया गया है, यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त लकड़ी के तख्ते पर लगा हुआ रक्त मृतक का ही था । इसके अतिरिक्त, इस लकड़ी के तख्ते की बरामदगी के संबंध में बहुत अधिक विरोधाभास है । अभि. सा. 8 तथा बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/ई के

अनुसार यह लकड़ी का तख्ता, प्रदर्श पी-7, अभियुक्त की गौशाला से बरामद किया गया था । जबकि अभि. सा. 3 के अनुसार यह लकड़ी का तख्ता अभियुक्त के मकान की प्रथम मंजिल से बरामद किया गया था । इससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि यह बरामदगी भी मनगढ़ंत साक्ष्य है ।

पंचम परिस्थिति

17. पंचम परिस्थिति अभियुक्त के बताने पर मृतक की चप्पलों तथा रस्सी, जो उसने अभिकथित रूप से मृतक के शव को घसीटने के लिए प्रयुक्त की थी, की बरामदगी है । जहां तक चप्पलों की बरामदगी का संबंध है, न कहना ही बेहतर है । यहां तक कि अभियोजन पक्ष का भी यह पक्षकथन है कि चप्पलें मृतक की होने की शनाख्त उसके पिता श्री पुरुषोत्तम द्वारा की गई थी । जब न्यायालय में पुरुषोत्तम की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा कराई गई, तब उसने चप्पलों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । इसलिए, अभियोजन पक्ष यहां तक साबित करने में असफल रहा कि चप्पलें मृतक की ही थीं । बरामदगी के संबंध में अभि. सा. 8 और अभि. सा. 13 के कथनों में विरोधाभास है । ये चप्पलें अभिकथित रूप से अभियुक्त के मकान के पीछे झाड़ियों से बरामद की गई थीं और बरामदगी अनुमित रूप से तारीख 7 फरवरी, 2001 को की गई थी । घटना के लगभग छह दिनों के पश्चात् खुले स्थान से इन चप्पलों की बरामदगी वस्तुतः निरर्थक है और इसलिए यह परिस्थिति भी साबित नहीं होती है ।

षष्ठम परिस्थिति

18. अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिस्थिति सं. 6 यह तथ्य है कि अभियुक्त के मकान से लेकर उस स्थान तक जाने वाले रास्ते पर, जहां मृतक का शव पाया गया था, प्रत्येक दस फुट की दूरी पर रक्त के धब्बे पाए गए थे । इस संबंध में एकमात्र साक्ष्य उस अन्वेषक अधिकारी का है जिसने उन विभिन्न स्थानों को दर्शाते हुए जहां रक्त के धब्बे पाए गए थे, स्थल नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी, बनाया था । यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि इसी साक्षी ने एक स्थल नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी तारीख 2 फरवरी, 2001 को भी बनाया था । यह वह दिन था जब अन्वेषक अधिकारी पहली बार घटनास्थल पर गया था । उसने उसी दिन एक स्थल नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी है । इस स्थल नक्शे में कोई रक्त के धब्बों का जिक्र नहीं है । जब कोई पुलिस पदधारी किसी हत्या के मामले का अन्वेषण कर रहा है और शव खेत में पाया गया है, तब

उससे कम-से-कम यह प्रत्याशा की जाती है कि यह देखे कि क्या किसी अन्य स्थान तक रक्त के चिह्न तो नहीं जा रहे हैं । इन रक्त के चिह्नों का प्रदर्श पीडब्ल्यू-14/डी में कोई उल्लेख नहीं है, जो तात्पर्यित रूप से तारीख 3 फरवरी, 2001 को बनाया गया था । इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ये रक्त के चिह्न पहले दिन क्यों नहीं दिखाई पड़े थे । इसलिए, इस परिस्थिति का भी अवलंब नहीं लिया जा सकता है ।

19. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी परिस्थिति को साबित नहीं किया गया है । इसलिए, हम इस अपील को खारिज करते हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को कायम रखते हैं । जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

(2012) 1 दा. नि. प. 340 **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

सुनील कुमार और अन्य

तारीख 2 मई, 2012

न्यायमूर्ति संजय करोल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 – हत्या – अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्षियों द्वारा घटना घटने की रीति के बारे में भिन्न-भिन्न कथन किए जाने और उनके परिसाक्ष्यों में अनेक जोड़-तोड़ और सुधार होने के कारण अभियुक्तों को घटना से जोड़ने के लिए साक्ष्य की शृंखला संदेहास्पद और अविश्वसनीय हो जाने पर अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित और न्यायसंगत है ।

अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार आकाश (मृतक) तारीख 16 मई, 2004 को पूर्वाह्न में लगभग 7.30-8.00 बजे गांव हरिपुर में वेद व्रत के मकान से बाहर आ रहा था । उसी समय सुनील कुमार (अभियुक्त सं. 1),

रीटा देवी (अभियुक्त सं. 2), नंद लाल (अभियुक्त सं. 3) और सरताजू देवी (अभियुक्त सं. 4) ने उसका रास्ता रोका । अभियुक्त सुनील कुमार और रीटा देवी डंडे (लाठी) से लैस थे । सुनील कुमार ने किसी कारण के बिना डंडे से आकाश के सिर पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे क्षतियां पहुंचीं । उसके बाद अभियुक्त रीटा देवी ने भी डंडे से आकाश पर कई प्रहार किए । अभियुक्त नंद लाल और श्रीमती सरताजू देवी ने अन्य अभियुक्तों को उकसाया कि इसकी और पिटाई की जाए । आकाश की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी श्रीमती कांता देवी घटनास्थल पर आई । तथापि, अभियुक्त नंद लाल ने उसे आकाश को अन्य अभियुक्तों के शिकंजे से बचाने के लिए रोका । घटना अभिकथित रूप से अभियोजन साक्षी प्रवीण कुमार, अमर सिंह और मोहिन्द्र कुमार द्वारा देखी गई थी । प्रवीण कुमार ने दूरभाष पर घटना के बारे में पुलिस को सूचना देने की कोशिश की किंतु सूचना नहीं दी जा सकी । किंतु वह व्यक्तिगत रूप से पुलिस चौकी, कुनिहार गया और घटना के बारे में सूचना दी । वहां मौजूद पुलिस पदधारियों ने उससे कहा कि आकाश को, चाहे वह जीवित है या मृत, पुलिस चौकी लाया जाए । प्रवीण कुमार घटनास्थल पर वापस आया । उसने एक वैन का प्रबंध किया और आकाश को उक्त पुलिस चौकी लेकर आया जहां कांता देवी ने रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस द्वारा उसके आधार पर रोजनामचे में प्रविष्टि की गई । आकाश को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुनिहार ले जाया गया जहां पर डा. अभिलाष शर्मा द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया और उसने रोगी को एम. एल. सी. द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केन्द्र तथा अस्पताल, शिमला के लिए रेफर किया और वहां से आकाश को आगे पी. जी. आई. अस्पताल, चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया, जहां उसे तारीख 17 मई, 2004 को दाखिल किया गया । दुर्भाग्यवश तारीख 26 मई, 2005 को आकाश की अस्पताल में मृत्यु हो गई । पुलिस ने अन्वेषण किया और अन्वेषण पूरा होने पर न्यायालय में विचारण के लिए चालान प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया गया । निचले न्यायालय ने अभिलेख पर की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य पर विचार करने पर न्यायालय

ने यह पाया है कि उन्होंने घटना घटित होने के बारे में पूर्णतः भिन्न और अलग रीति में वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी पाया है कि उनके साक्ष्य में कई जोड़-तोड़, सुधार और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बाते हैं जिनसे उनके कथन अविश्वसनीय, गैर-भरोसेमंद और अविश्वासप्रद हो गए हैं । जबकि घटनास्थल पर मौजूद कुछ साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक की पिटाई की थी और यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त नंद लाल और श्रीमती सरताजू देवी ने सह-अभियुक्तों सुनील और रीटा देवी को मृतक की और अधिक पिटाई करने के लिए उकसाया था, किंतु साक्षी मोहिन्द्र कुमार (अभि. सा. 7) ने केवल यह कथन किया है कि अभियुक्त नंद लाल और श्रीमती सरताजू देवी ने कुछ नहीं कहा था । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि इन दो व्यक्तियों ने भी मृतक की पिटाई की थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभिकथित घटना घटित होने के पूर्व अभियुक्त आकाश वेद व्रत के मकान पर गया था और वेद व्रत ने मृतक से पूछा कि वह नशे की हालत में इतने सवेरे उसके मकान पर क्यों आया है । जब आकाश ने मकान के अंदर घुसने की कोशिश की तो वेद व्रत ने उसे धक्का दिया । यह महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ही आकाश को घटनास्थल से अस्पताल लेकर गई थी । इस प्रकार, उसके परिसाक्ष्य से अन्य अभियोजन साक्षियों के बयान पूरी तरह से झूठे साबित होते हैं, जिनके अनुसार आकाश को उनके द्वारा एक वैन में पुलिस चौकी ले जाया गया था । अभि. सा. 7 ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे उस झगड़े की प्रकृति के बारे में भी पूछा था जो आकाश और वेद व्रत के बीच हुआ था । आक्रामक आयुध की बरामदगी के प्रश्न पर न्यायालय ने अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद पाया है । प्रवीण कुमार के अनुसार, उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जहां से आक्रामक आयुध बरामद किए गए थे, जबकि श्री अमर सिंह (अभि. सा. 6) के अनुसार न तो दरवाजे पर सांकल लगी हुई थी और न ही ताला लगा हुआ था । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की शृंखला को स्पष्ट, सटीक, विश्वासप्रद और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध नहीं किया है । पूर्वोक्त सभी कारणों से, यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए सुविवेचित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है । (पैरा 18, 19, 21 और 22)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2011]	(2011) 6 एस. सी. सी. 279 : **ए. शंकर** बनाम **कर्नाटक राज्य**;	20
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. 94 : **मोहम्मद अंकुश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद ।**	23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 273.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अधिवक्ता/ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता और उनके साथ जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री दीपक कौशल

न्यायमूर्ति संजय करोल – अभियुक्तों का एक अपराध के लिए, जो अभिकथित रूप से तारीख 16 मई, 2004 को कारित किया गया था, विचारण किया गया था । सेशन न्यायाधीश, सोलन द्वारा 2004 के सेशन विचारण सं. 14-एस/7, जिसका शीर्षक हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सुनील कुमार और अन्य था, में तारीख 16 दिसम्बर, 2004 को पारित किए गए निर्णय द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 16 मई, 2004 को पूर्वाह्न में लगभग 7.30-8.00 बजे आकाश (मृतक) गांव हरिपुर में वेद व्रत के मकान से बाहर आ रहा था । उसी समय सुनील कुमार (अभियुक्त सं. 1), रीटा देवी (अभियुक्त सं. 2), नंद लाल (अभियुक्त सं. 3) और सरताजू देवी (अभियुक्त सं. 4) ने उसका रास्ता रोका । अभियुक्त सुनील कुमार और रीटा देवी डंडे (लाठी) से लैस थे । सुनील कुमार ने किसी कारण के बिना डंडे से आकाश के सिर पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे क्षतियां पहुंचीं । उसके बाद अभियुक्त रीटा देवी ने भी डंडे से आकाश पर कई प्रहार किए । अभियुक्त नंद लाल और श्रीमती

सरताजू देवी ने अन्य अभियुक्तों को उकसाया कि इसकी और अधिक पिटाई करो । आकाश की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी श्रीमती कांता देवी (अभि. सा. 2) घटनास्थल पर आई । तथापि, अभियुक्त नंद लाल ने उसे आकाश को अन्य अभियुक्तों के शिकंजे से बचाने के लिए रोका । घटना प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5), अमर सिंह (अभि. सा. 6) और मोहिन्द्र कुमार (अभि. सा. 7) द्वारा देखी गई थी । प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5) ने दूरभाष पर घटना के बारे में पुलिस को सूचना देने की कोशिश की किंतु सूचना नहीं दी जा सकी । किंतु वह व्यक्तिगत रूप से पुलिस चौकी, कुनिहार गया और घटना के बारे में सूचना दी । वहां मौजूद पुलिस पदधारियों ने उससे कहा कि आकाश को, चाहे वह जीवित है या मृत, पुलिस चौकी लाया जाए । प्रवीण कुमार घटनास्थल पर वापस आया । उसने एक वैन का प्रबंध किया और आकाश को उक्त पुलिस चौकी लेकर आया जहां कांता देवी (अभि. सा. 2) ने रिपोर्ट (प्रदर्श पीसी) दर्ज की और पुलिस द्वारा उसके आधार पर रोजनामचे (प्रदर्श पीएम) में प्रविष्टि की गई । आकाश को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुनिहार ले जाया गया जहां पर डा. अभिलाष शर्मा (अभि. सा. 1) द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया और उसने रोगी को एम. एल. सी. (प्रदर्श पीबी) द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केन्द्र तथा अस्पताल, शिमला के लिए रेफर किया और वहां से आकाश को आगे पी. जी. आई. अस्पताल, चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया, जहां उसे तारीख 17 मई, 2004 को दाखिल किया गया । दुर्भाग्यवश तारीख 26 मई, 2005 को आकाश की अस्पताल में मृत्यु हो गई । पुलिस ने आरंभिक अन्वेषण किया और सहायक उप निरीक्षक सोहन सिंह (अभि. सा. 10) ने तारीख 18 मई, 2004 को पी. जी. आई., चंडीगढ़ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रवीण कुमार का कथन (प्रदर्श पीई) अभिलिखित किया । उक्त कथन को संबंधित पुलिस थाने, अर्की ले जाया गया और वहां पर तारीख 19 मई, 2004 को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 506 और धारा 34 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 65 (प्रदर्श पीपी) रजिस्ट्रीकृत की गई । आकाश की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने पी. जी. आई., चंडीगढ़ में शव की मरणोत्तर परीक्षा डा. परमिन्दर सिंह (अभि. सा. 4) के द्वारा कराई गई । पुलिस द्वारा मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पीडी) को अभिलेख पर लाया गया । पुलिस ने मृतक का कथन अभिलिखित करने की कोशिश की किंतु डाक्टर ने उक्त प्रयोजन के लिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की राय व्यक्त की ।

3. प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5) के कथन के आधार पर अभियुक्तों से

परिप्रश्न किए गए और तारीख 30 मई, 2004 को अभियुक्त सुनील ने अमर सिंह (अभि. सा. 6) और प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5) की मौजूदगी में एक प्रकटन कथन (पीएफ) किया जो अन्वेषक अधिकारी श्री कंवर सिंह गुलेरिया (अभि. सा. 11) द्वारा अभिलिखित किया गया । उसी दिन अभियुक्त रीटा देवी ने भी पूर्वोक्त साक्षियों की मौजूदगी में प्रकटन कथन (प्रदर्श पीजी) किया । उसके बाद अभियुक्त पुलिस को उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने उन डंडों (प्रदर्श पी-1 और पी-2) को छिपाया था जिनसे मृतक पर प्रहार किए गए थे । पुलिस द्वारा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिलेख पर ली गई ।

4. अन्वेषण पूरा होने पर न्यायालय में विचारण के लिए चालान प्रस्तुत किया गया ।

5. अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया गया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल 11 साक्षियों की परीक्षा कराई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन भी अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने निम्नलिखित एक जैसी प्रतिरक्षा ली :–

> "हमें वेद व्रत के कहने पर मिथ्या रूप से फंसाया गया है जो कि स्वयं आकाश की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है । वेद व्रत श्रेणी-1 का सेवानिवृत्त अधिकारी है । उसके पास काफी धन है । साक्षी मैना और मोहिन्द्र अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर हैं । वेद व्रत का काफी राजनैतिक प्रभाव भी है । हमारे विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए उसने साक्षियों का प्रबंध किया है । अमर सिंह के हमारे साथ विद्वेषी संबंध हैं क्योंकि हमारा उसके साथ पिछले 10-15 वर्षों से एक विवाद चल रहा है । विवाद भू-सम्पत्ति के संबंध में है । हम निर्दोष हैं ।"

7. निचले न्यायालय ने अभिलेख पर की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया, इसीलिए यह अपील फाइल की गई है ।

8. हमने राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ महाधिवक्ता श्री आर. के. शर्मा, जिनकी श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता द्वारा सम्यक्

सहायता की गई, तथा अभियुक्तों की ओर से श्री दीपक कौशल, अधिवक्ता को सुना । हमने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्षियों के परिसाक्ष्यों तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पर गहराई से विचार किया । अभिलेख पर गहराई से विचार करने पर हमारा यह सुविचारित मत है कि हस्तक्षेप करने के लिए कतई कोई मामला नहीं बनता है । हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पूरी तरह तर्कसंगत है और अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य (दस्तावेजी और प्रत्यक्ष) के उचित मूल्यांकन पर आधारित है । इस निर्णय में न तो कोई अवैधता/कमी है और न ही कोई अनुचितता है ।

9. अभियोजन साक्षियों के कथनों की गहराई से छानबीन करने पर हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियुक्तों द्वारा ली गई प्रतिरक्षा अधिसंभाव्य है । हमारा यह भी मत है कि अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है ।

10. चिकित्सीय राय (प्रदर्श पीडी) के अनुसार मृत्यु का कारण वर्णित क्षतियों के परिणामस्वरूप "हृदय और प्रमस्तिष्क को पहुंचा नुकसान" था । उक्त रिपोर्ट से यह भी प्रकट होता है कि मृतक के शरीर पर पांच क्षतियां पाई गईं थीं और उनमें से कुछ क्षतियों का रंग नीला पड़ गया था । मृतक में से शराब की भी गंध आ रही थी । न्यायालय में डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि क्षति के रंग में इसके कारित होने के लगभग तीन घंटे के पश्चात् परिवर्तन आता है । डाक्टर ने यह भी स्वीकार किया कि उसने यह विनिर्दिष्ट नहीं किया था कि क्षतियां छुट-पुट थीं या गंभीर ।

11. श्रीमती कांता देवी (अभि. सा. 2), श्री विरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3), श्री अमर सिंह (अभि. सा. 6), श्री मोहिन्द्र कुमार (अभि. सा. 7) और श्री कंवर सिंह गुलेरिया (अभि. सा. 11) के परिसाक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि आकाश तारीख 16 मई, 2004 की भोर में रात्रि में खेत की जुताई करने के पश्चात् वापस आया था । उसमें से शराब की गंध आ रही थी । उसने पूर्वाह्न में लगभग 5.30 बजे प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5) के पिता वेद व्रत के घर में प्रवेश किया । वहां वेद व्रत और आकाश के बीच कुछ कहा-सुनी हुई । अभिकथित अपराध के समय घटनास्थल पर वेद व्रत की मौजूदगी सिद्ध हो जाती है और इस तथ्य को विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है । पुलिस ने न्यायालय में वेद व्रत की परीक्षा नहीं कराई है । ऐसा क्यों ?

इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

12. अभिलेख पर यह बात भी आई है कि अभिकथित घटना घटने के समय से लेकर आकाश की मृत्यु होने तक प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5) निरन्तर हर दिन मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद रहा । पहले तो वह मृतक को पुलिस चौकी और उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुनिहार लेकर गया और वहां से वह उसे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केन्द्र, शिमला और अन्त में पी. जी. आई, चंडीगढ़ लेकर गया । अभिलेख पर यह बात भी आई है कि अन्वेषक अधिकारी ने इस साक्षी की मौजूदगी उस दिन भी नोटिस की थी जब आकाश को तारीख 17 मई, 2004 को पी. जी. आई., चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया था, फिर भी पुलिस ने उसी दिन उसके कथन को अभिलिखित नहीं किया । पुलिस ने प्रवीण कुमार का कथन केवल तारीख 18 मई, 2004 को अभिलिखित किया । यह महत्वपूर्ण है कि इस समय तक पुलिस ने कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित नहीं की थी । पुलिस ने मृतक की पत्नी का भी कथन अभिलिखित नहीं किया । पुलिस ने आहत का कथन अभिलिखित करने का प्रयास किया, किंतु उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डाक्टर ने इसके लिए अनुज्ञा नहीं दी । आहत की नाजुक हालत को देखते हुए अभि. सा. 5 ने स्वयं अपना कथन अभिलिखित कराया । इन सभी बातों से अभियुक्तों द्वारा ली गई इस प्रतिरक्षा पर विश्वास होता है कि आकाश ने ही नशे की हालत में वेद व्रत के साथ झगड़ा शुरू किया था और जब वेद व्रत ने उसे धक्का दिया तो वह जमीन पर गिर गया और उस पुश्तवान से क्षतियां पहुंचीं जो वेद व्रत के मकान के दरवाजे के निकट बना हुआ था । अभियुक्तों द्वारा ली गई प्रतिरक्षा अनधिसंभाव्य नहीं है और वास्तव में कुछ सीमा तक साक्षी डा. अभिलाष शर्मा (अभि. सा. 1), विरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3), अमर सिंह (अभि. सा. 6), मोहिन्द्र कुमार (अभि. सा. 7), हरि राम (अभि. सा. 8), सोहन सिंह (अभि. सा. 10) और कंवर सिंह गुलेरिया (अभि. सा. 11) द्वारा सारभूत रूप से साबित की गई है ।

13. यह अभिकथित है कि प्रश्नगत घटना तारीख 16 मई, 2004 को पूर्वाह्न में 7.30-8.30 बजे घटी थी । डाक्टर अभिलाष शर्मा ने पूर्वाह्न में 9.00 बजे मृतक का परीक्षण किया था और उस समय तक क्षतियों का रंग पहले ही नीला पड़ गया था । अभियुक्तों द्वारा ली गई प्रतिरक्षा की पुष्टि अभिलेख पर इस साक्ष्य के आने से भी होती है । अभिलेख पर यह आया है कि वेद व्रत ने मृतक को पूर्वाह्न में लगभग 5.30-6.00 बजे धक्का दिया

था और उसके परिणामस्वरूप वह गिर गया था । सुसंगत समय पर सिर पर क्षति पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

14. एक अन्य तथ्य भी है जो अभियोजन के वृत्तांत को पूरी तरह से संदेहास्पद बनाता है । प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5) के अनुसार घटित घटना देखने के पश्चात् वह पुलिस चौकी, कुनिहार गया था और घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया था । वहां पर उसे पुलिस द्वारा यह कहा गया कि आकाश को चाहे जीवित है या मृत है पुलिस चौकी लाया जाए । परिणामस्वरूप, वह वापस गया और एक वैन में आकाश को पुलिस चौकी लाया । इस साक्षी का यह वृत्तांत, इस तथ्य के अतिरिक्त कि यह विश्वासोत्पादक नहीं है और मिथ्या तथा अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है, कांस्टेबल हरि राम (अभि. सा. 8) द्वारा मिथ्या साबित किया गया है जिसने बहुत ही स्पष्ट और अखंडनीय शब्दों में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रवीण कुमार कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी नहीं आया था । अभि. सा. 8 का यह कथन है कि केवल श्रीमती कांता (अभि. सा. 2) ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके संबंध में रोजनामचा (प्रदर्श पीएम) में प्रविष्टि की गई थी । उसने यह कथन किया कि शिकायत (प्रदर्श पीसी) किसी पुलिस के व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई थी और श्रीमती कांता (अभि. सा. 2) ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रवीण कुमार (अभि. सा. 5) द्वारा लिखी गई थी । इस प्रकार यह दिखाई पड़ता है कि आरंभ से लेकर प्रवीण कुमार ने मुख्य भूमिका अदा की है । जैसा कि ऊपर पहले ही अवलोकन किया गया है, पुलिस ने श्री प्रवीण कुमार का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन तारीख 18 मई, 2004 को कथन अभिलिखित करने के समय तक कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की थी । सोहन सिंह (अभि. सा. 10) ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा क्षतिग्रस्त की माता की भी परीक्षा की गई थी । इस साक्षी का यह कथन है कि क्षतिग्रस्त की माता को घटना या मृत्यु के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । माता को घटना का कारण क्यों नहीं बताया गया, अभियोजन पक्ष द्वारा इसका समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, विशिष्ट रूप से जब माता सुसंगत समय पर घर में मौजूद थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में किए गए विलंब से मामले के प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोजन का पक्षकथन पूरी तरह मिथ्या न सही, संदेहास्पद हो जाता है । यह प्रतीत होता है कि प्रवीण कुमार ने शिकायतकर्ता, उसके परिवार और अभिकथित कांता देवी पर केवल वही बात कहने के लिए जो वह चाहता

था भरपूर प्रभाव का प्रयोग किया था । बहरहाल, उसका अपना पिता घटना में अंतर्ग्रस्त था और उसने पुलिस का ध्यान अभियुक्तों की ओर मोड़ने की कोशिश की ।

15. महत्वपूर्ण रूप से, अभि. सा. 10 ने यह कथन किया है कि उसने 20 मई से 26 मई, 2004 तक कोई अन्वेषण नहीं किया था क्योंकि वह छुट्टी पर था । उसने यह भी कथन किया है कि इस अवधि के दौरान थाना भारसाधक अधिकारी ने मामले का अन्वेषण किया था । अब उसके इस वृत्तांत को अभि. सा. 11 द्वारा मिथ्या साबित किया गया है जिसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने इस अवधि के दौरान कोई अन्वेषण नहीं किया था । उसने यह भी कथन किया है कि जब तारीख 27 मई, 2004 को उसे फाइल प्राप्त हुई, तब नैना और मोहिन्द्र के कथन अभिलेख पर थे किंतु फिर उसने भी यह बात स्वीकार की कि उसने स्वयं तारीख 1 जून, 2004 को इन व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए थे । यदि साक्षियों के कथन तारीख 1 जून, 2004 को ही अभिलिखित किए गए थे, तो अभिलेख पर उनके कथन होने का प्रश्न कहां है । स्पष्टतः, पुलिस ने अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत नहीं की है । यह कहना भी सत्य नहीं है कि ये कथन अलग-अलग अवसर पर अभिलिखित किए गए थे ।

16. इस बिन्दु पर यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि अभियोजन पक्ष ने नैना देवी और वेद व्रत की परीक्षा इस कारण नहीं कराई कि उनके परिसाक्ष्य पुनरावृत्ति की प्रकृति के होंगे । इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में गंभीर विरोधाभास और अस्पष्टीकृत परिस्थितियां हैं, जो अभियोजन के पक्षकथन को अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाती हैं, न केवल घटनास्थल पर मौजूद साक्षियों के अन्यथा संदिग्ध साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए अपितु जिस रीति में अन्वेषण किया गया उसके बारे में संदेह को दूर करने के लिए इन साक्षियों की परीक्षा कराया जाना अत्यंत आवश्यक था ।

17. अभियोजन पक्ष ने श्री विरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की है कि दोनों गुटों अर्थात् शिकायतकर्ता और अभियुक्तों के बीच राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता है, किंतु इसके बाद हमने यह पाया है कि यह तथ्य विवाद के संगत नहीं है और इसलिए इस साक्षी का परिसाक्ष्य अप्रासंगिक है । यह महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक उस दिन सवेरे नशे की हालत में पाया गया था जिस दिन घटना घटी थी ।

18. अब शेष अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य पर विचार करने पर हमने यह पाया है कि उन्होंने घटना घटित होने के बारे में पूर्णतः भिन्न और अलग रीति में वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त, हमने यह पाया है कि उनके साक्ष्य में कई जोड़-तोड़, सुधार और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बाते हैं जिनसे उनके कथन अविश्वसनीय, गैर-भरोसेमंद और अविश्वासप्रद हो गए हैं । जबकि घटनास्थल पर मौजूद कुछ साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक की पिटाई की थी और यह भी कि अभियुक्त नंद लाल और श्रीमती सरताजू देवी ने अपने सह-अभियुक्तों सुनील और रीटा देवी को मृतक की और अधिक पिटाई करने के लिए उकसाया था, किंतु साक्षी मोहिन्द्र कुमार (अभि. सा. 7) ने केवल यह कथन किया है कि अभियुक्त नंद लाल और श्रीमती सरताजू देवी ने कुछ नहीं कहा था । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि इन दो व्यक्तियों ने भी मृतक की पिटाई की थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभिकथित घटना घटित होने के पूर्व अभियुक्त आकाश वेद व्रत के मकान पर गया था और वेद व्रत ने मृतक से पूछा कि वह नशे की हालत में इतने सवेरे उसके मकान पर क्यों आया है । जब आकाश ने मकान के अंदर घुसने की कोशिश की तो वेद व्रत ने उसे धक्का दिया । यह महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ही आकाश को घटनास्थल से अस्पताल लेकर गई थी । इस प्रकार, उसके परिसाक्ष्य से अन्य अभियोजन साक्षियों के बयान पूरी तरह से झूठे साबित होते हैं, जिनके अनुसार आकाश को उनके द्वारा एक वैन में पुलिस चौकी ले जाया गया था । अभि. सा. 7 ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे उस झगड़े की प्रकृति के बारे में भी पूछा था जो आकाश और वेद व्रत के बीच हुआ था ।

19. आक्रामक आयुध की बरामदगी के प्रश्न पर हमने अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद पाया है । प्रवीण कुमार के अनुसार, उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जहां से आक्रामक आयुध बरामद किए गए थे, जबकि श्री अमर सिंह (अभि. सा. 6) के अनुसार न तो दरवाजे पर सांकल लगी हुई थी और न ही ताला लगा हुआ था ।

20. हमने यह भी पाया है कि आक्रामक आयुध को परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था । **ए. शंकर** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में अधिकथित किए गए विनिश्चयाधार को

---

[1] (2011) 6 एस. सी. सी. 279.

ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले के प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में यह आवश्यक था ।

21. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की शृंखला को स्पष्ट, सटीक, विश्वासप्रद और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध नहीं किया गया है ।

22. पूर्वोक्त सभी कारणों से, हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए सुविवेचित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का पूरी तरह से मूल्यांकन किया है ।

23. अभियुक्तों को निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने का फायदा प्राप्त है । **मोहम्मद अंकुश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित की गई विधि के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का ठीक तरह से मूल्यांकन नहीं किया है या अभियुक्तों की दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है । निचले न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । वर्तमान अपील खारिज की जाती है । यदि अभियुक्तों द्वारा कोई जमानत बंधपत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसे उन्मोचित किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 94.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

रोहित परमार और अन्य

तारीख 7 मई, 2012

न्यायमूर्ति संजय करोल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 452, 323, 366 और 376(2)(छ)/34 – सामान्य आशय के साथ गृह अतिचार, व्यपहरण तथा सामूहिक बलात्संग – जहां स्वयं अभियोक्त्री और उसके पति तथा अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य परस्पर प्रतिकूल हैं, चिकित्सा साक्ष्य से भी अभियोक्त्री को पहुंची क्षतियों की संपुष्टि नहीं हुई है और अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया कि अपराध अभियुक्तों द्वारा ही किया गया था, वहां उक्त अपराधों के लिए की गई उनकी दोषमुक्ति न्यायसंगत और उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता रामचन्द्र की पत्नी अभियोक्त्री तारीख 18 जुलाई, 2000 को अपने छोटे भाई, जो बाल आश्रम, सुंदरनगर में ठहरा हुआ था, से मिलने के लिए सुंदरनगर आई थी । उसकी अपने भाई से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि आश्रम के भारसाधक ने उनसे अगले दिन आने के लिए कहा । इसलिए, उन्होंने रात्रि के 8-8.30 बजे सुखदेव गेस्ट हाऊस नामक होटल में प्रवेश किया । शिकायतकर्ता द्वारा अतिथि रजिस्टर में प्रविष्टि की गई । रात्रि में लगभग 12.30 बजे किसी व्यक्ति ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह पानी लाया है । जब दरवाजा खोला गया तो चार व्यक्ति उनके कमरे में घुस आए । उन्होंने किसी कारण के बिना दोनों की पिटाई करनी शुरू कर दी । उन्होंने उनका धन भी लूट लिया । उसके पश्चात् उनमें से एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को कमरे के अंदर पकड़ लिया और शेष तीन व्यक्ति अभियोक्त्री को जबरदस्ती खींचकर अतिथि गृह से बाहर लाए और उसे एक यान (वैन) में ले गए । अतिथि गृह के चौकीदार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया । अन्वेषक अधिकारी जतिन्द्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचा और शिकायतकर्ता का कथन अभिलिखित किया । पुलिस थाना, सुंदरनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 452 और धारा 34

के अधीन तारीख 19 जुलाई, 2000 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । उसी रात्रि में पुलिस ने वैन को सुंदरनगर बस अड्डे पर खड़ा हुआ पाया, जिसमें अभियुक्त कमल शर्मा को नशे की हालत में बैठे हुए पाया । उसे अभिरक्षा में लिया गया । पुलिस ने शेष अभियुक्तों के साथ-साथ अभियोक्त्री की भी तलाश जारी रखी । अन्वेषण से प्रकट हुआ कि अभियुक्त रोहित परमार और भरत भूषण ने अभियोक्त्री की अभिरक्षा विजय कुमार को सौंपी थी जो उसे जंगल में ले गया । पुलिस ने अभियुक्त रोहित परमार और भरत भूषण को गिरफ्तार किया, जो एक स्कूटर पर जाते हुए पाए गए । विजय कुमार ने जंगल में अभियोक्त्री को धमकाया कि वह उसके साथ सम्भोग करे, वरना वह उसके पति की हत्या कर देगा । उसके इनकार करने के बावजूद विजय कुमार ने जबरदस्ती उसके साथ मैथुन किया । पुलिस द्वारा अगले दिन अर्थात् तारीख 19 जुलाई, 2000 को सुबह अभियोक्त्री को जवाहर पार्क से बरामद किया गया । वह सहमी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए तथा कीचड़ से सने थे । पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया । डाक्टर द्वारा सौंपे गए अभियोक्त्री के कपड़े और यौनिक स्राव का नमूना पुलिस द्वारा लिए गए और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान उस अतिथि गृह का अभिलेख कब्जे में लिया जहां से अभियुक्तों ने अभियोक्त्री का अपहरण किया था । शिकायतकर्ता के साथ-साथ अभियुक्तों का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से अभियुक्तों की शनाख्त परेड आयोजित कराई । शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री ने वर्तमान अभियुक्तों की उन व्यक्तियों के रूप में शनाख्त की जिन्होंने अभिकथित अपराध कारित किया था । अन्वेषण पूरा होने पर विचारण न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 452, 323, 363, 366, 392 और 376(2)(छ) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया गया, जिनके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – तात्विक साक्षियों के परिसाक्ष्यों की गहराई से छानबीन करने के पश्चात् न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अपने

पक्षकथन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा है । उनके परिसाक्ष्यों में बहु और मुख्य अतिरंजनाएं, सुधार और तात्विक विरोधाभास हैं । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने अभियोजन के पक्षकथन का कतई समर्थन नहीं किया । उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था । यह महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 5 ने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया, तो भी उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया । उनके परिसाक्ष्यों से अभियोजन का पक्षकथन अत्यधिक संदेहास्पद हो गया है । तथापि, उनके परिसाक्ष्यों पर विचार करने से पूर्व न्यायालय इस मामले के सर्वाधिक निर्णायक बिंदु पर विचार करेगा । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्यों में यह बात आई है कि वे अभियुक्तों को नहीं जानते थे । पति-पत्नी होशियारपुर (पंजाब) में रहते थे और सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश) केवल अभियोक्त्री के भाई से मिलने के लिए आए थे जो एक बाल आश्रम में ठहरा था । अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । पति-पत्नी के सुंदरनगर आने के प्रयोजन को दर्शित करने के लिए न्यायालय में न तो भाई की और न ही बाल आश्रम के भारसाधक की परीक्षा कराई गई । भतीजे और भारसाधक का नाम तथा पता और बाल आश्रम की विशिष्टियों को प्रकट नहीं किया गया है । किंतु फिर भी घटना की तारीख को पति-पत्नी की सुंदरनगर में मौजूदगी विवादग्रस्त नहीं है । पुलिस पदधारियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के अनुसार अभियुक्तों को तारीख 19 जुलाई, 2000 से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था । उन्होंने यह कथन किया है कि तारीख 19 जुलाई, 2000 को ही शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री होशियारपुर वापस आ गए थे और उन्हें शनाख्त परेड, जो तारीख 31 जुलाई, 2000 को आयोजित की गई थी, कराने के प्रयोजन के लिए तारीख 30 जुलाई, 2000 को सुंदरनगर बुलाया गया था । इस तारीख से पूर्व पति-पत्नी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त नहीं की गई थी । इन पदधारियों के साथ-साथ श्री डी. एस. खेनल (अभि. सा. 12) ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त तारीख 31 जुलाई, 2000 को उप-कारागार, मंडी में आयोजित शनाख्त परेड के दौरान की गई थी । पुलिस पदधारियों का यह वृत्तांत अभियोक्त्री और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कथन के पूर्णतः प्रतिकूल है और झूठा साबित होता है, जिन्होंने यह कथन किया है कि वे घटना की तारीख के बाद दस दिन तक सुंदरनगर में रुके रहे थे । वे होशियारपुर वापस नहीं आए थे । वास्तव में उन्होंने असंदेहास्पद, असंदिग्ध और अखंडित शब्दों में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उनसे अभियुक्तों

की शनाख्त पुलिस थाने में ही करा दी थी और वह भी सुबह-सुबह ही । यह प्रतीत होता है कि यह कार्य तारीख 19 जुलाई, 2000 को किया गया था । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे अपना भोजन अर्थात् दोपहर और सायंकाल का भोजन करने के लिए पुलिस थाने जाते थे और वहां अक्सर अभियुक्तों को देखा था । वे अतिथि गृह में केवल एक दिन ठहरे थे और उसके बाद पुलिस थाने के सामने एक मकान में आ गए थे । और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोक्त्री ने स्वयं यह कथन किया है कि पुलिस पदधारियों ने उसे यह कहा था कि वर्तमान अभियुक्तों ने ही आरोपित अपराध कारित किए हैं । यह महत्वपूर्ण है कि इन साक्षियों ने भी यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों की कड़ी पिटाई की गई थी । अभि. सा. 12 स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि पुलिस द्वारा जिन व्यक्तियों को शनाख्त परेड के लिए लाया गया था, उनके मुंह ढके हुए थे या नहीं । वह यह भी नहीं बता सका कि क्या शनाख्त परेड आयोजित होने से पूर्व अभियुक्तों को साक्षियों को दिखाया गया था या नहीं । इस पृष्ठभूमि में, पुलिस द्वारा बनाई गई यह कहानी कि शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री ने तारीख 31 जुलाई, 2000 की शनाख्त परेड के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त की थी, अभियोजन के पक्षकथन के आधार को पूर्णतः छिन्न-भिन्न तथा मिथ्या साबित करती है । शनाख्त परेड की कवायद कुछ नहीं बल्कि एक स्वांग था । अभियोक्त्री और उसके पति के परिसाक्ष्यों पर विचार करने पर न्यायालय ने यह पाया है कि उनके परिसाक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास हैं । उनके परिसाक्ष्य स्वयमेव विरोधाभासी हैं और परस्पर प्रतिकूल हैं । निस्संदेह, अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अर्ध-रात्रि में जब कमरे का दरवाजा खोला, तब चार लड़के अंदर आए और उसकी तथा उसके पति की पिटाई करने लगे । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तों ने कमरे में ही उसके साथ मैथुन करने की कोशिश की और एक अभियुक्त उसके पति को कमरे से बाहर ले गया । जब उसके पति ने दरवाजा खटखटाया तो अभियुक्तों ने पुनः उसकी पिटाई की और उन्हें लूटने के पश्चात् अभियुक्त उसके पति को अतिथि गृह से बाहर ले गए । उसे (अभियोक्त्री) बाद में जंगल में ले जाया गया जहां एक अभियुक्त ने उसके साथ मैथुन किया । उसने यह कथन नहीं किया है कि कितने या कौन सा अभियुक्त उसे जंगल में ले गया था । उसने यह भी कथन नहीं किया है कि वह कमरे में कितनी देर रही थी । उसने यह कथन किया है कि उस समय अंधेरा था । उसका यह कथन उसके पति के कथन से प्रतिकूल है और उसके कथन से संपुष्टि नहीं होती है । यह महत्वपूर्ण है

कि शिकायतकर्ता ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तों ने कमरे में उसकी पत्नी के साथ मैथुन करने की कोशिश की थी । वास्तव में, उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त उसकी पत्नी को कमरे से ले गए थे और एक अभियुक्त द्वारा उसे जबरदस्ती रोक लेने पर वह कमरे के अंदर ही रहा था । उसका यह कथन है कि सभी चारों अभियुक्तों ने उसकी पत्नी के साथ बलात्संग किया था, वास्तव में अभियोजन या अभियोक्त्री का ऐसा पक्षकथन नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 6 के अनुसार कमरे का दरवाजा अभियोक्त्री द्वारा खोला गया था, जबकि अभियोक्त्री के अनुसार दरवाजा उसके पति ने खोला था । अभियोक्त्री के अनुसार, कमरे में सभी चारों अभियुक्तों ने उसकी और उसके पति की पिटाई की थी, जबकि इस तथ्य की उसके पति द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है । शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों में से केवल एक अभियुक्त अतिथि गृह में रहा था, जबकि अभियोक्त्री के अनुसार, केवल एक अभियुक्त उसे बाहर ले गया था और अन्य अभियुक्त अतिथि गृह के कमरे में ही रहे थे । न्यायालय के मत में ये सभी विरोधाभास तात्विक और स्पष्ट हैं । उनके द्वारा न्यायालय में घटना उस रीति में वर्णित नहीं की गई है जिस रीति में अभियोजन पक्ष न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहता है । इन दोनों साक्षियों द्वारा घटनाओं का भिन्न-भिन्न वर्णन किया गया है । इसलिए उनके परिसाक्ष्यों को कतई विश्वासोत्पादक नहीं कहा जा सकता है । उन्होंने साक्षियों को अविश्वसनीय, गैर-भरोसेमंद और अविश्वासप्रद बना दिया है । न्यायालय ने यह भी पाया है कि अभिलेख पर अन्य विरोधाभास भी हैं । अभि. सा. 6 के अनुसार जब पुलिस आई, तब अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अतिथि गृह में था किंतु अभि. सा. 13 के अनुसार कोई भी अभियुक्त अतिथि गृह में मौजूद नहीं था और चार व्यक्तियों में तीन को तारीख 18 और 19 जुलाई, 2000 की मध्यवर्ती रात्रि में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 6 के अनुसार, अभियुक्त पुलिस को उस स्थान पर ले गए थे जहां अभियोक्त्री को रखा गया था । जबकि, अभि. सा. 13 के अनुसार एक अभियुक्त को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह स्कूटर चला रहा था किंतु इस तथ्य को अभि. सा. 6 द्वारा इस प्रकार वर्णित नहीं किया गया है, जो निर्विवाद रूप से उस समय सारी रात पुलिस दल के साथ रहा था जब पुलिस अभियोक्त्री की तलाश कर रही थी । पुलिस के अनुसार, अभियोक्त्री को पार्क से उस समय बरामद किया गया था जब वह अकेली थी । इसलिए विरोधाभास स्पष्ट है । अभि. सा. 6 के अनुसार, अभियोक्त्री को क्षतियां पहुंची थीं और रक्त भी बह रहा था ।

इस बयान की संपुष्टि किसी चिकित्सीय साक्ष्य से या स्वयं अभियोक्त्री के साक्ष्य से नहीं होती है । अभियोजन इस तथ्य को भी सिद्ध नहीं कर सका कि अभियोक्त्री और अभियुक्तों के कपड़ों पर पाया गया रक्त और वीर्य उनके समूहों से मेल खाता है । इसलिए साक्ष्य की ऐसी कोई कड़ी नहीं जो दूर-दूर तक भी अभियुक्तों की दोषिता को इंगित करती हो । अतः न्यायालय के सुविचारित मत में, अभियोजन पक्ष स्पष्ट, सटीक, विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य पेश करके अपने पक्षकथन को सिद्ध नहीं कर सका है । (पैरा 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 और 25)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 1 एस. सी. सी. 94 :
मोहम्मद अंकुश और अन्य बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद ।** 28

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 98.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता और उनके साथ श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एम. एस. गुलेरिया

न्यायमूर्ति संजय करोल – अभियुक्तों का एक अपराध, जो अभिकथित रूप से तारीख 18 जुलाई, 2000 को कारित किया गया था, के लिए विचारण किया गया था । 2001 के सेशन विचारण सं. 27, जिसका शीर्षक हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रोहित परमार और अन्य था, में अपर सेशन न्यायाधीश, मंडी द्वारा तारीख 19 अक्तूबर, 2005 को पारित किए गए निर्णय द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि शिकायतकर्ता रामचन्द्र (अभि. सा. 6) की पत्नी अभियोक्त्री (अभि. सा. 7) तारीख 18 जुलाई, 2000 को अपने छोटे भाई, जो बाल आश्रम, सुंदरनगर में ठहरा हुआ था, से मिलने के लिए सुंदरनगर आई थी । अभि. सा. 7 अपने भाई से नहीं मिल सकी,

क्योंकि आश्रम के इंचार्ज ने उनसे अगले दिन आने के लिए कहा । इसलिए, उन्होंने रात्रि के 8-8.30 बजे सुखदेव गेस्ट हाऊस नामक होटल में प्रवेश किया । अभि. सा. 6 द्वारा अतिथि रजिस्टर (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए) में प्रविष्टि की गई । रात्रि में लगभग 12.30 बजे किसी व्यक्ति ने उनका दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह पानी लाया है । अभि. सा. 7 के कहने पर अभि. सा. 6 ने जब दरवाजा खोला तो चार व्यक्ति उनके कमरे में घुस आए । उन्होंने किसी कारण के बिना अभि. सा. 7 और अभि. सा. 6 की पिटाई करनी शुरू कर दी । उन्होंने उनका धन भी लूट लिया । उसके पश्चात् उनमें से एक व्यक्ति ने अभि. सा. 6 को कमरे के अंदर पकड़ लिया और शेष तीन व्यक्ति अभि. सा. 7 को जबरदस्ती खींचकर अतिथि गृह (गेस्ट हाऊस) से बाहर ले गए और उसे एक यान (वेन), जिसका सं. एचपी-02-0405 था, में ले गए । अतिथि गृह के चौकीदार ने तुंरत पुलिस को सूचित किया और उप निरीक्षक जतिन्द्र कुमार (अभि. सा. 13) ने इस संबंध में रोजनामचा में प्रविष्टि की । अन्वेषक अधिकारी जतिन्द्र कुमार (अभि. सा. 13) घटनास्थल पर पहुंचा और अभि. सा. 6 का कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/बी) अभिलिखित किया । उसने रुक्का (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) भेजा, जिसके आधार पर पुलिस थाना, सुंदरनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 452 और 34 के अधीन तारीख 19 जुलाई, 2000 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 209/2000 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ए) रजिस्ट्रीकृत की गई । उसी रात्रि में पुलिस ने वेन को सुंदरनगर बस अड्डे पर खड़ा हुआ पाया, जिसमें अभियुक्त कमल शर्मा को नशे की हालत में बैठे हुए पाया । उसे अभिरक्षा में लिया गया । पुलिस ने शेष अभियुक्तों के साथ-साथ अभियोक्त्री की भी तलाश जारी रखी । अन्वेषण से प्रकट हुआ कि अभियुक्त रोहित परमार और भरत भूषण ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 7) की अभिरक्षा विजय कुमार को सौंपी थी जो उसे जंगल में ले गया । पुलिस ने अभियुक्त रोहित परमार और भरत भूषण को गिरफ्तार किया, जो एक स्कूटर पर जाते हुए पाए गए । विजय कुमार ने जंगल में अभियोक्त्री को धमकाया कि वह उसके साथ सम्भोग करे, वरन् वह उसके पति की हत्या कर देगा । उसके इनकार करने के बावजूद विजय कुमार (जिसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था) ने जबरदस्ती उसके साथ मैथुन किया । अगले दिन सुबह-सुबह अर्थात् तारीख 19 जुलाई, 2000 को पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को जवाहर पार्क से बरामद किया गया । वह सहमी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए तथा कीचड़ से सने थे । पुलिस ने डा. रफीया बानु (अभि. सा. 7) से उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया

और उसने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/सी) जारी किया । डाक्टर द्वारा सौंपे गए अभियोक्त्री के कपड़े और यौनिक स्राव का नमूना पुलिस द्वारा लिए गए और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए ।

3. पुलिस ने अन्वेषण के दौरान उस अतिथि गृह (गेस्ट हाऊस) का अभिलेख कब्जे में लिया जहां से अभियुक्तों ने अभियोक्त्री का अपहरण किया था । डा. डी. एस. वर्मा (अभि. सा. 4) ने शिकायतकर्ता के साथ-साथ वर्तमान अभियुक्तों का भी चिकित्सीय परीक्षण किया और चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/बी, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/सी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/डी जारी किए । अभियुक्त रोहित परमार, कमल शर्मा और भरत भूषण ने तारीख 24 जुलाई, 2000 को प्रकटन कथन (क्रमशः प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/सी, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/डी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ई) किए । वे पुलिस को उस स्थान पर ले गए जहां उनके द्वारा शृंखलाबद्ध अपराध कारित किए गए थे । पुलिस ने आवश्यक अन्वेषण किया । पुलिस ने तारीख 31 जुलाई, 2000 को श्री डी. एस. खेनल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 12) के माध्यम से अभियुक्तों की शनाख्त परेड आयोजित कराई । शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री ने वर्तमान अभियुक्तों की उन व्यक्तियों के रूप में शनाख्त की जिन्होंने अभिकथित अपराध कारित किया था । पुलिस द्वारा विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया ।

4. अन्वेषण पूरा होने पर विचारण न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।

5. अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 452, 323, 363, 366, 392 और 376(2)(छ) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया गया, जिनके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. अभियोजन ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन भी अभिलिखित किए गए ।

7. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया, इसीलिए यह अपील फाइल की गई है ।

8. हमने राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता श्री आर.

के. शर्मा, जिनकी श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता द्वारा सम्यक् रूप से सहायता की गई, तथा अभियुक्तों की ओर से श्री एम. एस. गुलेरिया को सुना । हमने साक्षियों के परिसाक्ष्यों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की भी गहराई से छानबीन की है । अभिलेख की गहराई से छानबीन करने के पश्चात् हमारा यह सुविचारित मत है कि हस्तक्षेप करने के लिए कतई कोई मामला नहीं बनता है । हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सुविवेचित है और अभिलेख पर प्रस्तुत किए साक्ष्य (दस्तावेजी और प्रत्यक्षदर्शी) के पूर्ण और उचित मूल्यांकन पर आधारित है । निर्णय में न तो कोई अवैधता/कमी है और न ही कोई अनुचितता है ।

9. अभियोजन पक्ष को स्पष्ट, सटीक और विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करके युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करना चाहिए था कि सभी अभियुक्तों ने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अभियोक्त्री और उसके पति पर हमला करने की तैयारी के साथ सुखदेव गेस्ट हाऊस के कमरा सं. 1 में गृह अतिचार किया; उन्होंने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए स्वेच्छया शिकायतकर्ता रामचन्द्र यादव को उपहति कारित की; उन्होंने ऐसे सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अभियोक्त्री का उसके पति की विधिपूर्ण संरक्षकता से उसे उसके पति से भिन्न व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए बाध्य करने के आशय से अपहरण किया; ऐसे सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए शिकायतकर्ता रामचन्द्र यादव से 1100/- रुपए और अभियोक्त्री से 2400/- रुपए छीनकर लूट का कार्य किया और ऐसे सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उनके गिरोह के एक सदस्य विजय कुमार ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया ।

10. पूर्वोक्त आरोपों को साबित करने के लिए 13 साक्षियों के परिसाक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । हमने पाया है कि शिव चंद (अभि. सा. 2), प्रेम सिंह (अभि. सा. 9), होशियार सिंह (अभि. सा. 10), मूल राज (अभि. सा. 11) और जतिन्द्र कुमार (अभि. सा. 13) पुलिस पदधारी हैं । श्री डी. एस. खेनल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 12) वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट था, जिनके समक्ष शनाख्त परेड आयोजित की गई थी । डा. डी. एस. वर्मा (अभि. सा. 4) और डा. रफिया बानु (अभि. सा. 8) ने चिकित्सीय परीक्षण किया था ।

11. हमारा सुविचारित मत है कि शिकायतकर्ता श्री रामचन्द्र यादव (अभि. सा. 6) और उसकी पत्नी अभियोक्त्री (अभि. सा. 7) तात्विक साक्षी

हैं । अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनके परिसाक्ष्यों की संपुष्टि स्वतंत्र साक्षी श्री हरकरन सिंह (अभि. सा. 1), श्री मायाधर (अभि. सा. 3) और श्री कृष्ण कुमार (अभि. सा. 5) द्वारा की गई है, जिन्होंने या तो अतिथि गृह में अभियुक्तों की मौजूदगी को देखा था या पुलिस द्वारा की गई वस्तुओं की बरामदगी को देखा था ।

12. तात्विक साक्षियों के परिसाक्ष्यों की गहराई से छानबीन करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा है । उनके परिसाक्ष्यों में बहु और मुख्य अतिरंजनाएं, सुधार और तात्विक विरोधाभास हैं । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने अभियोजन के पक्षकथन का कतई समर्थन नहीं किया । उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था । यह महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 5 ने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया, तो भी उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया । उनके परिसाक्ष्यों से अभियोजन का पक्षकथन अत्यधिक संदेहास्पद हो गया है । तथापि, उनके परिसाक्ष्यों पर विचार करने से पूर्व हम इस मामले के सर्वाधिक निर्णायक बिंदु पर विचार करेंगे ।

13. अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्यों में यह बात आई है कि वे अभियुक्तों को नहीं जानते थे । पति-पत्नी होशियारपुर (पंजाब) में रहते थे और सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश) केवल अभियोक्त्री के भाई से मिलने के लिए आए थे जो एक बाल आश्रम में ठहरा था । अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । पति-पत्नी के सुंदरनगर आने के प्रयोजन को दर्शित करने के लिए न्यायालय में न तो भाई की और न ही बाल आश्रम के भारसाधक की परीक्षा कराई गई । भतीजे और भारसाधक का नाम तथा पता और बाल आश्रम की विशिष्टियों को प्रकट नहीं किया गया है । किंतु फिर भी घटना की तारीख को पति-पत्नी की सुंदरनगर में मौजूदगी विवादग्रस्त नहीं है ।

14. पुलिस पदधारियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के अनुसार अभियुक्तों को तारीख 19 जुलाई, 2000 से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था । उन्होंने यह कथन किया है कि तारीख 19 जुलाई, 2000 को ही शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री होशियारपुर वापस आ गए थे और उन्हें शनाख्त परेड, जो तारीख 31 जुलाई, 2000 को आयोजित की गई थी, कराने के प्रयोजन के लिए तारीख 30 जुलाई, 2000 को सुंदरनगर बुलाया गया था । इस तारीख से पूर्व पति-पत्नी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त नहीं की गई थी । इन पदधारियों के साथ-साथ श्री डी. एस.

खेनल (अभि. सा. 12) ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त तारीख 31 जुलाई, 2000 को उप-कारागार, मंडी में आयोजित शनाख्त परेड के दौरान की गई थी । पुलिस पदधारियों का यह वृत्तांत अभियोक्त्री और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कथन के पूर्णतः प्रतिकूल है और झूठा साबित होता है, जिन्होंने यह कथन किया है कि वे घटना की तारीख के बाद दस दिन तक सुंदरनगर में रुके रहे थे । वे होशियारपुर वापस नहीं आए थे । वास्तव में उन्होंने असंदेहास्पद, असंदिग्ध और अखंडित शब्दों में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उनसे अभियुक्तों की शनाख्त पुलिस थाने में ही करा दी थी और वह भी सुबह-सुबह ही । यह प्रतीत होता है कि यह कार्य तारीख 19 जुलाई, 2000 को किया गया था । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे अपना भोजन अर्थात् दोपहर और सायंकाल का भोजन करने के लिए पुलिस थाने जाते थे और वहां अक्सर अभियुक्तों को देखा था । वे अतिथि गृह में केवल एक दिन ठहरे थे और उसके बाद पुलिस थाने के सामने एक मकान में आ गए थे । और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोक्त्री ने स्वयं यह कथन किया है कि पुलिस पदधारियों ने उसे यह कहा था कि वर्तमान अभियुक्तों ने ही आरोपित अपराध कारित किए हैं । यह महत्वपूर्ण है कि इन साक्षियों ने भी यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों की कड़ी पिटाई की गई थी । अभि. सा. 12 स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि पुलिस द्वारा जिन व्यक्तियों को शनाख्त परेड के लिए लाया गया था, उनके मुंह ढके हुए थे या नहीं । वह यह भी नहीं बता सका कि क्या शनाख्त परेड आयोजित होने से पूर्व अभियुक्तों को साक्षियों को दिखाया गया था या नहीं । इस पृष्ठभूमि में, पुलिस द्वारा बनाई गई यह कहानी कि शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री ने तारीख 31 जुलाई, 2000 की शनाख्त परेड के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त की थी, अभियोजन के पक्षकथन के आधार को पूर्णतः छिन्न-भिन्न तथा मिथ्या साबित करती है । शनाख्त परेड की कवायद कुछ नहीं बल्कि एक स्वांग था ।

15. अभियुक्तों द्वारा किए गए अभिकथित प्रकटन कथनों का पुलिस द्वारा की गई कड़ी पिटाई के संबंध में शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री के अखंडनीय परिसाक्ष्यों की पृष्ठभूमि में कोई महत्व नहीं रह जाता है । यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तों को तारीख 19 जुलाई, 2000 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रकटन कथन तारीख 24 जुलाई, 2000 को किए गए तथा शनाख्त परेड उसके बाद एक सप्ताह के पश्चात् आयोजित की गई ।

16. हरकरन सिंह (अभि. सा. 1) ने अभिकथित रूप से अभियुक्तों को उस अतिथि गृह के बाहर मौजूद देखा था जहां से अभियोक्त्री का अपहरण किया गया था । इस साक्षी ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और विस्तृत प्रतिपरीक्षा के बावजूद उसके परिसाक्ष्य में कोई उपयोगी बात निकलकर नहीं आ सकी । वह एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था । यह महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कि शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री तारीख 18 जुलाई, 2000 को वस्तुतः अतिथि गृह में ठहरे थे, न तो चौकीदार और न ही अतिथि गृह के स्वामी की परीक्षा कराई । जिस व्यक्ति ने दूरभाष पर पुलिस को सूचना दी थी उसकी भी न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई गई । पुलिस ने उस रजिस्टर को, जो अभिकथित रूप से शिकायतकर्ता द्वारा भरा गया था, विशेषज्ञ को उसमें शिकायतकर्ता द्वारा अभिकथित रूप से की गई प्रविष्टियों की असलियत को अभिनिश्चित करने के लिए नहीं भेजा । पुलिस भी स्वतंत्र रूप से यह सिद्ध नहीं कर सकी कि रजिस्टर में की गई प्रविष्टि शिकायतकर्ता ने ही की थी ।

17. मायाधर (अभि. सा. 3) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने उस बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके द्वारा रजिस्टर को पुलिस द्वारा इस विचार से अपने कब्जे में लिया गया था कि इसमें पुलिस द्वारा हुकम चंद को सौंपे गए रजिस्टर का विवरण हैं । इस साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया । किंतु यदि परिकल्पना के लिए यह उपधारणा कर भी ली जाए कि उसने रजिस्टर की बरामदगी को देखा था, तो भी हमने अभिलेख पर अभि. सा. 5 का अखंडनीय परिसाक्ष्य पाया है जिसने यह कथन किया है कि हुकम चंद जो अतिथि गृह चलाता था, ने उसकी मौजूदगी में पुलिस को कोई रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया था । इसलिए पुलिस पदधारियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का यह बयान कि दूरभाष पर एक संदेश प्राप्त होने पर पुलिस घटनास्थल पर गई थी और रजिस्टर बरामद किया था और वहां से अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया था, कतई विश्वासोत्पादक नहीं है ।

18. पुलिस पदधारियों द्वारा दिए गए बयान पर पहले ही विचार किया जा चुका है और यह देखने में आया है कि यह बयान अन्यथा विश्वासोत्पादक नहीं है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के अनुसार वेन, जो बस अड्डे के निकट खड़ी पाई गई थी, से केवल कमल शर्मा को

गिरफ्तार किया गया था, किंतु शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस द्वारा उस समय दो अभियुक्तों अर्थात् कमल शर्मा और रोहित परमार को गिरफ्तार किया गया था । पुलिस पदधारियों ने एक अन्य बयान यह भी दिया है कि भरत भूषण को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह स्कूटर पर जा रहा था । यह बयान शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान से तात्विक रूप से प्रतिकूल है, उसके अनुसार जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब भरत भूषण उस समय अतिथि गृह में था ।

19. डा. रफिया बानु (अभि. सा. 8) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अभियोक्त्री के शरीर पर बाह्य क्षतियों का कोई चिह्न नहीं पाया था । वह स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त नहीं कर सकती कि अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन किया गया था या नहीं । डा. डी. एस. वर्मा (अभि. सा. 4) ने केवल अभियुक्तों का परीक्षण किया था । अभिलेख पर यह बात आई है कि पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था और इस तात्विक साक्ष्य को न्यायालय से विधारित किया गया, इसके कारण कि सर्वोत्तम जानकारी अभियोजन को ही है । इस साक्ष्य की मौजूदगी से शिकायतकर्ता के केवल इस बयान की संपुष्टि हो जाती कि अतिथि गृह में अभियुक्तों द्वारा उसकी पिटाई की गई थी ।

20. अभियोक्त्री और उसके पति के परिसाक्ष्यों पर विचार करने पर हमने यह पाया है कि उनके परिसाक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास हैं । उनके परिसाक्ष्य स्वयमेव विरोधाभासी हैं और परस्पर प्रतिकूल हैं । निस्संदेह, अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अर्ध रात्रि में जब कमरे का दरवाजा खोला, तब चार लड़के अंदर आए और उसकी और उसके पति की पिटाई करने लगे । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तों ने कमरे में ही उसके साथ मैथुन करने की कोशिश की और एक अभियुक्त उसके पति को कमरे से बाहर ले गया । जब उसके पति ने दरवाजा खटखटाया तो अभियुक्तों ने पुनः उसकी पिटाई की और उन्हें लूटने के पश्चात् अभियुक्त उसके पति को अतिथि गृह से बाहर ले गए । उसे (अभियोक्त्री) बाद में जंगल में ले जाया गया जहां एक अभियुक्त ने उसके साथ मैथुन किया । उसने यह कथन नहीं किया है कि कितने या कौन सा अभियुक्त उसे जंगल में ले गया था । उसने यह भी कथन नहीं किया है कि वह कमरे में कितनी देर रही थी । उसने यह कथन किया है कि उस समय अंधेरा था । उसका यह कथन उसके पति के कथन से प्रतिकूल है और उसके कथन से संपुष्टि नहीं होती है । यह महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तों ने कमरे में

उसकी पत्नी के साथ मैथुन करने की कोशिश की थी । वास्तव में, उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त उसकी पत्नी को कमरे से ले गए थे और एक अभियुक्त द्वारा उसे जबरदस्ती रोक लेने पर वह कमरे के अंदर ही रहा था । उसका यह कथन है कि सभी चारों अभियुक्तों ने उसकी पत्नी के साथ बलात्संग किया था, वास्तव में अभियोजन या अभियोक्त्री का ऐसा पक्षकथन नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 6 के अनुसार कमरे का दरवाजा अभियोक्त्री द्वारा खोला गया था, जबकि अभियोक्त्री के अनुसार दरवाजा उसके पति ने खोला था । अभियोक्त्री के अनुसार, कमरे में सभी चारों अभियुक्तों ने उसकी और उसके पति की पिटाई की थी, जबकि इस तथ्य की उसके पति द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है । शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों में से केवल एक अभियुक्त अतिथि गृह में रहा था, जबकि अभियोक्त्री के अनुसार, केवल एक अभियुक्त उसे बाहर ले गया था और अन्य अभियुक्त अतिथि गृह के कमरे में ही रहे थे । हमारे मत में ये सभी विरोधाभास तात्विक और स्पष्ट हैं । उनके द्वारा न्यायालय में घटना उस रीति में वर्णित नहीं की गई है जिस रीति में अभियोजन पक्ष हमें विश्वास दिलाना चाहता है । इन दोनों साक्षियों द्वारा घटनाओं का भिन्न-भिन्न वर्णन किया गया है । इसलिए उनके परिसाक्ष्यों को कतई विश्वासोत्पादक नहीं कहा जा सकता है । उन्होंने साक्षियों को अविश्वसनीय, गैर-भरोसेमंद और अविश्वासप्रद बना दिया है ।

21. हमने यह भी पाया है कि अभिलेख पर अन्य विरोधाभास भी हैं । अभि. सा. 6 के अनुसार जब पुलिस आई, तब अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अतिथि गृह में था किंतु अभि. सा. 13 के अनुसार कोई भी अभियुक्त अतिथि गृह में मौजूद नहीं था और चार व्यक्तियों में तीन को तारीख 18 और 19 जुलाई, 2000 की मध्यवर्ती रात्रि में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया था ।

22. अभि. सा. 6 के अनुसार, अभियुक्त पुलिस को उस स्थान पर ले गए थे जहां अभियोक्त्री को रखा गया था । जबकि, अभि. सा. 13 के अनुसार एक अभियुक्त को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह स्कूटर चला रहा था किंतु इस तथ्य को अभि. सा. 6 द्वारा इस प्रकार वर्णित नहीं किया गया है, जो निर्विवाद रूप से उस समय सारी रात पुलिस दल के साथ रहा था जब पुलिस अभियोक्त्री की तलाश कर रही थी । पुलिस के अनुसार, अभियोक्त्री को पार्क से उस समय बरामद किया गया था जब वह अकेली थी । इसलिए विरोधाभास स्पष्ट है ।

23. अभि. सा. 6 के अनुसार, अभियोक्त्री को क्षतियां पहुंची थीं और रक्त भी बह रहा था । इस बयान की संपुष्टि किसी चिकित्सीय साक्ष्य से या स्वयं अभियोक्त्री के साक्ष्य से नहीं होती है ।

24. अभियोजन इस तथ्य को भी सिद्ध नहीं कर सका कि अभियोक्त्री और अभियुक्तों के कपड़ों पर पाया गया रक्त और वीर्य उनके समूहों से मेल खाता है । इसलिए साक्ष्य की ऐसी कोई कड़ी नहीं जो दूर-दूर तक भी अभियुक्तों की दोषिता को इंगित करती हो ।

25. अतः हमारे सुविचारित मत में, अभियोजन पक्ष स्पष्ट, सटीक, विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य पेश करके अपने पक्षकथन को सिद्ध नहीं कर सका है ।

26. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने के लिए साक्ष्य की शृंखला को स्पष्ट, सटीक, विश्वसनीय और भरोसमंद साक्ष्य पेश करके सिद्ध नहीं किया गया है ।

27. पूर्वोक्त सभी कारणों से, हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य का पूरी तरह से मूल्यांकन किया है ।

28. अभियुक्तों को निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने का फायदा प्राप्त है । **मोहम्मद अंकुश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित की गई विधि के विनिश्चयाधार को दृष्टिगत करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया है या अभियुक्तों की दोषमुक्ति से न्याय की हानि हुई है । किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । यह अपील खारिज की जाती है । यदि अभियुक्तों द्वारा कोई जमानत बंधपत्र प्रस्तुत किया गया है, तो उसे उन्मोचित किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 94.

संसद् के अधिनियम

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 29)

[23 जून, 2005]

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "बख्तरबंद कार सेवा" से बख्तरबंद कार के साथ सशस्त्र रक्षकों के अभिनियोजन द्वारा प्रदान की गई सेवा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो समय-समय पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुज्ञप्ति" से धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "प्राइवेट सुरक्षा" से, किसी व्यक्ति या संपत्ति अथवा दोनों की संरक्षा या रक्षा करने के लिए लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बख्तरबंद कार सेवा की व्यवस्था भी है ;

(छ) "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण" से किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं जिनके अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा गार्डों या उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना भी है, उपलब्ध कराने या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ, सरकारी अभिकरण, विभाग या संगठन से भिन्न, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "प्राइवेट सुरक्षा गार्ड" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को शस्त्र सहित या उनके बिना प्राइवेट सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उसके अंतर्गत पर्यवेक्षक भी है ;

(झ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है ।

3. नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) राज्य सरकार, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, उसे ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

4. व्यक्तियों या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के बिना प्राइवेट सुरक्षा गार्ड न रखना या उपलब्ध न कराना – कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार तभी करेगा या प्रारंभ करेगा, जब उसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति हो :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार कर रहा है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक और यदि उसने एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर दिया है तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक, ऐसा कारबार करता रहेगा :

परन्तु यह और कि कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विदेश में प्राइवेट सुरक्षा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना प्रदान नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा ।

5. अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता – इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी व्यक्ति से आवेदन पर केवल उसके पूर्ववत के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् ही विचार किया जाएगा ।

6. वे व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं हैं – (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह, –

"(क) किसी कंपनी के संप्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबंध के संबंध में किसी अपराध के लिए (उसके द्वारा कंपनी के संबंध में किया गया कोई कपट या अपकरण) सिद्धदोष किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से अन्यून का कारावास है ; या

(ग) किसी ऐसे संगठन या संगम से सम्पर्क रखता है जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा है यह ऐसे व्यक्ति के बारे में यह जानकारी है कि वह उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ; या

(घ) अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए, किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि, वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिसका स्वत्वधारी या

बहुमत शेयर धारक, भागीदार या निदेशक ऐसा है जो भारत का नागरिक नहीं है ।

7. अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन – (1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) आवेदक धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में ब्यौरे समाविष्ट करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, धारा 11 के अधीन और पुलिस में रजिस्ट्रीकृत या न्यायालय में लंबित मामलों की, जिनमें आवेदक लिप्त है, शर्तों को पूरा करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ –

(क) यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण किसी राज्य के एक जिले में कार्य कर रहा है तो पांच हजार रुपए की फीस होगी ;

(ख) यदि अभिकरण किसी राज्य के एक से अधिक किंतु पांच जिलों तक में कार्य कर रहा है तो दस हजार रुपए की फीस होगी ; और

(ग) यदि वह संपूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है तो पच्चीस हजार रुपए की फीस होगी ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, और संबद्ध पुलिस प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, आवेदन की पूर्ण विशिष्टियों और विहित फीस के साथ प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश तभी किया जाएगा जब –

(क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ; और

(ख) वे आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति से इनकार किया जाता है,

आदेश में वर्णित किए गए हों ।

(5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति –

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जब तक कि उसे धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रद्द नहीं कर दिया जाता ;

(ख) पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, समय-समय पर पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी ; और

(ग) ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगी, जो विहित की जाएं ।

8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण – (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम पैंतालीस दिन पूर्व ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस और इस अधिनियम की धारा 6, धारा 7 तथा धारा 11 के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी होंगे ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर आदेश पारित करेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु इनकार करने का कोई आदेश, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

9. प्रचालन प्रारंभ करने और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की शर्तें – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के छह मास के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा ।

(2) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण और कुशलताएं, जो विहित किए जाएं, देना सुनिश्चित करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का

कारबार करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसी संख्या में, जो विहित की जाए, पर्यवेक्षकों को नियोजित करेगा ।

(4) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा जब वह धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो ।

(5) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के किसी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते समय उस व्यक्ति को, जिसके पास सेना, नौसेना, वायु सेना, संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या राज्य पुलिस, जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस और होम गार्ड भी हैं; तीन वर्ष से अन्यून की अवधि की सेवा का अनुभव हो, अधिमानता देगा ।

10. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पात्रता – (1) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा, जब –

(क) वह भारत का नागरिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त की हो ;

(ग) उसने अभिकरण का अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समाधान कर दिया हो ;

(घ) उसने विहित सुरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न किया हो ;

(ङ) वह ऐसे शारीरिक मानदंडों को पूरा करता हो जो विहित किए जाएं ; और

(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता हो ।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया

है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, किसी व्यक्ति को प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित करते समय, ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दे सकेगा, जिसने निम्नलिखित में किसी एक या अधिक में उसके सदस्य के रूप में सेवा की है :–

(i) सेना ;

(ii) नौसेना ;

(iii) वायु सेना ;

(iv) संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल ;

(v) पुलिस, जिसके अंतर्गत राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी है ; और

(vi) होमगार्ड ।

11. अनुज्ञप्ति की शर्तें – (1) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित करने के लिए नियम विरचित कर सकेगी जिन पर इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और ऐसी शर्तों में अपेक्षाएं, जो उस प्रशिक्षण के विषय में जिसे अनुज्ञप्तिधारी को लेना है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों, जिनसे अभिकरण बना है, का ब्यौरा नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर उनके पते में किसी परिवर्तन, प्रबंध में परिवर्तन के संबंध में और उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरुद्ध ऐसे किसी दांडिक आरोप के संबंध में दी जाने वाली सूचना की बाध्यता भी है ।

(2) राज्य सरकार धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञप्ति को जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का नियमों में उपबंध कर सकेगी ।

12. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शित किया जाना – प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपनी अनुज्ञप्ति या उसकी प्रति अपने कारबार के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

13. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण और निलंबन – (1) नियंत्रक प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर रद्द कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) कि अनुज्ञप्ति तात्विक तथ्यों के व्यपदेशन पर या उनको छुपाकर अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) कि अनुज्ञप्तिधारी ने मिथ्या दस्तावेजों या फोटोग्राफों का उपयोग किया है ;

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अतिक्रमण किया है ;

(घ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के यहां प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई जानकारी का दुरुपयोग किया है ;

(ङ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने, किसी शीर्षनामा विज्ञापन या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करके या किसी अन्य रीति से यह व्यपदेशन किया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सरकार का एक अभिकरण है या ऐसा अभिकरण उस नाम से भिन्न किसी नाम का उपयोग कर रहा है जिस नाम से उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ;

(च) कि अनुज्ञप्तिधारी लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है या किसी व्यक्ति को उस रूप में प्रतिरूपण करने के लिए दे रहा है या सहायता कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है ;

(छ) कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करने में या पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहा था ;

(ज) कि अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को करार की गई सेवाएं प्रदान करने में जानबूझकर असफल रहा है या उसने सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया है ;

(झ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी न्यायालय के आदेश या किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेश के अतिक्रमण में है या वह ऐसे किसी आदेश का अतिक्रमण करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या सहायता दे रहा है ;

(ञ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के उपबंधों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित किए जा सकेंगे, अतिक्रमण किया है ;

(ट) कि इस बात के अनेक उदाहरण रहे हैं जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड :–

(i) प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है या रहे हैं या ऐसी सुरक्षा प्रदान न करने में घोर उपेक्षा के दोषी थे ;

(ii) उन्होंने न्यास भंग किया है या उस संपत्ति या उसके किसी भाग का दुर्विनियोग किया है जिसकी संरक्षा करने की उनसे प्रत्याशा की गई थी ;

(iii) आदतन नशे में या अनुशासनहीन पाए गए थे ;

(iv) अपराध करने में लिप्त पाए गए थे ; या

(v) उन्होंने उनके प्रभार में रखे गए व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध की मौनानुमति दी थी या उन्होंने उसके लिए दुष्प्रेरित किया था ;

(ठ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ है या पुलिस को या अन्य प्राधिकारी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान न की या उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(2) जहां नियंत्रक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपधारा (1) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के प्रश्न के लंबित रहते हुए ऐसा करना आवश्यक है कि नियंत्रक प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति के प्रचालन को तीस दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी

से ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि अनुज्ञप्ति का निलंबन, रद्दकरण का प्रश्न अवधारित किए जाने तक क्यों न विस्तारित कर दिया जाए ।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन या रद्दकरण के कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति प्रभावित व्यक्ति को संसूचित की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

14. अपील – (1) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नवीकरण करने से इनकार करने के नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश या उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के गृह सचिव को ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी राज्य सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति होगी ।

(3) राज्य सरकार, अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

15. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा रजिस्टर का रखा जाना – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण एक रजिस्टर रखेगा जिसमें –

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध कर रहे हैं ;

(ख) उसके नियंत्रणाधीन प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के

नाम, पते फोटोग्राफ और वेतन होंगे ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जिनको उसने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या सेवाएं उपलब्ध कराई हैं ; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, पर्यवेक्षक या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे ।

16. अनुज्ञप्ति आदि का निरीक्षण – नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसके कारबार के स्थान, अभिलेखों, लेखाओं और अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा किसी दस्तावेज की प्रति ले सकेगा ।

17. फोटो पहचान पत्र का जारी किया जाना – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को, उस प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा, जिसने उस गार्ड को नियोजित या नियुक्त किया है, फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फोटो पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, जारी किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक अपने साथ उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया फोटो पहचान पत्र रखेगा और नियंत्रक प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा ।

18. अप्राधिकृत व्यक्ति को जानकारी का प्रकटन – (1) कोई व्यक्ति जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित किया जाए या नियुक्त किया गया है या रखा गया है, नियोजक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, या ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्ति को जिसे नियोजक निदेश दे, उस कार्य के संबंध में ऐसे नियोजन के दौरान उसके द्वारा अर्जित कोई जानकारी जो ऐसे नियोजक द्वारा समनुदेशित किया गया हो, सिवाय ऐसे प्रकटीकरण के जो इस अधिनियम के अधीन या पुलिस द्वारा किसी जांच या अन्वेषण के संबंध में या किसी प्राधिकारी द्वारा या विधि की प्रक्रिया में अपेक्षित हो, प्रकट नहीं करेगा ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के समस्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पुलिस को या ऐसे प्राधिकारी को उस अभिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्वेषण की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता देंगे ।

(3) यदि किसी विधि का अतिक्रमण किसी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जानकारी में आता है तो वह उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी में लाएगा, जो नियोजक या अभिकरण के माध्यम से या स्वयं पुलिस को जानकारी देगा ।

19. प्रत्यायोजन – राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि (धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) ऐसी किसी शक्ति या कृत्य का, जिसका इस अधिनियम के अधीन, –

(क) उसके द्वारा प्रयोग का पालन किया जा सकेगा, या

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा,

ऐसे विषय के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग या पालन किया जा सकेगा ।

20. कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड – (1) कोई व्यक्ति जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जो अधिनियम की धारा 9, धारा 10 और धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के अतिरिक्त, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

21. कतिपय वर्दियों के अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति – यदि कोई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक, सेना, वायुसेना, नौसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या पुलिस की वर्दी पहनेगा या ऐसी पोशाक पहनेगा जो उस वर्दी के समान हो या उस पर उस वर्दी के सुभिन्न चिह्न लगे हुए हों, तो वह और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का स्वत्वधारी, कारावास से

जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

22. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

23. संरक्षण – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

24. राज्यों द्वारा अंगीकार के लिए आदर्श नियमों की विरचना –

केन्द्रीय सरकार, ऐसे सभी या किसी विषय, जिसके संबंध में राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकेगी, के संबंध में आदर्श नियम विरचित कर सकेगी और जहां ऐसे आदर्श नियम राज्य सरकार द्वारा विरचित किए जा चुके हैं वहां धारा 25 के अधीन उस विषय के संबंध में कोई नियम बनाते समय, यथासाध्य, ऐसे आदर्श नियमों के अनुरूप बनाएगी ।

25. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया ; धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन प्रशिक्षण का प्रकार ; धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन शारीरिक मानदंड और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अन्य शर्तें ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन नियोजित किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की संख्या ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(च) अपील करने के लिए धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप ;

(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में रखी जाने वाली विशिष्टियां ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन

फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ;

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया प्रत्येक नियम, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां विधान सभा विद्यमान है वहां उस विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 13(1)(ञ) देखिए]

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) ।

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) ।

(4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) ।

(5) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) ।

(6) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) ।

(7) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) ।

(8) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 25) ।

(9) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) ।